अष्टम माला, खंड 48, अंक 21

बुधवार, 29 मार्च, 1989
8 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 48 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 29 मार्च, 1989/8 चैत्र, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची	नीचे से 9	"62 प्रतिवेदन" के स्थान पर "62वां प्रतिवेदन" पढ़िये।
	नीचे से 3	प्रश्न संख्या "381" के स्थान पर "391" पढ़िये।
24 25	5 नीचे से 12	"राम कुमार राय" के स्थान पर "राज कुमार राम" पढ़िये।
38	नीचे से 8	"मंत्रालय" के स्थान पर "मंत्री" पढ़िये।
46	1	"समोफिलिक" के स्थान पर "हीमोफिलिक" पढ़िये।
47	9	"मंत्रायय" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये।
48	11	"सरोज पाखर्डे" के स्थान पर "सरोज खापर्डे" पढ़िये।
50	नीचे से 5	"धिमपणन" के स्थान पर "विपणन" पढ़िये।
51	नीचे से 6	"हस्तारण" के स्थान पर "हस्तांतरण" पढ़िये।
62	नीचे से 5	"संसद" के स्थान पर "संसदीय" पढ़िये।
62	2	प्रश्न संख्या "3851" के स्थान पर "3751" पढ़िये।

..2/-

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
68	नीचे से 3	प्रश्न संख्या "3557" के स्थान पर "3757" पढ़ि
89	नीचे से 12	"(त)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये ।
96	नीचे से 8	प्रश्न संख्या "2779" के स्थान पर "3779" पढ़िये
105	16	प्रश्न संख्या "3795" पढ़िये ।
106	नीचे से 12	"गलबण्ड" के स्थान पर "गलगण्ड" पढ़िये ।
121	9	"छात्रावृति" के स्थान पर "छात्रवृत्ति" पढ़िये ।
126	7	"दारे" के स्थान पर "बारे" पढ़िये ।
127	8	"श्रीवाकान्त" के स्थान पर "श्रीकांत" पढ़िये ।
141 143	नीचे से 8 3	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
145	2	प्रश्न संख्या "384" के स्थान पर "3846" पढ़िये ।
147 173	3 20	"णत्रालय" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये ।
176	नीचे से 6	"29 मार्च, 1986 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर" शब्दों का लोप करें ।
190	4	"(ग)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये ।
214	12	"वास" के स्थान पर "आवास" पढ़िये ।
226	14	"(ज)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
234	13	"अन्तर्राष्येीय" के स्थान पर "अन्तर्राष्ट्रीय" पढ़िये ।
246	नीचे से 2	"(पदनोरा)" के स्थान पर "(पदरौना)" पढ़िये ।

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
251	15	"भद्रेश्वर" के स्थान पर "भद्रेश्वर" पढ़िये ।
254	नीचे से 3	"महोथ्य" के स्थान पर "महोदय" पढ़िये ।
257	14 तथा 18	"थामरु" के स्थान पर "थामस" पढ़िये ।
261	4	"शिा" के स्थान पर "शिक्षा" पढ़िये ।
263	6 तथा 11	"उपसभाध्य" और उपसभाध्यक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये ।
263	नीचे से 7	"राष्ट्रीय" के स्थान पर "राष्ट्रीयकृत" पढ़िये ।
264	नीचे से 4	"दुर्गटना" के स्थान पर "दुर्घटना" पढ़िये ।
267	नीचे से 15	"जंगी रेड्डी" के स्थान पर "जंगा रेड्डी" पढ़िये ।
271	5	"संकलन" के स्थान पर "संकल्प" पढ़िये ।
300	17	"(दनमकोंडा)" के स्थान पर "(हनमकोंडा)" पढ़िये ।
302	नीचे से 11	"नगरपालिका" के स्थान पर "नगरपालिक" पढ़िये ।
333	नीचे से 16	"शोवनाद्रीश्वर" के स्थान पर "शोभाद्रीश्वर" पढ़िये ।

ि क्त	शुद्धि
से 3	प्रश्न संख्या "3557" के स्थान पर "3757" पढ़ि
से 12	"(त)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये ।
से 8	प्रश्न संख्या "2779" के स्थान पर "3779" पढ़ि
	प्रश्न संख्या "3795" पढ़िये ।
से 12	"गलबण्ड" के स्थान पर "गलगण्ड" पढ़िये ।
	"छात्रावृति" के स्थान पर "छात्रवृत्ति" पढ़िये ।
	"दारे" के स्थान पर "बारे" पढ़िये ।
	"श्रीवाकान्त" के स्थान पर "श्रीकांत" पढ़िये ।
से 8	"(ख)" के स्थान पर "(ग)" पढ़िये ।
	प्रश्न संख्या "384" के स्थान पर "3846" पढ़िये ।
	"णत्रालय" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये ।
से 6	"29 मार्च, 1986 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर" शब्दों का लोप करें ।
	"(ग)" के स्थान पर "(क)" पढ़िये ।
	"वास" के स्थान पर "आवास" पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 48, तेरहवां सत्र 1989/1910-1911 (शक)

अंक 21 बुधवार, 29 मार्च, 1989/8 चैत्र 1911 (शक)

विषय | पृष्ठ संख्या

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या : 391, 394 396, से 398, और 400 से 402 ... 1-30

प्रश्नों के लिखित उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या : 393, 395 399 और 403 से 410 ... 30-40

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3730 से 3791, 3793 से 3861, 3863 से 3891 और 3893 से 3951 ... 40-238

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

वित्त मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में ... 238-242

सभा पटल पर रखे गए पत्र ... 259-262

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

62 प्रतिवेदन ... 262

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

43 वां तथा 44वां प्रतिवेदन ... 262-263

नियम 377 के अधीन मामले ... 263-267

(एक) सिन्धुमुख और नोहर सिंचाई परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री बीरबल ... 263

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस ही सदस्य ने पूछा था।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंकों में ग्राहकों को और अधिक आधुनिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण ... 263-264

(तीन) सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य अर्ध सैनिक बलों में मेट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त लड़कों को भर्ती किए जाने की आवश्यकता

श्री जनक राज गुप्त ... 264

(चार) ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले जाने के लिए डाक विभाग से प्राप्त प्रस्तावों को वित्त मन्त्रालय द्वारा शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

प्रो. नारायण चन्द पराशर ... 264

(पांच) वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना को उड़ीसा के सभी जिलों में लागू किए जाने की आवश्यकता

डा. कृपा सिन्धु भोई ... 264-265

(छः) मध्य प्रदेश के मांडला और सिवनी जिलों में सूखे की स्थिति का आकलन किए जाने हेतु एक केन्द्रीय दल भेजे जाने तथा उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. एल. झिकराम ... 265-266

(सात) फाइलेरिया रोग पर नियन्त्रण पाए जाने हेतु राजामुंदरी होम्योपैथी अस्पताल का विस्तार किए जाने तथा पूर्व-गोदावरी जिले में एक अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री गोपाल कृष्ण थोटा ... 266

(आठ) कलकत्ता स्थित लेखन सामग्री कार्यालय को पुनः खोले जाने तथा सरकारी मुद्रणालयों और प्रपत्र भण्डार बन्द किये जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ चटर्जी ... 266-267

आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

आयकर (संशोधन) विधेयक ... 267-301

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सी. जंगा रेड्डी ... 267-268 और 301

श्री ए. के. पांजा ... 268-269 और 295-300

श्री वी. शोभानाद्रीश्वर राव ... 269-271

श्री शांताराम नायक ... 271-274

डा. सुधीर राय ... 274-275

डा. गौरी शंकर राजहंस ... 275-276

श्री तम्पन थामस ... 277-279

श्री गिरधारी लाल व्यास ... 279-281

श्री विजय कुमार यादव ... 281-283

डा. दत्ता सामन्त ... 283-288

कुमारी ममता बनर्जी ... 288-291

श्री वी. बी. रमैया ... 291-293

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया ... 293-294

श्री आशुतोष लाहा ... 294-295

आय-कर संशोधन विधेयक

खंडवार विचार ... 302

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री ए.के. पांजा ... 302

दिल्ली नगर-पालिक विधि (संशोधन) विधेयक ... 302-325

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सन्तोष मोहन देव ... 302-304 और 320-325

श्री के. रामचन्द्र रेड्डी ... 304-306

श्री जय प्रकाश अग्रवाल ... 306-308

श्री अजित कुमार साहा ... 308-309

श्री एन. टोम्बी सिंह ... 309-311

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर ... 311-313

श्री गिरधारी लाल व्यास ... 313-316

श्री सी. जंगा रेड्डी ... 316-318

डा, गौरी शंकर राजहंस ... 318-320

खंडवार विचार ... 325-326

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री संतोष मोहन देव ... 325

कुमारी ममता बनर्जी ... 326

आधे घंटे की चर्चा ... 327

खाद्यान्नों की कम आपूर्ति

श्री शरद दिघे ... 327-330

श्री सुख राम ... 330-332 और 336-339

श्री अनूप चन्द शाह ... 332-333

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव ... 333-334

श्री शांताराम नायक ... 333-335

कुमारी ममता बनर्जी ... 335-336

कार्य-मंत्रणा समिति

68 वां प्रतिवेदन ... 339

राज्य सभा से सन्देश ... 339-340

लोक सभा

बुधवार, 29 मार्च, 1989/8 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैठिये ।

कई माननीय सदस्य : नमस्कार ।

अध्यक्ष महोदय : नमस्कार । इसमें कुछ निहित तो नहीं है । इसके पिछे कोई ऐसी चीज तो नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय भवन का प्रत्येक भाग और सरकार भी लीक कर रही है। आज इंडियन एक्सप्रेस में बबाये गये खण्डों से तीन सारांश छपे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जयपाल सरकार न केवल सरकार है बल्कि सरकार से तात्पर्य पूरे सदन से है । आप भी उसमें शामिल हैं ।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, जब भी देश में कोई लीकेज होता है, जयपाल रेड्डी जी प्रकट होते हैं उसमें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन नं. 391, श्री गोपाल कृष्ण थोटा ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सिंथेटिक और रेयन वस्त्रों का निर्यात

[अनुवाद]

*381. **श्री गोपाल कृष्ण थोटा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर और मलेशिया को सिंथेटिक और रेयन वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या अन्य देशों को भी इन वस्त्रों का निर्यात बढ़ाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सिंगापुर तथा मलेशिया को सिन्थेटिक तथा रेयन वस्त्र मदों के निर्यात वर्ष 1985-86 में 1.85 करोड़ रुपये मूल्य के थे जो वर्ष 1987-88 में बढ़कर 3.85 करोड़ रुपये मूल्य के हो गये। इस प्रकार 108 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2. सरकार ने सिन्थेटिक तथा रेयन वस्त्र मदों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं : ओ.जी.एल. के अधीन अत्याधुनिक मशीनरी के रियायती शुल्क पर आयात की अनुमति, 750 करोड़ रुपये राशि की आधुनिकीकरण निधि बनाना, निर्यात उत्पादन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर कच्चे माल की सप्लाई, गैर-कोटा जी.सी.ए. देशों को वस्त्रों के निर्यात और कोटा देशों को गैर-कोटा मदों के निर्यात पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त नकद मुआवजा सहायता, पोतलदान पूर्व ऋण हेतु दिनों की संख्या में वृद्धि, पैकिंग क्रेडिट ऋण की ब्याज दर में कमी, आयकर में छूट आदि। इसके अतिरिक्त, परिषद नियमित निर्यात संवर्धन उपाय करती है, जैसे क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित करना, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रचार आदि।

श्री गोपाल कृष्ण थोटा : मेरे प्रश्न के भाग (ख) का मंत्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है, इसलिए मैं उनसे इसे स्पष्ट करने के लिए कहूंगा। मेरी जानकारी यह है कि इंडोनेशिया और अन्य देशों को वस्त्रों का निर्यात करने की अधिक गुंजाइश है उन देशों को वस्त्र निर्यात करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सच है कि सिंगापुर मलेशिया और इंडोनेशिया और उस भाग में अन्य क्षेत्रों को हमारा निर्यात बढ़ाये जाने की बहुत गुंजाइश है। क्योंकि हम उन्हें जो निर्यात करते हैं वह कुल आयात की तुलना में बहुत थोड़ा है। इसलिए ऐसा करने की हमारे यहां बहुत सम्भावनायें हैं और हम उस दिशा में विशेष प्रयास कर रहे हैं। पिछले एक या दो सालों में सरकार ने इस क्षेत्र में कोटा क्षेत्र में और साथ ही साथ गैर-कोटा क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये हैं।

जहां तक कुछ उदाहरण देने की बात है कपड़ों और वस्त्रों के लिए मशीनों का आयात करने की अब खुली छूट है, आयात के लिए शर्तें अब काफी उदार कर दी गई हैं। उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए हम स्थानीय निर्माताओं को आधुनिक मशीनों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। उत्पाद शुल्क भी उन्हें प्रोत्साहन देने की गरज से कम कर दिया है। हमने 'ब्लैंकेट पासबुक प्रणाली' शुरू की है ताकि निर्यात करने के लिए आयातित कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके जो नकद मुआवजा सहायता दी जाती है उसमें भी सुधार किया जा रहा है और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाया गया है। हम काफी कदम उठा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में हमारी उपलब्धी काफी अच्छी रही है।

श्री गोपाल कृष्ण थोटा : अमरीका और अन्य विकसित देशों में वस्त्रों के निर्यात की काफी गुंजाईश है। इन निर्यातों को बढ़ाने के लिए और निर्यातकों सहित छोटे निर्माताओं, कपास उत्पादकों को इन निर्यातों के लाभ दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि अमरीका को इन मदों के अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। अमरीका को निर्यात की कतिपय श्रेणियां हैं जिनमें कोटा प्रतिबन्ध हैं विशेष रूप से वस्त्रों कपड़े आदि के लिए। हम समय-समय पर उस कोटे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमारी अन्तिम बात अमरीका और अन्य देशों के साथ हुई थी और परिणामस्वरूप कोटे में कुछ वृद्धि हुई और कुछ सुविधायें दी गई था। फिर कुछ गैर-कोटा मद हैं, क्योंकि कोटा प्रणाली काफी समय से चल रही है और इसके लिए हम कोटा बढ़ाने आदि के लिए अपने अनुरोध की स्वीकृति के लिए उन पर निर्भर हैं। यहां तक कि जबकि कोटा व्यवस्थाएं जारी हैं मुझे कहते हुए खेद है कि अमरीका में हाल ही में हथकरघा वस्त्रों के आयात पर एक तरफा कटौती लगा दी है। हमने इस पर चर्चा करने के लिए कहा था। हमारे अधिकारी वहाँ गये थे। हम इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार हम कोटे के लिए या कोटे को उदार बनाने के लिए उन पर निर्भर हैं। परन्तु अब हमारा जोर गैर-कोटा मदों के निर्यात को बढ़ाना है ताकि प्रतिबन्धों द्वारा हमें बाधा नहीं हो। दूसरा रुख था जोर कोटा क्षेत्रों में गैर कोटा मदों का निर्यात बढ़ाने का और अपना निर्यात-गैर कोटा देश जैसे जापान, आस्ट्रेलिया और पूर्वी क्षेत्रों का बढ़ाने का है। यह हमारी नीति है।

वर्ष 2000 तक सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के अन्तर्गत मेडिकल कालेजों की स्थापना

[हिन्दी]

*394. **डा. प्रभात कुमार मिश्र :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 तक सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सभी डिवीजनल मुख्यालयों में मेडिकल कालेज खोलने का निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश की बिसालपुर डिवीजन में बिलासपुर में भी एक मेडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

[अनुवाद]

वस्त्र मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

भारत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सर्वसुलभ व्यवस्था के माध्यम से वर्ष 2000 ईसवी तक सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्ति चिकित्सीय और स्वास्थ्य कार्मिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था करके, उनका सही उपयोग करके और स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी आधारभूत ढांचे को पुनर्गठित करके ही सम्भव है। आजादी के बाद हमने अपने लोगों के स्वास्थ्य के संवर्धन में काफी प्रगति हासिल की है। चेचक का उन्मूलन कर दिया गया है। शिशु मृत्युदर प्रति 1000 के पीछे 147 से घटकर आज 90 तक रह गई है। मृत्युदर प्रति 1000 आबादी के पीछे 27.4 से घटकर 10.8 रह गई है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा-दर भी 32.7 वर्ष से बढ़कर 58.6 वर्ष तक बढ़ गई है। 1983 में संसद द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में भविष्य में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के विकास और स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढाँचे के पुनर्गठन के लिए एक समेकित प्रयास की आवश्यकता को माना गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया। वर्स 1990 तक एक प्रमुख लक्ष्य जो प्राप्त किया जाना है, वह है देश को सम्पूण आबादी को, लेकिन आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उदार मापदंडों सहित, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं सम्बन्धी आधारभूत ढाँचे को तैयार करना।

20 सूत्री कार्यक्रम भी परिवार नियोजन को स्वैच्छिक आधार पर एक जन कार्यक्रम बनाने, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की व्यवस्था में काफी वृद्धि करने, पोषण, पेयजल, आवास में सुधार आदि को बहुत उच्च प्राथमिकता देता है।

एक जनवरी, 1989 के अनुसार 1,11,439 उपकेन्द्र, 16,727 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1464 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं जबकि 1990 तक कुल 1,30,000 उपकेन्द्र 21,666 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2708 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लक्ष्य प्राप्त करना है।

3,59,195 एलोपैथिक डाक्टरों, 2 लाख नर्सों तथा 3,92,600 ग्राम स्वास्थ्य गाइडों की प्रशिक्षित जनशक्ति का एक विशाल भंडार तैयार कर लिया गया है और इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक और अन्य अर्थ चिकित्सा कार्मिक भी उपलब्ध हैं।

रोग प्रतिरक्षण सम्बन्धी टेक्नोलॉजी मिशन खोल दिया गया है ताकि 1990 तक व्यापक रोगप्रतिरक्षण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का प्रजननता नियंत्रण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। 1987 में जनसंख्या वृद्धि दर 2.12% होने का अनुमान था। अनेक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें परिवार कल्याण मे जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य तथा संचारी और गैर संचारी रोगों का नियंत्रण शामिल है। स्वयसेवी स्वास्थ्य संगठनों सहित विभिन्न संगठनों के माध्यम से जनता का सहयोग प्राप्त किया जाता है। केन्द्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर सभी कार्यक्रमों की मानीटरिंग और मूल्यांकन किया जाता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद, जिसमें राज्यों के सभी स्वास्थ्य मंत्री शामिल हैं, की बैठक हर वर्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए आयोजित की जाती है।

श्री गोपाल कृष्ण थोटा : अमरीका और अन्य विकसित देशों में वस्त्रों के निर्यात की काफी गुंजाईश है। इन निर्यातों को बढ़ाने के लिए और निर्यातकों सहित छोटे निर्माताओं, कपास उत्पादकों को इन निर्यातों के लाभ दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि अमरीका को इन मदों के अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। अमरीका को निर्यात की कतिपय श्रेणियां हैं जिनमें कोटा प्रतिबन्ध हैं विशेष रूप से वस्त्रों कपड़े आदि के लिए। हम समय-समय पर उस कोटे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमारी अन्तिम बात अमरीका और अन्य देशों के साथ हुई थी और परिणामस्वरूप कोटे में कुछ वृद्धि हुई और कुछ सुविधायें दी गई थीं। फिर कुछ गैर-कोटा मद हैं, क्योंकि कोटा प्रणाली काफी समय से चल रही है और इसके लिए हम कोटा बढ़ाने आदि के लिए अपने अनुरोध की स्वीकृति के लिए उन पर निर्भर है। यहां तक कि अबाध कोटा व्यवस्थाएं जारी हैं मुझे कहते हुए खेद है कि अमरीका ने हाल ही में हथकरघा वस्त्रों के आयात पर एक तरफा कटौती लगा दी है। हमने इस पर चर्चा करने के लिए कहा था। हमारे अधिकारी वहां गये थे। हम इसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार हम कोटे के लिए या कोटे को उदार बनाने के लिए उन पर निर्भर हैं। परन्तु अब हमारा जोर गैर-कोटा मदों के निर्यात को बढ़ाना है ताकि प्रतिबन्धों द्वारा हमें बाधा नहीं हो। दूसरा रुख था और कोटा क्षेत्रों में गैर कोटा मदों का निर्यात बढ़ाने का और अपना निर्यात गैर कोटा देश जैसे जापान, आस्ट्रेलिया और पूर्वी क्षेत्रों का बढ़ाने का है। यह हमारी नीति है।

वर्ष 2000 तक सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के कार्यक्रम के अन्तर्गत मेडिकल कालेजों की स्थापना

[हिन्दी]

*394. डा. प्रभात कुमार मिश्र : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 तक सभी को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत सभी डिवीजनल मुख्यालयों में मेडिकल कालेज खोलने का निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मध्य प्रदेश की बिलासपुर डिवीजन में बिलासपुर में भी एक मेडिकल कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

[अनुवाद]

वस्त्र मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने बताया कि हमारे यहां प्रशिक्षित डाक्टर ज्यादा हैं और नर्सेस कम हैं। अधिक मेडीकल कालेज खोलने से हमारी समस्या हल नहीं होगी। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद ने इस साल और पिछले साल भी यह सिफारिश स्वीकार की है कि और मेडिकल कालेज न खोले जाएं। राज्य सरकारों के मंत्री इस परिषद में शामिल होते हैं; हमारी समस्या सैकण्ड डाक्टरों को वहीं पर रखने, पूरा स्टाफ रखने, बच्चों के पोषण कार्यक्रम, मेटरनिटी तथा चाइल्ड केअर सैंटर खोलने से हल होगी।

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सारे देश में कर्नाटक ही एक मात्र राज्य है जिसमें सबसे अधिक मेडिकल कालेज हैं ? चार मेडिकल कालेजों के सिवाय जोकि सरकारी मेडिकल कालेज हैं, शेष सभी कालेज गैर सरकारी कालेज हैं, कैपिटेशन से चलने वाले गैर सरकारी कालेज हैं जो प्रत्येक स्थान के लिये प्रति वर्ष दो से तीन लाख की दर से धन इकट्ठा करते हैं। उन लोगों द्वारा कितना पैसा आपस में बांटा जाता है जो इनके सर्वेसर्वा हैं, यह एक अन्य प्रश्न है। सरकार और भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ मिल कर मौजूदा गैरसरकारी मेडिकल कालेजों की क्षमता को दुगना करने के अलावा राज्य सरकार के समक्ष गैर सरकारी क्षेत्र में पांच अन्य मेडिकल कालेज शुरू करने का प्रस्ताव है। क्या सरकार को इसकी जानकारी है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रवृत्ति को, जोकि कर्नाटक में चल रही है रोकने के लिये कोई ठोस कदम ले रही है। मैं मन्त्री महोदय के इस उत्तर के लिये पहले से तैयार हूं कि विधेयक पहले से ही संसद के समक्ष है। परन्तु यह प्रवर समिति के सामने सामने है और यह प्रवर समिति में ही अटका पड़ा है तथा यह कोई भी नहीं जानता है कि यह वहां से कब बाहर आयेगा। यह देखते हुए मेडिकल कालेजों की इस असामान्य वृद्धि को रोकने के लिये जोकि राजनीतिज्ञों के लिये अथाह धन पैदा करने के आधार क्षेत्र हैं, सरकार क्या ठोस कदम उठाने की सोच रही है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ और भी पता लगा है। जब मैं कर्नाटक गया तो मैंने किसी व्यक्ति से पूछा कि लोग अपने बेटे के मेडिकल कालेज में प्रवेश के लिये इतना अधिक पैसा क्यों देते हैं तो उत्तर बहुत साधारण था कि जैसे ही एक लड़के को मेडिकल कालेज में प्रवेश मिलता है तो उसकी कीमत 25 लाख रुपये हो जाती है।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य द्वारा उठाई गयी समस्या एक दम वास्तविक है और मेडिकल कालेजों की इस असामान्य वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिये जिसे हम बहुत ही अवांछनीय समझते हैं, चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन करने वाला एक विधेयक हमारे सामने है। यहां तक कि पिछले सप्ताह ही मैंने संयुक्त प्रवर समिति के चेयरमैन से इसके शीघ्र निपटान के बारे में चर्चा की। यह काफी समय से लम्बित पड़ा है। वे 8 या 10 स्थानों में गये हैं; वे पुन: कई और स्थानों का दौरा करना चाहते हैं। मैं संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकरण पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं परन्तु यदि वे अपना कार्य समय पर खत्म करते हैं, और मैंने उनसे इसे शीघ्र करने के लिये भी कहा है, तो हम मेडिकल कालेजों की इस असामान्य वृद्धि को रोकने के लिये अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।

डा. वी. के. कोलेश : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां हमारे देश में डाक्टर-मरीज का अनुपात बहुत कम है। माननीय मंत्री ने अभी अभी कहा है कि वह सरकार की तरफ से कोई भी

और मेडिकल कालेज नहीं खोलेंगे। दूसरी ओर माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ राज्यों में काफी संख्या में केपिटेशन से चलने वाले मेडिकल कालेज हैं - अतः मैं सरकार का ठीक-ठीक रवैया जानना चाहता हूं' सरकार 2000 सन की ओर बड़ी तेजी से जा रही है। क्या सरकार सारे देश में सभी गैर-सरकारी मेडिकल कालेजों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही है। मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री राम निवास मिर्धा : हमारा ऐसा करने का कोई विचार नहीं है।

श्री वी शोभनाद्रीश्वर राव : सन् 2000 तक सभी के लिये स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह सर्वप्रथम बात है कि हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करें। अध्यक्ष महोदय, जब हम इन्डोनेशिया गये थे तो हम भी वहां थे। वहां हमें बताया गया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये वहां के धार्मिक नेताओं को विश्वास में लिया गया है और उन्हें उसमें सफलता मिली है। छोटे परिवार की जरूरत के प्रचार में धार्मिक नेता सरकार को उनके प्रयास में सहायता दे रहे हैं और अन्ततः इसके परिणामस्वरूप उस देश में जनसंख्या पर सफलता पूर्वक नियन्त्रण किया गया है। इन्डोनेशिया मुख्यतः मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है।

ऐसी पृष्ठ भूमि में मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विभिन्न धार्मिक नेताओं से बातचीत करने का प्रयास कर रही है और उन्हें छोटे परिवार के संबंध में अवगत करा रही है। हाल ही में जब उस देश से संसदीय शिष्ट मंडल आया तो उन्होंने उन्हीं बातों को दोहराया। इसे देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार क्या कदम उठा रही है। अब तक के जनसंख्या नियन्त्रण संबंधी प्रयासों से हमें आंशिक सफलता मिली है। क्या सरकार धार्मिक नेताओं से इस संबंध में बात करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक भिन्न प्रश्न है।

श्री राम निवास मिर्धा : हमें माननीय सदस्य के सुझाव की जानकारी है। हम पहले ही ऐसा कर रहे हैं।

श्री सी. पी. ठाकुर : प्रश्न नये मेडिकल कालेज खोलने के संबंध में है। भारतीय चिकित्सा परिषद के चेयरमैन ने बताया है कि इस देश में चिकित्सा संबंधी शिक्षा का स्तर गिर रहा है। क्या सरकार का विचार मेडिकल कालेजों की सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी संस्था खोलने का है। दूसरे, सारे विश्व के विशेषज्ञ समझते हैं कि सन 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आन्दोलन का रूप देकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सरकार उस आन्दोलन को तेज करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य की टिप्पणी बहुत सही है कि हमारी जैसी स्थिति में सन 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य हमारे देश में केवल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करके ही प्राप्त किया जा सकता है। हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अधिकांश संसाधनों का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र खोलने के लिये लिया जा रहा है। हम मानव शक्ति की कमी को पूरा करने में लगे हैं हम और अधिक और अतिरिक्त नर्सिंग कर्मचारियों, नर्सों को लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कम से कम जो केन्द्र हम खोलें उनमें उचित व्यवस्था हो। यहीं तक कि अभी भी यह उन्हें स्वीकृत न्यूनतम कर्मचारी संख्या है। परन्तु दूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में इतने कर्मचारी भी नहीं होते हैं। हम राज्य सरकार

पर मानव शक्ति बढ़ाने के लिए, कम से कम अर्ध चिकित्सकीय कर्मचारी और चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण सुविधायें। बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं ताकि ये केन्द्र अपनी भूमिका निभायें। माननीय सदस्य का दृष्टिकोण बहुत ही ठीक है कि अधिक कालेज खोलने की बजाय हमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ध्यान देना चाहिए।

[अनुवाद]

कपड़ा निर्यात लक्ष्य

*396. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान कपड़े के निर्यात के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या कपड़े का निर्यात लक्ष्य से अधिक होने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वस्त्रों का निर्यात

(करोड़ रु.)
(अनन्तिम)

क्रमांक	मद	लक्ष्य 1988-89	निर्यात अप्रैल, 88-फरवरी, 89
1.	सूती वस्त्र, तैयार माल (मिल निर्मित, विद्युत करघा तथा हथकरघा) एवं सूती धागा	1000	1210.37
1.	सिले सिलाए परिधान	2150	1979.92
3.	ऊन तथा ऊनी सामान	100	106.04
4.	रेशम	270	298.54
5.	मानव निर्मित वस्त्र	165	237.10

क्रमांक 2 सिले सिलाए परिधानों को छोड़कर सभी मदों के संबंध में अप्रैल, 88 से फरवरी, 1989 तक हुए निर्यात संपूर्ण वर्ष 1988-89 के लक्ष्यों को पार कर गये हैं। सिले सिलाए परिधानों के सम्बन्ध में भी 1988-89 के लक्ष्य प्राप्त होने की संभावना है।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : दिए गए उत्तर को देखते हुए मैं समझ सकती हूं कि कपड़े के निर्यात के लिए इस वर्ष जो लक्ष्य रखा गया था उससे अधिक उपलब्धि हुई है। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार गैर-कोटा क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है। गैर-कोटा क्षेत्रों की निर्यात में बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय मैंने अभी पूर्ववर्ती प्रश्न के उत्तर में बताया था कि हमारा प्रयत्न गैर-कोटा क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने का है। हम ऐसे क्षेत्रों को निर्यात के लिये विशेष प्रोत्साहन दे रहे हैं। विपणन के लिये और अधिक प्रयत्न किये जा रहे हैं। हम व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियों में भाग ले रहे हैं तथा सभी प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा हैं। इसके परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में हमारे काम में सुधार हुआ है।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : अतः निर्यात पर अधिक बल दिया जा रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि ऋण अनुपात तथा उत्पाद शुल्क में कुछ असंगतियों के कारण अनेक निर्माता ऐसे निर्माण एकक लगाने के लिये तैयार नहीं हो रहे हैं। साथ ही अनेक मिलें बन्द हो गई हैं और कई रुग्ण हो रही हैं। अतः मैं जानना चाहती हूं कि इन रुग्ण मिलों को पुनर्जीवित करने तथा ऋण अनुपात तथा उत्पाद शुल्क में असंगतियों को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ताकि अधिक से अधिक निर्माता विभिन्न देशों को कपड़ों के निर्यात के काम में आगे आएं।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, माननीय सदस्य का अनुपूरक प्रश्न रुग्ण तथा बंद हो रहे एककों के बारे में है। वे यह जानना चाहती हैं कि क्या हम उन्हें और रियायतें दे रहे हैं। मुख्य प्रश्न निर्यात के बारे में है और और कपड़े अथवा वस्त्रों के निर्यात के लिये धागे की कोई कमी नहीं है। जहां तक निर्यात का प्रश्न है, हमारी उत्पादन क्षमता पर्याप्त है। जहां तक रूग्ण मिलों का संबंध है, यह एक व्यापक मुद्दा है और संभवतः इस पर हम किसी और समय चर्चा कर सकते हैं।

श्री कादम्बुर जनार्दनन : महोदय, उत्तर में, मंत्री महोदय ने सूती कपड़े तथा सूती धागे को एक साथ रखा है। वास्तव में सूती धागे का निर्यात कम कर दिया गया है क्योंकि चीन और पाकिस्तान भी इसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उनकी कीमतें हमारी कीमतों की अपेक्षा काफी कम हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चीन और पाकिस्तान से प्रतिस्पर्धा करने के लिये कुछ प्रोत्साहन देकर सूती धागे के निर्यात को बढ़ावा देगी क्योंकि सूती धागे के निर्यात में काफी कमी आयी है। जैसा कि उत्तर से देखा जा सकता है, वर्ष 1988-89 में निर्यात के लिये 1000 लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो कि पूरा नहीं हुआ है। अतः क्या सरकार सूती धागे का निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी।

श्री राम निवास मिर्धा : यह सही है कि सूती धागे का निर्यात आशानुरूप नहीं रहा है और इसका मुख्य कारण यह है कि एक वर्ष तो इसका काफी उत्पादन रहा विशेषकर तब जब यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई.ई.सी.) ने हमसे भारी मात्रा में धागा खरीदा था। न केवल ई.ई.सी. अपितु अन्य क्षेत्रों से भी काफी मांग रही। हम निरंतर स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। हम चीन और पाकिस्तान की स्थिति से स्पर्धा नहीं करना चाहते। किंतु हमारा प्रस्ताव यह है कि धागे का निर्यात एक निश्चित स्तर तक बना रहे, जिसके लिए हम नकद प्रतिपूर्ति समर्थन, विपणन सुविधायें

आदि देते हैं। एक मद में कमी होने से हमारी नीति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्योंकि एक वर्ष में निर्यात अधिक हो सकता है और दूसरे में कम। हमें अब भी आशा है कि हम धागे के निर्यात में वृद्धि करने के प्रयासों में सफल होंगे।

श्री आनन्द गजपति राजू : अभी अभी मंत्री जी ने बताया है कि गैर-कोटा देशों में निर्यात बढ़ाने की नीति है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय अब टेरिफ क्षेत्र बन रहा है। इसी प्रकार अमेरिका तथा कनाडा के बाजार भी एक टैरिफ क्षेत्र बन रहे हैं। यदि एक बार यह यूरोपियन गढ़ बन जाता है तो वहां हमारे माल का निर्यात किस प्रकार हो सकेगा क्योंकि यद्यपि टेरिफ की अंदरुनी रुकावट नहीं होगी पर बाहरी रुकावट अवश्य होगी। वर्ष 199? के आसपास हमारे सामने आने वाली इस कठिनाई पर मंत्री महोदय किस प्रकार विजय पाने की आशा रखते हैं? इस निर्यात के मूल्य में वे कैसे वृद्धि करेंगे ताकि निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि हो?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया मुद्दा निःसंदेह महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोपीय आर्थिक समुदाय वर्ष 1992 तक अपनी आर्थिक नीतियों तथा आर्थिक स्थिति को समेकित करने जा रहा है। इससे न केवल हमारी सरकार अपितु उन सभी को, जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय देशों को निर्यात कर रहे हैं समस्या का सामना करना पड़ेगा। जहां तक हमारे क्षेत्र का संबंध है, हमने यहां दो अध्ययन दल गठित किए तथा हम 1992 की संभावित स्थिति के बारे में जानने के लिए सभी उपलब्ध विशेषज्ञों की सहायता ले रहे हैं ताकि उस स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है और हमें इसकी जानकारी है। हम राजनैतिक अथवा राजनयिक या आर्थिक स्तरों पर अग्रिम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री आनन्द गजपति राजू : आप क्या ठोस उपाय करने जा रहे हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : ठोस उपायों के संबंध में इसके बाद ही पता चलेगा। हमें 1992 में होने वाली स्थिति के प्रभावों के बारे में भी अभी नहीं मालूम है। धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा है। ब्रिटेन का विचार अलग है जबकि अन्य देशों का अलग विचार है। स्थिति अभी भी अत्यंत परिवर्तनशील है। हम माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दे के प्रति अत्यंत सचेत हैं। हम स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और इस पर सभी पहलुओं से विचार कर रहे हैं। मंत्रालय में तथा बाहर उपलब्ध सभी विशेषज्ञों की राय का उपयोग एक ऐसी नीति निर्धारित करने के लिए किया जा रहा है जिसकी मदद से हम इस स्थिति का सामना कर सकें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि काटन यार्न का एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट कम होने के क्या कारण हैं, किस वजह से एक्सपोर्ट कम हो रहा हैं। दूसरे, हमारे देश में जो स्पिनिंग मिल अच्छी किस्म का यार्न प्रोड्यूस करती हैं, खासतौर से जो मिलें, को-आपरेटिव सैक्टर में स्थापित हैं, वे बहुत अच्छी किस्म का यार्न प्रोड्यूस करती हैं, उनका यार्न बहुत अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरी ओर आपने को-आपरेटिव मिल्स स्थापित करने पर पाबंदी लगा रखी है, किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। इसकी वजह से अच्छा काटन यार्न प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि को-आपरेटिव स्पिनिंग मिलें बंद हो रही हैं या उनमें दूसरी प्रकार का यार्न बनाया जा रहा है, जिसका ज्यादा निर्यात नहीं होता। इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री जी

बतायेंगे कि जिन काटन मिल्स की स्थापना पर आपने पाबंदी लगायी है, उसे कब तक हटायेंगे, नई को-ओपरेटिव मिल्स कब तक स्थापित करने की व्यवस्था करेंगे।

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सूत के निर्यात का प्रश्न है, हमारे देश में उत्पादन क्षमता की कमी नहीं है और इस वजह से एक्सपोर्ट कम हो रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसका स्वरूप व्यापक है कि सहकारी क्षेत्र में सूती मिलें स्थापित करने पर पाबंदी क्यों है। हमने नई मिलों की स्थापना पर इसलिये पाबंदी नहीं लगायी है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स के हिसाब से हमारे देश में स्पिनिंग की संस्थाएं जरूरत से ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, फाइनेंशियल एसिसमेंट से लगता है कि हमें ज्यादा मिलें नहीं लगानी चाहिये। कोआपरेटिव क्षेत्र में आज तक कितनी मिलें बंद हैं, कितनी चल रही हैं, उनके पूर्व अनुभव को ध्यान में रखकर ही हम निर्णय लेते हैं कि किस मिल को फाइनेंस किया जाये, किसे न किया जाये। इसमें किसी तरह की पाबंदी का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हमारे देश में उत्पादन की दृष्टि से इस वक्त उनकी कितनी आवश्यकता है।

शहरी विकास के लिए आयोगों समितियों की सिफारिशों का कार्यान्वयन

*397. प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं, छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश में शहरी/अर्ध शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों को हटाने और जल मल निकासी तथा सफाई सुविधाओं की व्यवस्था सहित शहरी विकास और अन्य सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित आयोगों/समितियों की संख्या और उनके नामों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन आयोगों/समितियों की सिफारिशों को वस्तुतः किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) यदि ये कार्यान्वित नहीं की गई हैं तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) अक्तुबर, 1985 में केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने शहरी विकास के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन किया तथा अगस्त, 1988 में एक विवेचनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की। ताजा अध्ययन आरम्भ करने तथा नये आंकड़े एकत्रित करने के अतिरिक्त आयोग ने महत्वपूर्ण समितियों तथा आयोगों की रिपोर्टों को भी शामिल किया जिनके विषयों का पहले अध्ययन किया गया था। आयोग की सैद्धान्तिक सिफारिशों तथा अब तक उन पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

देश में शहरीकरण की स्थिति की जांच करने, प्राथमिकता कार्य क्षेत्रों को पहचानने और तीव्र शहरीकरण का प्रबंध करने के लिए एक कार्य योजना के लिए विशिष्ट मार्ग निर्देश बनाने के लिए प्रधान मंत्री की पहल पर अक्तूबर 1985 में राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग गठित किया गया था।

2. प्रसिद्ध वास्तुक श्री चार्ल्स कोरिया की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने 19 अगस्त, 1988 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

3 जनसंख्या में तीव्र वृद्धि. अपर्याप्त अवसंरचना, वित्तीय बाधाओं, दुर्लभ भूमि संसाधनों इत्यादि जैसे कारकों के परस्पर प्रभाव से उत्पन्न शहरी मामलों के विस्तृत क्षेत्र पर चर्चा करने के पश्चात आयोग ने नीति मध्यस्थता के विस्तृत क्षेत्र पर विशिष्ट सुझाव दिए हैं जो कि अधिक प्रगुण शहरी आवास, जो साम्यता और सामाजिक न्याय के साथ तीव्र आर्थिक विकास प्रोत्साहित करेंगे, स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं।

4. आयोग की रिपोर्ट राज्य सभा तथा लोक सभा के माननीय सदस्यों के बीच परिचारित कर दी गई है। इसे प्रेस को रिलीज कर दिया गया है तथा इस पर विस्तृत रूप से टिप्पणियां की गई हैं। रिपोर्ट केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों, व्यावसायिक संगठनों, अनुसंधान संस्थानों इत्यादि, जिन्हें टिप्पणी के लिग रिपोर्ट भेजी गई है, के परामर्श से संशोधित की जा रही है।

5. राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं संलग्न अनुलग्नक में दी गई हैं।

6. कार्य क्षेत्रों का पता लगाने, कार्यदलों अथवा विभिन्न अभिकरणों द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययनों और विभिन्न सिफारिशों के बारे में से संबंधित सूचना या सिफारिशों से संबंधित दस्तावेज एकत्रित करने, तथा विषय क्षेत्र की जांच करने के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव में शामिल करने के लिए नाजुक क्षेत्रों पर कार्य योजना बनाने और आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में विभिन्न विधानों में संशोधन करने के लिए आगे कार्यवाही प्रगति पर है। केन्द्र तथा राज्य स्तर पर तथा अन्य संगठनात्मक अभिकरणों में शहरीकरण प्रक्रिया के निरंतर प्रबोधन के लिए एक स्थायी सांस्थानिक ढांचे के विषय पर, जिसकी आयोग द्वारा सिफारिश की गई है, विचार किया जा रहा है।

7. केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित सिफारिशें संबंधित अभिकरणों को भेजी गयी है तथा उनकी प्रतिक्रिया के लिए अनुरोध किया गया है। मंत्रालय वार विशिष्ट कार्य क्षेत्रों का चुनाव किया गया है और आवश्यक कार्यवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों विभागों को सूचित कर दिया गया है। जहां तक राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के मुख्य सचिवों को इस सम्बन्ध में पहले ही लिख दिया गया है और समान अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सिफारिशों की प्रतियां उन्हें उपलब्ध करा दी गई हैं। रिपोर्ट की प्रतियां व्यवसायी अभिकरणों कार्यान्वयन अभिकरणों, अर्थात, आयोग द्वारा लिए गए विषयों से सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों, आवास बोर्डों, पालिका निगमों, अनुसंधान संकायों तथा विभिन्न विशेषज्ञों को आयोग की सिफारिशों पर अपने विचार देने और आयोग की रिपोर्ट के अनुसरण में उनके द्वारा विचारित कारवाई के लिए भेजी गई हैं।

8. आयोग की रिपोर्ट पर राज्य आवास मंत्रियों तथा स्थानीय शासन व नगर विकास मंत्रियों के तेरह व 14 दिसम्बर, 1988 में हुए सम्मेलन में चर्चा की गई थी। इस

रिपोर्ट पर पुनः 14 फरवरी, 1989 को आयोजित स्थानीय शासन व नगर विकास की केन्द्रीय परिषद और अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारणी समिति को 13वीं संयुक्त बैठक में चर्चा की गई। इस परिषद ने कई संतल्पों का पारित किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय निकायों को राज्य सरकार की निधियों के अन्तरण के लिए सिद्धान्त तैयार करने हेतु राज्य वित्त आयोग के गठन, वर्तमान पालिका प्रशासन प्रबन्ध की पुनः संरचना करने, पालिका योजनाओं को राज्य योजनाओं और बाद में राज्य नगर योजनाओं को राष्ट्रीय योजनाओं के साथ एकीकृत करने और वृहत विकेन्द्रीकरण के हित में पालिका निकायों को व्यापक रूप से उत्तर दायित्व और समान संसाधनों को सोंपने के लिए सविधान में संशोधन करने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट पर 1 दिसम्बर, 1988 तथा 8 फरवरी, 1989 को आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी चर्चा की गई थी। शहरी विकास मंत्रालय ने 1988 के शरदकालीन सत्र में दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग पर एक संक्षिप्त विवरण रखा था और राज्य सभा में सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों का भी उत्तर दिया था।

9. इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा अपनी अन्तरिम रिपोर्ट और अन्तिम रिपोर्ट में भी दिए गए कुछ सुझावों पर प्रचलित मानव आवास नीति के एक भाग के रूप में कार्य किया गया है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) देश में भारतीय रिजर्व बैंक के तहत बचत करने, आवास हेतु परिव्यय बढ़ाने, आवास के लिए अनुसूचित बैंकों की ओर से उधार देने, पुनः वित्त व्यवस्था, सुविधाएं देने और आवास वित्त प्रणाली के कार्यकलाप को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय आवास बैंकका सृजन किया गया है।

(ii) विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा अर्थसंरचनात्मक विकासार्थ निधियों की व्यवस्था करने के लिए आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) में एक कक्ष (विण्डो) की स्थापना की गई है।

(iii) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन किया गया है और राज्य सरकारों को यह सुझाया गया है कि वे किराया नियंत्रण नियमों में इसी प्रकार के संशोधनों पर करें।

(iv) आयोग द्वारा आर्थिक संवेग के जनक के रूप में दिए स्थानों की सूची को ध्यान में रखते हुए उद्योगों की स्थापना हेतु बढ़ते हुए केन्द्रों का पता लगाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लिखा है पता लगाये गए शहरी व्यवस्थापन की सूची राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस आशय से भेजी गई है कि क्या वे उसमे कोई जोड़ना एवं निकालना चाहेंगे।

(v) जहां तक वित्त का संबंध है, स्थानीय सरकारों एवं महापौरों के लिए 14 फरवरी, 1989 को आयोजित केन्द्रीय मंत्री परिषद द्वारा आयोग की सिफारिशों की व्यापक रूप से समर्थन किया गया है।

(vi) शहरी क्षेत्र के नियतन में वृद्धि से संबंधित सिफारिशों को योजना आयोग के साथ उठाया गया है यह मामला नवें वित्त आयोग के साथ भी उठाया जाएगा।

(vii) चूंकि स्थानीय निकाय पूर्णत: राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है, अत: राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यान्वयन के लिए मुख्यतः राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाना है। तथापि, मंत्रालय द्वारा तैयार की जाने वाली कार्रवाई योजना में राज्य सरकारों और महापौर सम्मेलन के विचारों को भी शामिल किया जाएगा ताकि कतिपय एक समान मार्गनिर्देशनों का सुझाव दिया जा सके।

(viii) स्थानीय निकाय और सामुदायिक वर्गों की भागीदारी के आधार पर शहरी निर्धनों तक सामाजिक सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से मंत्रालय पहले ही 200 कस्बों में शहरी मूलभूत सेवा परियोजनाओं का समर्थन कर रहा है। विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादनार्थ तथा नगर प्रशासन के लिए पालिका कर्मचारियों की योग्यता में सुधार करने के लिए भी मंत्रालय विभिन्न कदम उठा रहा है। चालू वर्ष के दौरान 0.45 लाख रुपये तक अनुदान सहायता प्रदान करके यह मंत्रालय आई. आई. पी. ए. सहित बम्बई, लखनऊ और हैदराबाद में तीन क्षेत्रीय केन्द्रों की सहायता कर रहा है। इसके अलावा, नगर मूलभूत सेवा परियोजनाओं के कार्मिकों के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों और राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान द्वारा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। प्रशिक्षण के लिए योजनाएं विश्व बैंक द्वारा सहायतित परियोजनाओं के अन्तर्गत चलाई जाती हैं। यह मंत्रालय विदेशी पाठ्यक्रमों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को फैलोशिप का अवार्ड का समर्थन करता है। हुडको के अन्तर्गत प्रशिक्षण संस्थान आवास तथा शहरी सेवाओं के लिए पाठ्यक्रम चलाता है।

(ix) केन्द्रीय प्राधिकरणों के उचित पुनर्गठन तथा अन्य केन्द्रीय प्राधिकरणों की सहमति से शहरी विकास तथा आवास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय की उचित संगठनात्मक पुनर्संरचना के लिए आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक कर्मीदल का गठन किया गया है। यह कर्मी दल शहरी विकास नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करने के लिए स्थायी सांस्थानिक यंत्रावली के लिए आयोग के सुझावों पर भी विचार करेगा।

(x) आठवीं योजना के प्रस्ताव में समाविष्ट करने के लिए विकट क्षेत्रों पर एक कार्य-योजना भी प्रगति पर है।

10. शहरी निर्धनता उन्मूलन के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों को अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से इस मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता कार्यवाही के लिए लिया गया है। शहरी क्षेत्र कार्यक्रमों में विभिन्न निर्धनता उन्मूलन की समाभिरूपता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक कर्मीदल का गठन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित

किया जा सके कि वांछित वर्ग के लाभों तथा निधियों के अधिकतम उपयोग के अनुसार इन निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के लक्ष्यों की प्रभावी रूप से प्राप्ति हो सके।

अनुलग्नक

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं

1. तीव्र जन संख्या वृद्धि, अपर्याप्त आधारभूत सुविधाएं वित्तीय जटिलताएं दुलर्भ भूमि संसाधन, इत्यादि जैसे घटकों के पारस्परिक प्रभाव से उत्पन्न शहरी मामलों के विषय में व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात आयोग ने अधिक कुशल शहरी व्यवस्थाएं लाने के लिए आवश्यक नीति मध्यस्थाओं, जो औचित्य और सामाजिक न्याय के साथ तीव्र आर्थिक विकास कर सकेंगी, के बारे में कुछ विशेष सिफारिशें की हैं। नीति जो आयोग द्वारा प्रस्तावित की गई है, में बहुत सी व्यवस्थाओं में निम्नलिखित द्वारा शहरी जनसंख्या का छितराव सम्मिलित है :—

(i) शहर और नगर जो आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करने की संभावना रखते हैं के आर्थिक आधार को संगठित करना।

(ii) ग्रामीण भीतरी प्रदेश से बड़े-बड़े शहरों की ओर निरन्तर प्रवसन को रोकने के लिए उत्कृष्ट रूप से ग्रामीण जिलों के विकास की गति को तीव्र करना;

(iii) शहरी क्षेत्रों का विकास बनाए रखने के लिए आधार भूत सुविधाओं के उन्नयन हेतु और अधिक पूंजी निवेश के जरिए प्रोत्साहन देना; और

(iv) शहरी स्थिति को मजबूत करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के उपाय निकालना;

2. उपर्युक्त नीति के अनुरूप ही, आयोग ने 329 शहरी केन्द्रों की पहचान की है, जिनके आर्थिक और भौतिक आधारों को संवर्धित, सुदृढ़ और विस्तारित किया जाना है। ये जनरेटर आफ इकोनामिक मामेन्टम के नाम से परिभाषित हैं, जो 49 स्थानिक प्राथमिकता शहरीकरण क्षेत्रों (एस. पी. यू. आर.) में आते हैं। आयोग की यह राय है कि शहरीकरण के लिए विकास प्रक्रिया में मुख्य भूमिका अदा करने के लिए योजना आयोग और राज्य सरकारों को शहरीकरण को समूचे विकास प्रसंग में रखना चाहिए और संसाधन नियतन करने चाहिये जो इन प्रत्येक स्थानिक प्राथमिकता शहरीकरण क्षेत्रों (एस. पी. यू. आर.) के अंतर प्राकृतिक और मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

3. शहरी विकास को तेज करने के लिए आयोग ने सिफारिश की है कि पंचवर्षीय योजना में शहरी क्षेत्र के लिए कुल योजना नियतन का भाग शेयर के लगभग 4 प्रतिशत को बढ़ा कर 8 प्रतिशत किया जाए। इस नियतन का आधा भाग केन्द्रीय क्षेत्र से आये। राज्य सरकारों से स्थानीय निकायों की निधियों के पूर्वानुमानित और पर्याप्त अन्तरण को सुनिश्चित करने के लिए पंचवर्षीय राज्य वित्त आयोगों की स्थापना के लिए एक संवैधानिक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

4. भारतीय संदर्भ में, शहरी आयोजना के मुख्य संबंध के रूप में निर्धनों की बाहुल्यता को भी लिया जाए इसलिए निम्न आय वर्गों की आवश्यकताओं की सुग्राह्यता और आश्रय-घर, रोजगार, मूलभूत सेवाओं और वित्त के लिए औपचारिक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हमारे शहरों की भौतिक आयोजना को प्रभावशाली रूप से बदलना चाहिए।

5. आयोग के अनुसार शहरी चुनौतियों की अत्यधिक मांग निर्धनता द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौती है क्योंकि शहरी जनसंख्या का 27.7 प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे आता है।

5.1 अधिकांश शहरी गरीबों के सुधार के लिए पिछले दो दशकों के दौरान विभिन्न चालू योजनाओं पर ध्यान देते हुए आयोग महसूस करता है कि शहरी निर्धनों की आय और उपभोक्ता स्तरों में सुधार, मूलभूत पर्यावरण और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच का विस्तार तथा उनके अधिक उपयुक्त उपयोग के लिए सुपरफास्ट गहन और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। इसने अगली दो योजनावधियों में कार्यान्वयन के लिए 13-सूत्री कार्यक्रम की सिफारिश की है। मध्यस्थता नीतियां (क) आय और रोजगार (ख) मूलभूत सेवाएं (ग) आश्रय (घ) सार्वजनिक वितरण, (ङ) सामाजिक सुरक्षा और (च) गैर-सरकारी संगठन क्षेत्रों से संबधित हैं।

5.2 इस कार्यक्रम के लिए 5 वर्षों के लिए 10,750 करोड़ रुपये से परिव्यय की आवश्यकता होगी। जिसमें संस्थानों के माध्यम से 6000 करोड़ रुपये शेष 4,750 करोड़ रुपये 950 करोड़ रुपये वार्षिक की दर पर सार्वजनिक राजकोष से ऋण के रूप मे दिया जाना शामिल है। यह आशा है कि इस कार्यक्रम से 44 लाख परिवारों को पर्याप्त आय और रोजगार के लाभ मिलेंगे जबकि लगभग 63 लाख परिवार बहु सेवाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। इस प्रकार कुल 1.07 करोड़ परिवार लाभभोगी होंगे और 1995 तक शहरी निर्धनता को, इसके वर्तमान परिमाप को 10 प्रतिशत तक कम करेंगे।

6. आयोग ने सिफारिश की है कि आवास नीति का उद्देश्य विकसित भूमि तथा कम लागत के आश्रय की पूर्ति को बढ़ाना मलिनबस्तियों का सुधार और उन्नयन एवं विद्यमान आवास भण्डार को संरक्षित करना होना चाहिए। भूमि की सुग्राह्यता प्रदान करने के साथ-साथ आवास कार्यक्रम में वित्त, मूलभूत विकास और सामुदायिक सुविधाएं प्रदान करना भी होना चाहिए। आवास क्षेत्र में सार्वजनिक अभिकरणों की आवास के निर्माताओं की अपेक्षा मददगार के रूप में अपनी नयी भूमिका की पूर्ति के लिए पुनः संरचना की जाए।

7. आयोग शहरीकरण प्रक्रिया में विकसित भूमि की पूर्ति को उच्च प्राथमिकता देता है। शहरी निर्धनों के लिए भूमि की उचित पहुंच और दक्षतापूर्वक विद्यमान भूमि की पुनरावृत्ति सुनिश्चित करने के लिए शहरी भूमि बाजार में राज्य की मध्यस्थता अत्यावश्यक हैं। यह अनुभव किया जाता है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 में केवल खाली भूमि की पर्याप्त मात्रा राज्य अभिकरणों को अन्तरित करने में विफल रहा है अपितु इससे भूमि की कीमतों में अवांछित

वृद्धि हुई है। यह आयोग अनुभव करता है कि इस अधिनियम में मूलतः संशोधन किया जाए और मध्यम आय वर्ग के समूहों के लिए मकानों हेतु कर लगाने के उपायों द्वारा इसमें वृद्धि की जाए।

8. यह आयोग वर्तमान भाटक नियंत्रण कानून के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख करते हुए सिफारिश करता है कि गरीबों तथा विद्यमान किरायेदारियों के लिए किरायेदारी संरक्षण सीमित करने और रहन-सहन की लागत में वृद्धि, परिवर्तित करने जो रिहायशी तथा गैर-रिहायशी परिसरों और 80 वर्ग मीटर से अधिक तथा कम वाले मकानों में भिन्न-भिन्न हैं, के लिए किरायों के वार्षिक पुनरीक्षण हेतु किराया अधिनियमों में संशोधन किया जाए।

9. यह आयोग यह विश्वास करता है कि भारत की वास्तुकीय विरासत वास्तव में अमूल्यपूर्ण और हमारे नगरों तथा शहरों में संरक्षण योग्य अनुपम विशेषताएं हैं। इसलिए यह आयोग सुझाव देता है कि संरक्षण को स्मारकों के परिरक्षण के बाद संरक्षण किया जाए और सभी निर्मित विरासत को इनमें शामिल किया जाए। स्थानों तथा स्थलों के संरक्षण के लिए व्यक्तिगत प्रोत्साहन के रूप में प्रत्यक्ष वित्तीय तथा अन्य प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए।

10. शहरी केन्द्रों के कुशल प्रबन्ध के लिए इस आयोग ने 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए निगम तथा स्थानीय परिषदों से गठित एक द्विप्रणाली (टू-टियर) प्रशासनिक गठन का प्रस्ताव किया है। यह आयोग सुझाव देता है कि बर्खास्त किये गये स्थानीय निकायों का निर्धारित अवधि के भीतर पुनर्गठन को अनिवार्य किया जाए और पालिका चुनाव प्रक्रिया को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के क्षेत्राधिकार में लाया जाए। बजट तथा संस्थानिक संसाधनों के लिए सुगमता के अलावा स्थानीय निकायों की वित्तीय तथा प्रबन्धकीय क्षमता में सुधार करने के सुझाव दिए हैं।

11. इस आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि भावी शहरीकरण नीतियों को बताने के लिए प्रत्येक राज्य में सहयोगी राज्य शहरीकरण परिषद् सहित राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शहरीकरण परिषद् होनी चाहिए।

श्री नारायण चन्द पराशर : महोदय, विवरण से प्रतीत होती है कि इस संबंध में व्यापक कार्य किया गया है। मैं विवरण की मद संख्या 9 का हवाला देना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि "केन्द्रीय अभिकरणों के उचित पुनर्गठन तथा अन्य केन्द्रीय अभिकरणों की सहमति से शहरी विकास तथा आवास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय की उचित संगठनात्मक पुनर्संरचना के लिए आयोग की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक कर्मीदल का गठन किया गया है।

महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि इस कर्मीदल का गठन कब किया गया था; कर्मीदल को रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कितना समय दिया गया; और रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उस पर कार्यवाही कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : सर, नेशनल कमीशन ग्रान अर्बनाइजेशन की लगभग 78 रिकमेंडेशन्स हैं। इसी की जांच के लिए जो हमारे हुडको के चेयरमैन हैं उनकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है जिसमें हमने यह तय किया है कि कम से कम लगे और लगभग 3 महीने में ये अपनी रिपोर्ट दे दे, लेकिन अभी-अभी एक टास्क फोर्स गठित की गई है जो चार्ल्स कोरिया के कमीशन की जो रिकमेंडेशन्स हैं उनको देखेगा। इसमें हमारा यही ग्रास्पेक्ट है कि इसकी जल्दी से जल्दी रिपोर्ट ग्रा जाए।

[अनुवाद]

श्री नारायण चन्द पराशर : राष्ट्रीय शहरीकरण ग्रायोग की रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताओं में कहा गया है कि "उपर्युक्त नीति के अनुरूप ही, जिनके आर्थिक और भौतिक आधारों को संघटित सुदृढ़ और विस्तारित किया जाना है। ये जेनरेटर ग्राफ इकोनामिक मोमन्टस के नाम से परिभाषित हैं, जो 49 स्थानिक प्राथमिकता शहरीकरण क्षेत्रों (एस. पी. यू. ग्रार.) में आते हैं।"

क्या मैं इसके बारे में विस्तार से जान सकता हूं ? और यह भी कहा गया है कि 27.7 प्रतिशत शहरी जनसंख्या गरीबी की की रेखा से नीचे है। महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जनसंख्या का यह वर्ग जो गरीबी की रेखा से नीचे है और कुल जनसंख्या का लगभग 27 या 28 प्रतिशत है, उसे इन सिफारिशों के कार्यान्वयन में कोई प्राथमिकता दी जाएगी ?

[हिन्दी]

श्री बलबीर सिंह : सर, इन्हीं बातों को देखते हुए, टास्कफोर्स से रिकमेंडेशन मांगी गई है। नेशनल कमीशन आन अर्बनाइजेशन ने रिकमेंडेशन की है कि अर्बन पापुलेशन में जो 72.7./. पुअर हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए। इसी की स्टडी के लिए टास्कफोर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि वह देखें कि क्या-क्या रिकमेंडेशन्स हैं और उनको कैसे-कैसे करना है। इसी विषय पर टास्क फोर्स को कहा गया है कि वह इन सब को देखें। अभी हमें प्लानिंग कमीशन और नाइंथ फायनेंस से भी बात करनी है और इसमें खासकर नेशनल कमीशन ने राष्ट्रीय स्तर का जो शहरीकरण है उसके लिए कहा है कि हर मुद्दे पर हर पाइंट पर वह गौर से देखें। इसलिए अभी कहना भी असंभव है। टास्कफोर्स सबको स्टडी कर रहा है कि इसकी क्या-क्या रिकमेंडेशन्स हैं, इसमें क्या-क्या कमियां हैं और इनको कैसे दूर करना है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव ग्राचार्य : महोदय, चार्ल्स कोरिया समिति ने कलकत्ता शहर के लिए कुछ सिफारिशें की थीं और इस वर्ष कलकत्ता शहर की तीनसौवीं साल गिरह मनाई जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए क्या मैं मन्त्री जी से पूछ सकता हूं कि सरकार का कलकत्ता शहर के बारे में समिति की सिफारिशों पर अमल करने का प्रस्ताव है।

शहरी विकास मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : इन सिफारिशों के संबंध में जैसाकि मेरे सहयोगी ने कहा है, योजना ग्रायोग द्वारा अनेक कार्यकारी दल गठित किये गये हैं और वे प्रत्येक सिफारिश पर गौर कर रहे हैं। कुल 78 सिफारिशें हैं। जैसे ही हमें योजना ग्रायोग से रिपोर्ट प्राप्त होगी, हम उस पर कार्यवाही शुरू कर देंगे।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की ओटाई मिलों का बन्द होना

[हिन्दी]

*398. श्री के. एन. प्रधान : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के देवास जिले के कन्नाड़ कस्बे में राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही ओटाई मिलें बन्द कर दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

[अनुवाद]

वस्त्र मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री के. एन. प्रधान : अध्यक्ष महोदय, यह जो मिलें बन्द हुई हैं, यह इस बात का नमूना है कि किस प्रकार से कुछ अधिकारी कुछ व्यापारियों के हित में षड्यंत्र कर के किसानों को नुकसान पहुँचाते हैं। साढ़े 3 महीने पहले मध्य प्रदेश के लेबर मिनिस्टर ने एक मिटिंग बुलाई थी और वहां के अधिकारियों से जानकारी चाही थी कि इस इस मिल को क्यों बन्द किया गया है। इसके पीछे सिर्फ इतना षड्यंत्र था कि उस एरिया में अगर काटन कार्पोरेशन आफ इंडिया अपनी खरीदी बन्द कर दे और यह मिल बन्द हो जाए तो आसपास की मंडियों के जो 2, 3, 4 बड़े-बड़े व्यापारी हैं, वह किसानों की उस कपास को सस्ते दामों पर खरीदेंगे और वह सब शुरू हो गए हैं। जो कारण बताए गये थे, वह बिल्कुल सरासर गलत कारण थे। जैसा उन्होंने कहा कि यहां पर कपास की पैदावार कम हो गई है, तो पिछले 3, 4, 5 वर्षों का रिकार्ड जो गवर्नमेंट से लिया गया है, उससे पता लगता है कि कपास की पैदावार बराबर बढ़ती जा रही है। हमारे श्रम उपमन्त्री जी ने भी पत्र लिखा और मैंने भी 3, 4 महीने पहले पत्र लिखा था, जो जवाब पहले दिया गया है वह यह है कि कन्नाड़ में कोई मिल चलायी नहीं जा रही। यह जवाब सिर्फ इसलिये दिया गया था कि यहां पर यह बात उठे नहीं। बाद में यह संशोधन प्रश्न में किया गया है कि जानकारी एकत्र की जा रही है।

सवाल सिर्फ इतना था कि जो मिल वहां चल रही थी, क्या उसको बन्द कर दिया है और है और उसके कारण क्या हैं और अब क्या कार्यवाही हो रही है ? इसमें जानकारी लेने की क्या आवश्यकता है ?

मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करवाएंगे कि जो अधिकारी व्यापारियों से षड्यंत्र कर के इस प्रकार से मिलें बन्द कर देते हैं, उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की जाएगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, यह कोई गिनिंग मिल नहीं है, यह हमारी एन. टी. सी. मिलों का एक पार्ट है। मैंने अपने उत्तर में "जानकारी एकत्र की जा रही है" इसलिए लिखा कि जो जानकारी वहां से आयी थी, मैं उससे संतुष्ट नहीं था इसलिए मैंने कहा कि बगैर पूरी जानकारी के सदन में कोई बात नहीं कहनी चाहिए। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, हम उस पर पूरी गंभीरता से विचार करेंगे। मैं पता कर रहा हूं कि यह गिनिंग मिल किस प्रकार की उनकी एक्टिविटि थी, क्यों बन्द की गई और कब की गई। आपने जो इस प्रश्न में कहा है, इस पर विशेष तौर से विचार किया जाएगा।

श्री के. एन. प्रधान : इसका फैसला जल्द से जल्द आप कब करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : श्री राम स्वरूप राम

श्री के. एन. प्रधान : अध्यक्ष महोदय, अब अभी मेरी दूसरी सप्लीमेंटरी और है।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप बैठ क्यों गये ?

श्री के. एन. प्रधान : मैं बैठा नहीं था।

जो मन्त्री जी ने जवाब दिया है, पहले उनका यह जवाब आया था कि ऐसी कोई मिल नहीं चलाई जा रही है। इस मैंटेलिटी से पता लगता है कि वह जानकारी छिपाना चाहते हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आप इस सिलसिले में जल्दी से जल्दी कब तक कार्यवाही कर देंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : जल्दी से जल्दी कार्यवाही कर लेंगे।

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, एन. टी. सी. की बहुत सारी मिलें इनके गलत मैनेजमेंट की वजह से बन्द पड़ी हैं। इस प्रश्न के परिवेश में मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं,

अध्यक्ष महोदय : जो इससे सम्बन्धित हो।

श्री राम स्वरूप राम : बिहार में एक नया काटन मिल है और और एन. टी. सी. की दो काटन मिलें हैं जिनको समय पर पर सप्लाई न करने की वजह से वहां का प्रोडक्शन काफी हैम्पर होता है और महीने में 20 दिन वह मिलें बन्द रहती हैं। क्या माननीय मन्त्री जी इनको रिवाइव करने के लिए कोई स्टैप उठाएंगे ? यह बड़ा इम्पार्टेन्ट है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस लक्ष्मण रेखा में आता नहीं है। आप और प्रश्न दे दीजिए, मालूम करवा देते हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शाखायें स्थापित करना

[अनुवाद]

*400. **श्री एम. रघुमा रेड्डी**
प्रो. चन्द्रभानु देवी } : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शाखायें स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हैदराबाद में किसी रोग विशेष के लिये शाखा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री एम. रघुमा रेड्डी : इसका नाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है इसलिए इसकी चिकित्सा सुविधाएं पूरे भारत के लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। किन्तु यह नई दिल्ली में स्थित है इसलिए देश के अन्य भागों में सब को इसकी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। प्रति वर्ष 61 करोड़ रुपये व्यय किए जाते हैं किन्तु साथ ही यह क्षेत्र भीड़ भाड़ वाला है। यहां प्रति दिन लगभग चार हजार बाह्य रोग तथा एक हजार अंतरंग रोगियों की चिकित्सा की जाती है, इसलिए यहां काफी भीड़ होती है। इसीलिए मैंने यह विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या दिल्ली के उपनगरीय क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों की राजधानियों में इसकी शाखाएं खोलने की कोई योजना है। मैं स्पष्ट प्रश्न पूछता हूं। यदि ऐसा नहीं किया जा रहा तो क्या मैं जान सकता हूं कि वर्तमान अस्पतालों में भीड़ भाड़ कम करने के बारे में उनकी क्या योजना है ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह सही है कि बाह्य रोगी विभाग तथा अन्य जगहों पर भीड़ भाड़ काफी है और हम यह प्रयत्न करते रहे हैं कि इसे किस प्रकार कम किया जाय ताकि विशेष बीमारियों से पीड़ित रोगियों पर समुचित ध्यान दिया जा सके। और दिल्ली तथा बाहर से आने वाले रोगियों को यथा संभव अच्छी चिकित्सा सुविधा दी जा सके। उसके लिए हम दिल्ली प्रशासन के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं ताकि न केवल आयुर्विज्ञान संस्थान के भीतर और आस पास, अपितु शहर के अन्य क्षेत्रों में भी कुछ अस्पताल खोले जाएं ताकि बाह्य रोगी विभाग पर तो कुछ दबाव कम हो सके और प्राथमिक चिकित्सा के लिए लोग आयुर्विज्ञान संस्थान की अपेक्षा उन डिस्पेंसरियों तथा अस्पतालों में जाएं। यदि ऐसा हो जाता है, और यह कार्यान्वयन के दौर में है, तो यह दबाव कम हो जाएगा। मेरे पास पूरे तथ्य नहीं हैं किन्तु दिल्ली प्रशासन के अनेक अस्पताल चालू होने तथा उनकी रूपरेखा बनाये जाने के चरण में है और उन पर कार्य किया जा रहा है। अतः जब तक ऐसा नहीं होता, दबाव कम नहीं हो सकता।

जहां तक विभिन्न शहरों में शाखाएं खोलने का सम्बन्ध है हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री एम. रघुमा रेड्डी : महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक विशेषज्ञता प्राप्त संस्थान है। विशेषज्ञ सेवाएं सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को केरल, आन्ध्र प्रदेश अथवा उत्तर-पूर्वी राज्यों में विशेषज्ञ-चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है तो वह दिल्ली नहीं पहुंच सकता। सभी राज्यों में पर स्थान पर गैर सरकारी प्रबंधक द्वारा चलाए जा रहे विशेषज्ञता सेवा वाले कतिपय एकक हैं। किन्तु सभी आम व्यक्ति गैर-सरकारी प्रबंध को बड़ी राशि की

अदायगी करने की स्थिति में नहीं होते। महोदय, आजकल देश के सभी भागों में हृदय रोग का प्रकोप अधिक है। दक्षिण भारत में इसके लिए कोई विशेष एकक नहीं है। क्या मन्त्री महोदय, हैदराबाद में जा कि मध्य में स्थित हैं और जहां दक्षिण भारत के सभी लोग आते हैं, एक विशेष कार्डियालोजी एकक खोलने पर विचार करेंगे ? दिल्ली में लगभग 4000 बाह्य रोगी उत्तर भारत से होते हं और बहुत कम दक्षिण भारत से होते हैं। महोदय, हैदराबाद क्रैंसर यूनिट में आधुनिक उपकरण नहीं है और हमें इसका विकास करना होगा। क्या मन्त्री जी हैदराबाद में एक कार्डिया-लोजी एकक तथा एक कैंसर एकक खोलने पर विचार करेंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पूरे देश के आने वाले व्यक्तियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करता है। और अपेक्षित कार्य करता है देश के किसी अन्य भाग में ऐसे और संस्थान खोलने का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है क्योंकि हमारी अन्य प्राथमिकतायें हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसी कई योजनाएं हैं जिनकी मदद से हम कैंसर सहित विभिन्न विशेषज्ञ शाखाओं में सुधार करने लिए राज्य सरकारों की मदद करते हैं। यदि राज्य सरकारें इस दिशा में कुछ प्रयास करें तो हम हर संभव तरीके से उनकी सहायता कर सकेंगे। किन्तु इस समय हृदय रोगों अथवा क्रैंसर के लिए कोई संस्थान खोलना हमारे लिए सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. चन्द्र भानु देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि बिहार में केन्द्र सरकार की तरफ से कोई मैडीकल संस्थान खोलने पर विचार हो रहा है या नहीं ? बिहार में केन्द्र सरकार राजेन्द्र मेमोरियल इंस्टीट्यूट को बढ़ाकर एक संस्थान का रूप दे रही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट आफ हैल्थ साइसेज मौजूद है इसके अलावा वहां और कुछ करने का हमारा इरादा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : महोदय, श्री रघुमा रेड्डी द्वारा उठाई गई इस समस्या का समाधान हम इस संस्थान को निर्दिष्ट अस्पताल घोषित करके कर सकते हैं ताकि हम भीड़ को कम कर सकें और सभी राज्य अपने रोगियों को यहां भेज सकें। सरकार इसे निर्दिष्ट अस्पताल घोषित करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाती ?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, यह बात अनेक अवसरों पर उठाई जा चुकी है। इसे विशिष्ट अस्पताल घोषित करने से ही समस्या का समाधन नहीं हो जायेगा। प्रत्येक सुबह वहां हजारों रोगी आते हैं। उनका हम क्या करें (व्यवधान)

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : आप उन्हें दूसरे अस्पतालों में जाने के लिए कह सकते हैं।

श्री राम निवास मिर्धा : वर्तमान परिस्थितियों में हम उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उन्हें यह कहना कि यह केवल निर्दिष्ट अस्पताल है, इसलिए कृपया यहां मत आइए, अत्यन्त अमानवीय है। इसका समाधान केवल यह है कि दिल्ली में और अस्पताल खोले जाएं ताकि रोगी पहले वहां जा सकें। वास्तव में, उस समय यह एक निर्दिष्ट अस्पताल बन सकेगा। इसे निर्दिष्ट

अस्पताल बनाया जाना है परन्तु जब तक अन्य क्षेत्रों में बाह्य रोगी सुविधाएं न हों हम उनके लिए यहां का रास्ता बन्द नहीं कर सकते।

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, आज हम 2000 ईसवीं तक सभी के लिए स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैंने अमेरिकन जनरल आफ कार्डियालोजी, खंड 62 में छपा एक लेख पढ़ा है। इस लेख में छपी जानकारी इस देश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सेवारत अत्यन्त जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा दी गई है। लेखक द्वारा प्रस्तुत की गई तस्वीर अत्यन्त निराशाजनक है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मन्त्री अथवा उनके विभाग ने इसे पढ़ा है और यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ? क्या उन्होंने इसका खंडन किया है अथवा इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है ?

एक माननीय सदस्य : इस लेख में क्या है ? हम जानना चाहते हैं।

श्री उत्तम राठौड़ उन्होंने हमारे देश में कार्डियालोजी तथा चिकित्सा सेवा की तस्वीर प्रस्तुत की है और यह आंकड़े हमारे लोगों जिम्मेदार लोगों द्वारा दिए गए हैं और ये व्यक्ति सरकार में भी शामिल हैं। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इसकी ओर गया है और यदि हां, तो क्या उन्होंने इसका खडंन किया है अथवा उन्होंने कहा है कि इसमें दी गई जानकारी सही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, यदि माननीय सदस्य यह जानकारी मुझे देंगे तो मैं इस मामले की जांच करूंगा। किन्तु मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हमारे देश में, विशेष रूप से ग्रामीणों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में, जैसा कि मैंने कुछ मिनट पहले कहा है, स्थिति बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : शहरी क्षेत्रों के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री राम निवास मिर्धा : कृपया धैर्य रखें। शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं के सम्बन्ध में भी यही कहा था। किन्तु बात यह है कि अभी हमें इस दिशा में बहुत कुछ करना है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। सीमित समाधनों से हम हर संभव काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। महोदय हमें कलकत्ता पर गर्व है इस वर्ष कलकत्ता अपनी 300वीं सालगिरह मनाने जा रहा है महोदय, आप जानते हैं कि कलकत्ता बंगाल के महानगरों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बंगाल से निर्वाचित हम संसद सदस्यों ने कलकत्ता के लोगों के स्वास्थ्य की देख भाल के लिए कलकत्ता में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की एक शाखा स्थापित करने के लिए प्रधान मन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री को अनेक पत्र लिखे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मन्त्री महोदय इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे, यदि कलकत्ता में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की शाखा स्थापित करना सम्भव नहीं है तो क्या सरकार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह का एक अस्पताल कलकत्ता में खोलेगी ?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय कलकत्ता में स्वास्थ्य की स्थिति का दायित्व भारत सरकार का नहीं बल्कि किसी और का है। फिर भी हम विभिन्न क्षेत्रों में कलकत्ता के महत्व के प्रति सजग हैं। हमने वहां पर राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला है, वहां पर राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान है और

पश्चिम बंगाल सरकार तथा विशेष रूप से कलकत्ता की हर सम्भव तरीके से सहायता करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक संस्थान की एक शाखा खोलने का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा है फिलहाल ऐसी कोई नीति नहीं है।

औषधियों के मूल्य पर से नियंत्रण हटाना

*401. **श्री राम कुमार राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने श्रेणी-1 तथा श्रेणी-दो के अन्तर्गत आने वाली कुछ औषधियों के मूल्य पर से नियंत्रण हटाने की सिफारिश की हैं;

(ख) यदि हां, तो उन औषधियों के नाम क्या हैं; और

(ग) यह सिफारिश किस आधार पर की गई है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इस मन्त्रालय ने औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 की श्रेणी-1 के अधीन आने वाली किसी औषध के बारे में मूल्य पर से नियंत्रण हटाने की सिफारिश नहीं की है।

बहरहाल, मंत्रालय ने उद्योग मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से उन पांच प्रशांतकों के मूल्य पर से नियंत्रण हटाने पर विचार करने के लिए अनुरोध किया था, जो औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 की श्रेणी-11 सूची में अंकित हैं। ये प्रशांतक डायजीपाम, फ्लूराजीपाम लोरेजीपाम, नाइट्रेजीपाम और आक्सेजेपाम हैं। इन प्रशांतकों के मूल्य पर के उद्योग मंत्रालय द्वारा नियंत्रण हटा दिया गया था।

मंत्रालय ने अपनी सिफारिश इस आधार पर की थी कि ये प्रशांतक चिन्तावस्था से लाक्षणिक राहत देने के लिए बनाए गए हैं और मात्र चिन्तावस्था के लिए बनी औषधों पर मूल्य नियंत्रण करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

[हिन्दी]

श्री राम कुमार राय : अध्यक्ष जी, सन् 1986 में गवर्नमेंट ने एक पालिसी एनाउन्स की थी, क्वालिटी कन्ट्रोल की और इन्डस्ट्री की। यह प्रिजम्पशन होगा कि पूरी कैबिनेट ने उस पर विचार कर लिया होगा। अब सदन में हमारा इन्डस्ट्री डिपार्टमेंट यह नहीं कह रहा है, फैमिली वैलफेयर डिपार्टमेंट यह कह रहा है या फैमिली वैलफेयर नहीं कह रहा है इन्डस्ट्री विभाग यह कह रहा है, इस का कोई मतलब नहीं है। इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए मैंने एक पत्र तत्कालीन मंत्री श्री वोहरा जी, को लिखा था। उन्होंने अपने 17 अक्टूबर, 1988 के जवाब के कहा है—इस मामले की कठिनाइयों का हम समझ रहे हैं और

[अनुवाद]

"मुझे भारत में औषधियों और फार्मास्यूटिकल उद्योग के गुणवत्ता नियंत्रण और विकास को तर्कसंगत बनाने के उपायों के बारे में आपका दिनांक 1 अक्तूबर, 1988 का पत्र मिला है आप जानते होंगे कि इस समस्या पर विचार करने के लिए मंत्रालय ने एक समिति गठित की है।

मैं आपके पत्र में उठाए गए मुद्दों को समिति द्वारा विचार के लिए भेजवाऊंगा।"

[हिन्दी]

मुझे खुशी है कि उन्होंने सर्वश्री सीपी ठाकुर और आर आर साहू और दूसरे लोगों को मिलाकर एक कमेटी सैटअप की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से क्या यह जान सकता हूं कि उस कमेटी ने क्या रिकमेन्डेशन दी हैं और उन रिकमेंडेशन में क्या-क्या चीजें दी गई थीं। जो चीजें नेशनल हैल्थ प्रोग्राम कैटेगरी ए/बी में थी, जो दवाएं जरूरी थीं, उनकी प्राइस कन्ट्रोल में ही रखा जाए। माननीय मन्त्री जी क्या उस रिपोर्ट को सभा के पटल पर रखेंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी बनी थी, जिसकी रिपोर्ट पर अभी पूर्ण रूप से विचार नहीं किया गया है। दवाओं के क्षेत्र में समस्या यह है कि एक तरफ तो मिनिस्ट्री आफ इन्डस्ट्री, जिसका कैमिकल्स और पैट्रो-कैमिकल्स का विभाग है, वह लाइसेंस देते हैं और वही डि-कन्ट्रोल करते हैं और कभी-कभी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय से समय समय पर राय ली जाती है। इसलिए हमारा विचार है, हम इस तरह से सोच रहे हैं कि एक कमेटी रिपोर्ट है और फिर बाद में दूसरी कमेटी बनाएं, उससे असंतुष्ट हों तो फिर तीसरी कमेटी बनाएं। इससे अच्छा है इस प्रकार एक कमेटी बनानी चाहिए, जो हाई—पावर कमेटी हो और उसको सारे अधिकार हों और उसके अन्तर्गत सारी बातें ला सकें, ताकि एक कमेटी से दूसरी कमेटी बनाने की आवश्यकता न हो। यह मैंने सामान्य बात कही है, जहां तक इस कमेटी का सवाल है, जब इस कमेटी की रिपोर्ट आजाएगी, उस समय मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा और यदि सदन के पटल पर रखने की आवश्यकता होगी तो विचार हो सकता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं आई है।

श्री राम कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था, जब कैबिनेट ने एक पालिसी एनाउन्स की, तो हम सभी समझने को बाध्य हैं, कैबिनेट और सारे डिपार्टमेंट चाहे इन्डस्ट्री हों और चाहे फैमिली प्लानिंग हो, उस पर एक राय की बात है। अब इस सदन में यह कहना कि इन्डस्ट्री विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है या फैमिली प्लानिंग में आता है, यह एक इनोमस पोजीशन है बहुत बड़ी, मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि कैबिनेट में बैठ कर तय करके ही इसको लोगों के बीच में लाएं तो अच्छा रहेगा। माननीय राज्य मंत्री जी ने अतारांकित प्रश्न संख्या 8795 के उत्तर में बताया था कि कुल 60 दवाएं प्राइस डिकन्ट्रोल हैं, जो कि नेशनल हैल्थ प्रोग्राम के अन्तर्गत हैं। अभी जबकि कमेटी की रिपोर्ट मिलनी थी, सदन और देश को यह जानना था कि कौन कौन सी चीजें आयेंगी बीच में ही 34 दवाओं को न मालूम किन उद्योगपतियों से साजिस करके इनको डिकंट्रोल कर दिया है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह किस के आदेश से हुआ और क्या सरकार यह बताएगी कि इन दवाओं को डिकंट्रोल करने के पहले कैबिनेट से मश्विरा लिया गया है, उससे क्या राय ली गई है ?

श्री राम निवास मिर्धा अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक कमेटी का उल्लेख किया है और कैबिनेट के निर्णय का उल्लेख किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जो उचित कार्यवाही होगी, वह की जाएगी। कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार किया जा रहा है। कैबिनेट ने क्या निर्णय लिया, उस पर भी विचार किया जाएगा। इन्डस्ट्री मिनिस्ट्री से भी विचार-विमर्श किया जाएगा। एक ऐसी नीति निर्धारित की जाएगी, जो सब के लिए सन्तोषजनक हो।

[अनुवाद]

श्री डी एन. रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, सरकार लगभग सभी आवश्यक औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने में बुरी तरह विफल हुई है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि हमारे देश के गरीब लोगों को आवश्यक औषधियां रियायती दर पर देने की क्या कोई योजना बनाई गई है। कभी-कभी तो औषधियों के अधिकांश मूल्यों में पांच वर्ष पहले के मूल्यों की तुलना में 4 या 5 गुणा वृद्धि हुई है। सरकार को गरीब लोगों को रियायती दर पर औषधियां देने की कोई योजना बनानी चाहिए।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, आवश्यक औषधियों के लिए मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था है जिससे यह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है इसका यह अभिप्राय है कि ज्यादातर लोगों को ये औषधियां उचित मूल्य पर उपलब्ध हो जाती हैं।

जहां तक पूर्णतया औषधियों को रियायती दर पर देने का सम्बन्ध है, मैं नहीं समझता कि हमें फिलहाल ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि सरकार की स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों उपकेन्द्रों से ऊपर के केन्द्र में दवाएं रोगियों को पूर्णतया मुफ्त दी जाती है। दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर भी अधिकतर सरकारी अस्पताल मुफ्त दवाएं देते हैं।

श्री डी.एन. रेड्डी : ऐसा नहीं है। अधिकांश अस्पतालों में औषधियां उपलब्ध नहीं होती है। ग्रामीण अस्पतालों में तो खासकर उपलब्ध नहीं रहती हैं। (व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध रखी जाने वाली औषधियों की एक मानक सूची बना रखी है। हम कुछ धनराशि राज्य सरकारों को देते हैं और यह देखना राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है कि ये औषधियां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध रहें।

श्री डी. एन. रेड्डी : ये औषधियां दिल्ली के अस्पतालों में मिल सकती हैं लेकिन अन्य स्थानों पर नहीं

एक माननीय सदस्य : दिल्ली में भी नहीं। (व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, मंत्री महोदय के लिखित उत्तर से यह प्रतीत होता है कि स्वयं मंत्रालय ने उद्योग मत्रालय से प्रशान्तकों के मूल्य पर से नियंत्रण हटाने की सिफारिश इस आधार पर की थी कि ये प्रशान्तक आवश्यक औषधियां नहीं हैं। क्या मंत्रालय इस तथ्य से वाकिफ है कि न सिर्फ विश्व स्वास्थ संगठन द्वारा बल्कि सरकार द्वारा नियुक्त की गई केलकर समिति ने

भी प्रशान्तकों को आवश्यक औषधि माना है ? इसलिए क्या सरकार इस प्रक्रिया को स्पष्ट करेगी जिसके अन्तर्गत यह मूल्यों पर नियन्त्रण हटाने या नियंत्रण लगाने का सारा कार्य करती है ?

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि उद्योग मंत्रालय ही औषधियों पर नियंत्रण लगाता या हटाता हैं। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है हमने तकनीकी कारणों से सिफारिश की है। लेकिन महोदय, मैं कहता हूं कि केलकर समिति कुछ कहती है और कोई अन्य समिति कुछ और ही कहती है इसलिए मैं इस संबंध में अपने दायित्व की सीमा के भीतर रहते हुए औषधियों पर नियंत्रण रखने या हटाने की सारी प्रक्रिया की समीक्षा कर रहा हूँ और हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं ताकि हम एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाएं जो एक जगह पर कम करने और दूसरी जगह पर बढ़ाने की बजाय इन सभी मुद्दों पर हमेशा के लिए निर्णय करे और हम ऐसी नीति बनाने का प्रयास करेंगे जो संतोषजनक होगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 402 श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह ।

प्रो. मधु दण्डवते : आप इसे अगले प्रश्न के साथ क्यों नहीं जोड़ देते ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या वह भी इनके प्रश्न जैसा ही है ?

जनसंख्या नियंत्रण के उपाय

[हिन्दी]

*402. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 से 1989 तक देश की जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर कितनी है,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के परिवार नियोजन केन्द्रों में कितने पुरुषों तथा महिलाओं ने नसबंदी करवाई तथा इस पर कुल कितना खर्च हुआ, .

(ग) ये आपरेशन कितने सफल रहे; और

(घ) इतने अधिक सफल आपरेशनों के बावजूद भी जनसंख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारत के महापंजीयक की नमूना पंजीयन पद्धति के नवीनतम उपलब्ध आंकलन के अनुसार 1971-87 के दौरान जनसंख्या की वार्षिक सहज वृद्धि दर का एक विवरण उपाबंध में दिया गया है।

देश में पिछले तीन वर्षों, अर्थात 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान पुरुष और महिला नसबंदी आपरेशनों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	किए गए नसबंदी आपरेशनों की संख्या	
	पुरुष	महिलाओं
1985-86	639477	4262132
1986-87	809605	4233580
1987-88	754085*	4184852*

*अनन्तिम

पुरुष और महिला नसबंदी आपरेशनों पर स्वीकारकर्ता को मुआवजा, दवाइयों और ड्रेसिंग तथा अन्य वस्तुओं के लिए इन तीन वर्षों में किया गया प्रत्यक्ष व्यय इस प्रकार है—

वर्ष	प्रत्यक्ष व्यय	(आंकड़े लाख रुपयों में)
	पुरुष नसबंदी	महिला नसबंदी
1985-86	1151	8524
1986-87	1457	8467
1987-88	1357	8370

तथापि, इसमें कार्यक्रम से संबंधित अन्य ऐसा कोई व्यय शामिल नहीं है जो नसबंदी कार्य निष्पादन से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंध रखता है। ऐसे व्यय में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और रियायतें, कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर व्यय, वाहनों का उपयोग, आधारभूत ढांचे का विकास, प्रसूति तथा शिशु स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकलाप, प्रशिक्षण और प्रचार कार्यक्रम शामिल हैं।

पुरुष और महिला नसबंदी आपरेशन जन्म नियंत्रण के सर्वाधिक सफल तरीके हैं बहुत ही कम मामलों में ये आपरेशन असफल रहे हैं।

जनसंख्या की वृद्धि दर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर निर्भर करती है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने के कारण जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर में अधिक कमी आई है। इसलिए वृद्धि दर ऊंची बनी हुई है।

जन्म दर बहुत से और जटिल कारणों पर निर्भर करती है जैसे जनसंख्या की आयु-लिंग संरचना, विवाहित आबादी का अनुपात, विवाह के समय आयु, विवाह के बारे में सामाजिक और सांस्कृतिक धारणाएं, परिवार और सन्तति, सामाजिक और आर्थिक विकास का स्तर, स्वास्थ्य

सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता, सामाजिक सुरक्षा की स्थिति और गर्भ-निरोधक तरीकों को अपनाने के स्तर।

उपाबन्ध

1971-87 के दौरान वार्षिक सहज वृद्धि दर

वर्ष	सहज वृद्धि दर (प्रतिशत)
1971	2.20
1972	1.97
1973	1.91
1974	3.00
1975	1.93
1976	1.94
1977	1.83
1978	1.91
1979	2.07
1980	2.11
1981	2.14
1982	2.19
1983	2.18
1984	2.13
1985	2.11
1986	2.15
1987	2.12

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी से जो सवाल किया था, उस का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। मेरा सवाल था कि वर्ष 1971 से 1989 तक देश की जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर कितनी है। इन्होंने सिर्फ तीन साल के नसबंदी के आंकड़े दे दिये हैं। तो मेरा यह कहना है कि इस को आगे के लिए रखा जाए क्योंकि मैंने जो सवाल किया था, उस का उत्तर नहीं मिला है। तीन वर्षों में जो पुरुषों की नसबंदी की गई है, उनकी संख्या 22 लाख है और पुरुषों की

नसबंदी करने पर 3865 लाख रुपया खर्च आया है लेकिन 22 लाख पुरुषों की नसबंदी करने पर इतना रुपया खर्च करने के बाद भी, मेरी समझ में, जन्म दर में कोई कमी नहीं आ रही है। क्या यह सत्य नहीं है कि इन में से 50 प्रतिशत ऐसे लोगों की नसबंदी हुई है, जो इस कार्य से मुक्त हो चुके हैं। तो आप को यह देखना होता कि इतना खर्च करने के बाद भी जन्म दर में कमी क्यों नहीं आ रही है।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन् नसबंदी कई उपायों में से एक उपाय है, जिसके द्वारा हम आबादी को कम रख सकते हैं। माननीय सदस्य ने जो समस्या उठाई कि नसबंदी ऐसे लोगों की हुई है, जो अपने आप में आबादी बढ़ाने की बात को खत्म कर चुके हैं उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन यह संभव है कि उन लोगों में से कुछ ऐसे हों जो कि अमुक उम्र के हों, कुछ दूसरे हों। यह इसलिए है कि ये सारी बातें हमने राज्य सरकारों पर छोड़ दी है कि नसबंदी किनकी करें और दूसरे उपाय किस प्रकार से करें। सबको साथ लेकर चलने से ही हमारी आबादी की समस्या हल हो सकती है। राज्य सरकारों को इस पर ध्यान रखना चाहिये कि नसबंदी किन की करें और दूसरे उपाय इस्तेमाल करने के लिए किस उम्र के वर्ग को दें जो कि इनका इस्तेमाल करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आबंटन में वृद्धि

[हिन्दी]

*393. श्री निर्मल खत्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद ने देश में जन स्वास्थ्य पर व्यय दुगना करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् ने फरवरी, 1989 में हुए अपने सम्मेलन में यह सिफारिश की थी कि 8वीं योजना के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए रखा गया आबंटन कुल योजना आबंटन के 7 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद् की सिफारिशें योजना आयोग और राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

"वनों की कटाई रोकने के लिए समिति का गठन"

[अनुवाद]

*395. श्री एस. एम. गुरड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या देश में वनों की कटाई रोकने के लिए कोई दल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सातवी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान वनरोपण के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) देश में वनों की कटाई को रोकने के लिए कोई दल गठित नहीं किया गया है।

(ग) सातवीं योजना अवधि के लिए पूर्ण वनरोपण (पौधों के वितरण सहित) के 10 मिलियन हेक्टेयर का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

"ठोस और परमाणु अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के लिए कानून बनाना"

*399. श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ठोस अपशिष्ट पदार्थों और परमाणु अपशिष्ट पदार्थों के निपटान के सम्बन्ध में कोई कानून बनाया गया है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस संबंध में कोई कानून बनाने का विचार है; और

(ग) क्या इस कानून की अधिकारिता के बारे में राज्य सरकारों और सम्बद्ध संगठनों से परामर्श किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) परमाणु अपशिष्टों सहित ठोस अपशिष्टों के निपटान के सम्बन्ध में देश में कोई एकलकानून नहीं है। ऐसे अनेक अधिनियम हैं। मुख्य अधिनियमों और संगत उपबन्धों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) परमाणु अपशिष्टों के बारे में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 17 की सहायता से केन्द्र सरकार सुरक्षित निपटान के लिए विनियम बना सकती है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियमावली, 1987 अनुसूचित कर दी है।

(2) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 में "प्रदूषण" की परिभाषा में ठोस अपशिष्टों के जरिए जल प्रदूषण शामिल है और अधिनियम की धारा 16(2) के तहत केन्द्रीय बोर्ड तथा अधिनियम की धारा 17(2) के तहत राज्य बोर्डों को जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और शमन के लिये एक कार्यक्रम बनाना और उनको लागू करना होता है।

(3) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में "वायु प्रदूषण" की परिभाषा में वातावरण में विद्यमान वे ठोस पदार्थ शामिल हैं जो मानव या अन्य जीवों या पौधों अथवा सम्पत्ति अथवा पर्यावरण के लिए घातक हों या हो सकते हों। अधिनियम की धारा 16(2) के तहत केन्द्रीय बोर्ड और अधिनियम की धारा 17(1) के तहत राज्य बोर्डों को वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं शमन के लिए कार्यक्रम बनाना और उसको लागू करना होता है।

(4) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 में पर्यावरणीय प्रदूषण की परिभाषा में वे ठोस अपशिष्ट आते हैं जो पर्यावरण के लिए घातक हो या हो सकते हों। अधिनियम की धारा 3 की सहायता से केन्द्र सरकार पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं शमन के लिए एक राष्ट्र व्यापी कार्यक्रम बनाने और उसको लागू करने के लिए उपाय कर सकती है।

(5) फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 12 में प्रत्येक फैक्टरी में उनमें होने वाली निर्माण संक्रिया के कारण उत्पन्न अपशिष्टों और बहिस्रावों के शोधन के लिए प्रभावी व्यवस्था करने के लिए प्रावधान है ताकि उन्हें अहानिकर बनाया जा सके और उनका निपटान किया जा सके।

2. ठोस अपशिष्टों के निपटान को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान उपबन्ध पर्याप्त हैं।

बम्बई में कपड़ा मिलों द्वारा भूमि की बिक्री

*403. श्री प्रो. मधु दंडवते : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में बन्द हो रही कपड़ा मिलों की भूमि की बिक्री का प्रश्न बहुत विवादास्पद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कपड़ा मिलों की भूमि की बिक्री के विवाद के प्रश्न पर अपने रुख के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ग) क्या इस मामले में सौहार्दपूर्ण हल निकाल लिया गया है ?

वस्त्र मन्त्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की समूचे देश में स्थित मिलों को यह अनुमति दे दी है कि वे अपनी जरूरत से ज्यादा जमीन को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार बेच दें। इस क्रियाविधि में यह व्यवस्था शामिल है कि सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से इतर अन्य पार्टियों को सभी प्रकार की बिक्री से पहले सरकार का अनुमोदन लेना जरूरी है।

नई चीनी मिलों की स्थापना की मंजूरी के लिए शर्तें

*404. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये चीनी कारखाने की मंजूरी हेतु शर्तें सभी राज्यों के लिए समान हैं;

(ख) यदि नहीं, तो वे राज्यवार अन्तर क्या हैं;

(ग) क्या इन प्रस्तावों पर विचार की एक पूर्व शर्त यह है कि राज्य सरकार ने उनकी सिफारिश की हो;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी नये चीनी सहकारी मिल की स्थापना की मंजूरी देते समय इस शर्त का पूरी तरह से पालन किया जाता है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार के पास सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलों की स्थापना हेतु लाइसेंस प्रदान करने के लिए राज्यवार कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं और इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केवल राज्य सरकार द्वारा प्रेषित किए गए आवेदन पत्रों पर विचार किया जाता है। राज्य सरकार को आवेदन पत्र भेजना ही पड़ता है चाहे उसको अस्वीकार करने के लिए सिफारिश ही क्यों न की गई हो।

(घ) जी हां।

(ङ) सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलें स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु खाद्य विभाग के पास लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या बताने वाले विवरण-1 और विवरण-2 संलग्न हैं। लम्बित पड़े हुए 29 मामलों में से 12 मामलों (संलग्न विवरण-1) पर खाद्य विभाग में जांच समिति

द्वारा पहले ही विचार कर लिया गया है और उनकी सिफारिशें विभाग के विचाराधीन हैं। शेष 17 मामले (संलग्न विवरण-2) हाल ही में प्राप्त हुए हैं।

विवरण-1

नए चीनी यूनिटों के लिए आवेदन-पत्रों, जिन पर जांच समिति द्वारा 22.12.1988 तथा 14.3.1989 को विचार किया गया, का ब्यौरा बताने वाला विवरण।

क्रम सं.	प्रस्तावित फैक्ट्री का संक्षिप्त स्थान नाम	औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अग्रेषित करने की तारीख	क्षेत्र
महाराष्ट्र			
1.	राणेगांव जिला अहमद नगर	3.1.1989	सहकारी
2.	अम्बोली जिला सिंधु दुर्ग	18.1.1989	,,
3.	आमनेर जिला जलगांव	18.1.1989	,,
4.	सिंध खेडा जिला धुले	6.9.1989	,,
5.	चालीस गांव जिला जल गांव	16.8.1988	,,
6.	मजलगांव जिला बीड	28.9.1988	,,
उत्तर प्रदेश			
7.	शाकुम्भरी जिला सहारनपुर	9.2.1988	,,
8.	बिसौली जिला बदायूं	9.2.1989	,,
9.	बहेरी-ब्रह्माण जिला मुरादाबाद	13.20.1988	,,
आंध्र प्रदेश			
10.	पालकोंडा श्रीकाकुलम	25.8.1988	,,
कर्नाटक			
11.	बीजापुर जिला बीजापुर	28.2.1989	,,
गुजरात			
12.	अमोद जिला भड़ौच	5.1.1989	,,

विवरण-2

नए चीनी प्लान्टों के लिए आवेदन-पत्रों, जिन पर जांच समिति द्वारा अभी विचार किया जाना है, का ब्योरा बताने वाला विवरण ।

क्रम सं.	प्रस्तावित फैक्ट्री का संक्षिप्त कोड नाम	औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्राप्त करने की तारीख	क्षेत्र
महाराष्ट्र			
1.	भूम जिला उस्मानाबाद	16.2.1989	सहकारी
2.	मलसोहा जिला पारभनो	15.2.1989	,,
3.	अम्बाड जिला जालना	28.2.1989	,,
4.	हदगांव जिला नानदेड	3.3.1989	,,
5.	नीलांग जिला लटूर	6.3.1989	,,
6.	जामगांव जिला अहमदनगर	10.3.89	,,
7.	भूम तह./ता. भूम जिला उस्मानाबाद	16.3.89	,,
8.	अम्बालगा बी. के. तालुक नीलांग जिला लटूर	16.3.89	,,
9.	तलोड़ा, जिला धुले	16.3.1989	,,
उत्तर प्रदेश			
10.	जेवर, जिला बुलन्दशहर	16.2.1989	,,
11.	मोखास जिला मेरठ	16.2.1989	,,
12.	नवाबगंज जिला बरेली	16.2.1989	,,
13.	मीरगंज जिला बरेली	28.2.1989	,,
14.	फूलपुर, जिला इलाहाबाद	17.3.1989	,,
आंध्र प्रदेश			
15.	हजूराबाद जिला करीमनगर	10.3.1988	,,
16.	कदम-मण्डल, अदिलाबाद	16.3.1989	,,
गुजरात			
17.	मंडला जिला बड़ोदरा	20.3.2989	,,

राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक

*405. श्री शरद दिघे : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 2 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में हुई पांचवीं बैठक में किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और उसमें क्या-क्या निर्णय लिए गए; और

(ख) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की 2 मार्च, 1989 को हुई पांचवीं बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया :—

(1) बिजली के घरेलू उपकरणों का गुणवत्ता नियंत्रण ।

(2) उपभोक्ता के लिए गुणवत्ता ।

(3) बाटों तथा मापों (पैकेज में रखी वस्तुओं सहित) का विनियमन ।

(4) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा ।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को तेजी से लागू करने; बाट तथा माप कानूनों को सख्ती से लागू करने; और अधिक बिजली के उपकरणों को घरेलू विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेशों के तहत लाने, "उपभोक्ता दिवस" को उपयुक्त ढंग से मनाने आदि के बारे में कई सुझाव प्राप्त हुए ।

(ख) सरकार उक्त सुझावों का स्वागत करती है और आवश्यक जांच के बाद कार्यवाही की जा रही है ।

केरल में कुष्ठ रोग के मामले

*406. श्री वक्कम पुरुषोत्तम : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में वर्ष 1986-87 से 1988-89 के बीच अभी तक कितने कुष्ठ रोगियों का पता लगा है;

(ख) क्या उन सभी रोगियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई थी;

(ग) यदि हां, तो इस रोग से अभी तक कितने रोगी पूर्णतया ठीक हो गये हैं, कितने रोगी ठीक तो हो गये हैं किन्तु पूर्णतया ठीक हो गये हैं, कितने रोगियों की मृत्यु हो गए है तथा कितने रोगी अभी ठीक नहीं हुए हैं; और

(घ) क्या राज्य में सभी कुष्ठ केन्द्रों पर बहु-औषध चिकित्सा पद्धति की सुविधा उपलब्ध है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) केरल की सूचना नीचे दी गई है .—

वर्ष	पता लगाये गये कुष्ठ रोगियों की संख्या	इलाज किये गये कुष्ठ रोगियों की संख्या	रोगमुक्त करके जिन कुष्ठ रोगियों को छुट्टी दी गई उनकी संख्या
1	2	3	4
1986-87	93:5	8064	6565
1987-88	9276	8435	6210
1988-89 (नवम्बर, 1988 तक)	5980	4829	5517

केरल में पुनर्वास की आवश्यकता वाले कुष्ठ रोगियो की संख्या 3434 है। इनमें से 926 पूरी तरह से विकलांग हैं। कुष्ठ रोगी इस बीमारी से नहीं मरते क्योंकि यह बीमारी स्वयं में घातक नहीं है।

केरल में नवम्बर, 1988 के अन्त तक रिकार्ड किए गए कुल कुष्ठ रोगी 71,599 हैं, उनमें से 61,645 रोगी नियमित रूप से उपचार प्राप्त कर रहे हैं।

(घ) केरल के एलेप्पी जिले में बहु-औषध उपचार (डी. एम. टी.) पहले से ही उपलब्ध कराया गया है। बहु-औषध उपचार के लिए त्रिचूर जिले को धन राशि भी रिलीज की गई है। केरल में 4 अन्य स्थानिकमारी वाले जिलों को भी बहु-औषध उपचार के लिए स्वीकृत किया गया है और राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अपेक्षित आधाभूत ढांचा स्थापित करें जिसमें रोगियों की जांच करना, जिला कुष्ठ रोग सोसाइटी की स्थापना करना और कुष्ट रोग कार्य में लगे कार्मिकों को प्रशिक्षित करना शामिल है क्योंकि यह बहु-औषध उपचार शुरू करने की पूर्वापेक्षा है।

आठवीं योजना के दौरान बहु-औषध उपचार के अन्तर्गत सभी स्थानिकमारी वाले जिलों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है।

मानव अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध जनमत

*407. **श्री शांती लाल पटेल :**
श्री एस. सिंह्माल :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महा निदेशक ने विश्व के किसी भी भाग में मानवा-

धिकारों के उल्लंघन अथवा हनन के विरुद्ध जनमत जागृत करने के महत्व पर जोर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है इस दिशा में यदि कोई कार्यवाही की गई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री बिन्देश्वरी दुबे) : (क) मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 40वीं वर्षगांठ के समारोह में जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक ने कहा कि "जब कभी भी मानव अधिकारों की उपेक्षा हो उनका उल्लंघन हो या उनकी विकृति हो, जनमत अवश्य जागृत किया जाना चाहिए ।"

(ख) सरकार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत है । इसने मानव अधिकारों के वंचन उदाहरणार्थ दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का स्पष्ट शब्दों में विरोध किया है । वर्ष 1988 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भी इसके यह विचार थे कि मानव अधिकार संसार में एक न्याय संगत, यथोचित और मानवोचित सामाजिक व्यवस्था का आधार होने चाहिए और शांति तथा स्थिरता मानव अधिकारों को अधिक महत्व देने पर आधारित होनी चाहिए ।

ग्रामीण क्षेत्रों में चलते फिरते औषधालय

*408. श्री एच बी पाटिल :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बेरोजगार चिकित्सा स्नातकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालयों में काम करने के लिये अर्हता प्राप्त चिकित्सा कार्मिकों की कमी की अजीब स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में चलते फिरते औषधालय स्थापित करने का विचार है; और

(ग) क्या इस योजना से चिकित्सा स्नातकों को ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने की प्रेरणा मिलेगी ?

वस्त्र मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 30.6.1988 की स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में दर्ज स्नातकोत्तर सहित चिकित्सा स्नातकों की संख्या 27.599 है । यह जरूरी नहीं है कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी स्नातक बेरोजगार हों तथा यह भी जरूरी नहीं है कि सभी बेरोजगार स्नातकों का नाम रोजगार कार्यालयों में दर्ज ही हो । 30 सितम्बर, 1988 तक सम्पूर्ण देश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा अधिकारियों के 13 48 प्रतिशत पद रिक्त पड़े थे जो कि इतने बड़े संवर्ग के लिए एक सामान्य बात है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता तथापि यह बताया जाता है कि डॉक्टरों को ग्रामीण इलाकों में सेवा करने के लिए आकर्षित करने हेतु उन्हें रिहायशी आवास आदि की एवज में ग्रामीण भत्ता और मकान किराया भत्ता जैसे विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय रेशम कीट पालन कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक तथा स्विस सरकार की सहमति

*409. श्री बी. एस. बसवराजु :
श्री नरसिंह सूर्यवंशी :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड को राष्ट्रीय रेशम कीट पालन कार्यक्रम के लिये विश्व बैंक तथा स्विस सरकार की मंजूरी प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कार्यक्रम के लिए कुल कितनी सहायता राशि मिलने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना के लिए विश्व बैंक तथा स्विस सरकार का औपचारिक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेशम के मूल्यों में वृद्धि

*410. श्री हरिहर सोरेन : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाराणसी का रेशम उद्योग रेशम के मूल्यों में वृद्धि के कारण संकट के दौरे से गुजर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रेशम के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ग) सरकार द्वारा वाराणसी रेशम उद्योग को उचित मूल्यों पर बढ़िया किस्म का रेशम उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान वाराणसी बाजार में 20/22 डी आर के बटे हुए रेशमी यार्न की कीमतों में वृद्धि का प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

वर्ष	औसत कीमत (रु./कि.ग्रा.)	पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत
1986	679	
1987	683	0.6%

1988	910	33.2./·
1989 (जनवरी-मार्च)	1021	10.9./·

देश के रेशम बुनकरों को, जिनमें उत्तर प्रदेश के बुनकर भी शामिल है, राहत प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय रेशम बोर्ड को यह अनुमति दी गई थी कि वह अपनी कीमत स्थिरीकरण योजना के अंतर्गत 100 मी. टन कच्चे रेशम का आयात कर लें। बोर्ड द्वारा अभी तक आयातित 36 मी. टन कच्चे रेशम में से 19 मी. टन उत्तर प्रदेश की हथकरघा एजेंसियों को आबंटित किया गया, है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की 3 एजेंसियों को रज्य के बुनकरों में वितरण के लिए कुल 30 मी. टन कच्चा रेशम सीधे ही आयात करने की अनुमति दी गई है।

इसके अलावा कर्नाटक रेशम मार्केटिंग बोर्ड ने वाराणी में एक अतिरिक्त रेशम यार्न डिपो खोला है तथा, उत्तर प्रदेश सरकार की गारंटी पर, 3 शीर्ष सहकारी समितियों को रेशमी यार्न उधार बेचने की पेशकश की है।

विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का प्रस्ताव

3730. **डा. जी. विजय रामा राव** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की स्वयं सेवी एजेन्सियों को सौंपने की दृष्टि से चिकित्सा सेवाओं का पुनर्मूल्यांकन करने का विचार है, यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवाओं के अनुभवों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है यदि हाँ, तो उनसे सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवा महा निदेशालय आदि में विद्यमान आधारभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश स्वयंसेवी संगठन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के पुराने तोर-तरीकों के कारण प्रतिकूल अथवा अनिश्चित रहते हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका पर जनवरी 2988 में नई दिल्ली में स्वैच्छिक संगठनो की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। अपर महानिदेशक (जन स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में स्थापित कार्यकारी दलों के जरिए इस कार्यशाला के विचार विमर्श जारी रहे। इस कार्यकारी दल की दो बार बैठकें हुई और उसने अनन्तिम सिफारिशें तैयार कीं और एक पैनल की स्थापना का सुझाव दिया। सरकार ने, तदनुसार एक विषय निर्वाचन समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है।

रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों को भूखंडों का आवंटन

3731. डा. ए. के. पटेल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में रोहिणी आवासीय योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को भूखंड आवंटित करने हेतु एक जनवरी, 1989 से पूर्व कितने ड्रा निकाले गए थे;

(ख) क्या यूनाइटेड कामर्शियल बैंक (जो अब "यूको" बैंक कहलाता है) तथा अन्य बैंकों के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों को 1 जनवरी, 1989 से पूर्व निकाले गये किसी भी ड्रा में सम्मिलित नहीं किया गया था; यदि हां, तो इनप्रभावित लोगों की संख्या क्या है;

(ग) क्या प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे के तौर पर उच्च वरीयता प्रदान करके भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो आबंटन कब तक किया जायेगा;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) चार (4)

(ख) 141 व्यक्तियों, जिन्होंने अपने नाम यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के माध्यम से पंजीकृत कराये थे, का एक जनवरी, 1989 से पूर्व हुई लाटरियों में शामिल नहीं किया गया था ।

(ग) और (घ) संगणक क माध्यम से इन आवेदन पत्रों को प्राथमिकता संख्यायें दी गई हैं तथा उनकी प्राथमिकता संख्याओं के अनुसार आबंटन किया जायेगा ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन

3732. श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-88 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा तोल और माप अधिनियम का उल्लंघन करने केस म्बन्ध में दिल्लीपर व्यापारियों के विरुद्ध वर्षवार कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) उक्त अधिनियमों का उल्लंघन करने पर व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी;

(ग) क्या दिल्ली में अनेक अग्रणी जूते निर्माता और जूतों पर अंकित मूल्य की तुलना में उनका अधिक मूल्य वसूल कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान अधिक मूल्य वसूल किए जाने और घटिया जूतों का विपणन किए जाने के संबंध में इन कम्पनियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा 1986 से 1988 तक तीन वर्षों के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा बाट और माप अधि-नियम के तहत दर्ज किए गए मामलों की संख्या नीचे दी गए है :—

आवश्यक वस्तु अधिनियम

वर्ष	दर्ज किए गए मामलों की संख्या
1986	1610
1987	1825
1988	859

बाट और माप अधिनियम

1986	3576
1987	6114
1988	4131

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा उसके तहत बनाए गए विभिन्न नियंत्रण आदेशों के उपबन्धों अधीन उन आदेशों के उपबन्धों के उल्लंघन, लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन आदि के लिए कार्यवाही की जाती है।

दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान बाट और माप अधिनियम 1958 तथा बाट और माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के तहत कार्यवाही की जाती है। उल्लंघन के उदाहरण हैं-न्यून तोल व मापों का प्रयोग करना, बाटों तथा मापों का पुनः सत्यापन न करना, गैर-मानक बाटों तथा मापों का प्रयोग करना आदि।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि अधिक दाम लेने तथा घटिया जूतों की बिक्री करने की केवल एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसकी जांच की गई और पाया गया कि नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

भूमि और विकास अधिकारी पद के लिए भर्ती नियम

3733. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या शहरी विकास मन्त्री भूमि और विकास अधिकारी पद के लिए भर्ती नियमों के बारे में 7 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3869 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि और विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिये विभागीय उम्मीदवार के रूप में ग्रुप "ए" कोई पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं है; और

(ख) प्रस्तावित भर्ती नियमों के अनुसार फीडर पद में अपेक्षित अर्हताओं वाले अधिकारी की भूमि और विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विचार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) चूंकि विद्यमान भर्ती नियमों में भूमि तथा विकास अधिकारी के पद की भर्ती की पद्धति प्रोन्नति नहीं है, इसलिए इस पद पर एक उपयुक्त विभागीय अधिकारी की उपलब्धता का प्रश्न ही नहीं उठता।

"बांस उत्पादकों को प्रोत्साहन"

3734. श्री एन. डेनिस : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांस के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए फार्म वानिकी कार्यक्रम और विकेन्द्रित जनपौदशाला कार्यक्रम के अन्तर्गत बांस की पौद निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर वितरित की जाती है। इसके अलावा, लघु वनोत्पाद प्रदान करने वाले वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें बांस भी शामिल है, इस वर्ष एक नई केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसकी अधिकतम राशि प्रति हैक्टेयर 4000/-रु. होगी।

ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को मासिक पारिश्रमिक और दवाईयां न देना

3735. श्री चिन्तामणि जेना : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ग्रामीण स्वास्थ्य गाइडों को मासिक पारिश्रमिक और दवाइयां न देने के बारे में 22 फरवरी, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार को वर्ष 1987-88 और 1988-89 के लिए इस प्रयोजनार्थ दी गई धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस हेतु दी गई धनराशि के उचित उपयोग पर नजर रखने/समीक्षा करने के लिए कोई केन्द्रीय व्यवस्था है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार उड़ीसा में ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना के कार्यान्वयन पर 1987-88 में 196.30 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इसमें ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को मानदेय के रूप में भुगतान किए गए 70.00 लाख रु. तथा तीसरे चिकित्सा अधिकारियों के वेतन के रूप में 122.95 लाख रुपये की राशि शामिल है। 1988-89 के दौरान, दिसम्बर, 1988 तक 78.95 लाख रुपये की राशि खर्च की गई बताई गई है। अब तक किया गया सारा खर्च तीसरे चिकित्सा अधिकारियों के वेतन से संबंधित है।

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का ग्रामीण सेवा प्रभाग इस योजना के कार्यान्वयन को मानीटरिंग करता है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए विदेशों से वित्तीय सहायता

3736. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा चलाई जाने वाली "ग्रामीण निर्धन" "ग्रामीण विकास" और "श्रमिक शिक्षण संस्था" योजनाओं के लिए विदेशों से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक देश से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है; और

(ग) यदि इस संबंध में कोई समझौते किए गए हैं; तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधाकिशन मालवीय) (क) और (ख) जैसा कि इंटक द्वारा सूचित किया गया है विदेशी व्यवसाय संघ संगठनों से सहायता के लिए इंटक अपने घटकों अर्थात प्रदेश शाखाओं, औद्योगिक संघों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सिफारिश करता है। उन योजनाओं के बारे में सूचना नीचे दी गई है जिनके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी :

योजना का नाम	प्रायोजक	वर्ष	प्राप्त राशि
1. इंटक-म.प्र. "स्व-संठन के माध्यम से ग्रामीण निर्धनों का उत्थान पर शाखा की योजना	इंटरनेशनल कन्फेडरेशन आफ फ्री ट्रेड यूनियंस जिसके साथ इंटक संबद्ध है।	1986	8,06,550 रु.
		1987	4,00,000 रु.
		1988	5,99,950 रु.
2. "दोयदुरंग ग्रामीण विकास परियोजना" पर इंटक असम शाखा की योजना	नार्वेयन ट्रेड यूनियन एल.ओ. नार्वे और नारस्क फोल्केहूजेल्प नार्वे	1986	37,500 रु
		1987	शून्य
		1988	शून्य

3. "धगुधा ग्रामीण विकास परियोजना "पर इंटक-असम शाखा की योजना	नार्वेयन ट्रेड यूनियन एल. ओ. नार्वे और नारस्क फोल्केहजेल्प नार्वे	1986 1987 1988	37,500 रु. शून्य शून्य
4. "जलपाईगुड़ी ग्रामीण विकास परियोजना" पर इंटक-बंगाल शाखा की योजना	—यथोक्त—	1986 1987 1988	50,000 रु. शून्य शून्य

(ग) विदेशी व्यवसाय संघ संगठनों द्वारा सहायता उनको प्राप्त की गई विशिष्ट योजना के आधार पर दी जाती है। ऐसी योजनाओं के लिए कोई औपचारिक समझौते नहीं हैं।

कर्नाटक में सहकारी कताई मिलों को ऋण

3737. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सहकारी क्षेत्र में अब तक स्थापित कताई मिलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इसमें से कुछ सहकारी कताई मिलों ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से ऋण सहायता देने का अनुरोध किया है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मिलों को ऋण सहायता मंजूर करने के सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय ने भारतीय औद्योगिकीय विकास बैंक को सलाह देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) अब तक कर्नाटक में 11 सहकारी कताई मिलें स्थापित की जा चुकी हैं।

(ख) से (घ) कर्नाटक में नौ सहकारी कताई मिलों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता दी गई और इस समय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास कर्नाटक की किसी सहकारी कताई मिल का आवेदन लम्बित नहीं है।

असम में गर्भवती महिलाओं को एड्स जीवाणु युक्त एण्टी-हीमोफिलिक ग्लोबुलिन वाइल के टीके लगाना

3738. श्री परसराम भारद्वाज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 फरवरी, 1989 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि गुवाहाटी में मारवाड़ी प्रसूती अस्पताल में दाखिल छह गर्भवती महिलाओं को एड्स जीवाणु युक्त एण्टी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन वाइल के टीके लगाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, हां, सरकार ने 26.2.89 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार को देखा है। छह गर्भवती महिलाओं को एण्टी-डी इम्युनोग्लोबुलिन के टीके लगाए गए थे न कि एण्टी-हीमोफिलिक ग्लोबुलिन के।

(ग) सरकार ने इस उत्पाद को बाजार से उठा लिया है तथा स्टाक को जमा कर दिया है। इस उत्पाद के निर्माता को भी बंद कर दिया गया है। इन टीकों को लगवाने वालों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा उनकी समय-समय पर अनुवर्ती देख-रेख की जाएगी।

कपास की लाभकारी मूल्य पर खरीद

3739. श्री विजय एन. पाटिल : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास खरीदने के लिए ऐसी योजनायें तैयार की हैं जिससे कपास को लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के लिए तैयार की गई ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) सरकार ने कपास निगम से कहा है कि जब कभी भी रुई की बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन स्तरों से नीचे चली जायें तो वह बिना किसी मात्रा सम्बन्धी सीमा के न्यूनतम समर्थन कीमतों पर रुई की खरीद करे। फिर भी चूंकि रुई की बाजार कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी ऊंची रही हैं, इस लिए भारतीय कपास निगम ने चालू रुई वर्ष के दौरान किसी प्रकार का मूल्य समर्थन कार्यकलाप शुरू नहीं किया है।

चीनी मिलों का बन्द किया जाना

3740. श्री [illegible] : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार कितनी चीनी मिलें बन्द हुई हैं;

(ख) उन्हें बन्द किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मिलों को अपने नियंत्रण में लेने और उनका संचालन सहकारी संस्थाओं को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचनानुसार, गन्ने की अनुपलब्धता, वित्तीय और प्रबंधकीय समस्याओं, श्रम सम्बन्धी कठिनाइयों आदि जैसे विभिन्न कारणों से 1988-89 मौसम के दौरान 25 चीनी फैक्ट्रियों ने काम नहीं किया था राज्यवार स्थिति नीचे दी जाती है:—

राज्य	बन्द हो गई चीनी फैक्ट्रियों की संख्या
उत्तर प्रदेश	1
गुजरात	6
महाराष्ट्र	6
बिहार	2
असम	1
पश्चिम बंगाल	1
आंध्र प्रदेश	4
कर्नाटक	2
तमिलनाडु	1
केरल	1
	जोड़ 25

(ग) और (घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

होम्योपैथिक औषध कोष समिति के सदस्य

3741. **श्री केशवराव पारधी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होम्यपैथिक औषध-कोश समिति के सदस्यों का ब्यौरा क्या है,

(ख) भारतीय होम्योपैथिक औषध-कोश का प्रबन्ध (मोगोग्राफ) तैयार करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं,

(ग) क्या भारतीय होम्योपैथित औषध-कोश में उल्लिखित प्रबंधों (मोनोग्राफ्स) की संख्या होम्योपैथी के किसी साहित्य पर आधारित नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार का इस मामले की जांच करने का विचार है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) मोनोग्राफ भारत सरकार की होम्योपैथिक फार्माकोपिया समित नामक एक विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित आयासों के आधार पर तैयार किये जाये हैं।

(ग) मोनोग्राफ होम्योपैथिक ग्रंथों पर आधारित हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति के संबंध में

होम्योपैथी फार्माकोपिया समिति के सदस्यों का ब्यौरा :

1. डा.वी.टी. आगस्टिन, उप सलाहकार (होम्यो.)	—	सदस्य
2. डा. पी. के. गुप्ता, औषध नियंत्रक भारत	—	सदस्य
3. डा. एस. के. राय, निदेशक, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता	—	सदस्य
4. श्री पी.एन. वर्मा, होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला, गाजियाबाद	—	सदस्य

5. डा. डी.पी. रस्तोगी, निदेशक केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, दिल्ली	—	सदस्य
6. प्रोफेसर एम कृष्णामूर्ति, रसायन विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	—	सदस्य
7. डा. पी.एन. मेहरा, डी एस सी, एफ.एन.ए. एस.सी. चंडीगढ़	—	सदस्य
8. डा. श्रीनिवास, जीवरसायन विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	—	सदस्य
9. श्री जी.एस भार, बी.ए. होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसिस्ट, कलकत्ता	—	सदस्य
10. डा. आर.के. भंडारी, होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसिस्ट, दिल्ली	—	सदस्य
11. डा. ए.यू. रामकृष्णन एम.बी.बी.एस एम.एफ. होम्य (लन्दन), होम्योपैथी चिकित्सा, मद्रास	—	सदस्य
12. डा. दिलीप कुमार साहा, एम.बी.बी.एस डी. एफ. हो. (लन्दन), होम्योपैथिक चिकित्सक कलकत्ता	—	सदस्य
13. डा. के.पी. मजूमदार, बी.एस.सी डी. एम. एस. होम्योपैथिक चिकित्सक, बम्बई	—	सदस्य
14. डा. एन. कृष्ण राव, हैदराबाद, होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसिस्ट	—	सदस्य
15. डी.बी.पी. मिश्रा, सहायक सलाहकार (होम्यो), नई दिल्ली।	—	सदस्य-सचिव

सरकारी क्वार्टरों में बरामदों में शीशा लगाना

3742. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री सरकारी क्वार्टरों में बरामदों में शीशा लगाने के बारे में 16 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 894 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सूचना एकत्रित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) नौरोजी नगर, सरोजिनी नगर और मोतीबाग में सरकारी क्वाटरों में बरामदों में शीशे लगाने का कार्य 1 जुलाई, 1987 से लाइसेंस शुल्क के संशोधन के परिणामस्वरूप, इस प्रकार के मदों पर रोक होने के कारण नहीं किया जा सका। 1 जुलाई, 1987 से पूर्व, लाइसेंस शुल्क आवंटिती के वेतन की प्रतिशतता पर आंका जाता था। अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर आवंटितियों को अपने मकानों में परिवर्द्धन/परिवर्तन (बरामदों में शीशा लगाने के सहित) कराने की छूट थी। चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की मंजूरी के परिणाम-स्वरूप, 1.7.87 से लाइसेंस शुल्क संशोधित किया गया था तथा यह सम्पूर्ण भारत में वास की एक विशिष्ट टाइप के लिए एक-समान रूप से समानदर पर निर्धारित किया जाता है। इनके साथ-साथ यह शर्त थी कि आवंटिती के अनुरोध पर सरकारी निवासों में किसी संरचनात्मक स्वरूप का कोई परिवर्द्धन/परिवर्तन किया जाए। इसमें यह भी शर्त थी कि इस प्रकार के परिवर्द्धन/परिवर्तन, अगर आवश्यक समझे जाएं तो इस प्रकार के सभी भवनों में मानकीकृत ढंग से किया जाना है तथा इस प्रकार के परिवर्द्धनों/परिवर्तनों के लिए आवंटितियों से कोई अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं किया जाना है।

तदनन्तर गैर-संरचनात्मक स्वरूप के परिवर्द्धनों/परिवर्तनों का वर्गीकरण करके जो कि सुविधाओं के रुप में हैं, निधियों की उपलब्धता की शर्त पर चरणबद्ध ढंग से किए जा सकते हैं, के अनुदेश जारी किए गए हैं। परिवर्द्धन परिवर्तन जो वास के एक विशिष्ट टाइप में एक वर्ष में किए जा सकते हैं, की अधिकतम वित्तीय सीमा भी निर्धारित की गई है। यह भी प्रावधान किया गया है कि आवंटिती इस प्रकार के परिवर्द्धनों परिवर्तनों को कुल लागत के 10 प्रतिशत का अग्रिम में भुगतान करने पर प्राथमिकता आधार पर करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसके अथवा उत्तरवर्ती आवंटिती से उस वास का कोई अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क या प्रभारों की वसूली नहीं की जाएगी।

संशोधित अनुदेशों के अन्तर्गत टाइप-I, II और III के क्वार्टरों के बरामदों में शीशे लगाना अनुमय नहीं हैं। नौरोजी नगर, सरोजिनी नगर और मोतीबाग (टाइप I, II और III को छोड़कर) के क्वार्टरों के बरामदों में शीशे लगाने का काम किया जाएगा बशर्ते कि निधियाँ उपलब्ध हों।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विपणन के लिए स्वीकृत औषधियां

3743. **श्री गुरुदास कामत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा 1 नवम्बर, 1988 से 28 फरवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान विपणन के लिए किन-किन औषधियों को स्वीकृति दी गई; और

(ख) उक्त तैयार औषधियां, प्रत्येक औषध से किस फार्मूले के आधार पर तैयार की गई और इनमें से प्रत्येक की क्षमता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) पहली नवम्बर, 1988 से 28 फरवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान बिक्री के लिए स्वीकृत की गई औषधों और उनके संघटन का एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

पहली नवम्बर, 1988 से 28 फरवरी, 1989 तक की अवधि में बिक्री के लिए अनुमति-प्रदान की गई औषधों के नाम

		संघटन
1.	रैबीज वैक्सीन इनएक्टिवेटेड (वीरोसेल)	2.5 आई यू. प्रति शीशी
2.	प्यूरिफाइड चिक इम्ब्रायो सेल (पी सी ई सी) रैबीज वैक्सीन (एच ई पी फ्लूरी वाइरस स्ट्रेन)	300 आई यू 2 मि. लि. शीशी
3.	ग्लिक्लाजाइड टेबलट	80 मि. ग्राम
4.	सलिनो माइसिन (बेट)	6 प्रतिशत
5.	डेसेजेस्ट्रेल प्रिमिक्स एथिनाइल इस्ट्राडायोल के साथ मिश्रण में प्रयोग के लिए)	गोली 150 एम सी जी 30 एम सीजी
6.	दि पोटासियम डिसिट्राटो बिस्कुयेट टेबलेट/ससपेंशन	120 मि. ग्रा. बिसमुथ के रुप में 120 मि. ग्रा./5 मि. लि.
7.	सेफाड्रोक्साइल केपसूल/ टेबलेट/ओरल ससपेंशन	500 मि. ग्रा./1 ग्राम 125 मि. ग्रा./ 250 मि. ग्रा./5 मि. लि.

हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अपने स्वामित्व वाले उपक्रमों का हस्तांतरण

3744. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा खाद्यों के उत्पादन के बारे में 1 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3716 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पांच उपक्रमों का ब्यौरा क्या है जिनका स्वामित्व मैसर्स हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड से मैसर्स लिप्टन इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया है; और

(ख) उनमें से कौन-कौन से उपक्रम बहु-उत्पाद एकक है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) मैं. हिंदुस्तान लीवर ने निम्नलिखित उपक्रम मैं. लिप्टन इंडिया लि. को हस्तान्तरित कर दिए हैं।

(1) एटा (उ. प्र.) में डेयरी उत्पाद तैयार करने के कार्य में लगा उपक्रम;

(2) गाजियाबाद (उ. प्र.) में वनस्पति, परिष्कृत तेल, मारगरीन तथा औद्योगिक हार्ड आयल के उत्पादन कार्य में लगा उपक्रम;

(3) तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) में वनस्पति, परिष्कृत तेल, मारगरीन तथा औद्योगिक हार्ड आयल के उत्पादन कार्य में लगा उपक्रम; और

(4) विभिन्न स्थानों में स्थित पशु व कुक्कुट आहार के उत्पादन कार्य में लगे उपक्रम, जिनमें अधीनस्थ एकक तथा दो शाखा कार्यालय शामिल हैं।

(ख) उपर्युक्त सभी एकक बहु-उत्पाद एकक है।

आन्ध्र प्रदेश में चीनी मिलें

3745. **श्री डी. बाल गौड** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितनी चीनी मिलें हैं और वे जिले-वार किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का उक्त राज्य में कुछ और चीनी मिलें स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें आन्ध्र प्रदेश में चावल मिलों की संख्या और उनके जिलावार स्थानों का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार नयी चीनी मिलें स्थापित करने के लिए क्षेत्रों/राज्यों के बारे में प्रस्ताव नहीं करती है। उनकी पहचान नहीं करती है। तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में बोब्बिली, जिला विजया नगरम में 2500 टी.सी.डी. की एक नयी चीनी मिल स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने निम्नलिखित स्थानों पर एक एक नयी चीनी मिल स्थापित करने के लिए चार प्रस्ताव भेजे हैं :—

क्र. सं.	प्रस्तावित स्थान
1.	पुनगानूर, जिला चित्तूर।
2.	पालाकोंडा, जिला श्री काकुलम।
3.	हजूराबाद, जिला करीम नगर।
4.	कदम-मंडल, जिला अदिलाबाद।

विवरण

क्रम संख्या	संक्षिप्त नाम और स्थान	जिला
1	2	3
1.	किरलामपुडी, पी. ओ. पीथापुरम	ईस्ट गोदावरी
2.	चेल्लुरु, ता. रामचन्द्रपुरम	ईस्ट गोदावरी
3.	सममलकोट	ईस्ट गोदावरी
4.	टनुकु	वेस्ट गोदावरी
5.	पालाकोल	वेस्ट गोदावरी
6.	चागलु	वेस्ट गोदावरी
7.	भीमाडोलि. ता. एलेरू	वेस्ट गोदावरी
8.	शिवकामी, ता. टनुकु	वेस्ट गोदावरी
9.	चोदावरम, ता. गोवाडा	विशाखापत्तनम
10.	अनकापल्ले	विशाखापत्तनम
11.	इतिकोप्पका	विशाखापत्तनम
12.	थंडवा, पायाकरोपेटा	विशाखापत्तनम
13.	विजयराम, कुमारम ता. सरंगवारपुकोटा	भीमासिंघी
14.	बोब्बिली	श्रीकाकुलम
15.	सीतानगरम	श्रीकाकुलम

1	2	3
16.	ग्रमदलवालसा	श्रीकाकुलम
17.	व्युरू	कृष्णा
18.	चालापल्ली	कृष्णा
19.	हनुमान जं.	कृष्णा
20.	शकरनगर	निजामाबाद
21.	निजामाबाद	निजामाबाद
22.	चित्तूर, पी.ग्रो. तसावतेपल्ली	चित्तूर
23.	तिरुपति, गजुलमण्डयाम रेड्डीगुंटा	चित्तूर
24.	जहीराबाद	मेढक
25.	मेढक	मेढ़क
26.	मिरियालगुडा	नालगोंडा
27.	कुड्डपा ता. दौलतपुरम	कुड्डप्पा
28.	हिन्दुपुर	ग्रनन्तपुर
29.	कोवुर	नेल्लोर
30.	मेटपल्ली	करीमनगर
31।	नन्डयाल, पी.ग्रो. पोन्नापुरम	कुरनूल
32.	तेनाली	गटूर
33.	नागार्गुन, गुरसाले	गंटूर
34.	पलेयर, राजेश्वरपुरम	खम्माम

सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, बसंत विहार से दिल्ली विकास प्राधिकरण की मांग

3746. **श्री समन कुमार मंडल :** क्या शहरी विकास मंत्री सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, बसंत विहार से दिल्ली विकास प्राधिकरण की मांग के बारे में 7 दिसम्बर '1988' के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 3857 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने समिति से मांगे गए मुआवजे की ग्रतिरिक्त धन-राशि की गणना के तरीके के बारे में ग्रपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; ग्रौर यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या समिति ने पूरा ब्यौरा न दिए जाने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दण्ड के रूप में समिति पर 18 प्रतिशत ब्याज लगाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। गवर्नमेंट सर्वेन्टस कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि., वसन्त विहार के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा अवार्ड किए गए बढ़े हुए मुआवजे के ब्यौरों को दिल्ली प्रशासन के भूमि अर्जन समाहर्ता द्वारा संकलित किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) विभिन्न न्यायालयों द्वारा अवार्ड किए गए बढ़े हुए मुआवजे के बारे में दिल्ली प्रशासन के भूमि अर्जन समाहर्ता द्वारा ब्यौरे देने के पश्चात ही दिल्ली विकास प्राधिकरण समिति के अभ्यावेदन पर विचार करेगा।

"सिनेरेरिया मेरीटिमा सकस" से संबंधित विलेख

3747. **डा. कृपासिंधु भोई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सिनेरेरिया मेरीटिमा सकस" "होम्योपैथिक फार्माकोपिया आफ इंडिया" द्वारा तैयार की गई औषधि है,

(ख) यदि हां, तो उससे संबंधित विलेख (मोनोग्राफ) को तैयार करने की आधार-सामग्री क्या है,

(ग) "होम्योपैथिक फार्माकोपिया आफ इंडिया" को इस औषधि के बारे में उल्लिखित "एक्सट्रैकटिड जूस एंड एल्कोहल" शब्दों की ठीक परिभाषा और अर्थ क्या है, और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सिनेरेरिया मेरिटाइमा सकस एक औषध है और इसे भारत सरकार के अधिकारिक प्रकाशन भारतीय होम्योपैथिक फार्माकोपिया में शामिल किया गया है।

(ख) इस औषध का मोनोग्राफ भारत सरकार की होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति (एच पी सी), जो एक विशेषज्ञ समिति है, के निर्धारित मानदंडों के आधार पर बनाया गया है।

(ग) जहां तक निकाले गए रस की सही परिभाषा तथा सान्द्रता का संबंध है तो वे वही हैं जो मोनोग्राफ में उल्लिखित विधि के अनुसार सिनेरेरिया मेरिटाइमा सकस तैयार करने में प्रयोग की जाती है जो उसमें निर्धारित मानकों के अनुरूप है। जहां तक एल्कोहल की परिभाषा तथा

समानता का संबंध है इस पाठ एल्कोहल संबंधी उक्त मोनोग्राफ को देखा जा सकता है जो भारत की होम्योपैथिक फार्माकोपिया में शामिल किया गया है ।

(घ) भारतीय होम्योपैथिक भेषज संहिता औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त है ।

न्यूनतम मजदूरी

3748. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित मजदूरी की तारीख सहित वर्तमान न्यूनतम मजदूरी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का वार्षिक अथवा नियमित समीक्षा के बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को कोई मार्ग निर्देश भेजे हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में अधिकतम 5 वर्ष के अंतरालों पर न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के लिए व्यवस्था है । तथापि, जुलाई, 1980 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन के 31 वें अधिवेशन ने सिफारिश की कि न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षा की जाए और यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक दो वर्षों या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 प्वाइंटों की बढ़ोतरी होने पर, जो पहले हो, इसे संशोधित किया जाए । इस सिफारिश को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रेषित किया गया था । विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित नियोजनों में वर्तमान न्यूनतम मजदूरी और संशोधन की तारीख के संबंध में सूचना राज्य सरकारों द्वारा रखी नहीं जाती है । प्रत्येक राज्य अपनी स्थानीय परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है और न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय उपयुक्त मानदण्ड का पालन करता है । राज्य सरकारों को न्यूनतम मजदूरी निर्धा- करते समय गरीबी रेखा सहित सभी संगत पहलुओं का ध्यान रखने की सलाह दी गई है । नवम्बर, 1988 में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन के 37 वें अधिवेशन में स्वीकार किए गए 11 रुपये प्रति दिन के स्तर से कृषि श्रमिकों के लिए मई, 1989 में उच्च स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के सुझाव पर विचार-विमर्श किया जबकि वर्ष 1980 के 31 वें सम्मेलन द्वारा सिफारिश की गई दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाएगी । साथ ही यह भी सुझाव था कि अधिसूचित की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी स्तर की कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध किसी तंत्र द्वारा मुद्रास्फीति से रक्षा किए जाने पर विचार किया जाए ।

"वन उत्पादों की प्राप्ति"

[हिन्दी]

3749. श्री मानकू राम सोढी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित गांवों में रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को वन के छोटे उत्पादों को प्राप्त करने के उनके मौलिक अधिकार से उन्हें वंचित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन राष्ट्रीय उद्यानों का ब्यौरा क्या है जहां छोटे वन उत्पादों को प्राप्त करने से उन्हें मना किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा ।

"वनरोपण लक्ष्य"

[अनुवाद]

3750. श्री उत्तम राठौड़ : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान योजनावधि के लिए राज्यवार और वर्षवार वनरोपण का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक वनरोपण लक्ष्य कहां तक प्राप्त किए जा सके हैं;

(घ) क्या ऐसे वनरोपण के प्रभाव का अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या किस सीमा तक निर्धारित लक्ष्यों को सातवीं योजना के अंत तक प्राप्त कर लिया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक वनीकरण के लिए लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) चालू योजनावधि में शुरु किए गए वनीकरण कार्यकलापों के प्रयासों का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता। तथापि अब तक किए गए नमूना सर्वेक्षण तथा अध्ययनों के आधार पर कुछ प्रमुख बातें सामने आई हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

— सामाजिक वानिकी सहित वनीकरण कार्यक्रम की गति में पर्याप्त रूप से तेजी आई है तथा पिछली योजना अवधियों में की गई प्रगति की अपेक्षा और अधिक प्रगति हुई है ।

—फार्म वानिकी (निजी भूमि पर वृक्षारोपण) की गति में तेजी आ रही है और कुल वनीकरण प्रयासों में से लगभग आधा कार्य फार्म वानिकी के अन्तर्गत किया गया है।

—यद्यपि जन सहभागिता अभी सीमित है फिर भी वनीकरण कार्यकलापों में लोकरुचि बढ़ी है। कई स्वैच्छिक एजेंसियां आगे आई हैं तथा प्रायोजनाओं को आरम्भ किया है।

—लगाई गई पौद की जीवितता दर में सुधार हुआ है।

—प्रजातियों का व्यापक चयन किया जा रहा है। ईंधन लकड़ी तथा चारा प्रदान करने वाली प्रजातियों को अधिक महत्व दिया जा रहा है।

—अधिकांश राज्यों में विकेन्द्रित पौधशाला कार्यक्रम लोकप्रिय हुआ है।

—ग्रामीण क्षेत्रों में वनीकरण कार्यकलाप और अधिक रोजगार पैदा कर रहे हैं।

—वनीकरण कार्यक्रम के लिए निधि, जिसमें संस्थागत वित्त भी शामिल है, में वृद्धि हुई है।

(ङ) प्रगति तथा लक्ष्य, जो प्रत्येक वर्ष निर्धारित किए जाते हैं, भी अनुबन्ध-I में दिए गए हैं।

विवरण

सातवीं योजना अवधि के दौरान वनीकरण हेतु लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा

(पौद लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1985-86 लक्ष्य	1985-86 उपलब्धि	1986-87 लक्ष्य	1986-87 उपलब्धि	1987-88 लक्ष्य	1987-88 उपलब्धि	1988-89 लक्ष्य	1988-89 उपलब्धि (जनवरी, 1989 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2600.00	3156.00	3000.00	2874.15	3000.00	3051.34	3200.00	2703.27
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	103.00	125.00	125.08	125.00	127.04	140.00	31.51
3.	असम	400.00	396.00	400.00	625.50	500.00	497.00	600.00	445.50
4.	बिहार	1500.00	1523.00	2600.00	2711.00	3500.00	3152.00	3600.00	3603.54
5.	गोआ*	32.00	45.00	75.00	67.93	75.00	74.70	75.00	72.00
6.	गुजरात	2550.00	2497.00	1631.00	2271.00	2250.00	2141.50	2600.00	4019.93
7.	हरियाणा	950.00	937.00	725.00	741.58	600.00	380.00	750.00	546.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	हिमाचल प्रदेश	550.00	672.00	625.00	671.28	600.00	615.09	700.00	623.89
9.	जम्मू एवं काश्मीर	350.00	467.00	522.00	570.52	405.00	400.06	500.00	169.53
10.	कर्नाटक	2500.00	2546.00	2500.00	2316.74	2500.00	3152.21	3300.00	2872.02
11.	केरल	600.00	1166.00	1200.00	1519.14	1700.00	1555.44	1750.00	1470.97
12.	मध्य प्रदेश	3500.00	3501.00	3700.00	3920.00	4000.00	4090.46	4400.00	4415.00
13.	महाराष्ट्र	2000.00	2165.00	2400.00	2381.70	2600.00	3079.96	3300.00	4028.79
14.	मणिपुर	120.00	125.00	160.00	148.80	170.00	180.25	200.00	198.96
15.	मेघालय	130.00	131.00	150.00	158.00	150.00	237.57	270.00	329.77
16.	मिजोरम	700.00	700.00	1128.00	478.05	725.00	277.50	300.00	300.00
17.	नागालैण्ड	180.00	269.00	350.00	543.50	200.00	200.00	230.00	230.00
18.	उड़ीसा	3142.00	1930.00	2400.00	2326.72	2600.00	2340.05	3000.00	2762.17
19.	पंजाब	527.00	590.00	550.00	567.59	450.00	495.52	500.00	496.30
20	राजस्थान	820.00	958.00	1100.00	1341.03	1200.00	1173.87	1300.00	1259.00
21.	सिक्किम	82.00	82.00	110.00	115.03	120.00	133.87	150.00	123.15

22. तमिलनाडु	1100.00	1215.00	2400.00	1981.28	200.00	1911.74	1800.00	1628.15
23. त्रिपुरा	150.00	200.00	320.00	263.00	260.00	267.13	260.00	267.00
24. उत्तर प्रदेश	3250.00	3548.00	4500.00	4865.00	4200.00	4420.71	5100.00	5311.95
25. पश्चिम बंगाल	1100.00	1115.00	1400.00	1416.00	1400.00	1391.08	1800.00	1100.00
26. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	95.00	95.00	120.00	122.32	100.00	100.43	100.00	107.59
27. चंडीगढ़	2.90	1.52	3.40	3.83	3.40	3.59	4.00	3.26
28. दादरा एवं नगर हवेली	30.00	31.00	50.00	35.20	40.00	31.22	35.00	38.32
29. दमन एवं द्वीव	—	—	—	—	25.00	0.53	2.00	1.17
30. दिल्ली	25.00	25.00	30.00	63.03	30.00	18.06	50.00	57.62
31. लक्षद्वीप	0.04	0.25	0.12	0.29	0.20	0.24	0.50	2.25
32. पांडिचेरी	10.00	11.00	10.00	12.93	10.60	10.32	10.00	7.13
कुल	29095.94	30200.77	34284.52	35237.32	35939.20	35511.35	40026.50	39226.02

*वर्ष 1985-86 और 1986-87 के अन्तर्गत संघशासित क्षेत्र दमन और द्वीव भी शामिल में।

सहकारी समूह आवासीय समितियों की प्रबन्धन समिति

3851. श्री नारायण चौबे : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अधिकांश सहकारी समूह आवास समितियों के उपनियमों और नियमों के अनुसार "प्रबन्ध समिति" के कार्यकरण पर उचित निगरानी रखने हेतु एक "नियंत्रण समिति" का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के पटपड़गंज क्षेत्र (चिल्ला गाँव) में की उन सहकारी समूह आवास समितियों के नाम क्या हैं जिनमें "नियंत्रण समिति" नहीं बनाई गई है; और

(ग) क्या सरकार ने उन समितियों की नियंत्रण समितियो के सदस्यों के चुनाव चयन के लिए कोई कार्रवाई की है या करने का प्रस्ताव है और यदि इसके लिए कोई तिथि नियत की गई है तो क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई कार्रवाइ करने का विचार नहीं है।

राज्यों में श्रम निरीक्षक

3752. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर (उड़ीसा) स्थित श्रम निदेशालय के अन्तर्गत कितने श्रम निरीक्षक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इन श्रम निरीक्षकों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ये निरीक्षक अपना वेतन नियमित रूप से प्राप्त नही कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन श्रम निरीक्षकों के वेतन की नियमित अदायगी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसद कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य में 65 श्रम निरीक्षक काम कर रहे हैं। उन्हें राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्ष 1988-89 की चौथी तिमाही में वेतन के भुगतान में देरी हुई थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, केन्द्रीय सरकार ने श्रम निरीक्षकों के वेतन और भत्तों की बाबत 10.97 लाख रुपये की राशि प्रदान की है।

पंजाब में कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी

3753. श्री रेणुपद दास : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 पंजाब के कृषि श्रमिकों पर भी लागू होता है;

(ख) क्या इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य में कोई तंत्र है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) श्रम निरीक्षकों सहित श्रम प्रवर्तन कर्मचारी राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के कार्यान्वयन को देखते हैं। न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन में उपायुक्तों को भी शामिल किया गया है जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे विकास, पंचायत, राजस्व, तथा अन्य विभागों के अधिकारियों की सहायता प्राप्त होगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दुकानें आवंटित करना

[हिन्दी]

3754. श्री राम प्यारे सुमन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित बाजारों में उनके लिए निर्धारित आरक्षित कोटे के अनुसार दुकानों का आवंटन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन बाजारों के नाम पते आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बाजारों में कुल कितनी दुकानों का आवंटन किया गया है इनमें से कितनी दुकान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आवंटित की गई हैं; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए दुकानों के आवंटन में 25 प्रतिशत आरक्षण रखने के आधार क्या हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उन बाजारों के ब्यौरे, जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानें बेची गई है, नीलामी द्वारा बेची गई दुकानों की संख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति को आवंटित की गई दुकानों की संख्या संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 दी गई है।

(घ) मई 1988 से निम्नलिखित मानदंड का अनुपालन किया जा रहा है :—

(i) पंजीकृत व्यक्ति को एक दुकान के लिए अपनी पसंद के आधार पर तीन कालोनियों में पंजीकरण का अनुरोध करने की छूट है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटा बाजार-वार होना चाहिए तथा दुकानों व स्टालों के मामले में में आवंटन कोटे में अन्तर होना चाहिए।

(ii) दुकानों का आवंटन लाटरी के आधार पर किया जाएगा।

(iii) सफल आवेदकों द्वारा दुकान आदि की लागत का 25 प्रतिशत आवंटन पत्र प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर-अन्दर जमा कराना तथा शेष आसान किस्तों में अर्थात अधिकतम 24 समान मासिक किस्तों में जमा कराना अपेक्षित होगा। किस्तों पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज होगा।

(iv) असफल आवेदकों द्वारा जमा कराई गई राशि लौटा दी जाएगी।

(v) आवंटन के प्रत्येक लाट के लिए नये आवेदन मांगे जाएगें।

(vi) आवंटी पर 10 वर्ष की अवधि तक के लिये दुकान/स्टाल को बेचने अथवा अन्तरित करने पर प्रतिबन्ध होगा, और इसके पश्चात दिल्ली विकास प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से अन्तरण केवल आरक्षित श्रेणी के सदस्यों को किया जा सकेगा तथा इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण के विद्यमान नियमों के अनुसार अनर्जित वृद्धि का भुगतान करना होगा।

विवरण-1

बाजारों के ब्यौरे और नीलामी के माध्यम से इन बाजारों में आवंटित की गई दुकानों की संख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्तियों को आवंटित की गई दुकानों की संख्या

क. सं.	बाजारों के नाम/ब्यौरे	नीलामी के माध्यम से आवंटित	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आवंटित
1	2	3	4
1.	सी. एस. सी., यमुना विहार	17	10
2.	सी. एस. सी., डिफैन्स एनक्लेव	20	8
3.	सी. एस. सी., भटनागर कालोनी	12	6
4.	एल. एस. सी., प्रीत विहार	—	1

1	2	3	4
5.	सी. एस. सी., दिलशाद गार्डन पाकेट-एच	9	2
6.	सी. एस. सी., झिलमिल फैज-11	1	2
7.	एल. एस. सी., त्रिलोकपुरी फैज-11 एस. सी. एच, 565	7	5
8.	सी. एस. सी., तिमारपुर/नेहरू विहार	—	12
9.	सी. एस. सी., रोहिणी सेक्टर-8, एस. सी. नं. 2	27	11
10.	एल. एस. सी., शालीमार बाग ब्लाक-बी (पूर्वी)	1	9
11.	सी एस. सी., सरस्वती विहार ब्लाक सी	12	5
12.	सी. एस. सी., लोक विहार ब्लाक बी	10	4
13.	एल. एस. सी., आदर्श भवन, सोसायटी पंजाबी बाग एक्सटेंशन	1	1
14.	मिनी शोपिंग सेंटर, के. जी. 1 बोडेला	9	2
15.	सी. एस. सी., बोडेला ब्लाक-बी	17	14
16.	एल. एस. सी., पश्चिमपुरी ए-1	19	20
17.	सी. एस. सी., रिवाड़ी लाइन	—	12
18.	आर. बी. सी., नांगल राय	—	3
19.	होम मार्किट, राजेन्द्र प्लेस	4	5
20.	सी. एस. सी., जी-8, एरिया राजौरीगार्डन पाकट-ए	10	3
21.	एल. एस. सी., कीर्तिनगर	12	5
22.	सी. एस. सी., आवंतिका	7	14
23.	एल. एस. सी., वजीरपुर पाकेट-एफ	1	1
24.	सी. एस. सी., फ्रैण्डस कालोनी	14	1
25.	सी. एस. सी., आर. के. पुरम से 6	24	6

1	2	3	4
26.	सी. एस. सी., कैटल सैंटर, भूसवपुर	10	3
27.	सी. एस. सी., सुखदेव विहार	24	9
28.	सी. एस. सी., मदनगिर, खानपुर के सामने	8	1
		274	175

विवरण-2

बाजार वार आवंटित दुकानों/स्टालों/थलो/खुले प्लेटफार्मों की सूची तथा अनुसूचित जातियों को आवंटित स्टालों/थलों/खुले प्लेटफार्मों की संख्या

क्र. सं.	कालोनी का नाम	आवंटित दुकानों/स्टालों/थलों/खुले प्लेटफार्मों की संख्या	अनुसूचित जाति को आवंटित स्टालों/स्टालों/थलों खेले प्लेटफोर्मों की संख्या
1.	त्रिलोकपुरी	565	148
2.	हिम्मतपुरी	154	069
3.	कल्याणपुरी	063	026
4.	गोकलपुरी	049	025
5.	नन्द नगरी	286	065
6.	ओल्ड सीमापुरी	140	028
7.	न्यू सीमापुरी	117	002
8.	न्यू सीलमपुर	134	035
9.	तिलक विहार	099	013
10.	मादीपुर	344	206
11.	मोती नगर	024	005
12.	चौखण्डी	101	009

1	2	3	4
13.	क्याला	160	026
14.	रणजीत नगर	026	013
15.	इन्द्रपुरी	041	028
16.	हस्ताल	073	025
17.	मंगलापुरी	023	012
18.	रघुबीर नगर	314	095
19.	दक्षिणपुरी	817	458
20.	मदनगिर	014	006
21.	तिगड़ी	075	021
22.	कालकाजी	060	010
23.	किलोकड़ी	008	004
24.	सनलाइट कालोनी	089	017
25.	नेहरू नगर	120	052
26.	मोतीबाग	009	006
27.	जहांगीर पुरी	556	216
28.	अरुणा कालोनी	080	013
29.	संगम पार्क	046	023
30.	शकूरपुर	330	140
31.	मंगोलपुरी	1221	522
32.	इन्द्रलोक	049	025
33.	वजीरपुर	085	045
34.	सुलतानपुरी	377	171
35.	नांगलोई	127	069
	योग :	6762	2646

हल्दिया (पश्चिम बंगाल) स्थित कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

[अनुवाद]

3755. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हल्दिया में एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फार्मेसिस्ट के पदों का सृजन

3756. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय ?रकार स्वास्थ्य योजना को (1) दिल्ली और दिल्ली से बाहर की प्रत्येक औषधालय में प्रत्येक चिकित्सा पद्धति के वरिष्ठ मुख्य फार्मासिस्ट (II) सभी चिकित्सा भंडार डिपुओं और उप-डिपुओं में मुख्य फार्मासिस्ट और (III) चिकित्सा भंडार डिपो के लिए मुख्य फार्मेसिस्ट के पदों के सृजन के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना फार्मासिस्ट एसोसिएसन आफ इण्डिया दिल्ली से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन पहले कब प्राप्त हुआ था और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) उनकी माँगों को कब तक पूरी तरह कार्यान्वित किए जाने की आशा है,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) जी, हां। चौथे वेतन आयोग और संवर्ग पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में फार्मेसिस्ट के पदों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें प्रधान फार्मेसिस्ट के पद बनाने की कारवाई चल रही है। इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग के परामर्श से कारंवाई की जा रही है।

रोहिणी में भूखंडों का कब्जा देना

3557. **श्री बी. तुलसीराम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1985 में नीलामी से खरीदे गए आवासीय भूखंडों, जो कि अधिकतर रोहिणी योजना के अंतर्गत हैं के संबंध में 180 दिनों के भीतर धनराशि

देने में विलम्ब के मामलों में लाभ पहुंचाने के लिए हाल ही में भूमि नियम, 1981 में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज तक कितने व्यक्तियों को भूखंडों का कब्जा दिया गया है;

(ग) विलम्ब से धनराशि अदा करने में ऐसे कितने मामले हैं जिनसे दिल्ली विकास प्राधिकरण को ब्याज/दंड ब्याज पंजीकरण शुल्क सहित पूरी धनराशि प्राप्त हो गई है परन्तु उन्हें भूखंडों का कब्जा देने के मातले अभी भी विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो भूखंडों का कब्जा कब तक दिए जाने का विचार है; यदि नहीं तो, प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (विकसित नजल भूमि का निपटान) नियम, 1981 जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भुगतान की तारीख 180 दिन की अधिकतम सीमा तक आगे बढ़ाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, जहां वे इस बात से सन्तुष्ट हों कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण विद्यमान है, बशर्ते कि 30 दिन या इससे कम के लिए विलम्ब हेतु शेष राशि पर 18 प्रतिवर्ष की दर से ब्याज या 30 दिन से अधिक अवधि के लिए 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने संबंधी संशोधी गजट अधिसूचना सरकार द्वारा 27 जनवरी, 1989 को जारी की गई है। केवल रोहिणी योजना में ही नहीं अपितु दिल्ली विकास प्राधिकरण की सभी योजनाओं में तथा विलम्ब के पिछले मामलों में ही नहीं अपितु भविष्य में पैदा होने वाले इसी प्रकार के मामलों में भुगतान में विलम्ब के संबंध में आवंटितियों को होने वाली कठिनाईयों को देखते हुए नियमों में संशोधन किया गया है। रोहिणी आवासीय योजना में 1985 में नीलाम किए गए 10 मामलों में जिनमें भुगतान में 180 दिनों तक विलम्ब था, ब्याज तथा पुनः चालू करने के प्रभारों के संबंध में आवंटितियों द्वारा भुगतान न करने के कारण तथा सामान्य दस्तावेजों के पूर्ण न होने के कारण भी कब्जे देना लम्बित हैं। इन मामलों में अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है।

उचित दर की दुकान मालिकों के संघ द्वारा दिल्ली नागरिक पूर्ति विभाग के विरुद्ध शिकायतें

3758. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर की दुकान के मालिकों के संघ ने दिल्ली नागरिक पूर्ति विभाग के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए हैं;

(ख) क्या उपभोक्ताओं को वितरित की जाने वाली वस्तुएं दुकानों को समय पर सप्लाई नहीं की जाती हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि उचित दर के दुकानदारों की एक एसोसिएशन अर्थात "उचित दर दुकान सभा" ने दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उचित दर की दुकानों को विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल तथा लेवी चीनी की देरी से आपूर्ति करने के बारे में कुछ अभ्यावेदन भेजे हैं। दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उचित दर की दुकानों को विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं की कुल मिलाकर समय से ही आपूर्ति की जाती रही है। तथापि, इतने विशाल आकार के कार्य में कभी-कभार संचलन संबंधी विभिन्न बाधाओं, अर्थात ढुलाई की समस्याओं, श्रमिक समस्या, यातायात संबंधी प्रतिबंधों आदि के कारण देरी हो जाना स्वाभाविक है।

(ग) और (घ) आपूर्ति की स्थिति की प्रशासन में विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और जब भी समस्याएं ध्यान में आती हैं, उन्हें दूर करने के उपाय किए जाते हैं।

राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

3759. श्री सी. जंगा रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री पश्चिमी बंगाल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ पर बकाया धनराशि के बारे में 8 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1850 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता हथकरघा कपड़े की सप्लाई में अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और आवश्यक कार्यवाही करने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या मंत्रालय की जानकारी में लाई गई अन्य अनियमितताओं के मामले में उक्त अधिकारियों के विरुद्ध जांच अब तक पूरी कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं तथा उक्त अधिकारियों को क्या दंड देने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय प्रबंधक (पूर्व), जो अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार थे, के विरुद्ध विभागीय जांच पूरी हो गई है और जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार के ध्यान में विभिन्न अनियमितताओं के बारे में तथ्यों का पता लगाने वाली जांच के बाद ही राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने क्षेत्रीय प्रबंधक (पूर्व) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की थी। जैसा कि ऊपर (क) व (ख) में कहा गया है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर इस समय कार्यवाही की जा रही है।

"फर्नीचर फोम" से स्वास्थ्य का खतरा

3760. श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्नीचर फोम स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग). "फर्नीचर फोम" के कारण होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों की भारत सरकार को जानकारी नहीं है। तथापि, इसके साथ काफी समय तक सीधे सम्पर्क में रहने से एलर्जी हो सकती है। फोम के बिस्तर पर सोने से रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है और इससे कमर दर्द हो सकता है। अधिक गर्म किए जाने पर ये शीघ्र ही जलने लगते हैं और इससे हाइड्रोजन सायनाइड (एच सी एन) तथा कार्बन मोनोक्साइड (सी.ओ.) जैसी विषैली गैसें निकलती है और यह पता चला है कि अन्य अंशों में उत्प्रेरक (म्यूटाजेनिक) गुण पाए जाते है और बताया गया है कि पालियुरिथेन वाष्प से फेफड़े क्षतिग्रस्त हो हो सकते हैं जिससे दमायुक्त श्वसनी शोथ हो जाता है। इसके द्वारा नेत्र-श्लेष्मलाशोथ भी हो सकता है और यहां तक कि असाध्य रोग जैसे जलन से लेकर तीव्र एक्जीमा तक भी हो सकते हैं।

खतरों के निवारण के लिए इसका समुचित भण्डारण, पर्याप्त वायु संचार और आग तथा प्रत्यक्ष ऊष्मा से बचाव आवश्यक है।

"स्टेराइड्स" का आयात

3761. श्री आनन्द सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में "स्टेराइड्स" का निर्माण किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1984-85 और 1985-86 में इसका कितनी मात्रा में तथा कितनी कीमत में आयात किया गया; और

(ग) इसके आयातकर्ताओं और सप्लाई कर्ताओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) इस प्रकार के स्टेरायड रासायनिक अणु होते है, ऐसी अनेक औषधें अर्थात् कार्टिकोस्तेराइड, एनाबोलिक, सेक्स हार्मोन्स तथा दूसरी औषधें जो इन अणुओं पर आधारित हैं। इनमें से कुछ का निर्माण देश में होता है तथा देश में योगों के निर्माण के लिए उनका आयात भी किया जा रहा है।

198 -85 और 1986 की अवधि के दौरान आयात किए गए कुल स्टेराइडों का ब्यौरा जैसा कि इस मंत्रालय में उपलब्ध है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1984-85 और 1985-86 के दौरान स्टेराइड औषधों का आयात

क्रम सं.	औषध का नाम	1984-85 मात्रा कि. ग्रा. में	1984-85 लागत बीमा भाड़ा रुपयों में	1985-86 मात्रा कि. ग्रा. में	1985-86 लागत बीमा भाड़ा रुपयों में
1.	?टामीथासोन तथा इसके व्युत्पन	75	1,11,28,546	200	1,92,77,073
2.	बेटामीथासोन 17.21 डिप्रोपायोनेट	1,477	9,97,239	20	13,40,644
3.	फ्लोसाइनोलीन रसिटामइड	36	25,70,288	39	28,92,839
4.	डेक्सामेथासोन तथा इसके लवण	232	86,55,448	238	89,85,639
5.	हाइड्रोकोर्टिसीन	775	55,49,881	913	72,84,816
6.	प्रेडनिसीज	130	13,71,959	150	16,71,930
7.	प्रेडिनिसोलीन	2,005	1,97,07,726	2,012	1,93,47,376
8.	प्रेडिनिसोलोन एसिटेट	121	14,60,730	88	14,51,351

1	2	3	4	5	6
9.	ट्राइम्थिनोक्सोन तथा इसके लवण	102	29,32,050	89	27,25,419
10.	एस्ट्रीओइस्ट्रेनोल	21	4,94,093	24	4,24,243
11.	हाइड्रोजेस्ट्रोन	42	33,83,211	20	17,15,264
12.	एथिस्टेरोन	795	31,38,438	847	29,46,369
13.	नार-एथिस्टेरोन	177	29,72,942	200	38,01 402
14.	हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन केप्रेट	10	15,459	3	17,710
15.	लाइनेस्ट्रेनोन	84	34,82,661	80	34,82,873
16.	नार्जेस्ट्रोल	63	59,48,893	77	80,09,141
17.	बास्टडायस ब्युत्पन्न	27,675	5,27,120	39,946	5,70,462

खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि

3762. श्री बसुदेव आचार्य : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई तिलहन नीति के परिणामस्वरूप खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिए राजसहायता में वृद्धि करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्यान्नों की खपत

3763. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न खाद्यान्नों की अनुमानित खपत कितनी है;

(ख) इसमें से कितना खाद्यान्न भण्डारों से उपलब्ध है; और

(ग) चालू वर्ष की फसल देश की आवश्यकता को किस सीमा तक पूरा कर सकेगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) चूंकि खपत जनसंख्या की वृद्धि, शहरीकरण की रफ्तार, आय-स्तर, वैकल्पिक खाद्य पदार्थों के मूल्यों आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है, इसलिए देश में खाद्यान्नों की खपत से संबंधित आवश्यकता के ठीक-ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

(ख) पहली मार्च, 1989 को स्थिति के अनुसार सरकारी एजेंसियों के पास 8.45 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक होने का अनुमान है । केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों के आवंटन केवल अनुपूरक स्वरूप के होते हैं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल का वितरण करने के लिए आवश्यकता का मूल्यांकन राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त मांग, केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता, उठान की पिछली प्रवृत्ति, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सापेक्ष आवश्यकताओं और बाजार उपलब्धता पर निर्भर करते हुए प्रत्येक मास के आधार पर किया जाता है ।

(ग) वर्तमान वर्ष में 166.5 से 170 मिलियन मीटरी टन के बीच फसल होने का अनुमान है । उत्पादन की इस मात्रा से देश की आवश्यकताओं को पूरा कर लिए जाने की आशा है ।

रामकृष्णपुरम में पानी की अपर्याप्त सप्लाई

3764. **श्री अनादिचरण दास :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्टर 6, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली में पी. एण्ड. टी. कालोनी की वेलफेयर एसोसिएशन तथा दिल्ली टेलीफोन प्राधिकारियों ने दिल्ली नगर निगम/जल प्राधिकारियों का ध्यान दोषपूर्ण पाइप लाइन तथा उसके परिणामस्वरूप लगातार पानी के कम दबाव तथा दिल्ली नगर निगम, जल प्राधिकरण के दो ट्यूबवैलों की मोटरों के उन्हें लगाये जाने के समय से खराब पड़ी रहने की ओर आकृष्ट किया है;

(ख) क्या सरकार का उक्त कालोनी को जल आपूर्ति की स्थिति को सुधारने अथवा उसे गंगा जल पाइप लाइन से जोड़ने का विचार है; और

(ग) जल आपूर्ति में सुधार लाने और चालू वर्ष में अधिकतम जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) रेजीडेण्ट्स वैलफेयर एसोसिएशन पानी की कम सप्लाई करने के बारे में दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान को लिखती रही है। निरंतर सूखे की स्थिति के कारण गत वर्ष सेक्टर 6 से 2 नलकूप कार्य नहीं कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जल आपूर्ति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(I) दो नलकूपों में से एक को पहले ही सुधार दिया गया है तथा चालू कर दिया है और स्तर की स्थितियों के कारण दूसरा नलकूप ठीक करने योग्य नहीं है।

(II) पालम जलाशय में जल आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए रिजरोड के साथ-साथ 141.00 लाख रुपये की लागत पर 1000 मीटर व्यास की मुख्य लाइन बिछायी जा रही है। इससे रामकृष्णपुरम के सभी सेक्टरों के निवासियों को और लाभ होगा।

(III) दिल्ली जल आपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान ने डाकतार विभाग को रामकृष्णपुरम सेक्टर 6 में डाकतार विभाग के क्वार्टरों के लिए एक भूमिगत जलाशय तथा बूस्टर पम्पिंग स्टेशन बनाने की अनुमति दे दी है।

खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

3765. **श्री हरिहर सोरन :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकार द्वारा बेचे जा रहे मूंगफली के तेल सहित खाद्य तेलों के मूल्यों में हुई वृद्धि की जानकारी है;

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य तेलों और मूंगफली के तेलों के वर्तमान मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान इन मदों के मूल्य क्या हैं; और

(घ) खाद्य तेलों और विशेष रूप से मूंगफली के तेलों के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) प्रमुख खाद्य तेलों (मूंगफली के तेल सहित) के मूल्यों के रुख में हाल के महीनों में गिरावट का रुख दिखाई दिया है। मार्च, 1989 में उनके मूल्य मार्च, 1988 के दौरान प्रचलित तदनुरूपी मूल्यों की तुलना में कम चल रहे हैं। एक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, जिसमें देश भर में मुख्य केन्द्रों में जनवरी, 1988 से मार्च, 1989 की अवधि में प्रचलित मूंगफली, सरसों, तिल तथा बिनौले के तेलों के थोक मूल्य दर्शाए गए हैं।

देशीय खाद्य तेलों के मूल्यों को उचित स्तरों पर बनाए रखने के लिए जब भी आवश्यक होता है, सरकार द्वारा उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए अधिक मात्रा में आयातित खाद्य तेल निर्मुक्त करना, भंडारण नियंत्रण आदेश (1977) के तहत खाद्य तेलों तथा तिलहनों की स्टाक सीमाओं में कमी करना, ताकि जमाखोरी को हतोत्साहित किया जा सके, वनस्पति तैयार करने में अप्रधान तथा गैर-पारम्परिक तेलों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन देना तथा वनस्पति तैयार करने में विलायक निष्कर्षित/एक्सपेलर देशीय तेलों के प्रयोग की अनुमति को वापिस लेना, ताकि सीधी खपत के लिए अधिक देशीय तेलों को सुरक्षित रखा जा सके, शामिल हैं।

विवरण

देशीय खाद्य तेलों के थोक मूल्य   (प्रति क्विंटल)

स्रोत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृ मंत्रालयषि   अवधि :—जनवरी, 1988 से जून, 1988 तक
स्रोत : समाचार पत्र

को समाप्त सप्ताह	मूंगफली का तेल बम्बई	कलकत्ता	दिल्ली	राजकोट	कलकत्ता	सरसों का तेल कानपुर	हापुड़	बम्बई	तिल का तेल कलकत्ता	दिल्ली	बम्बई	बिनौले का तेल दिल्ली	राजकोट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जनवरी, 88													
7	2465	2600	2450	2633	2850	2700	2400	2280	2125	2150	2030	1920	1930
14	2480	2275	2480	2620	2600	2400	2200	2270	2120	2110	2050	1910	1970
21	2387	2610	2370	2566	2300	2400	2000	2180	2080	2140	2000	1920	1950
28	2283	2580	2300	2466	2250	2000	1900	2200	2080	2070	1950	1850	1920
फरवरी, 88													
7	2293	2520	2250	2446	2150	2300	2125	2050	1990	2000	1190	1880	1890
14	2296	2500	2250	2433	2250	2300	2225	2010	1920	1918	1910	1900	1810
21	2174	2460	2200	2333	2100	2200	2200	2060	1920	1970	1850	1840	1780
28	2215	2460	2180	2363	2000	2150	2000	2100	1920	2000	1860	1840	1790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
मार्च, 88													
7	2252	2390	2150	2380	2000	2800	1850	2140	1950	2050	1950	1820	1760
14	2257	2330	2200	2401	2100	2000	1900	2150	1950	2150	1890	1880	1820
21	2278	2300	2200	2400	2250	2000	1850	2200	2030	2140	1840	1900	1840
28	2361	2410	2230	2433	2250	1875	1850	2200	2110	2140	1950	1900	1850
अप्रैल, 88													
7	2278	2250	2240	2433	2200	1875	1860	2180	2080	2140	1910	1880	1840
14	2226	2220	2230	2420	2150	2000	1860	2140	2080	2140	1900	1940	1840
21	2220	2450	2220	2413	2150	2025	1890	2120	2080	2100	1890	1930	1920
28	2200	2450	2150	2325	2050	1950	1900	2000	2080	2043	1890	1920	1830
मई, 88													
7	2174	2260	2080	2366	2050	1850	1900	1950	2000	1900	1910	1890	1830
14	2142	2260	2100	2300	1975	1875	1850	1900	1950	1850	1890	1890	2831
21	2122	2350	2120	2280	2050	1850	1780	1860	1950	1830	1900	1840	1810
28	2100	2350	2100	2240	1950	1725	1700	1800	1950	1720	1860	1710	1760

जून, 88													
7	2142	2260	2120	2300	2000	1900	1800	1800	1820	1730	1880	1830	1820
14	2158	2230	2140	2333	2050	1925	1820	1720	1820	1750	1880	1880	1860
21	2168	2230	2160	2313	2100	1925	1830	1790	1725	1740	1930	1910	1860
28	2189	2230	2180	2333	2100	1950	1840	1860	1725	1780	1965	1930	1880
जुलाई, 1988													
7	2350	2250	2300	2433	2030	1900	1820	1900	1790	1860	2020	1960	1930
14	2340	सू.न.	2400	2553	सू.न.	2000	1900	1950	सू.न.	1820	2060	1970	2020
21	सू.न.	सू.न	2330	2546	सू.न.	2000	1880	सू.न.	सू.न.	1850	सू.न.	1950	2000
28	2345	2500	2260	2500	2130	1975	1870	1870	1800	1780	2000	1920	1940
अगस्त, 1988													
7	2246	2500	2300	2466	1200	1975	1900	1840	1820	1790	1980	1940	1840
14	2134	2500	2140	2333	2100	1950	1900	1800	1820	2750	1880	1900	1810
21	2147	2460	2100	2366	2130	1950	1860	1820	1840	1750	1880	1900	सू.न.
28	2007	2480	2040	2140	2150	1880	1860	1800	1820	1780	1870	1880	1729

1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
सितम्बर, 1988													
7	2044	2480	1980	2133	2150	1800	1800	1690	1820	1750	1880	1900	1730
14	2075	2480	2000	2275	2150	1900	1780	1830	1820	1750	1950	1920	1820
21	1986	सू.न.	1920	2180	सू.न.	1825	1780	1860	सू.न.	1730	1950	1890	1770
28	सू.न.	सू.न.	1930	2113	सू.न.	1800	1720	सू.न.	सू.न.	1740	सू.न.	1890	1770
अक्तूबर, 1988													
7	1924	1400	1940	2166	2040	1850	1800	1820	1178	1810	1860	1910	1800
14	2049	2400	1930	2166	2040	1875	1800	1780	1780	1800	1960	1900	1800
21	1960	सू.न.	1970	2113	सू.न.	1845	1820	1740	सू.न.	1800	1950	1900	1800
28	1966	2400	1930	2020	2040	1845	1780	1760	1780	1770	1960	1880	1710
नवम्बर, 1988													
7	2007	2460	1870	2083	2040	1850	1680	1740	1760	1770	1890	1880	1800
14	1846	2450	1860	1933	2040	1875	1700	1710	1760	1740	1830	1850	0700
21	1799	2430	1770	1853	1960	1875	1700	1720	1740	1730	1841	1770	1660
28	1799	2430	1800	1853	1960	1770	1700	1720	1740	1730	1800	1770	1660

दिसम्बर, 1988													
7	1812	सू.न.	1770	1866	सू.न.	1770	1700	1700	सू.न.	1720	1790	1770	1680
14	1789	2430	1760	1840	सू.न.	1750	1680	1680	1740	1700	1770	1740	1660
21	सू.न.	2430	1700	1846	1950	1750	1600	सू.न.	1740	1680	सू.न.	1690	1650
28	1778	2430	1670	सू.न.	1920	1680	1600	1690	1740	1640	1640	1620	सू.न.
जनवरी, 1988													
7	1908	2220	1770	1866	1989	1680	1560	1700	1700	1690	1640	1640	1540
14	1857	2220	1750	1700	1960	1720	1600	1690	सू.न.	1650	1670	1610	1670
21	1853	2130	1750	1866	1960	1720	1560	1680	1700	1650	1650	1610	1650
28	1872	2150	1760	1872	1960	1600	1520	1670	1700	1640	1630	1610	1510
फरवरी, 1989													
7	1804	2010	1730	1820	1960	1600	1540	1640	1700	1660	1590	1580	1540
14	1789	2130	1680	1860	1960	1600	1560	1610	1700	1620	1560	1550	1530

सू.न.—सूचना नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21@	1825	1875	1720	—	2000	1570	1580	1640	1690	1670	1580	1580	—
28@	1833	1875	1730	—	2050	1570	1540	1650	1680	1670	1600	1560	—
मार्च 89													
7@	1817	1725	1700	—	2000	1570	1460	1785	1710	1700	1600	1560	—
14@	1857	1900	1730	—	2000	1570	1460	1838	1750	1830	1620	1600	—
16@	1859	1900	1750	—	2008	1570	1500	1879	1820	1910	1630	1650	—

राम राजा तला (हावड़ा) और साल्ट लेक (कलकत्ता) के बीच भूमिगत रेल

3766. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा जिले में स्थित राम राजा तला से साल्ट लेक, कलकत्ता तक भूमिगत रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह प्रस्ताव किस अवस्था में है;

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) 1971-75 में व्यवहार्यता अध्ययन करने के पश्चात महानगरीय परिवहन परियोजना (रेलवे) ने कलकत्ता में मेट्रो रेल नेटवर्क को 3 चरणों में निर्माण करने की सिफारिश की। प्रथम चरण में उत्तरी-दक्षिणी कारीडोर में डम-डम से टालीगंज तक 1991 तक पूर्ण होने की आशा है। निर्माण के द्वितीय चरण में साल्टलेक सिटीराजाराम तला-पूर्वी-पश्चिमी का रिडोर शामिल है। द्वितीय चरण को स्वीकृति देने का निर्णय अभी नहीं लिया गया है। ऐसे किसी भी निर्णय के लिए, एक तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण आवश्यक होगा, जिसके लिए विभिन्न सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

मानव स्वास्थ्य पर सूखे का असर

3767. श्री डी. बी. पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सूखे से प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य पर सूखे के प्रभाव का अध्यन करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली द्वारा नियुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या ने उक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है,

(ग) यदि हाँ, तो अध्ययन दल की सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, हां। गंभीर रुप से सूखा पीड़ित राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद संस्थाओं के जरिए एक सर्वेक्षण किया गया था।

(ग) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) इस मामले में संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई करनी है।

विवरण

सिफारिशें

जनसंख्या के स्वास्थ्य और पोषण स्तर की ओर बिगड़ती हुई स्थिति पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाये जाते हैं :

1. सूखा राहत कार्य के अधीन 5 के परिवार (2 वयस्क और 3 बच्चे) में से कम से कम 2 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाए ताकि प्रति व्यक्ति 2000 कैलोरी की न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जा सके। जहाँ बड़े-बड़े परिवार (संयुक्त) हों वहां उसी के अनुरूप और अधिक सदस्यों को काम दिया जाए।

2. ग्रामवासियों के लिए एक उचित दर दुकान होनी चाहिए जहां पैदल आया जा सके।

3. जहां आबादी फैली हुई हो वहां लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करने के लिए उपयुक्त परिवहन का इस्तेमाल कर सचल वितरण की व्यवस्था की जाए।

4. स्थिति के अनुसार जहां अपेक्षित हो वहां सामुदायिक रसोईघर खोल दिए जाने चाहिए ताकि वृद्धों और दुर्बलों जैसे व्यक्तियों के लिए जो राहत कार्यों में भी भाग नहीं ले सकते, न्यूनतम आहार सुनिश्चित किया जा सके।

5. 2.25 कि. ग्रा. अनाज और 100 ग्राम दालों के एक परिवार के न्यूनतम राशन (5 सदस्यों के एक परिवार अथवा 4 उपभोक्ता इकाइयों के लिए) की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि प्रति वयस्क के लिए 2000 कैलोरी की ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यकताए पूरी की जा सके।

6. विशिष्ट पौष्टिक पदार्थों की आपूर्ति : सर्वेक्षण परिणामों से पता चलता है कि बहुत कम-मात्रा में स्वास्थ्य रक्षक आहार के खाने से विटामिन "ए" और आयरन की मात्रा में पर्याप्त खराबी आई थी। विटामिन "ए" की कमी से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों प्रभावों को देखते हुए निम्नलिखित नुस्खा सुझाया जाता है :—

(क) स्कूल पूर्व बच्चे : सभी स्कूल पूर्व बच्चों को हर छह महीने में विटामिन "ए" की 2000,000 आई. यू. की भारी खुराक दी जानी चाहिए। चलाए जा रहे कार्यक्रम को जहां यह कमजोर है, विशेषकर सूखे से आसानी से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सुदृढ़ किया जाना चाहिए। विटामिन "ए" की कम सप्लाई होने की स्थिति में 3 महीने में एक बार विटामिन "ए" की 100,000 आई. यू. की खुराक दी जा सकती है।

(ख) अन्य आयु वर्गों के लिए : राजस्थान सर्वेक्षण में वयस्कों के बीच रतौंधी और बाइ-टाट स्पाट्स की अधिक व्याप्तता का पता चला है। यदि विटामिन "ए" की कमी से

होने वाली रतौंधी और बाइटाट स्पाट्स की अधिक व्याप्तता देखने में आती है तो विटामिन "ए" की 50,000 आई. यू. की एक खुराक 3 महीने में एक बार सारी आबादी को सप्लाई की जानी चाहिए। तथापि, ये सावधान किया जाता है कि गर्भवती महिलाओं को विटामिन "ए" की बड़ी खुराकें देना सुरक्षित नहीं है। विटामिन "ए" की अधिक कमी की स्थितियों में गर्भवती महिलाओं को विटामिन "ए" की 50,000 आई. यू. दी जा सकती है। किसी भी वर्ग को को 3 महीने के समय के अन्दर विटामिन "ए" की अगली खुराक दोबारा नहीं दी जाए।

(ग) इसी भांति पौषनिक रक्ताल्पता पर काबू पाने के लिए फालिफर गोलियों के वितरण को न केवल सुदृढ़ किया जाना चाहिए बल्कि उसे अन्य आयु वर्गों में जैसे वयस्क पुरुष जहां रक्ताल्पता देखी गई है शुरू कर दिया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं

3768. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सम्पोषण, जल, शिक्षा आदि जैसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की भांति पर्याप्त मूलभूत सुविधाएं पूर्णरूप से उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण वे अपेक्षित परिणाम प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) उपकेन्द्रों प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का मोजूदा ढांचा जनता को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए है जिसमें पोषण और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सफाई तथा छोटे परिवार के आदर्श सहित स्वस्थ्य रहन-सहन के तरीके को अपनाना शामिल है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के लक्ष्य अन्य विकास संबंधित क्षेत्रों से पूर्णतया जुड़े हुए हैं।

कैंसर रोगियों के लिये पुनर्वास केन्द्र

3769. श्री राधाकान्त डिगाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कैंसर रोगियों के लिए कोई पुनर्वास केन्द्र खोला है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पुनर्वास केन्द्र कितने और कहां-कहां खोले गये हैं;

(ग) क्या कुछ पुनर्वास केन्द्र स्वयं सेवी एजेंसियों द्वारा खोले गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन एजेंसियों को दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) भारतीय कैंसर सोसायटी, बम्बई ने पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की है । इस प्रयोजन के लिए सोसाइटी को कोई सहायता नहीं दी गई है।

एड्स रोग निगरानी केन्द्र

3770. श्री सी. सम्बु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में एड्स रोग निगरानी केन्द्र कितने हैं तथा ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं और राज्यवार ऐसे कितने केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है?

(ख) क्या पर्यटक के रूप में भारत आने वाले एड्स रोग ग्रस्त विदेशी पर्यटकों पर कोई रोक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) तीस शहरों में पहले ही स्थापित किए जा चुके एड्स निगरानी केन्द्रों की संख्या और स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं । जब भी आवश्यकता पड़ेगी, इन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाएगी ।

(ख) और (ग) सभी विदेशियों/विदेशी पर्यटकों को जो एक वर्ष से अधिक अवधि तक भारत में रुकना चाहते हैं; एच. आई. वी. परीक्षण करवाना होता है। विदेशी मिशनों में कार्य कर रहे विदेशियों और पत्र सूचना कार्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी पत्रकारों को एड्स परीक्षण से छूट दी गई है ।

विवरण

राज्य	शहर	कार्य कर रहे निगरानी केन्द्रों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1. हैदराबाद	(i) उसमानिया मेडिकल कालेज
	2. तिरुपति	(ii) इंस्टिट्यूट आफ प्रीवेन्टिव मेडिसिन
	3. विशाखापत्तनम	(iii) मेडिकल कालेज
		(iv) आन्ध्र मेडिकल कालेज
बिहार	4 पटना	(v) राजेन्द्र स्मारक संस्थान
गुजरात	5. अहमदाबाद	(vi) आर. जे. मेडिकल कालेज

1	2	3
जम्मू व कश्मीर	6. श्रीनगर	(vii) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज
हिमाचल प्रदेश	7. शिमला	(viii) इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज
महाराष्ट्र	8. पुणे	(ix) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ वाइरालाजी
		(x) आमर्ड फोर्सेज मेडिकल कालेज
	9. नागपुर	(xi) गांधी मेडिकल कालेज
	10. बम्बई	(xii) आई. आई. एच.
		(xiii) बी. एम. सी.
		(xiv) एस. जी. एम. एम. सी.
मध्य प्रदेश	11. भोपाल	(xv) गांधी मेडिकल कालेज
	12. जबलपुर	(xvi) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र
	13. इंदौर	(xvii) सी. एच. आर. एच.
केरल	14. त्रिवेन्द्रम	(xviii) मेडिकल कालेज
मणिपुर	15. इम्फाल	(xix) क्षेत्रीय मेडिकल कालेज
उड़ीसा	16. भुवनेश्वर	(xx) क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र
	17. कटक	(xxi) एस. सी. बी. मेडिकल कालेज
तमिलनाडु	18. वेल्लोर	(xxii) क्रिश्चियन मेडिकल कालेज
	19. मदुरै	(xxiii) मदुरै मेडिकल कालेज
	20. मद्रास	(xxiv) आई. सी. एच.
उत्तर प्रदेश	21. लखनऊ	(xxv) के. जी. मेडिकल कालेज
	22. वाराणसी	(xxvi) इंस्टिट्यूट आफ मेडिकल साईंसेज
	23. आगरा	(xxvii) केन्द्रीय जालमा कुष्ट संस्थान
गोवा	24. पंजिम	(xxviii) गोवा मेडिकल कालेज
पांडिचेरी	25. पांडिचेरी	(xxix) जिपमेर
पंजाब	26. चंडीगढ़	(xxx) पी जी आई
कर्नाटक	27. बंगलौर	(xxxi) बंगलौर मेडिकल कालेज

1	2	3
हरियाणा	28. रोहतक	(xxxii) मेडिकल कालेज
दिल्ली	29. नई दिल्ली	(xxxiii) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
दिल्ली	दिल्ली	(xxxiv) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान
	नई दिल्ली	(xxxv) एन ए एम सी
	दिल्ली	(xxxvi) आई. ओ. पी.
पश्चिम बंगाल	30. कलकत्ता	(xxxvii) एस. टी. एम.
	कलकत्ता	(xxxviii) एन. आई. सी. ई. डी.

एक परिवार एक बच्चा का मानदण्ड

3771. श्री पी. कुलनदईवेलु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा मन्त्री करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि देश में सभी राज्यों द्वारा एक परिवार एक बच्चा के मानदंड को लागू किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विधेयक लाने का प्रस्ताव है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुरूप जन-आंदोलन के रूप में स्वैच्छिक आधार पर प्रोन्नत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्वीकारकर्ता को अपनी पसंद की उत्तम परिवार नियोजन विधि के जरिए दो बच्चों के मानक लड़का, लड़की या दोनों की माता-पिता की जिम्मेवारी को प्रोन्नत करना है। तथापि, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि अधिक उत्साहित दम्पत्तियों को, जो स्वेच्छा से अपने परिवार को एक बच्चे तक सीमित रखना चाहते हैं, नसबंदी सेवायें देने के बारे में सचेतन दृष्टिकोण अपनायें।

(ख) एक परिवार, एक बच्चे के आदर्श को कार्यान्वित करने के लिए कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

एन्फ्लुएंजा की रोकथाम के लिए लगाए जाने वाले टीके से नुकसान

3772. डा. टी. कल्पना देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्राप्त निष्कर्षों के अनुसार एन्फ्लुएंजा की रोकथाम के लिए लगाए जाने वाले टीके से अनुवांशिकी (जीन्स) की क्षति हो सकती है और गर्भस्थ शिशुओं के लिए वह घातक सिद्ध हो सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपयुक्त निष्कर्षों के संबंधों में कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) भारत में इनफ्लूएंजा के लिए कोई वैक्सी नहीं बनाई जाती है । भारत सरकार भी इनफ्लूएंजा के नियंत्रण के लिये किसी वैक्सीन का उपयोग नहीं कर रही है । तथापि, वैक्सीनों का विदेशों से आयात किया जा सकता है ।

भारत सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि इनफ्लूएंजा से बचाव के लिए लगाया जाने वाला टीका जीव्स को क्षति कर सकता है और गर्भस्थ शिशुओं के लिए घातक सिद्ध हो सकता है ।

दिल्ली में रैन बसेरे

[हिन्दी]

3773. **श्री मदन पाण्डे** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-1990 के दौरान दिल्ली में रैन-बसेरों के निर्माण के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के मलिन बस्ती स्कन्ध का लगभग 2000 व्यक्तियों के लिए वर्ष 1989-90 के दौरान 7 रैन बसेरों, यथार्त तुर्कमान गेट, मायापुरी, कीर्तिनगर, ओखला और वजीरपुर में एक-एक तथा आसफअली रोड पर 2 रैन बसेरों के निर्माण का प्रस्ताव है । इन रैन बसेरों में शौचालय/स्नानघर जल आपूर्ति, चटाइयां, कम्बल, पठन सामग्री तथा टेलीविजन सैट उपलब्ध कराए जाएंगे । लाभ-भोगियों से प्रत्येक रात्रि के लिए 50 पैसे से लेकर एक रुपये तक की नाममात्र राशि ली जाएगी ।

राज्यों में और अधिक अस्पताल खोलना

[अनुवाद]

3774. **श्री आर. एम. भोये** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के कितने अस्पताल चल रहे हैं,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की विभिन्न राज्यों में और अधिक अस्पताल खोलने के लिए कुछ योजनायें हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्यों में, विशेष रूप से महाराष्ट्रीय राज्य में खोले जाने वाले अस्पतालों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1.1.1988 की स्थिति के अनुसार स्वामित्व के आधार पर अस्पतालों तथा पलंगों की संख्या

क्रम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सरकारी		स्थानीय निकाय		निजी स्वैच्छिक संगठन		कुल		प्रति-पलंग सेवित आबादी
		अस्पताल	पलंग	अस्पताल	पलंग	अस्पताल	पलंग	अस्पाल	पलंग	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	आंध्र प्रदेश (1.1.86)	345	25251	4	46	266	11103	615	36400	1605
2.	अरुणाचल प्रदेश	13	675	—	—	1	135	14	810	947
3.	असम	108	10777	—	—	31	2978	139	13755	1699
4.	बिहार	208	19,652	1	49	90	8,519	299	28,220	2,876
5.	गोआ, दमण व द्वीप (1.1.86)	16	1781	—	—	79	1223	95	3004	400
6.	गुजरात	150	19,005	63	3,943	1,211	21,128	1,424	40,076	975
7.	हरियाणा	59	4,706	—	—	20	2,798	79	7,504	2,067
8.	हिमाचल प्रदेश	52	3,582	5	58	8	447	65	4,087	1,191
9.	जम्मू व कश्मीर	54	7,476	—	—	2	140	56	7616	918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	कर्नाटक	169	24,324	29	728	51	7,339	249	32,401	1,326
11.	केरल	159	29363	—	—	1804	44321	2053	73684	391
12.	मध्य प्रदेश	346	21,382	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	346	21,582	2,809
13.	महाराष्ट्र	442	47623	89	9503	1350	35837	1881	92963	775
14.	मणिपुर	17	1,261	—	—	3	70	20	1,331	1,267
15.	मेघालय (1.1.85)	9	1449	—	—	4	616	13	2065	714
16.	मिजोरम	7	605	—	—	2	300	9	905	712
17.	नागालैंड	31	1038	—	—	2	45	33	1083	943
18.	उड़ीसा	270	11,265	4	153	21	1,092	295	12,510	2,389
19.	पंजाब(1.4.87)	221	12,150	4	103	43	3,466	268	15,719	1,197
20.	राजस्थान	207	18,162	2	54	38	2,034	247	20,250	2,039
21.	सिक्किम	5	425	—	—	—	—	5	425	958
22.	तमिलनाडु	283	35849	7	479	73	9505	363	45833	1182
23.	त्रिपुरा	22	1,501	—	—	—	—	22	1,501	1,618
24.	उत्तर प्रदेश (1.1.86)	534	34267	42	985	159	12026	735	47278	2577
25.	पश्चिमी बंगाल	264	46727	22	609	126	6511	412	53847	1161

26. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	10	813	—	—	1	20	11	833	313
27. चण्डीगढ़	3	1,530	—	—	—	—	3	1,530	427
28. दादरा व नागर हवेली	1	50	—	—	—	—	1	50	2,480
29. दिल्ली	27	9,302	20	3,500	20	3,314	67	16,116	512
30. लक्षद्वीप	2	70	—	—	—	—	2	70	643
31. पांडिचेरी	8	2,291	—	—	2	150	10	2,441	289
कुल	4042	390552	292	20220	5497	175117	9831	585889	1351

नोट :— अनुपात पहली मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या के वार्षिक अनुमानों तथा जिस अवधि के आंकड़े हैं उसके अनुसार निकाला गया है।

कपड़े का उत्पादन

[हिन्दी]

3775. श्री दिनेश गोस्वामी :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान मिलों, हथकरघों और विद्युत करघों द्वारा निर्मित कपड़े के संभावित उत्पादन का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश और रोजगार को सुनिश्चित करने के लिये भी सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त सर्वेक्षण के आधार पर इस क्षेत्र में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की भावी योजना क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान वस्त्र उद्योग द्वारा क्षेत्रवार अनुमानित कपड़े का उत्पादन निम्नानुसार है :—

मिलियन मीटर में

मिल क्षेत्र	2911
विद्युत करघा क्षेत्र	6994
हथकरघा क्षेत्र	3665
योग :	13570

(ख) और (ग) सरकार के पास वस्त्र उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश संबंधी सही और प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी प्रत्येक क्षेत्र में अनुमानित रोजगार इस प्रकार है :—

(लाख में)

मिल क्षेत्र	11.81
हथकरघा क्षेत्र	48.22
विद्युत करघा क्षेत्र	50.95

(घ) सरकार समय समय पर वस्त्र उद्योग की स्थिति की समीक्षा करती है तथा इसकी उन्नति और विकास के लिए उपर्युक्त उपाय किए जाते हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की ढुलाई हेतु तटीय पोत-परिवहन का उपयोग

[अनुवाद]

3776. प्रो. के.वी थामस : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम का विचार खाद्यान्नों की ढुलाई सुगम बनाने के लिए तटीय पोत-परिवहन का उपयोग करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के लिए समिति

3777. श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियरों के लिए गठित द्वितीय "संवर्ग समीक्षा समिति" ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है,

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सिफारिशों के गोपनीय होने के कारण इस स्थिति में उन्हें उजागर नहीं किया जा सकता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

"नेशनल डेजर्ट पार्क, जैसलमेर (राजस्थान)"

[हिन्दी]

3778. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल डेजर्ट पार्क, जैसलमेर, राजस्थान के विकास के लिए अब तक व्यय की गई धनराशि का शीर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पार्क के अन्तर्गत वनों का विकास करने, बालू के टीलों को नियंत्रित करने तथा मरूस्थल का विकास करने में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त नेशनल डेजर्ट पार्क को विकसित करने का भावी कार्यक्रम क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) नेशनल डेजर्ट पार्क, जैसलमेर, के विकास के लिए अब तक खर्च की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) बालू के टीलों के नियंत्रण के लिए जैवीय हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए अब तक 8470 हेक्टेयर क्षेत्र को बन्द कर दिया गया है। भावी कार्यक्रम का उद्देश्य वास स्थलों का आगे और सुधार करना तथा उसकी अधिक सुरक्षा करना है।

विवरण

क्र.सं.	बजट शीर्ष	खर्च की मद	अब तक खर्च की गई राशि (लाख रुपयों में)	अभ्युक्ति
1.	3601 डी-2(4)(2)	क्षेत्रों को घेरना	25.03	
2.	—वही—	जन संरक्षण	11.35	
3.	—वही—	सुरक्षा	2.60	
4.	—वही—	उपकरण	0.80	
5.	—वही—	वाहन	3.70	

नगरों में कामकाजी महिलाओं के लिए आवास और शहरी विकास निगम की योजना

[अनुवाद]

2779. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा :**
श्री पी. एम. सईद :
श्री बनवारीलाल पुरोहित :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम ने हाल ही में देश के शहरी क्षेत्रों में अपना घर बनाने के लिए के लिये कामकाजी महिलाओं को मदद पहुंचाने हेतु किसी योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने में कितना खर्चा होगा;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) योजना की मुख्य-मुख्य बातें निम्न लिखित हैं :—

सहाधिकार नितान्त रूप से एकत्र महिला अर्थात, अविवाहित कानूनन अलग रह रही महिला, या विधवा के लिए होगा जिसे सहकारी ग्रुप आवास समिति के रूप में या राज्य प्राधिकरण या एक सामाजिक संगठन द्वारा चलाया जा रहा हो। सहाधिकार में रिहायशी एकक समिति के सदस्यों को किराया खरीद आधार पर आवंटित किए जाएंगे जिसके हडको द्वारा ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। एक आवंटिती की सदस्यता उसके द्वारा विवाह कर लिए जाने पर स्वयंमेव ही समाप्त हो जाएगी। मध्यम आय वर्ग की महिलाओं के सहाधिकार (कान्डोमिनियम) प्रत्येक इकाई में रसोईघर और शौचालय सहित एक या दो कमरे होंगे और उसका कुल क्षेत्र 35 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा। सहाधिकार में संयुक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ग) हडको 10 प्रतिशत (शुद्ध) ब्याज की रियायती दर पर 15 वर्षों में देय परियोजना लागत के 80 प्रतिशत तक वित्त उपलब्ध करायेगा। पुनः भुगतान की किस्तों को या तो समान किस्तों की विद्यमान पद्धति के अनुसार अथवा दूरदर्शी (टैलीस्कोपिक) पुनः भुगतान अनुसूची जिनमें समवेदी बढ़ोतरी अंगीकृत पुनः भुगतान की व्यवस्था है के अनुसार परिकलन किया जाएगा जिससे तुरन्त पुनः भुगतान का भार कम हो सकेगा। इसके कार्यान्वयन में वित्तीय अनुमान राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संगठन आदि के प्रत्युत्तर पर निर्भर होगा।

शिशु आहारों में ऐल्यूमिनियम के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

3780. श्री दोलतसिंह जी जडेजा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में शिशु आहारों में ऐल्यूमिनियम के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) विदेशों द्वारा ऐल्यूमिनियम के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य पर इसके पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में भी कोई अध्ययन किया गया है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा अध्ययन के निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) विदेशों में शिशु आहारों में एल्यूमिनियम के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में सरकार ने अभी तक कोई रिपोर्ट नही देखी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

"गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी"

3781. श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी, 1989 को "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "पाल्यु-शन फ्रोम प्राइवेट यूनिट्स टू बी चेक्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े एककों के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) देश में इस समय बिना पर्यावरणीय मंजूरी लिए चल रहे गैर-सरकारी एककों के नाम और संख्या क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नये उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं और उन्हें मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेज दिया गया है। दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि अधिनिर्धारित किए गए प्रदूषण फैलाने वाले 20 उद्योगों के लिए आफ इन्टेंट को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी जरूरी है। ये दिशा-निर्देश निजी क्षेत्र की परियोजनाओं पर भी लागू होते हैं। दिशा-निर्देशों में यह व्यवस्था है कि लैटर आफ इन्टेंट को निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने पर ही औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित किया जाए :—

1. राज्य के उद्योग निदेशक इस बात की पुष्टि करें कि परियोजना स्थल को पर्यावरणीय दृष्टि से सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2. उद्यमी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को वचन दे कि वह प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के लिए उपयुक्त उपकरण स्थापित करेगा और निर्धारित उपायों को कार्यान्वित करेगा।

3. सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह प्रमाणित कर दे कि प्रस्ताव पर्यावरणीय आवश्यकता के अनुकूल है और स्थापित किए गए या स्थापित किए जाने वाले उपकरण जरूरत के मुताबिक पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में विस्तृत प्रभाव मूल्यांकन तकनीकों के लिए क्षमताएं तैयार की जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए ऋण देते समय वित्तीय संस्थाएं इन पहलुओं को अवश्य ध्यान में रखें।

(ङ) बड़े पैमाने की निजी क्षेत्र की इकाइयों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति की शर्त को दिसम्बर 1984 से आगे अनिवार्य कर दिया है। इस शर्त का तब से अनुपालन किया जा रहा है।

"गोदावरी नदी की सफाई"

3782. श्री श्रीहरि राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गोदावरी नदी की सफाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण के समरूप एक बोर्ड का गठन करने का है; और

(घ) यदि हां, यो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) गंगा कार्यकारी योजना की तरह गोदावरी की सफाई की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, अन्य बड़ी नदियों की भांति गोदावरी में भी जल गुणवत्ता निगरानी और प्रदूषण-रोधी उपाय किए जा रहे हैं। गोदावरी की जल गुणवत्ता की निगरानी राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत स्थापित किए 22 निगरानी केन्द्रों के माध्यम से की जा रही है। नदी में प्रदूषण रोकने के लिए किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) उद्योगों को निदेश दिया जाता है कि वे एक निश्चित समय के भीतर बहिस्राव शोधन संयंत्र लगा लें और अपने बहिस्रावों को निर्धारित स्तर तक शोधित कर लें।

(2) उद्योगों को अपनी यूनिटें चलाने के लिए इस शर्त पर सहमति दी जाती है कि वे संतोषजनक प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपना लें।

(3) बड़ी दोषी इकाइयों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(ग) और (घ) फिलहाल केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण जैसा बोर्ड स्थापित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

अधिगृहीत की गई भूमि के बदले भूखण्ड

[हिन्दी]

3783. श्री भरत सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सभी किसानों को जिनकी भूमि सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में अधिगृहीत की गई थी वैकल्पिक भूखण्ड अब तक आवंटित नहीं किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब तक वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित किए जाएंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भूमि अधिग्रहण एक सतत् प्रक्रिया है और इस प्रकार सत्यापन के पश्चात दिल्ली प्रशासन से वैकल्पिक प्लाटों के आवंटन के लिए सिफारिशें निरन्तर दिल्ली विकास प्राधिकरण को मिलती रहती हैं। गत 3 वर्षों से सम्बन्धित 3388 व्यक्ति वैकल्पिक प्लाटों के आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्ष 1998-98 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण का लगभग 1030 व्यक्तियों को सुनिश्चित करने का विचार है।

आपान से चिकित्सा उपकरणों और सेवाओं का आयात

[अनुवाद]

3784. श्री मुरलीधर माने : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान से चिकित्सा उपकरण और सेवाएं आयात करने के लिए लाइसेंस देने की शर्तों के बारे में कोई अधिसूचना जारी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, हां। जापानी अनुदान सहायता ('87-88') तथा ('88-89') के अधीन जापान से चिकित्सा उपकरण आयात करने तथा सेवाओं के लिए लाइसेंस की शर्तों के संबंध में अधिसूचनाएं मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा उनकी 24 अक्तूबर, 1988 को सार्वजनिक सूचना संख्या 64 आई. टी. सी. (पी. एन.) 88-91 तथा 25 जनवरी, 1989 की सार्वजनिक सूचना संख्या 94 आई. टी. सी. (पी. एन.) 88-91 के तहत जारी की जा चुकी है।

इन अधिसूचनाओं में जापानी सहायता अनुदान के अधीन क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रौद्योगिकी उपकरण के सुधार के लिए जापान से उपकरण आयात करने के लिए लाइसेंस की शर्तों और इसके लिए अपनाई जाने वाली क्रियाविधि का निर्धारण किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण को तीन विभागों में बांटना

[हिन्दी]

3785. श्री शान्ति धारीवाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को तीन विभागों में बांटने के निर्णय को लागू करने हेतु कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा;

(ग) आवास के लिए भूमि के विकास तथा उन पर मकानों के निर्माण हेतु स्थापित की जाने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार मकानों की कमी को दूर करने के लिए भूमि विकास का उत्तरदायित्व गैर-सरकारी एजेंसियों को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण से आवास विभाग तथा मलिन बस्ती स्कन्ध को अलग करने और एक आवासीय विकास बोर्ड तथा एक मलिन बस्ती उन्मूलन एवं सुधार बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक कानून बनाया जा रहा है तथा आशा है कि यह प्रक्रिया आगामी छः महीनों के अन्दर पूरी हो जाएगी। अर्जित भूमि का प्रबन्ध तथा विकास दिल्ली विकास प्राधिकरण का एक प्रमुख कार्य है तथा ये कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास ही रहेंगे। मकानों के निर्माण का उत्तरदायित्व आवासीय विकास बोर्ड को सौंपा जायेगा। जहां तक भूमि के विकास में निजी अभिकरणों को शामिल करने का संबंध है, इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मोतीबाग अस्पताल के एक्सटेन्सन ब्लाक का निर्माण

[अनुवाद]

3786. श्री के. रामचन्द्र रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोती बाग अस्पताल के तीन मंजिला एक्सटेन्सन ब्लाक का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो एक्सटेन्शन ब्लाक पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसके लिए कोई सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) एक्सटेंशन ब्लाक की प्रारम्भिक अनुमानित लागत 79,51,600/-रु. है।

(ग) जी, हां।

(घ) यह प्लान योजना के विरुद्ध है और यह व्यय भारत सरकार के अनुदान से वहन किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र क अन्तर्गत 1988-89 में नई दिल्ली नगर पालिका की वार्षिक योजना में 35.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

"कर्नाटक सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए ब्रिटेन की सहायता"

3787. श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन का "ओवरसीज डिवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन" कर्नाटक सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए सहायता देने के सहमत हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले पर ब्रिटेन की सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो "ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन" द्वारा कुल कितनी धनराशि की सहायता दिये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कर्नाटक में एक सामाजिक वानिकी प्रायोजना जिसे 1983-84 में सर्वप्रथम पांच वर्षों की अवधि के लिए आरम्भ किया गया था, के लिए ब्रिटेन का ओवरसीज डिवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओ.डी.ए) संयुक्त रूप से वित्त व्यवस्था कर रहा है। भारत सरकार के अनुरोध पर हाल ही में ओ.डी.ए. द्वारा प्रायोजना को मार्च, 1990 तक आगामी दो वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। प्रायोजना का कुल परिव्यय 56.6 मिलियन अमेरिकी डालर था, जिसमें से ओ.डी.ए. द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल अनुदान राशि 23.0 मिलियन अमेरिकी डालर है।

पोली-जूट पैकिंग के विरुद्ध अभ्यावेदन

3788. श्री वाई. एस. महाजन : या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया फ्लैट टैप मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ने सीमेंट के लिए पोली जूट पैकिंग आरम्भ करने के विरोध में अभ्यावेदन दिया है क्योंकि पहले से ही कम प्लास्टिक वोन सैक्स के हिस्से को जूट (पटसन) मिल उद्योग द्वारा इस्तेमाल किए जाने का खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं। उठाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) इस विषय पर इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के कामगारों को भुगतान

3789. श्री जनक राज गुप्त : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल 1987 से ईराक में नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एन.बी.सी.सी) के लिए कार्यरत कामगारों और इसके कर्मचारियों को इनकी मजदूरी के कुछ भाग

का भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया गया था और मजदूरी के अधिकांश भाग का भुगतान जो रुपये किया जाना था, अभी किया जाना है;

(ख) क्या एक वर्ष से अधिक समय से पूर्व वित्तीय संस्थाओं ने इस हेतु रुपये में ऋण के भुगतान की मंजूरी दे दी थी लेकिन एन.बी.सी.सी. द्वारा सरकारी गारंटी न दिये जाने के कारण इसे जारी नहीं किया जा सका;

(ग) क्या ग्राहकों द्वारा समय पर भुगतान न किये जाने के बावजूद कामगारों और कर्मचारियों का समय पर मजदूरी का पूरा भुगतान करना होता है;

(घ) यदि हां, तो अभी तक मजदूरी का भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) कामगारों को बकाया मजदूरी का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। वित्तीय संस्थानों द्वारा एक वर्ष से अधिक समय पहले प्रदान किये गये अनुमोदन में अप्रैल 1987 से सितम्बर, 1987 तक की अवधि के लिए मजदूरी के रुपये का भुगतान शामिल है।

(ग) जी हां, । सामान्य परिस्थितियों में।

(घ) ईराक सरकार के साथ 'आस्थगित भुगतान करार" के निष्पादन के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा किये गये कार्यों के लिये भुगतान एक चरणबद्ध रूप में केवल ग्राहकों द्वारा ही किया जाता है। वित्तीय संस्थानों से ऋण में वृद्धि के लिये सरकार की गारन्टी प्राप्त करने के लिये औपचारिकताएं पूर्ण न किये जाने के कारण राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम मजदूरी (अप्रैल 87 से) के रुपये में भुगतान भाग को मंजूर नहीं कर सकता।

(ङ) अपेक्षित औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा अपेक्षित ऋण वृद्धि के शीघ्र पश्चात।

"राष्ट्रीय पार्कों तथा अभ्यारण्यों पर अवैध कब्जा"

3790. **डा दिग्विजय सिंह :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से राष्ट्रीय पार्कों, अभयारण्यों, आरक्षित और संरक्षित वनों में अवैध कब्जे के बारे में किए गए मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें से कितने व्यक्ति शामिल पाये गये हैं; और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

गन्दी बस्तियों के निवासियों से ज्ञापन

3791. श्री पी.एम. सईद : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को राजधानी के गन्दी बस्तियों के निवासियों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन सुझावों पर क्या कार्यवाही की है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय झुग्गी-झोंपड़ी पुनर्निर्माण समिति के महासचिव द्वारा दिल्ली के उप-राज्यपाल को दिये गये ज्ञापन में मकान, नागरिक सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, बिजली, राशन कार्ड, स्वास्थ्य और शिक्षण सुविधा जैसी मूलभूत मानव आवश्यकताओं की व्यवस्था करने की मांग की गई है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण का स्लम विंग झुग्गी स्लम समूहों में पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत न्यूनतम मूलभूत नागरिक सुविधाएं मुहैया कर रहा है। अब तक प्रसाधन, स्नानगृह, जल आपूर्ति, चटाईयां और कम्बल तथा टेलीविजन सैटों वाले भुगतान पर उपयोग (पे एण्ड यूज) जन सुविधा के 72 कम्प्लेक्सों की व्यवस्था की गई है। 8 जनसुविधा कम्प्लेक्सों के निर्माण हेतु कार्य प्रगति पर है। 300 झुग्गी बस्तियों में, 5428 पथ प्रकाश (बत्तियां) की व्यवस्था की गई है तथा शेष बस्तियों/समूहों के लिए कार्य चल रहा है। 259 झुग्गी बस्तियों/समूहों में 948 नलिका की ओर से पानी के नल पहले ही लगाए जा चुके हैं और 52 झुग्गी समूहों/बस्तियों में 113 गहरे हैण्ड पम्प लगाये गए हैं। 92 झुग्गी समूहों/बस्तियों में 219 गहरे हैण्ड पम्प लगाने का कार्य प्रगति पर है। अन्य 190 हैण्ड पम्प मुहैया करने का कार्य आयोजना अवस्था पर है। ढलाव/कूड़ादान दिल्ली नगर निगम द्वारा मुहैया किये जा रहे हैं।

आवासीय पंजीकरण योजना, 1985 के अन्तर्गत 1264 फ्लैट आवंटित किए गए हैं। 2226 फ्लैटों का कार्य प्रगति पर है। स्लम क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों के लिए भूमि का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण करता है। राशन कार्ड जारी करना शहरी विकास मन्त्रालय का विषय नहीं है।

"केरल में पनबिजली परियोजना"

3793. श्री सुरेश कुरुप : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में एक विशेषज्ञ दल ने केरल में एक वैकल्पिक पनबिजली परियोजना की संभाव्यता का अध्ययन करने के लिए केरल में शान्त घाटी (साइलेंस वैली) का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) मन्त्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक दल ने फरवरी, 1989 में पालक्कुझी बेसिन में दो जल-विद्युत परियोजनाओं की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए केरल का दौरा किया था न कि शांत घाटी क्षेत्र मे स्थित जल विद्युत परियोजना का आकलन करने के लिए।

स्वास्थ्य रक्षा संगठनों की प्रबन्ध व्यवस्था सम्बन्धी राष्ट्रीय विचार गोष्ठी द्वारा की गई सिफारिशें

3794. श्री के. राममूर्ति : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य रक्षा संगठनों की प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी फरवरी, 1989 के पहले सप्ताह में मद्रास में आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो विचार गोष्ठी में क्या-क्या सिफारिशें की गईं; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रीनिवास मिल और खानदेश मिल के अधिग्रहण का प्रस्ताव

3795. डा. दत्ता सामन्त : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को श्रीनिवास मिल और खानदेश मिल का अधिग्रहण करने के के लिए महाराष्ट्र सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को यह प्रस्ताव कब प्राप्त हुआ था और इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) जी हां। चूंकि महाराष्ट्र सरकार श्रीनिवास मिल तथा खानदेश मिल के अधिग्रहण के संबंध में मूल प्रस्ताव में संशोधन कर रही है अतः इस समय केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

दिल्ली में उचित दर दुकानों के चीनी के कोटे में कटौती

[हिन्दी]

3796. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में उचित दर दुकानों के चीनी के कोटे में कटौती की जानकारी है, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में चीनी के मूल्यों में वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) चीनी के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) दिल्ली में उचित दर की दुकानों को आवंटित किए जाने वाले चीनी के कोटे में कोई कमी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटित किए गए कोटे के अलावा हर महीने खुली बिक्री की चीनी भी पर्याप्त मात्रा में निर्मुक्त की जाती है, ताकि उचित मूल्यों पर उसकी उपलभ्यता सुनिश्चित की जा सके।

आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से पीड़ित लोग

3797. **डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती गाजीपुर और गोरखपुर जिलों में आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों से पीड़ित रोगियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस बीमारी से पीड़ित पाए गए रोगियों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोई उपचारात्मक अथवा निवारक उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती और गोरखपुर जिलों में किए गए सर्वेक्षणों से पता चलता है कि आयोडीन की कमी के कारण गलगण्ड की घटनायें बस्ती में 20 प्रतिशत और गोरखपुर में 18.6 प्रति है। राज्य सरकार द्वारा आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों की विशालता का आकलन करने के लिए 1989-90 के दौरान गाजीपुर जिले में भी सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने खाद्य नमक के व्यापक आयोडीकरण की एक स्कीम चरणवार ढंग से आरंभ की है जो 1992 तक पूरी होगी। उत्तर प्रदेश में गलगण्ड नियंत्रण का विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में से एक है जो कि एक मिशन के तौर पर लागू की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 2 अक्तूबर, 1987 से सारे राज्य में आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में नमक के आयोडीकरण पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा निगरानी रखी जा रही है। मूत्र मार्ग से आयोडीन उत्सर्जन संबंधी पैटर्न का अध्ययन जिससे लोगों के आयोडीन पोषण संबंधी स्तर का अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता है, यादृच्छिक रूप से

चुने हुए सोलह जिलों में किया गया था जिनमें बस्ती और गोरखपुर जिले भी शामिल थे और इससे उत्तर प्रदेश के लोगों के आयोडीन पोषण स्तर में पर्याप्त सुधार का पता चला है। बस्ती जिले में पैदा होने वाले नए बच्चों में अवटु अल्पक्रियता पर नवजातों पर की गई जांच से भी आयोडीन की कमी से होने वाली नवजात अवटु अल्पक्रियता की घटनाओं में काफी कमी हुई है। अक्तूबर, 1987 में खाद्य नमक के व्यापक आयोडीकरण के बाद से उत्तर प्रदेश में लोगों के आयोडीन पोषण स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

राष्ट्रीय गलगण्ड नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रैल, 1988 से जनवरी, 1988 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश को 4.97 लाख टन आयोडीकृत नमक की आपूर्ति की गई है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्रशिक्षण भत्ता

[अनुवाद]

3798. **श्री गंगा राम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशिक्षण भत्ता 30 प्रतिशत कर दिए जाने के बाद केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशिक्षण संस्थान में कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों की संख्या 9 से घटाकर 3 कर दी गई है और इस प्रकार 6 कनिष्ठ अभियन्ताओं को 30 प्रतिशत भत्ते से वंचित कर दिया गया है;

(ख) क्या अन्य पदों को कम नहीं किया गया है;

(ग) छः कनिष्ठ अभियन्ताओं के रिक्त पद कब तक भरे जाएंगे; और

(घ) एक विवरण संलग्न है।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्र (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशिक्षण संस्थान में कनिष्ठ इंजीनियर अथवा किसी अन्य पद की स्वीकृत स्टाफ संख्या में कोई कटौती नहीं की गई है।

(ग) सभी स्तरों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की संशोधित प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुकूल इस संस्थान के पुनः संरचना करने के संदर्भ में संकाय की स्टाफ संख्या के पुनरीक्षण किये जाने के बाद ही खाली पदों को भरने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	पदनाम	पदों की स्वीकृत संख्या	विद्यमान पद
1	2	3	4
1.	मुख्य इंजीनियर	1	2
2.	अधीक्षक इंजीनियर	2	2
3.	कार्यपालक इंजीनियर	5	5

1	2	3	4
4.	उप निदेशक (सी.एस.एस.)	1	—
5.	सहायक इंजीनियर (एक लीव रिजर्व सहित)	8	7
6.	कनिष्ठ इंजीनियर	9	3
7.	अनुभाग अधिकारी	1	1
8.	आशुलिपिक (ग्रेड-बी.)	1	1
9.	आशुलिपिक (एस.जी.)	1	1
10.	आशुलिपिक (ओ.जी.)	4	4
11.	उच्च श्रेणी लिपिक	4	4
12.	अवर श्रेणी लिपिक	8	8
13.	जे.ए.ओ./डी.ए	4	3
14.	लाइब्रेरियन	1	—
15.	स्टाफ कार ड्राईवर	1	1
16.	ड्राफ्टसमेन, ग्रेड-11	1	—
17.	दफ्तरी/चपरासी/संदेश वाहक	7	7
18.	चौकीदार	1	1
19.	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1	1
20.	सफाईवाला	1	1
21.	फराश	1	1
22.	बरकंदाज	1	1
23.	गैस्टेटनर आपरेटर	1	1

"भारतीय वन (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन"

[हिन्दी]

8999. श्री हरीश रावत :
प्रो. रामकृष्ण मोरे
श्री बनवारी लाल परोहित

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रधान मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारतीय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबन्धों पर पुनर्विचार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का विचार है,

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए प्रतिनिधि भी इस समिति के सदस्य होंगे; और

(ग) यदि हां, तो समिति का गठन कब तक किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) संरक्षण की व्यापए आवश्यकताओं तथा वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विकासात्मक आकांक्षाओं को बेहतर रूप से परिपूर्ण करने के लिए सरकार का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के कार्यान्वियन से सम्बन्धित पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) समिति गठन और अन्य ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन

[अनुवाद]

3800. **प्रो. रामकृष्ण मोरे :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री के. राममूर्ति :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता उत्पादों के गुणवत्ता नियन्त्रण के लिए एवं अनैतिक व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण को रोकने के लिए इस कार्य में स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वयं सेवी उपभोक्ता संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने, राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वे स्वयं सेवी उपभोक्ता संगठनों को प्रोत्साहन दें, और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को क्या सहायता देने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) देश में लगभग स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे कुछ उपभोक्ता संगठनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न मंचों पर राज्य सरकारों से, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है। उन्हें यह भी सुझाव दिया गया है कि वे राज्य परिषदों में उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर सरकारी सदस्यों को प्रतिनिधित्व दें।

(घ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, उपभोक्ताओं तथा स्वैच्छिक उपभोक्ता संघठनों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर संगोष्ठियाँ आयोजित करने के वास्ते वित्तीय सहायता मुहैया कराती है।

विवरण

1. सिटीजन्स एलायन्स काउंसिल फोर प्राइम मिनिस्टर्स 20 प्वाइंट प्रोग्राम
   मोरेई सेक्टर ।
2. विशाखा कंज्यूमर्स काउंसिल,
   विशाखापट्टनम ।
3. कंज्यूमर गाइडेन्स सोसाईटी आफ जमशेदपुर,
   जमशेदपुर ।
4. कंज्यूमर्स फोरम,
   चंडीगढ़ ।
5. कॅज्यूमर्स फोरम, (रजि.)
   नई दिल्ली ।
6. कांमन काज, नई दिल्ली ।
7. कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी आफ इंडिया (गोवा शाखा), पंजिम ।
8. कंज्यूमर वेलफेयर एसोसियेशन आफ हरियाणा, पलवल ।
9. कर्नाटक कंज्यूमर सर्विस सोसाइटी, बंगलौर ।
10. केरल स्टेट कंज्यूमर गाइडेंस सोसाईटी, कोचीन ।
11. उपभोक्ता हितचिंतक समिति, इंदौर ।
12. कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी आफ इंडिया बंबई ।
13. उड़ीसा कंज्यूमर्स एसोसिएशन, कटक ।
14. सरहिंद कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन फोरम, सरहिंद सिटी ।
15. आल इंडिया कंज्यूमर काउंसिल, पोंडिचेरी ।
16. कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसाइटी, जयपुर ।
17. कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन काउंसिल, तिरुचिरापल्ली ।
18. कंज्यूमर ऐजूकेशन एंड रिसर्च सेन्टर, अहमदाबाद ।
19. कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन ऐसोसिएशन, अगरतला ।
20. महिला उपभोक्ता परिषद, हापुड़ ।
21. कंज्यूमर्स एक्शन, फोरम कलकत्ता ।

पानी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए क्लोराइड घोल की सप्लाई

3801. **श्री राम भगत पासवान :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1988-98 में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पानी से होने वाली रोगों की रोकथाम के लिए क्लोराइड घोल की सप्लाई की है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, नहीं, तथापि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पानी से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए क्लोराइड घोल स्वयं आधार से खरीदते हैं।

औद्योगिक संबंध आयोग की स्थापना

3802. **श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने औद्योगिक संबंध आयोग स्थापित किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) औद्योगिक संबंध आयोग कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, अन्यों के साथ-साथ औद्योगिक संबंधों को बनाए रखने के लिए नये स्थापनों के भाग के रूप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 ख के अधीन औद्योगिक संबंध आयोग स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इन आयोगों में न्यायायिक तकनीकी सदस्य होंगे। तकनीकी सदस्य उनमें से लिए जाएंगे जो उद्योग, श्रम या प्रबंध के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। इन आयोगों को औद्योगिक विवादों (श्रम न्यायालयों को सौंपे गये विवादों के अलावा) के न्याय निर्णयन तथा श्रम न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के कार्य सौंपे जाने का प्रस्ताव है। व्यवसाय संघ तथा औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1988 जिसमें ऐसे आयोग स्थापित किए जाने की व्यवस्था की गई है, 13 मई, 1988 को राज्य सभा में पेश किया गया था और अब यह संसद के समक्ष है।

केवल सरकारी क्षेत्र की औषध कम्पनियों से ही औषधियों की खरीद

3803. **श्री विष्णु मोदी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य विभागों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा गैर-सरकारी औषध कम्पनियों को अपने खरीद कार्यक्रम की सभा से अलग रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस प्रतिबन्ध के फलस्वरूप सरकारी क्षेत्र की औषध कम्पनियों में एकाधिकार पनपने और उनके द्वारा औषधियों के अधिक मूल्य वसूल किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) पूर्ति मंत्रालय से सूचना एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गंदी बस्तियों के निवासियों को चिकित्सा सुविधायें

[हिन्दी]

3804. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दिल्ली में गन्दी बस्तियों के निवासियों को उनके घरों के पास चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितनी चल-चिकित्सा डिस्पेन्सरियां कार्य कर रही हैं और उनमें कितने डाक्टर तथा अन्य चिकित्सा कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं;

(ग) क्या इन चल-डिस्पेन्सरियों में सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में से प्रत्येक में गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिए यह योजना लागू करने का है; यदि हां, तो कब से; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में चिकित्सा संबंधी सुविधाएं अस्पतालों, औषधालयों पोली-क्लीनिकों, जच्चा और बच्चा स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए उपलब्ध की जा रही हैं।

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 652 झुग्गी झोपड़ी कालोनियां हैं। झुग्गी झोपड़ी कालोनियों के के निवासियों को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने बीस मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिक शुरू किए है। यह मोबाइल स्वास्थ्य योजना 18.2.1989 को शुरू की गई थी।

प्रत्येक मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक में एक डाक्टर, एक जन स्वास्थ्य नर्स, एक फार्मासिस्ट और दो परिचारक तैनात होते हैं। इस योजना के अन्तर्गत साठ स्वास्थ्य दल कार्य कर रहे हैं।

प्रत्येक दल झुग्गी झोपड़ी कालोनियों के निवासियों को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सप्ताह में दो दिन कार्य करता है। शेष 4 दिनों के दौरान ये स्वास्थ्य दल स्कूल स्वास्थ्य क्लिनिकों में कार्य करते हैं।

मोबाइल स्वास्थ्य क्लीनिकों के जरिए दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा में (1) औषधियों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की व्यवस्था (2) आपात प्राथमिक सहायता परिचर्या और (3) स्वास्थ्य शिक्षा होती है। जिन रोगियों को विस्तृत जांच और विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता होती है, उन्हें पास के अस्पताल में भेज दिया जाता है।

राज्यों में झुग्गी झोपड़ी कालोनियों के निवासियों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। यदि संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों से वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो संघ राज्य क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी कालोनियों के निवासियों को मोबाइल यूनिटों के जरिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

खाड़ी के देशों में तथा भूमध्य सागरीय देशों में भारतीय कामगार

3805. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी के देशों में तथा भूमध्य सागरीय देशों में कुल कितने भारतीय कामगार कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या भारतीय श्रमिकों की भर्ती को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किसी देश के साथ कोई समझौता किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ईरान और इराक ने अपने देशों के लिए श्रमिकों की भर्ती हेतु भारत के साथ बातचीत की है यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन (मालवीय) : (क) से (ग) खाड़ी के देशों तथा भूमध्य सागरीय देशों में काम कर रहे भारतीय कामगारों की सही संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। लगभग दस लाख भारतीय कामगार मध्य पूर्व क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारत और जोर्डन में 22. 0.1988 को जनशक्ति संबंधी समझौता ज्ञापन पर दिल्ली में हस्ताक्षर हुए थे। वर्ष 1986 में कतार के साथ वैसे ही द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किये गये थे ताकि उक्त देश में भारतीय कामगारों के प्रवेश को विनियमित किया जा सके।

अपर प्रशिक्षण निदेशकों के लिए भर्ती नियम

3806. प्रो. एम. आर. हाल्दर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपर प्रशिक्षण निदेशकों/क्षेत्रीय निदेशकों और निदेशक के पदों के लिये भर्ती की प्रक्रिया पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती द्वारा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति की इस प्रक्रिया का वर्ष, 1987 और 1988 के दौरान पालन नहीं किया गया था; और

(ग) यदि हां तो क्या शेष पदों को सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरा जा रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, नहीं/अपर निदेशक, प्रशिक्षण, क्षेत्रीय निदेशक और निदेशक के पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया पदोन्नति द्वारा है, ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पकालीन अनुबंध सहित) या पुनः नियुक्ति द्वारा तथा ऐसा न होने पर सीधे भर्ती द्वारा है।

(ख) भर्ती नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का वर्ष, 1987 तथा 1988 के दौरान पालन किया गया था।

(ग) जी नहीं। रिक्त पदों को सीधे भर्ती द्वारा नहीं भरा जा रहा है क्योंकि पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारी उपलब्ध हैं।

संदूषित ग्लूकोज के इस्तेमाल से हुई मौतें

3807. श्री महेन्द्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और दिल्ली के बाहर सरकारी अस्पतालों में संदूषित अथवा नकली ग्लूकोज चढ़ाने के कारण वर्ष 1988-89 के दौरान कितने रोगियों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या ग्लूकोज बोतलों का कोई विशिष्ट बैच संदूषित पाया गया था और यदि हां, तो उसके निर्माता का क्या नाम था; और

(ग) इस बैच की बोतलों को वापिस लेने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं और निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) दिल्ली के केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों से वर्ष 1988-89 के दौरान ग्लूकोस के संदूषित होने से कोई मौत होने की सूचना नहीं मिली है। स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण इस बारे में राज्यों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान दिल्ली के किसी भी केन्द्रीय सरकार के अस्पताल के किसी वार्ड/विभाग से कोई संदूषित बैच पाये जाने की सूचना नहीं मिली है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रुई निगम के निदेशक मंडल में कपास उत्पादकों का प्रतिनिधित्व

3808. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की कपास उत्पादक सहकारी समितियों ने भारतीय रुई निगम के निदेशक मंडल में उन्हें प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) भारतीय रुई निगम के निदेशक मण्डल में प्रतिनिधित्व के लिये गुजरात में रुई उत्पादक सहकारी समितियों को अभी हाल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में लोगों की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय दल

3809. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के ग्राम पंचायत मेरी कोटे ब्लाक सिरोडा में अज्ञात बीमारी से अनेक व्यक्तियों को अधिकांशतः आदिवासियों और बच्चों की मृत्यु हो गई और यह बीमारी अन्य क्षेत्रों में फैल रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है ?

(ग) क्या उड़ीसा के चिकित्सक इस बीमारी का पता लगाने में असमर्थ हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इसकी जांच के लिये और उपचार के संबंध में सुझाव देने के लिये विशेषज्ञों का दल भेज रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार उड़ीसा के गंजम जिले के ग्राम पंचायत मेरीकोटे के सिरोडा ब्लाक में आदिवासियों और बच्चों की अज्ञात बीमारी से कोई मौत नहीं हुई है। तथापि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा की गई जांच से पिछले पांच माह के दौरान पंचायत के ग्राम गोचा मेरीकोटे ग्राम (सलिया में में 13 मौतों का पता चला जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

मलेरिया—	7
जठरान्त्रशोथ—	3
नवजातशिशु—	2
अन्य बीमारियां—	1

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सभी उपचारात्मक एवं निवारक कदम उठाए गए हैं।

एक विशेष दल ने जिसमें जिला चिकित्सा अधिकारी (जन स्वास्थ्य), कार्य चिकित्सा के विशेषज्ञ थे, मलेरिया अधिकारी के साथ प्रभावित इलाके का दौरा किया तथा निवारक उपाय बरते। ज्वर से पीड़ित रोगियों को संभावित एवं मूल उपचार प्रदान किया जा रहा है। उपयुक्त कीटनाशक सहित विशेष छिड़काव कार्य चलाया जा रहा है। इस क्षेत्र में चिकित्सा कार्मिकों का एक विशेष दल रखा गया है। चूंकि स्थिति अब पूर्ण नियंत्रण में है, इसलिये ऐसी स्थिति में विशेषज्ञों का केन्द्रीय दल उड़ीसा भेजने की आवश्यकता नहीं है।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी विकास कुंज की आय और व्यय खाते में अनियमिततायें

[हिन्दी]

3810. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी, विकास कुंज के आय और व्यय खाते में अनियमितताओं के बारे में समूह आवास समितियों के पंजीयक को शिकायत की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 की धारा 55 के तहत समिति के कार्यों में कथित अनियमितताओं की जांच-पड़ताल प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 1972 की धारा 54 के तहत समिति के लेखाओं के लिए निरीक्षण भी किए गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब को पामोलीन की सप्लाई

[अनुवाद]

3811. **श्री कमल चौधरी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान पंजाब को पामोलीन खाद्य तेल कितनी मात्रा में सप्लाई किया गया,

(ख) क्या पंजाब में पामोलीन खाद्य तेल की कम सप्लाई की गई और लोगों को कई महीनों तक इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी जबकि यह दिल्ली में भारी मात्रा में उपलब्ध था; और

(ग) यदि हां, तो पंजाब की खाद्य तेल की पूर्ण मांग पूरी न किए जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) मांग व आपूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा खाद्य तेलों का आयात किया जाता है और उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है। पंजाब ने वर्ष 1988 के लिये 21,800 मी. टन आयातित खाद्य तेल की मांग की थी। तथापि,खुले बाजार में देशीय खाद्य तेलों की उपलब्धता तथा उनके मूल्य, सरकार के पास उपलब्ध आयातित तेल के स्टाक, राज्यों द्वारा तेलों को उठाने की गति, आदि जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए पंजाब को 1988 के दौरान ताड़ के तेल/पामोलीन की 15,890 मी. टन मात्रा आवंटित की गई थी, जिसमें से राज्य सरकार केवल 6,329 मी. टन मात्रा उठा पाई है। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को पंजाब की तुलना में अधिक आवंटन किया गया क्योंकि दिल्ली भारी शहरी आबादी वाला महानगर और गैर-तिलहन उत्पादक राज्य हैं तथा दिल्ली की आयातित खाद्य तेल उठाने की गति भी पंजाब की तुलना में बेहतर है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उपभोक्ता बोर्ड को संरक्षण

3812. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के उपबन्ध अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह पर लागू है,

(ख) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उपभोक्ता संरक्षण प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठन विद्यमान हैं, यदि हां, तो पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या पोर्ट ब्लेयर के जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में उपभोक्ता संरक्षण बोर्ड गठित किया गया है, यदि हां, तो बोर्ड के सदस्यों के नाम तथा उनके व्यवसाय का ब्यौरा क्या है, और

(घ) बोर्ड के उन सदस्यों का ब्यौरा क्या है और जो उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों के सदस्य अथवा पदाधिकारी भी हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) अंडमान व निकोबार द्वीप समूह द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उक्त द्वीप समूह में निम्नलिखित सुप्रसिद्ध स्वैच्छिक संगठन कार्य कर रहे हैं :

(1) नेहरू युवक केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर

(2) सीटीजन्स एलायन्स कांसिल फार प्राइम मिनिस्टर्स 20 प्वाइंट प्रोग्राम जंगलीघाट पोर्ट ब्लेयर

(3) अंडमान एंड निकोबार कन्जूमर्स काउंसिल, पोर्ट ब्लेयर

(4) महिला मदद कोआपरेटिव सोसायटी लि., पोर्ट ब्लेयर

(5) आल इंडिया फूड काउंसिल, पोर्ट ब्लेयर

(ग) अण्डमान व निकोबार प्रशासन द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत गठित जिला प्रतितोष मंचों के सदस्यों का ब्यौरा तथा उनकी जीविका जीविका/व्यवसाय नीचे दिया गया है :—

अंडमान जिला

1. जिला व सत्र न्यायाधीश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, अंडमान चेम्बर आफ कामर्स, पोर्ट ब्लेयर	सदस्य
3. श्रीमती रफत सिद्दकी, नगर पार्षद, पोर्ट ब्लेयर	सदस्य

निकोबार जिला

1. जिला व सत्र न्यायाधीश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	अध्यक्ष
2. कार निकोबार में मूस गांव का प्रथम कप्तान	सदस्य
3. श्रीमती जया प्रभा, प्रदेश परिषद की सदस्य	सदस्य

(घ) अंडमान व निकोबार प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार मंचों का कोई भी सदस्य पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों का पदाधिकारी नहीं है।

होम्योपैथी के लिए नई योजनाएं

3813. श्री बालका लोवांग : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान होम्योपैथी को लोकप्रिय बनाने हेतु नई योजनायें शुरू की गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बसंत विहार में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग काम्पलेक्स में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलना

[हिन्दी]

3814. श्री जगदीश अवस्थी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के निवास क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

(ख) क्या सरकार का लोक निर्माण विभाग काम्पलेक्स बसंत विहार, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक औषधालय खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सेवाओं वाले शहर में एक नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने के लिए 3 कि. मी. के आस-पास के क्षेत्र में 2000 से 2500 तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का होना एक बुनियादी जरूरत है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यह इलाका किसी नए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, औषधालय के खोले जाने के मानदंडों को पूरा नहीं करता।

'सर्जरी वर्कशाप औपन्ड' शीर्षक से समाचार

[अनुवाद]

3815. श्री सांपन्न सिंह मलिक :
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मार्च, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सर्जरी वर्कशाप औपन्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्कशाप में जिन विषयों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है और यदि कोई सिफारिशें की गई हैं, तो वे क्या हैं; और

(ग) उक्त सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के बाल शल्य चिकित्सा विभाग द्वारा 1-4 मार्च, 1989 से नवजात शिशु शल्य चिकित्सा और उभय लिंगी विकारों में हाल ही में हुए प्रगतियों पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। यह कार्यशाला राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी द्वारा प्रायोजित सतत चिकित्सा शिक्षा के एक भाग के रूप में आयोजित की गई थी। कार्यशाला के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई थी :—

(1) जन्म पूर्व निदान और जन्म जात कुरचना उपचार।

(2) शल्यक नवजातों की परिचर्या में मृत्यु और रूग्णता से संबंधित समस्याएं।

(3) नवजात शल्यक के आकस्मिक संकट के प्रबन्ध में प्रगति।

(4) बच्चों में उभयलिंगी विकारों के प्रबन्ध में प्रगति। कार्यशाला से निकाले गए निष्कर्ष शैक्षिक प्रकृति के थे।

"भू-मंडल उष्णता के कारण समुद्र का जल-स्तर बढ़ाना

3816. **श्री प्रतापराव बी. भोसले** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ वैज्ञानिकों भूमंडल-उष्णता के कारण समुद्र का जल-स्तर बढ़ने के बारे में की गई भविष्य वाणी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समुद्र के जल-स्तर में होने वाली इस वृद्धि से कुछ देशों के तटवर्ती रिहायशी प्रदेशों को विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है;

(घ) क्या भारतीय तटवर्ती क्षेत्र भी इससे प्रभावित हो सकते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ङ) कार्बन डाइआक्साइड, आजोन, क्लोरोफ्लूरोकार्बन्स आदि जैसे वायुमंडलीय गैसों के संकेन्द्रण में बदलाव आने से भूमंडलीय औसत भूतल तापमान में पर्याप्त वृद्धि होती है। भूमंडल में इस प्रकार की उष्णता का एक मुख्य प्रभाव यह होगा कि इससे समुद्र के औसत जल स्तर में वृद्धि होगी। वर्ष 2050 ई. तक समुद्र के औसत जल स्तर में 30-70 सेंटीमीटर वृद्धि होने का अनुमान है। यह रेंज पर्याप्त अनिश्चितताओं के अधीन है। समुद्र के औसत स्तर में वृद्धि होने से मंथर उत्तरोत्तर परिवर्तनों के जरिए और तीव्र घटनाओं की बारम्बारता जल में परिवर्तनों के जरिए देश के तटीयक्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि समुद्र के औसत जल स्तर में वृद्धि होती है तो भारत की 9000 कि. मी. से भी अधिक विशाल तट रेखा पर प्रभाव पड़ेगा।

2. भारत सरकार ने निम्नलिखित के सम्बन्ध में एक समन्वित अनुसंधान परियोजना शुरू की है :—

(क) विभिन्न प्राकृतिक तथ्यों के कारण समुद्र के जल स्तर मे वृद्धि के सम्बन्ध में पुराने आंकड़ों का अध्ययन;

(ख) विशेषज्ञों द्वारा पूर्वानुमानित औसत वृद्धि को स्वीकार करते हुए समुद्र के औसत जल स्तर में संभावित वृद्धि के प्रभाव।

इन दोनों अध्ययनों के 2 साल के भीतर पूरा हो जाने की उम्मीद है जिससे भावी उपाय सुझाए जायेंगे।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रावृत्ति

[हिन्दी]

3817. श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्नातकोत्तर छात्रों की छात्रवृत्ति में भूतलक्षी प्रभाव से वृद्धि की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) एक अप्रैल, 1988 से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति की दर संशोधित करके प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए 900 रु. प्रतिमास से बढ़ाकर 1800 रुपये प्रतिमास और द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए 1000 प्रतिमास से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमास कर दी गई है।

"वन बैंक"

[अनुवाद]

3818. श्री एस. जी. घोलप : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन भूमि के कारण विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी को अन्तिम रूप देने में होने वाले विलम्ब दूर करने के लिए राज्यों में वन बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये बैंक किन-किन राज्यों में खोले जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि 23 और 24 जनवरी, 1989 को आयोजित राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई थी कि राज्यों द्वारा क्षतिपूरक वन बैंकों का सृजन किया जाना चाहिए जिनका किसी

विद्युत परियोजना के लिए क्षतिपूरक वनरोपण को जरूरत होने पर बाद में उपयोग किया जा सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से गैर-वन भूमि के विशाल भाग का पता लगाने और उसको क्षतिपूरक वनरोपण के लिए अधिग्रहीत करने का अनुरोध किया गया है।

"सिकल" रोग को नियंत्रित करने के लिए उपाय

3819. श्री सरफिंग नेवाय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश बिहार और उड़ीसा के 13 जिलों में आदिवासियों और अनुसूचित जातियों के लोगों का आनुवांशिक "सिकल सेल रोग" अत्यधिक व्यापक रूप से फैल रहा है और इससे काफी सख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस भयानक रोग को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) भारतीय लोगों पर सिकल सेल के लक्षणों की व्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए पिछले 3 दशकों के दौरान अनेक माइक्रो-सर्वेक्षणों से पता चला है कि महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, और उड़ीसा के 13 जिलों में कुछ अनुसूचित और निम्न जातियों के समूहों में 30 प्रतिशत तक इसकी उच्च व्याप्तता है।

(ख) इंस्टीट्यूट आफ इम्यूनोहेमेटोलाजी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक व्याप्ति वाले ग्रामीण क्षेत्रों के रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की परिकल्पना की है। इस अवस्था के लिए कोई रोगहारक चिकित्सा उपलब्ध नहीं है। इस समय उपलब्ध उपचार मुख्य रूप से पत्रात्मक है इसलिए सिकल सेल रोगों की रोकथाम में निवारक उपायों का महत्व है। उपयुक्त उद्यम करके इस रोग में कमी करने में रोगी का शुरू में पता लगाना उपयोगी है। ऐसे रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को सीमित करने में आनुवांशिकी और वैवाहिक परामर्श देकर स्वास्थ्य संवर्द्धन सहायता मिलती है। संभावित रोगियों का शुरू में उपचार करने से रोग की दर और जीवन प्रत्याक्ष में सुधार होता है।

उड़ीसा में मस्तिष्क ज्वर से मौतें

3820. श्री बल्लभ पाणिग्राही : क्या स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में मस्तिष्क ज्वर से कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) इस रोग का कितने लोगों पर तथा कितने क्षेत्र में प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार स्थिति का मूल्यांकन करने एवं इस रोग से अत्यधिक प्रभावित लोगों को आवश्यक उपचार प्रदान करने के लिए केन्द्रीय दल भेजने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1989 के दौरान उड़ीसा के कलाहांडी फुलबनी और कोरापुट जिलों से मस्तिष्क ज्वर के कारण हुई 235 मौतों सहित इसके 1782 रोगियों की सूचना दी गई है।

(ग) और (घ) शिविर अस्पताल खोलकर और जहां कहीं आवश्यक हो वहां गश्ती दल भेज कर प्रभावित व्यक्तियों को उपचार प्रदान किया जा रहा है। रोगियों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को एक निवारक उपाय के रूप में संपर्क उपचार प्रदान किया जा रहा है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने यह सूचित किया है कि घटनाएं कम हो गई हैं और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया है कि उड़ीसा में एक विशेषज्ञ दल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्थानीय डाक्टर कटिबेध करने में समर्थ हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं के विरुद्ध आपराधिक मामले

3821. **श्री ए. जयमोहन** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 में नियमानुसार काम-हड़ताल के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं के विरुद्ध कितने आपराधिक मामले दर्ज किये गये;

(ख) कितने मामले वापस ले लिये गये हैं तथा कितने मामले अभी लम्बित पड़े हुए हैं; और

(ग) लम्बित मामले निपटाने के लिए सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

"बिहार में बंजर भूमि का विकास"

[हिन्दी]

3822. **श्री कुंवर राम** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1989-90 के दौरान वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी बंजर भूमि पर पौध लगाने का विचार है;

(ख) इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की जाएगी; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) बिहार में वर्ष 1989 के दौरान लगभग 2.20 लाख हैक्टेयर परती भूमि के वनीकरण किए जाने की आशा है।

(ख) बिहार राज्य में वर्ष 1989-90 के दौरान वनीकरण कार्यकलापों के लिए राज्य योजना परिव्यय लगभग 1575 लाख रुपए होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड,

कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास विभाग की केन्द्रीय परियोजनाओं के अन्तर्गत भी आवंटन उपलब्ध होगा जिसके लिए राज्यवार आबंटन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) वर्ष 1989-90 (जनवरी, 1989 तक) के दौरान लगभग 1.80 लाख हैक्टेयर क्षेत्र का वनीकरण किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ब्याज की अदायगी

3823. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवंटन पत्र में उल्लिखित तारीख निकल जाने के पश्चात धनराशि जमा कराने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण मकान आवंटियों से ब्याज लेता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवंटितयों से धनराशि लेते समय आवंटियों को मकान का कब्जा देने की तारीख बताई जाती है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण भी अपवंटियों द्वारा जमा की गई राशि पर ब्याज देता है यदि वह निर्धारित समय तक उन्हें मकान का वास्तविक कब्जा नहीं दे पाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) यदि आवंटी निर्धारित अवधि के भीतर जैसा कि मांग एवं आवंटन पत्र में दर्शाया गया है, फ्लैट की लागत जमा करने में असफल होता है तो पहले महीने के लिए 12 प्रतिशत प्रति-वर्ष की दर से तथा उसके पश्चात 18 प्रतिशत की दर से विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज की वसूली की जाती है।

(ग) आवंटन के पश्चात् आवंटितीयों द्वारा दस्तावेजों आदि को प्रस्तुत करने पर ही यह निर्भर करेगा।

(घ) उन मामलों में जहां आवंटितियों द्वारा भुगतान कर दिया गया है तथा फ्लैटों के पूर्ण न होने के कारण या पानी और बिजली आदि जैसी सेवाओं के प्रावधान न होने के कारण फ्लैटों का कब्जा नहीं सौंपा गया है, वहां पूर्ण होने की तारीख तक या कब्जा लेने तक, इसमें से जो भी पहले हो, उनकी जमा राशि हर 7% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

"वनरोपण और सामाजिक वानिकी की परियोजनाओं का मूल्यांकन करने हेतु कम्प्यूटर"

[अनुवाद]

3824. श्रीमती डी. के. भंडारी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों में कम्प्यूटर लगाये गए हैं जहां वनरोपण और सामाजिक वानिकी की परियोजनाओं का मूल्यांकन करने हेतु निगरानी और मूल्यांकन एकक स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिक्किम में भी कोई कम्प्यूटर लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) सामाजिक वानिकी सहित वनीकरण कार्यक्रम के अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन सम्बन्धी कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए राज्य वन विभागों के मुख्यालयों में कम्प्यूटर उपकरण स्थापना का कार्य निम्नलिखित राज्यों में पूरा कर लिया गया है :—

आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

(ग) और (घ) मई, 1988 में गंगटोक में राज्य वन विभाग के सामाजिक वानिकी खण्ड में कम्प्यूटर उपकरण स्थापित किया गया है।

भौतिक चिकित्सकों और व्यावसायिक चिकित्सकों के लिए पदोन्नति के अवसर

3825. चौधरी राम प्रकाश : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, कलावती जैसे सभी केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में भौतिक चिकित्सकों और व्यावसायिक चिकित्सकों के लिये पदोन्नति के कोई अवसर उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार की इस नीति को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें सेवाकाल में ये पदोन्नतियां दी जाएं, इन अस्पतालों में कार्यरत किन्हीं भौतिक चिकित्सकों और व्यावसायिक चिकित्सकों को उनकी सेवाकाल के दौरान इस प्रकार की कोई पदोन्नति दी गई और यदि हां, तो इस प्रकार की पदोन्नतियां कितनी बार दी गई; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए, विशेषकर जबकि डाक्टरों को समयबद्ध पदोन्नति दी जाती है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार के सभी अस्पतालों में भौतिक चिकित्सक और व्यावसायिक चिकित्सकों की पदोन्नतियों के अवसर उपलब्ध हैं, सिवाय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के जहां पूरे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन में भौतिक चिकित्सक का केवल एक ही पद है। केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में कार्यरत भौतिक चिकित्सकों और व्यावसायिक चिकित्सकों को, जब भी वरिष्ठ पदों पर रिक्तियां हुई तब पदोन्नतियां दी गई थी।

राज्यों में उचित दर दुकानों में कुप्रबंध के बारे में शिकायतें

3826. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सितम्बर, 1988 के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों में उचित दर दुकानों में कुप्रबंध के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले जैसे पहाड़ी जिलों में उचित दर दुकानों के मालिक अधिक मूल्य वसूल कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि रोपड़ जिले के 21 गांवों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ठीक से काम न करने के बारे में शिकायत मिली है। जिला प्रशासन को सलाह दी गई थी कि वह शिकायतों को दूर करे और यह बताया गया है कि जांच करने के बाद, स्थिति संतोषजनक होने की सूचना मिल गई है।

(ग) हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस तरह की किसी शिकायत की पुष्टि नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

नशीले पदार्थों की लत के उपचार के लिए नयी प्रणाली का विकास

3827. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नशीले पदार्थों की लत के शिकार व्यक्तियों का उपचार करने के लिए नई प्रणाली का विकास किया गया है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) स्वापक औषधों की निर्भरता (अर्थात अफीम, मार्फीन, हेरोइन और अन्य संबंधित मिश्रणों जैसी औषधों) वाले रोगियों के उपचार के लिए हाल ही में एक नई औषध जिसे थालकेव-सोल हाइड्रोक्लोराइड कहा जाता है, विकसित की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले बार वर्षों में किए गए बहुत से अध्ययनों से पता चला है कि यह औषध स्वापक निर्विषीकृत रोगी को नशीली दवा की लत से मुक्त रखने में बहुत ही प्रभावकारी है। यह औषध भारत में अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

ऊनी सामान का निर्यात

3828. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊनी सामान का निर्यात बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) वर्ष 1988-89 में ऊनी सामान के निर्यात का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) ऊनी सामान का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए सामान्य खुले लाइसेंस योजना के अन्तर्गत करघों का आयात किया गया था; और

(घ) वर्ष 1988-89 में इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (घ) सरकार ने ऊनी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत रियायती शुल्क पर अति आधुनिक मशीनरी आयात करने की अनुमति गैर-कोटा जी.सी.ए देशों को निर्यात के लिए तथा कोटा देशों को गैर-कोटा मदों के निर्यात के लिए 5% अतिरिक्त नकद मुआवजा सहायता लदानपूर्व ऋण के दिनों को बढ़ावा, पैकिंग ऋण के लिएब्याज की दर में कमी आयकर की छूट, आदि। इसके अतिरिक्त, सरकार ने निर्यात संवर्धन के जिन कार्यों के प्रायोजन और धनराशि की व्यवस्था के लिए उदार सहायता भी प्रदान की हैं, वे है-बाजार अध्ययन, क्रेता-विक्रेता बैठकें मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रचार, आदि।

(ख) ऊनी वस्तुओं के निर्यात का लक्ष्य 1988-89 के लिए 100 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया है।

(ग) जी, हां।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एण्ड न्यूरो साइंसिस

3829. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज" को मान्यता देने और उसका अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त इन्स्टीट्यूट का कब तक अधिग्रहण किए जाने की आशा है, और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस इन्स्टीट्यूट को वर्षवार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संस्थान को दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :—

	1986-87	1987-88	1988-89
		(लाख रुपये में)	
योजना	111.60	1150.00	175.00
योजनेतर	173.25	192.00	205.00
कुल :—	284.85	342.00	360.00

गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, करनाल में औषधियों के उपयोग की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें वहां से हटाने की प्रक्रिया

3830. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल, नई दिल्ली और अन्य स्थानों पर स्थित सरकारी मेडिकल स्टोर डिपुओं में जिन औषधियों के उपयोग के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो जाती है उनको वहां से हटाने के लिए आवधिक जांच करने हेतु कोई मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं अथवा कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ख) क्या गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, करनाल, में ऐसी औषधियां पड़ी हैं जिनके उपयोग की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है, और यदि हां, तो उनकी लागत कितनी है;

(ग) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(घ) भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न होने देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि रोगियों को जारी की जाने वाली ऐसी औषधियों के जोखिम से बचा जा सके और राजकोष को हानि न हो ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। औषधियों के प्रयोग की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें नष्ट कर दिए जाने की प्रक्रिया

चिकित्सा सामग्री डिपो मैनुअल में निर्दिष्ट की हुई है . इस प्रक्रिया के अनुसार स्टाक सत्यापन स्टाक लेने को एक निरंतर पद्धति द्वारा किया जाता है ।

(ख) उपयोग की अवधि समाप्त हुई 3.65 लाख रुपये से अधिक की औषधियों का स्टाक सरकारी चिकित्सा सामग्री डिपो, करनाल में पड़ा हुआ है ।

(ग) और (घ) इस मामले की जांच की गई है । भारी मात्रा में दवाइयों की सप्लाई जिनकी कीमत करोड़ों रुपये होती है, प्रयोग की अवधि समाप्त हुई औषधियों का कुछ स्टाक हर समय पड़ा रहता है । जिन औषधियों के स्टाक में रखे जाने की अवधि कम होती है उनके मामले में निर्माताओं द्वारा इस आशय का वचन दिया होता है कि औषधि के प्रयोग की अवधि समाप्त हो जाने पर वे उनके बदले नया स्टाक सप्लाई कर देंगे । सरकारी चिकित्सा सामग्री डिपो, करनाल में प्रयोग की अवधि समाप्त हुई दवाइयों के अनेक मामलों में सामग्री या क्रेडिट के रूप में दवाइयां निःशुल्क बदलने संबंधी आवश्यक वचन निर्माताओं से ले लिया गया है ।

केरल में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का आधुनिकीकरण

3831. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने किन कार्यक्रमों का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम में केरल स्थित राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को भी शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय वस्त्र निगम का प्रस्ताव है कि वर्ष 1989 के दौरान आधुनिकीकरण योजनाओं चयनात्मक आधार पर लागू किया जाए । केरल में स्थित दो एम. टी. सी. एककों के सम्बन्ध में लगभग 15.15 करोड़ रु. राशि की आधुनिकीकरण योजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं।

स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए चिकित्सकों, जनता और सरकार के बीच परस्पर संबंध

3832. श्री एच. बी. पाटिल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सहजे मृत्यु, अंग प्रत्यारोपण, परखनली शिशु के क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यावसायिक चिकित्सकों के मार्गदर्शन करने और उन्हें समाज की बदलती आवश्यकताओं के साथ और अधिक संबद्ध करने के लिए और विशिष्ट कानून तथा आचार नियम बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए चिकित्सकों, जनता और सरकार के बीच परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने एवं नीमहकीमों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रूई का निर्यात

3833. **श्री सयद शाहबुद्दीन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती धागे के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए गत वर्ष रुई के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था;

(ख) क्या चालू वर्ष में कपास का मांग से अधिक उत्पादन होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो कपास का अनुमानित उत्पादन, अनुमानित मांग तथा मिश्रण हेतु अनुमानत: कितना आयत होने की संभावना है; और

(घ) क्या सूती धागे के मूल्य पर निगरानी रखी जा रही रही है; और

(ङ) यदि हां, तो चालू कपास वर्ष के दौरान सूती धागे के मूल्य में प्रतिमाह कितना अन्तर आया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) काटन वर्ष 1987-88 में स्टेपल काटन का निर्यात बन्द रखा गया था जिसके कारण थे कपास की फसल कम होना, कपास की कीमतों में वृद्धि और कपास की कमी ।

(ख) और (ग) इस समय उत्पादन को ही मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त समझा गया है और इसलिए फिलहाल कपास के आयात का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) सितम्बर, 1988 से फरवरी, 1989 तक काटन यार्न का थोक मूल्य सूचकांक निम्नलिखित रहा :—

सितम्बर, 88	391.0
अक्तूबर, 88	385.3
नवम्बर, 88	385.5
दिसम्बर, 88	396.3
जनवरी, 89	398.9 (अनन्तिम)
फरवरी, 89	401.7 (अनन्तिम)

"वृक्षारोपण"

3834. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री वृक्षारोपण के बारे में 22 फरवरी, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 57 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजनावधि के दौरान प्रत्येक सरकारी क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा लगाये जाने वाले वृक्षों की संख्या अथवा इससे कवर किये गये क्षेत्र के हिसाब से चालू वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1988-89 के अन्त तक वार्षिक लक्ष्य तथा योजना लक्ष्य को किस स्तर तक प्राप्त करने का अनुमान है; और

(ग) चालू योजनावधि के प्रारम्भ से प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने वृक्ष लगाये गये हैं तथा कितने क्षेत्र को कवर किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) बीस सूत्री कार्यक्रम के अधीन वृक्षारोपण के लिए राज्यवार लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक सातवीं योजनावधि के लक्ष्य और उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। चालू वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के प्राप्त हो जाने की आशा है।

विवरण

सातवीं योजनावधि के दौरान वनीकरण हेतु लक्ष्यों और उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा

(पौद लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1985-86 लक्ष्य	1985-86 उपलब्धि	1986-87 लक्ष्य	1986-87 उपलब्धि	1987-88 लक्ष्य	1987-88 उपलब्धि	1988-89 लक्ष्य	1988-89 उपलब्धि (जनवरी, 1989 तक)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2600.00	3156.00	3000.00	2874.15	3000.00	3051.34	3200.00	2703.27	1. उक्त आंकड़े
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	103.00	125.00	125.08	125.00	127.04	140.00	31.51	उगाई/लगाई
3.	असम	400.00	396.00	400.00	625.50	500.00	497.87	600.00	445.50	गई पौद की
4.	बिहार	1500.00	1523.00	2600.00	2711.00	3500.00	3152.00	3600.00	3603.54	संख्या के रूप
5.	गोआ*	32.00	45.00	75.00	67.93	75.00	74.70	75.00	72.00	में है। वृक्षारोपण
6.	गुजरात	2550.00	2497.00	1631.00	2271.00	2250.00	2141.50	2600.00	4019.93	के अन्तर्गत शामिल
7.	हरियाणा	950.00	937.00	725.00	741.58	600.00	380.00	750.00	546.28	किया जाने वाला

8. हिमाचल प्रदेश	550.00	672.00	625.00	671.28	600.00	615.09	700.00	623.89	क्षेत्र 2000 पौध
9. जम्मू एवं कश्मीर	350.00	467.00	522.00	470.52	405.00	400.06	500.00	169.53	प्रति हैक्टेयर
10. कर्नाटक	2500.00	2546.00	2500.00	2316.74	2500.00	3152.21	3300.00	2872.02	के आधार पर
11. केरल	600.00	1166.00	1200.00	1519.24	1700.00	1555.44	1750.00	1470.97	निर्धारित किया
12. [illegible]	3500.00	3501.00	3700.00	3920.00	4000.00	4090.46	4400.00	4415.00	जाता है।
13. महाराष्ट्र	[illegible]	2165.00	2400.00	2381.70	2600.00	3070.76	3500.00	4028.79	
14. मणिपुर	120.00	125.00	180.00	148.80	170.00	180.25	200.00	198.96	2. प्रत्येक परि-
15. मेघालय	130.00	131.00	150.00	158.00	150.00	237.57	270.00	329.77	योजना के अधीन
16. मिजोरम	700.00	700.00	1128.00	478.05	725.00	277.50	300.00	300.00	वृक्षारोपण के लिए
17. [illegible]	[illegible]	269.00	350.00	545.00	[illegible]	200.00	230.00	230.00	लक्ष्य अलग से
18. उड़ीसा	3142.00	1930.00	2400.00	2320.72	2000.00	2340.05	3000.00	2762.17	निर्धारित नहीं
19. पंजाब	527.00	590.00	550.00	567.59	450.00	495.52	500.00	496.30	किए जाते।
20. राजस्थान	820.00	958.00	1100.00	1341.03	1200.00	1173.87	1300.00	1259.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	सिक्किम	82.00	82.00	110.00	115.03	120.00	133.87	150.00	125.15	
22.	तमिलनाडु	1100.00	1215.00	2400.00	1981.28	2400.00	1911.74	1800.00	1628.15	
23.	त्रिपुरा	150.00	200.00	320.00	263.00	260.00	267.13	260.00	267.00	
14.	उत्तर प्रदेश	3250.00	3548.00	4500.00	4865.00	4200.00	4420.71	5100.00	5311.95	
25.	पश्चिम बंगाल	1100.00	1115.00	1400.00	1416.00	1400.00	1391.08	1800.00	1100.00	
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	95.00	95.00	120.00	122.32	100.09	100.43	100.00	107.59	
27.	चंडीगढ़	2.90	1.52	3. 0	3.83	3.40	3.59	4.00	3.26	
28.	दादर एवं नगर हवेली	30.00	31.00	50.00	35.20	40.00	31.22	35.22	38.32	

29. दमन एवं द्वीव	—	—	—	—	25.00	0.53	2.00	1.17
30. दिल्ली	25.00	25.00	30.00	63.03	30.00	18.06	50.00	57.62
31. लक्षद्वीप	0.04	0.25	0.12	0.29	0.20	0.24	0.50	2.25
32. पांडिचेरी	10.00	11.00	10.00	12.93	10.60	10.32	10.00	7.13
योग	29095.94	30200.77	34284.52	35237.82	35939.20	35511.35	40026.50	39226.02

*वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान संघ शासित क्षेत्र दमन और द्वीव को भी शामिल किया गया है।

"वाहनों द्वारा प्रदूषण"

3835. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **पर्यावरण और वन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सातवीं योजना के दौरान महानगरों, राज्य की राजधानियों और अन्य महत्वपूर्ण व्यापारिक नगरों में बसों, ट्रकों और अन्य वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होने और उसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा सुरक्षा के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या पिछले चार वर्षों के दौरान उनके दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं : –

(1) पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिये उत्सर्जन मानक तैयार कर लिए गए हैं।

(2) राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से मोटर वाहन नियमों में संशोधन करने तथा वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन के मानक निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। अब तक 13 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है और उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है।

(3) पेट्रोल में प्रति लीटर सीसे की मात्रा को 0.15 जी. एम. तक कम करने के लिए कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

(4) वाहनों से निकलने वाले धुएं के नियन्त्रण के बारे में जन जागरुकता हेतु अभियान चलाया गया है।

(ग) मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुंएं से प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित उपबन्धों के लिए दोसियों के खिलाफ सम्बन्धित परिवहन प्राधिकरण कार्यवाही करते हैं।

विश्व बैंक द्वारा मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण को ऋण

3836. **श्री एन. डेनिस** : क्या **शहरी विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण तमिलनाडु को ऋण दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्राधिकरण द्वारा किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना के अन्तर्गत, आश्रय मलिनबस्ती सुधार, यातायात प्रबन्ध और परिवहन आदि में हुए पूंजी निवेश की प्रतिपूर्ति के लिए विश्व बैंक ने 300.2 मिलियन डालर का ऋण दिया है। यह परियोजना कई नगरपालिकाओं, तमिलनाडु आवास बोर्ड, राज्य मलिनबस्ती उन्मूलन बोर्ड, मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण (एम. एम. डी. ए.), पी. टी. सी. आदि द्वारा राज्य के लगभग 10 शहरी समूहों में कार्यान्वित की जानी है। यह सहायता न तो विशिष्ट रूप से मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण के कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए है और न ही यह प्रत्यक्ष रूप से विश्व बैंक से मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण के लिए है। पूंजी निवेश की वित्त व्यवस्था एक अलग निधि प्रवाह तन्त्र द्वारा प्रशासित होती है जिसमें विशिष्ट शर्तें हैं तथा विश्व बैंक से प्रवाहित निधि से सम्बद्ध नहीं है।

असंगठित क्षेत्र के लिये अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा

3837. **श्री एन. डेनिस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में असंगठित क्षेत्र के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास

3838. **श्री एन. डेनिस** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में केन्द्रीय सरकार के कितने प्रतिशत कर्मचारियों को अभी तक आवास उपलब्ध कराये गये हैं और इनकी संख्या क्या है; और

(ख) शेष कर्मचारियों को कब तक आवास उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) चालू आबटन वर्ष 1988-89 के दौरान मद्रास में कुल कर्मचारियों के लगभग 44 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले जिन 1795 कर्मचारियों ने सामान्य पूलवास के लिए आवेदन किया है, उन्हें मद्रास में रिहायशी वास मुहैया कर दिया गया है।

(ख) मद्रास में रिहायशी वास के सम्बन्ध में शत-प्रतिशत सन्तुष्टि प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के संबंध में विशेषज्ञों की समिति

3839. श्री सी. जंगा रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री "राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में घोटालों की भरमार" शीर्षक समाचार के बारे में 22 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 35:5 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कार्य-निष्पादन का गहराई से अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसके विचाराधीन विषय क्या हैं;

(ख) समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सेवानिवृत्त मुख्य निदेशक (सहकारिता), भारत सरकार, कृषि एवं सहकारिता विभाग तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं और सुन्दर राजुलू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कार्य का गहराई से अध्ययन करने के लिए जून, 1988 में विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की थी। समिति के अन्य सदस्य थे :—

1. श्री एस. गणेशन, सेवानिवृत्ति अपर प्रबन्ध निदेशक तथा मुख्य परामर्शदाता राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ।
2. श्री एस. के. स्वामी, निदेशक (सहकारिता) नागरिक पूर्ति विभाग।
3. श्री ए.आर. काले, लेखा नियंत्रक, खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय।
4. श्री बी.पी. गुलाटी, अपर मुख्य परामर्शदाता, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ।
5. समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित थे :—

   (क) संघ के व्यापार, संवर्द्धनात्मक तथा अन्य उद्देश्यों के सम्बन्ध में गहराई से अध्ययन करना तथा कारणों के विश्लेषण के साथ उसकी उपलब्धियों तथा असफलताओं के बारे में रिपोर्ट देना।

   (ख) संघ के मौजूदा कार्य का शाखा/कार्यवार गहराई से अध्ययन करना तथा किसी भी घटिया कार्य निष्पादन के कारणों का विश्लेषण करना।

   (ग) संघ के लेखाओं की पुनरीक्षा करना तथा उसकी वित्तीय स्थिति का, उसे प्राप्य राशि विविध देनदारों स्टाक होल्डिंग, विविध लेखाओं पर इसकी देयताओं के विशेष संदर्भ में उसकी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करना।

   (घ) व्यापार कार्यों लागत में कमी लाने, प्रचालनात्मक कुशलता तथा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाना।

(ख) समिति ने राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की पुनःस्थापना की सिफारिश की और इसकी मुख्य सिफारिशें नीचे दी गई हैं :—

1. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ 5.28 करोड़ रुपये (एक वर्ष से अधिक से बकाया) के विविध देनदारों के खातों में से 1988 (जुलाई-जून) के दौरान कम से कम 1 करोड़ रुपये तथा 1989-90 के दौरान और 1 करोड़ रुपये एकत्र करे तथा साथ ही 36 लाख रुपये मूल्य के क्षतिग्रस्त स्टाक का तत्काल निपटान करे।

2. हर वर्ष एक करोड़ रुपये तक के प्रशासित तथा स्थापना व्यय में कमी की जाए तथा भंडारण लागत में किफायत बरती जाए।

3. चार शाखाएं तथा एक डिपो बन्द कर दिया जाए।

4. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की व्यापार योजना में सहकारी वर्ष 1988-89 के दौरान 160 करोड़ रुपये, 1989-90 के दौरान 168 करोड़ रुपये तथा 1990-91 के दौरान 200 करोड़ रुपये की कुल बिक्री परिकल्पित की गई है।

5. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की ऋण-नीति में, राज्य संघों तथा अन्य सहकारी समितियों को केवल नकद भुगतान, बैंकों के जरिए दस्तावेजों को निर्मुक्ति पर बैंक गारन्टी के प्रति वस्तुओं की आपूर्ति करने की मूल नीति के अधीन रहते हुए 15 या 30 दिनों का सामान्य व्यापार ऋण देने की व्यवस्था की जाए।

6. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की क्रय तथा विक्रय नीतियां मांगों के यथार्थपरक मूल्यांकन पर आधारित हों। स्टाक सीमाएं नियत की जाएं तथा स्टाक की हर तिमाही में पुनरीक्षा की जाए तथा कुल बिक्री की निरन्तर समीक्षा की जाए। बिक्री के लिए मूल्य-नीति में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के लिए मार्जिन रखा जाए जिसमें ब्याज प्रभार शामिल हो।

7. प्रबंध की कमियों को प्रणाली को सुप्रवाही बनाकर दूर किया जाए और इस कार्य को उपयुक्त सूचना-तंत्र तथा क्षेत्रीय व शाखा कार्यालयों को निरन्तर पुनरीक्षा और नियंत्रण के जरिए, बाजार-आसूचना एकत्र करके, कार्मिकों को कार्यालय में ही प्रतिक्षण दे कर तथा नई भर्ती पर कम से कम दो वर्षों के लिए रोक लगा करके किया जाए।

8. राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों के सम्बन्ध में पुनः कार्यक्रम बनाए तथा अन्य बैंकों में, जैसे ही उनकी बकाया राशियों का भुगतान कर दिया जाए, खातों को बन्द कर दे और केवल एक बैंक में ही हिसाब रखे।

9. भारत सरकार 1988-89 के दौरान 2 करोड़ रुपये का तथा 989-90 के दौरान और 1 करोड़ रुपये का अंशपूंजी अंशदान करे तथा यूको बैंक को मूलधन तथा ब्याज के भुगतान की अदायगी की भी गारन्टी दे। भारत सरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ को वित्तदायी बैंक, अर्थात यूनाइटेड कामर्शियल बैंक आफ इण्डिया से लाभ प्राप्त करने हेतु 7.50 करोड़ रुपये की ऋण-सीमा भी प्रदान करे।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही आरंभ कर दी है। अब तक विविध देनदारों के खाते से 60 लाख रुपये एकत्र किए जा चुके हैं। कुल व्यय 1986-87 के 762 लाख रुपये से कम करके 1987-88 में 703 लाख रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार स्थापना तथा प्रशासन पर व्यय, जो 1986-87 में 445.55 लाख रुपए था, को 1987-88 के दौरान घटा कर 419.72 लाख रुपये कर दिया गया है। यही रुख जारी है। 4 शाखाएं तथा एक डिपो बन्द करने की सिफारिश के प्रति राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने 1.4.1989 से एक शाखा का दर्जा घटाकर उसे डिपो बनाने तथा अन्य दो डिपुओं को बन्द करने का निर्णय किया है। भारत सरकार ने 1988-89 के दौरान 1 45 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता भी मंजूर की है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कार्यकरण में सुधार

3840. **डा. ए.के. पटेल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर के किसी भी संघ को अधिकतम दो वर्षों तक के लिए बर्खास्त रख सकती है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के मामले में यह समय सीमा कब समाप्त होगी,

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कार्यकरण में सुधार लाने में सरकार की अब तक की उपलब्धियां क्या हैं, और

(घ) सरकार द्वारा अधिग्रहण के बाद प्रशासक और प्रबंध निदेशकों में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हाँ।

(ख) 2 वर्ष की अवधि 14.10.1989 को समाप्त होगी।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए अनेक उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। प्रशासन को चुस्त बनाया गया है। हानि में वृद्धि के रुख को रोका गया है और विविध देनदारों के खाते से बकाया के एक हिस्से को वसूल किया गया है। किफायत शारी के उपाय किए गए हैं और प्रशासकीय खर्चों को कम किया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार ने 1988-89 के दौरान 1.45 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता दी है, ताकि इसकी वित्तीय आत्मनिर्भरता को सुधारा जा सके।

(घ) प्रशासक के पदधारी में, उसके सेवा से सेवानिवृत्त होने के कारण, एक परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार नियमित प्रबंध निदेशक के पद में, उनका अन्य विभाग में तबादला होने के कारण एक परिवर्तन हुआ है। तथापि, इस बीच में कुछ तदर्थ प्रबंध करने पड़े थे।

गोल मार्किट क्षेत्र झुग्गियों का हटाया जाना

[हिन्दी]

3841. श्री राम कुमार राय : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.आई.जेड. क्षेत्र, गोल मार्किट, नई दिल्ली में पी. एण्ड टी. के टाइप-II और टाइप-III क्वार्टरों के बीच झुग्गियों की संख्या में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन झुग्गियों को वहां से हटाने और वहां पर पड़े मलबे को हटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं,

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 1986 में, इस क्षेत्र के अनधिकृत झुग्गी निवासियों को नोटिस जारी किए गए थे इनकी वास्तविक बेदखली को कई बार या तो मानवीय या प्रशासनिक कारणों जैसे कि खराब मौसम या पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण स्थगित करना पड़ा था ।

औषधों का आयात

[अनुवाद]

3842. श्री आनन्द सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा औषधों के आयात और उसकी गुणवत्ता एवं मूल्य पर नियंत्रण रखने के लिए उपाय किए गए हैं,

(ख) क्या सरकार द्वारा देश में औषध उद्योग में संलग्न विदेशी कम्पनियों द्वारा आयात किए गए औषधों के मूल्यों का कोई अध्ययन किया गया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) आयातित औषधों की गुणवत्ता औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन विनियमित की जाती है । देश में आयात की जाने वाली सभी औषधों की केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है जो कि ऐसे विनिर्दिष्ट प्रवेशद्वार बन्दरगाहों पर तैनात किए गए हैं जहां पर औषधों को आयात करने की अनुमति दी गई है । नमूनों का परीक्षण केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता या किसी अन्य अनुमोदित सरकारी प्रयोग शाला में किया जाता है । केवल मानक स्तर की औषधें ही रिलीज की जाती हैं ।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है। औषधों का मूल्य निर्धारण संबंधी कार्य उद्योग मंत्रालय, रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग देखता है।

चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

3843. श्री एम. रघुमा रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्तमान सभी चीनी एककों के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) इस योजना में आन्ध्र प्रदेश के कितने एककों को सम्मिलित किया गया है और उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस उद्देश्य के लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) आधुनिकीकरण एक निरन्तर प्रक्रिया है और इसकी जिम्मेदारी प्रत्येक फैक्ट्री की होती है। तथापि, चीनी फैक्टरियों द्वारा आधुनिकीकरण करने के लिए उन्हें प्रोत्साहक के संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए रियायती दर के ब्याज पर चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता सुलभ की जाती है।

बासमती चावल का अभाव

3844. श्री मोहन भाई पटेल :
श्री चिन्तामणी जैना :
क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान बासमती चावल के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है और इस किस्म के चावल का अभाव भी हो गया है; और

(ख) यदि हां तो, इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) छः चुनिंदा केन्द्रों से प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में बासमती चावल के मूल्यों में लगभग 22 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है।

केन्द्रीय सरकार के पास बासमती चावल की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

"शेर और चीता अभयारण्य (सफारी)"

3845. श्री मोहन भाई पटेल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में शेर और चीता अभयारण्यों (सफारियों) का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक टाइगर प्रोजेक्ट में शेर और चीतों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के और अधिक अभयारण्यों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) देश में शेर और चीता अभ्यारण्यों (सफारियों) के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 के रूप में संलग्न विवरण में दिए गए हैं। प्रत्येक बाघ परियोजना क्षेत्र में बाघों के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिए गए हैं। किसी भी बाघ परियोजना क्षेत्र में कोई शेर नहीं है।

(ख) और (ग) फिलहाल स्थापित किए जा रहे शेर और बाघ अभयारण्य (सफारी) इस प्रकार है :—

1. गिर, जिला जूनागढ़, गुजरात में सिंह अभयारण्य

2. नन्दन कानन, भुवनेश्वर, उड़ीसा में सफेद बाघ अभयारण्य

3. लुधियाना, पंजाब के निकट बाघ अभयारण्य।

विवरण-1

भारत में शेर और चीता अभयारण्य

1. शेर अभयारण्य

	राज्य का नाम	अभयारण्य का नाम	जानवरों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	नेहरू प्राणि उद्यान, हैदराबाद	4
2.	कर्नाटक	1-बनारघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बंगलौर	12
		2-शिमोगा	4
3.	महाराष्ट्र	संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली	18
4.	उड़ीसा	नन्दन कानन बायोलाजीकल पार्क भुवनेश्वर	6
5.	पंजाब	एम.सी. प्राणि उद्यान, चण्डीगढ़	26
			कुल 70

1	2	3	4
(2)	चीता अभयारण्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	नेहरू प्राणि उद्यान, हैदराबाद	3
2.	कर्नाटक	बनारघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बंगलौर	8
		कुल	11

विवरण-2

बाघरिजर्वोंमेंबाघोंकीसंख्या

क्र.सं.	बाघ रिजर्व का नाम	बाघों की संख्या
1.	बांदीपुर (कर्नाटक)	53
2.	बक्सा (पश्चिमी बंगाल)	15
3.	कार्बेट (उत्तर प्रदेश)	90
4.	दुधवा (उत्तर प्रदेश)	80
5.	इन्द्रावती (मध्य प्रदेश)	25
6.	कान्हा (मध्य प्रदेश)	94
7.	मानस (असम)	123
8.	मेलघाट (महाराष्ट्र)	81
9.	नागार्जुन सागर (आन्ध्र प्रदेश)	83
10.	नाम दफा (अरूणाचल प्रदेश)	43
11.	पालामऊ (बिहार)	54
12.	पेरियार (केरल)	44
13.	रणथम्भोर (राजस्थान)	48
14.	सरिस्का (राजस्थान)	43
15.	सिपलीपाल (उड़ीसा)	89
16.	सुन्दरबन (पश्चिम बंगाल)	264
17.	कालाकड-मुण्डनथुराई (तमिलनाडु)	8
	कुल	1229

"क्षेत्रीय पादप संसाधन केन्द्र, भुवनेश्वर"

384 . श्री राधाकांत दिगाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय पादप संसाधन केन्द्र, भुवनेश्वर के लिए कितनी धन-राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या संसाधनों की कमी के कारण क्षेत्रीय पादप संसाधन केन्द्र द्वारा आरम्भ किए गए अनेक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान क्षेत्रीय पादप ससाधन केन्द्र भुवनेश्वर के लिए कितनी अतिरिक्त धनराशि आवंटित किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) क्षेत्रीय पादप संसाधन केन्द्र, भुवनेश्वर, उड़ीसा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त एक रजिस्टर्ड सोसायटी है। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन सालों अर्थात। 1986-87, 1987-88 और 1988-89 में केन्द्र के लिए क्रमश: तीन वर्षों के लिए अलग-अलग 19-19 लाख रुपए आवंटित किए गए। वर्ष 1989-90 के लिए राज्य सरकार द्वारा आवटन की राशि बढ़ाकर 22 लाख रुपए कर दी गई है।

मंत्रालय द्वारा केन्द्र की विशिष्ट परियोजनाओं को कुल 24.73 लाख रुपए के स्वीकृत परि-व्यय की सहायता दी गई। वर्ष .9८7-88 और 19८8-89 के दौरान क्रमश: 9.86 लाख रुपए और 3.16 लाख रुपए की राशि बटित की गई है। वर्ष 1989-90 के लिए निधियों का बंटन पहले बंटित निधियों के उपयोग के आधार पर किया जायेगा।

"भूमंडल जलवायु की बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक सहयोग"

3847. श्री एम. रघुमा रेड्डी :
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 फरवरी, 1989 को "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें भूमंडल जलवायु और भूमंडल के परस्पर सूक्ष्म संबंधों के बारे में बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिये विकसित और विकासशील देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग की कही गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "ग्लोबल वार्मिंग एण्ड असाइमेंड चेंज-पर्सपेक्टिवटस फाम डेवलपिंग कण्ट्रीज" नामक एक सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वुड्स होल अनुसंधान केन्द्र, अमरीका तथा विश्व रिसोर्सेज इन्स्टीच्यूट, अमरीका के सहयोग से नई दिल्ली में टाटा ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा 21-23 फरवरी, 1989 तक आयोजित किया गया जिसमें देश और विदेशों के 150 वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने भाग लिया। सम्मेलन की कार्यवाही अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

हथकरघा दस्तकारों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

3848. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली के हथकरघा दस्तकारों की ओर से अगस्त, 1988 के दौरान एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पीतमपुरा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

3849. श्री के प्रधानी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पीतमपुरा, दिल्ली एक विशाल तथा निरन्तर बढ़ती जा रही एक आवासीय कालोनी है जहाँ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी काफी बड़ी संख्या में रह रहे हैं;

(ख) क्या उस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय तथा अस्पताल न होने के कारण पीतमपुरा के निवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) क्या सरकार उस कालोनी में एक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय तथा अस्पताल खोलने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो कब तक ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) पीतमपुरा पहले ही इसके नजदीक शिवाजी पार्क बस्ती में चल रहे मौजूदा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय के अन्तर्गत आता है। फिलहाल, पीतमपुरा में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक औषधालय अथवा अस्पताल खोले जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पटसन निर्माण निगम को हानि

3850. श्रीमती बसव राजेश्वरी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पटसन निर्माता निगम के वर्ष 1988-89 तक कुल कितनी हानि हुई,

(ख) वर्ष 1988-89 में कितनी हानि होने की संभावना है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) वर्ष 1987-88 तक राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम संचित नकद घाटे की कुल राशि 285.03 करोड़ रुपये है।

(ख) वर्ष 1988-89 के दौरान लगभग 45 करोड़ रुपये का नकद घाटा होने की संभावना है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इस संबंध में उठाए गए या प्रस्तावित उपचारी कदम निम्नलिखित है :—

(1) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम की 6 इकाइयों में से पांच में आधुनिकीकरण और नवीकरण योजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है। उम्मीद है कि निगम के संयत्रों की उत्पादकता तथा क्षमता प्रयोग सुधार होगा।

(2) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम की बिहार में स्थित आर. बी. एच. एम. नामक छठी इकाई के लिए हाल ही में 3.75 करोड़ रुपये की कुल लागत का पनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया है। आशा है कि इस योजना के कार्यान्वयन से इस एकक के घाटे में काफी कमी होगी।

(3) राष्ट्रीय पटसन विनिर्माण निगम के प्रबंध मंडल के लिए कुछ कदम उठाए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बर्बादी और फिजूलखर्ची रोकने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं।

(4) चूंकि एन. जे. एम. सी. में काफी बेसी कर्मचारी हैं, इसलिए अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।

(5) एन. जे. एम. सी. की विक्रय नीति पुनः बनाई गई है जिसके परिणामस्वरूप एकक मूल्य वसूली अधिक होने लगी है और बुनाई लागत में कमी आई है।

(6) वस्त्र मंत्रालय समय समय पर एन. जे. एम. सी. की कार्य प्रणाली की समीक्षा करता है ताकि इसके घाटे कम किए जा सकें और इसे अधिक कार्य-कुशल बनाया जा सके।

चिकित्सा सुविधाएं

3851. श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 में भारत में एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की चिकित्सा करने वाले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनरों (स्नातक और लाइसेंसधारियों) की अलग-अलग संख्या कितनी थी,

(ख) उक्त अवधि के दौरान अस्पतालों और औषधालयों की संख्या कितनी थी,

(ग) इसी अवधि के दौरान इन अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तरों की संख्या कितनी थी और प्रति लाख जनसंख्या पर कितने बिस्तर उपलब्ध थे,

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में डाक्टरों अस्पतालों, औषधालयों और बिस्तरों का प्रतिशत क्या था; और

(ङ) वर्ष 1990 और 2000 ईसवी में डाक्टरों, अस्पतालों, औषधालयों और बिस्तरों की आवश्यकता कितनी होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में राजनैतिक दलों को भूमि का आवंटन

3852. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के राष्ट्रीय मुख्यालयों की स्थापना के लिए दिल्ली में भवन निर्माण के लिए भूमि के आवंटन और सामान्य पूल से भवन का आवंटन करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की नीति क्या है;

(ख) ऐसी भूमि के आवंटन अथवा भवन उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रतिक्रिया अपनाई जाती है;

(ग) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को अब तक कितनी भूमि/स्थान आवंटित किये गये हैं और ऐसे आवंटन, अथवा बिक्री अथवा पट्टा तथा मूल्य लाइसेंस शुल्क और अन्य प्रभारों को निर्धारित करने संबंधी शर्तें क्या हैं;

(घ) दिल्ली में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और उनके प्रमुख संगठनों को सामान्य पूल से आवंटित किये गये भवनों का ब्यौरा क्या है और लाइसेंस अथवा किराये की देयता संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि उपलब्ध कराये गये स्थान अथवा भवन के संबंध में दलों के घटकों के बीच कोई विवाद लम्बित पड़े हैं तो वे क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मंजूरी के लिए लम्बित परियोजनाएं

3853. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पनबिजली ताप बिजली तथा परमाणु बिजली जैसी विद्युत परियोजनाओं एवं सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए अपेक्षित मंजूरी और विनियम क्या हैं;

(ख) इन विनियमों को कब से लागू किया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकारें तथा अन्य संगठन इसके पक्ष एवं विपक्ष में अभ्यावेदन करते रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1 जनवरी, 1989 को विभिन्न राज्यों में कितनी परियोजनाएं मंजूरी के लिये लम्बित पड़ी थीं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जल विद्युत, ताप एवं परमाणु विद्युत तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के मामले में पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति लेनी होती है जिनमें मुख्यत: निम्नलिखित से सम्बन्धित पहलू शामिल होते हैं :—

—वायु और जल प्रदूषण

- भूमि अवक्रमण

—प्रभावित लोगों को पुनर्वास

—वनस्पतिजात और प्राणिजात; और

—स्वास्थ्य

इन परियोजनाओं को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप होना चाहिए। विभिन्न पर्यावरणीय पैरामीटरों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश भी हैं।

जिन परियोजनाओं में वन भूमि को उपयोग में लाया जाना हो, उनके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भी स्वीकृति अपेक्षित होती है।

(ख) पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तें 1978 में और वानिकी स्वीकृति की शर्तें 1980 में लागू की गई थी।

(ग) कभी-कभी कुछ परियोजनाओं को पर्यावरणीय अथवा वानिकी स्वीकृति के पक्ष और विपक्ष दोनों में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इनको परियोजना पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाता है। कुछ राज्य सरकारों ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए भी अनुरोध किया था। यह आवश्यक नहीं समझा गया।

(घ) विभिन्न राज्यों से प्राप्त परियोजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिनको 1.1.1989 की स्थिति के अनुसार पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति दी जानी है।

विवरण

क. विद्युत बोर्ड अन्य राज्य क्षेत्र ताप विद्युत परियोजनाएं

मध्य प्रदेश

1. मांड थर्मल पावर स्टेशन (2×210 मेगावाट)

2. ग्वालियर के पास गैस टर्बाइन स्टेशन (3×100 मेगावाट)

3. गुना गैस टर्बाइन पावर स्टेशन (3×100 मेगावाट + 1×150 मेगावाट)

4. झाबुआ गैस टर्बाइन पावर स्टेशन (3×100 मेगावाट + 1×150 मेगावाट)

5. राजगढ़ गैस टर्बाइन पावर स्टेशन (2×100 मेगावाट + 1×150 मेगावाट)

6. अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन (3×100 मेगावाट + 1×150 मेगावाट)

राजस्थान

7. चित्तौड़गढ़ थर्मल पावर स्टेशन (2×210 मेगावाट)

पश्चिम बंगाल

8. बक्रेश्वर थर्मल पावर स्टेशन (3×210 मेगावाट)

9. सागरदिघी थर्मल पावर स्टेशन (2050 मेगावाट)

बिहार

10. तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन (चरण-2) (2×210 मेगावाट)

महाराष्ट्र

11. बम्बई सबरबन विद्युत सप्लाई लिमिटेड का दहानू थर्मल पावर स्टेशन (1×500 मे. वा)

12. महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड की उमरेद थर्मल पावर स्टेशन यूनिट 1 और 2 (2× 210 मेगावाट)

पंजाब

13. दोराहा थर्मल पावर प्लान्ट (2×210 मेगावाट)

14. गुरुनानक देव थर्मल पावर स्टेशन, भटिंडा (2×210 मेगावाट)

15. गोविंदवाल थर्मल पावर स्टेशन (2×210 मेगावाट)

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह

16. दक्षिण अण्डमान में थर्मल पावर स्टेशन (2×20 मेगावाट)

17. ग्रेटर निकोबार में डी. जी. क्षमता में वृद्धि करना (3.2 मेगावाट)

18. उत्तर अण्डमान में डी. जी. क्षमता में वृद्धि करना (1.2 मेगावाट)

केरल

19. कायमकुलम में थर्मल पावर स्टेशन (3×210 मेगावाट)

20. कोचीन में डीजल पावर स्टेशन (100 मेगावाट)

आन्ध्र प्रदेश

21. विजयाश्वरम गैस आधारित संयुक्त साइकल परियोजना (3×33 मेगावाट)

उत्तर प्रदेश

22. जगदीशपुर, रायबरेली में गैस पर आधारित संयुक्त साइकल पावर प्लान्ट (2×35 मेगावाट)

गुजरात

23. वेतवा, अहमदाबाद में गैस पर आधारित संयुक्त साइकल थर्मल पावर स्टेशन (116 मेगावाट)

कर्नाटक

24. मंगलौर थर्मल पावर स्टेशन (2×210 मेगावाट)

ख. उद्योग मंत्रालय

25. हजीरा में मैसर्स रिलायंस पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड का कैप्टिव पावर प्लान्ट (60 मेगावाट)

26. हेमपुर, जिला नैनीताल, उत्तर-प्रदेश में नेशनल न्यूजप्रिंट और पेपर मिल्स लि. का कैप्टिव पावर प्लान्ट (15 मेगावाट)

ग. कृषि मंत्रालय

27. सिंद्री (बिहार) में भारतीय खाद्य निगम का कैप्टिव पावर प्लांट (2×15 मे. वा)

28. रामागुण्डम, आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम का कैप्टिव पावर प्लांट (40 मेगावाट)

ग. ऊर्जा मन्त्रालय/विद्युत विभाग (केन्द्रीय क्षेत्र)

29. विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, चरण-2 (2×500 मेगावाट), मध्य प्रदेश

30. रिहन्द थर्मल पावर स्टेशन चरण-2 (2×500 मेगावाट) उत्तर प्रदेश

31. नवेली थर्मल पावर स्टेशन (थर्मल पावर स्टेशन-1 का विस्तार (2×210 मेगावाट) तमिलनाडु

32. एन. एल. सी. राजस्थान का बरसिंह सर थर्मल पावर स्टेशन (2×210 मेगावाट)

33. एन. टी. पी. सी., का दादरी गैस पर आधारित पावर प्लांट (600 मेगावाट) उत्तर प्रदेश

34. एन. टी. पी. सी. का रामागुण्डम थर्मल पावर स्टेशन (2×210 मेगावाट) आन्ध्र प्रदेश

35. एन टी. पी. सी. का चन्द्रपुर थर्मल पावर स्टेशन (4×500 मेगावाट) महाराष्ट्र

2. सिंचाई और पन विद्युत परियोजनाएं

1. विष्णुप्रयाग पन-विद्युत परियोजना, उत्तर प्रदेश।
2. कोल बांध पन-विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश।
3. सावल कोट पन-विद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर
4. बागलीहार पन-विद्युत परियोजना, जम्मू और कश्मीर।
5. शिवा सुन्दरम पन-विद्युत परियोजना, कर्नाटक।
6. चलाकुडी चरण-2 हन विद्युत परियोजना, केरल।
7. अन्नाकयाम पन-विद्युत परियोजना, केरल।
8. उत्तर प्रदेश में मेजा बांध की ऊंचाई बढ़ाना।
9. सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना, बंगाल।

3. परमाणु विद्युत परियोजना

1. रावत भाटा संयंत्र (विस्तार), राजस्थान
2. तारापुर संयंत्र विस्तार), महाराष्ट्र
3. कैगा संयंत्र (चरण-2), कर्नाटक
4. नागार्जुनसागर संयंत्र, आन्ध्र प्रदेश
5. कुडाम्कुलम संयंत्र, तमिलनाडु

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए आवश्यक औषधों की श्रेणी में परिवर्तन

3854. **श्री राज कुमार राय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए आवश्यक कतिपय औषधों की श्रेणी में परिवर्तन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उन औषधों के नाम क्या है; और

(ग) क्या यह सिफारिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये आवश्यक औषधों के मामले में सरकार की मूल्य-निर्धारण नीति के अनुरूप है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 की श्रेणी 1 से 2 औषधों को श्रेणी-II में पुनः वर्गीकृत करने के बारे में विचार करने के लिए उद्योग मंत्रालय रसायन और पैट्रो रसायन विभाग से अनुरोध किया। ये दो औषधें पैरासिटामोल, और रिफेम्पिसीन" हैं।

(ग) पैरासिटामोल को, जो किसी भी सुनिर्धारित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए एक विनिर्दिष्ट औषध नहीं है, पुनः वर्गीकृत करने की मांग की थी। रिफेम्पिसिन को औषध की प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पुनः वर्गीकृत करने की मांग की गई थी।

श्रेणी-एक के औषधों का पता लगाने के लिये विशेषज्ञ समिति की स्थापना

3855. **श्री राज कुमार राय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य नियंत्रण आदेश की श्रेणी-एक के लिए औषधों का पता लगाने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो कब और इसके निदेश-पद क्या हैं;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो कब और इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 की श्रेणी-I में औषधों को सम्मिलित करने के लिए अभ्यावेदनों और सुझावों की समीक्षा व जांच करने के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने नवम्बर, 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसकी रिपोर्ट की जिसमें औषधों की समीक्षा की गई है, सरकार सक्रिय रूप से जांच कर रही है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को शामिल किया जाना

3856. श्री राज कुमार राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को शामिल किया है; और

(ख) यदि हां, तो कब शामिल किया गया और वर्ष 1989-90 के लिये मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिये कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1089-90 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बजट आबंटन 0.00 लाख रुपये है। इसके अलावा, भारत सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बंगलौर को, जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्य में लगा हुआ है, वर्ष 1988-89 के लिए योजना पक्ष में 175.00 लाख रुपये और योजनेतर बजट में 205.00 लाख रुपये की सहायता दे रही है।

सिनिरेरिया मैरीटम सक्कस

3857. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिनिरेरिया मैरीटम सक्कस की गुणकारिता का पता लगाने तथा उसकी पुष्टि करने के लिए विभिन्न प्रामाणिक साहित्य के संदर्भ में गत तीन वर्षों के दौरान होम्योपैथी फार्माकोपिया की प्रयोगशालाओं में किये गये परीक्षणों के परिणामों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या जर्मन फार्माकोपिया में होम्योपैथी की उन सभी दवाइयों की गुणकारिता को मान्यता दी गई है, जिनकी गुणवत्ता का किसी प्रामाणिक साहित्य में उल्लेख नहीं है, और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला, गाजियाबाद जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, में भारत सरकार की होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति (एच.पी.सी.) द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुसार परीक्षण किए जाते हैं। इस प्रयोगशाला को कुल 35 नमूने प्राप्त हुए थे तथा उनका परीक्षण किया गया था। इनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

1986	18
1987	06
1988	12
योग	35

परीक्षण किए गये 36 नमूनों में से 24 नमूने सही पाए गए थे तथा 12 नमूने सही नहीं पाए गए थे।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-अर्थक्षम कपड़ा मिलों के श्रमिकों की सहायता के लिए निर्धारित धनराशि

3858. **श्री शरद दिघे** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कपड़ा मिलों की संख्या क्या है जिन्होंने उस कोष से धनराशि ले ली है जो उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे गैर-अर्थक्षम कपड़ा मिलों की सहायतार्थ स्थापित किया गया था जो या तो बन्द हो गए अथवा जहां उनकी स्थापना के बाद से ही परिसमापक नियुक्त कर दिया गया था;

(ख) कितनी धनराशि ली गयी और इससे कितने श्रमिकों को लाभ पहुँचा है; और

(ग) कितने मिल इस कोष से धनराशि नहीं निकाल सके और इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अब तक गुजरात की एक मिल के 855 कामगारों को "वस्त्र कामगार पुनर्वास निधि योजना" के अधीन लगभग 1.33 करोड़ रु. की धनराशि का भुगतान किया गया है।

(ग) छह पात्र वस्त्र मिलों ने इस योजना के लाभ नहीं लिए हैं जिसके विभिन्न कारण हैं। इन कारणों में पात्र कामगारों के संबद्ध विवरण नहीं मिलना शामिल है।

परम्परागत तरीकों द्वारा स्वास्थ्य रक्षा पर गोष्ठी

3859. **श्री शरद दिघे** :

श्री दिनेश गोस्वामी :

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1989 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "ट्रेडिशनल सिस्टम वेरी यूज-फुल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) क्या सरकार का उन परम्परागत स्वास्थ्य रक्षा उपायों को प्रोत्साहित करने का विचार है जिन्हें रोगों को रोकने एकम उनकी चिकित्सा के लिए वैज्ञानिक रूप से उपयोगी पाया गया है,

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध करने की समग्र प्रणाली में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों और होम्योपैथी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। इसमें स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध करने की पद्धति तथा आधुनिक पद्धति की एक एकीकृत नीति सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों तथा होम्योपैथी के चिकित्सकों (लगभग 4 लाख के विशाल साधन का पर्याप्त उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सरकार का बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार के लिए परम्परागत स्वास्थ्य परिचर्या के उपायों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कदम उठाने का विचार है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुविधाएं

3860. **श्री बबकम पुरुषोत्तमन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के लिए धनराशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धन-राशि आवंटित की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्यों में कुछ और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) स्कीमवार और राज्यवार सूचना संलग्न विवरण-1, विवरण-2 और विवरण-3 में दी गयी है।

(ग) केन्द्र सरकार का राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा किसी विशेष राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की कुशल जन शक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार आरम्भ किए जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण-1

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सुविधाओं में सुधार करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृति/आबंटित धन-राशि-केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम

स्कीम-1 प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का दर्जा बढ़ाना (मशीनरी का प्रतिस्थापन)

(लाख रुपयों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	पिछले तीन वर्षों के दौरान			योग
		1985-86	1986-87	198788	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	—	36.00	30.00	66.00
2.	असम	—	2.00	2.00	4.00
3.	बिहार	—	2.00	30.00	32.00
4.	गुजरात	—	2.00	34.00	36.00
5.	हरियाणा	—	32.00	27.00	60.00
6.	हिमाचल प्रदेश	—	4.00	17.00	21.00
7.	जम्मू व कश्मीर	—	2.00	18.00	20.00
8.	कर्नाटक	—	14.00	30.00	44.00
9.	केरल	—	2.00	10.00	12.00
10.	मध्य प्रदेश	—	4.00	(×)शून्य	4.00
11.	महाराष्ट्र	—	42.45	46.00	88.45
12.	मणिपुर	—	—	3.00	3.00
13.	मेघालय	—	—	—	—
14.	उड़ीसा	—	2.00	18.00	20.00
15.	पंजाब	—	13.00	30.00	43.00
16.	राजस्थान	—	2.00	20.00	22.00

1	2	3	4	5	6
17.	तमिलनाडु	—	2.00	138.00	140.00
18.	त्रिपुरा	—	—	—	—
19.	उत्तर प्रदेश	—	4.00	55.00	59.00
20.	पश्चिमी बंगाल	—	2.00	6.81	8.81
21.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
22.	दिल्ली	—	—	—	—
23.	मिजोरम	—	—	—	—
	कुल योग	—	167.45	515.81	683.26

विवरण-2

स्कीम-II अल्प संख्यक (अनु. जा/अनु. जन जाति से अन्य) बहुल क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का दर्जा बढ़ाना।

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1985-86	1986-87	1987-88	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	1.50	1.50
2.	असम	—	—	1.50	1.50
3.	बिहार	—	—	1.50	1.50
4.	गुजरात	—	—	—	—
5.	नागालैण्ड	—	—	2.00	2.00
6.	राजस्थान	—	—	1 50	1.50
7.	तमिलनाडु	—	—	—	—
	योग	—	—	8.00	8.00

विवरण-3

स्कीम-III -वर्तमान महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/विंगों को सुदृढ़ करने सहित नये महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/विंगों की स्थापना के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को सहायता अनुदान ।

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1985-86	1986-87	1987-88	योग
1. आंध्र प्रदेश	योजना चालू	योजना चालू	6.00	6.00
2. असम	नहीं की गई	नहीं की गई	2.00	2.00
3. गुजरात			—	—
4. हिमाचल प्रदेश	—	—	2.00	2.00
5. कर्नाटक	—	—	5.00	5.00
6. केरल	—	—	2.00	2.00
7. मेघालय	—	—	2.00	2.00
8. उड़ीसा	—	—	2.00	2.00
9. पंजाब	—	—	1.00	1.00
10. राजस्थान	—	—	2.00	2.00
11. त्रिपुरा	—	—	2.00	2.00
12. पश्चिमी बंगाल	—	—	—	—
कुल योग	—	—	26.00	26.00

नर्सों द्वारा की गई मांगों का कार्यान्वयन

3861. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार फरवरी, 1986 में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में कार्य कर रही नर्सों को अतिरिक्त भत्ते, संवर्ग पुनरीक्षा आदि संबंधी कुछ मांगों को कार्यान्वित करने पर सहमत हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मांगों को अब तक कार्यान्वित कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार का स्वीकृत मांगों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) नर्सों की मांगे और उन पर लिए गए निर्णय इस प्रकार हैं:—

मांग		सरकार का निर्णय
1	2	3
1.	वेतनमान का संशोधन :	स्वीकार नहीं किया गया।
2.	भत्ते :	
	(1) प्रैक्टिकल भत्ते :	स्वीकार नहीं किया गया।
	(2) वर्दी भत्तों में वृद्धि करना	वर्दी भत्ते की दर को 300/ रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1500/- प्रति वर्ष कर दिया गया है।
	(3) धुलाई भत्ते में वृद्धि करना	(3) धुलाई भत्ते की दर को 25/- रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 75/- रुपये प्रति मास कर दिया गया है।
	(4) जोखिम/मैसिंग/नाइट वेटेज भत्ता :	(4) नर्सों की ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए 150/- रुपये प्रतिमास के हिसाब से नर्सिंग भत्ता मंजूर करके सभी पर ध्यान दिया गया है।
	(5) अर्हता वेतन की मंजूरी :	(5) उपचर्या कार्मिकों को अनुमोदित अर्हता के लिए वेतन वृद्धि/वेतनवृद्धियों (नान-आब्जार्वेबल) मंजूर करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं जो इस प्रकार है (1) 10 महीने की अवधि का पोस्ट सर्टिफिकेट डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता होने पर एक वेतनवृद्धि, (2) बी.एस.सी. (आनर्स), एम.एस.सी. (नर्सिंग) तथा समतुल्य अर्हताएं होने पर दो वेतनवृद्धियां।

1	2	3
	(6) विशेष वेतन की मंजूरी :	(6) अस्पतालों के विशिष्टा प्राप्त क्षेत्रों/विभागों में कार्य कर रही नर्सों के लिए 60/- रुपये प्रतिमास के हिसाब से विशेष वेतन में वृद्धि करने हेतु, मार्च, 1987 में आदेश जारी किए गए।
	(7) समयोपरि भत्ते की मंजूरी :	(7) यह निर्णय लिया गया है कि जब कभी भी अतिरिक्त कार्य भत्ता देने की सामान्य योजना को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा, तो इसे नर्सों के लिए भी लागू कर दिया जाएगा।
	(8) छात्रवृत्ति में वृद्धि :	(8) सामान्य उपचर्या और अर्ध-धात्री पाठयक्रमों में अध्ययन कर रही छात्र नर्सों के लिए वजीफे की दर में वृद्धि कर दी गई है और उसे बढ़ाकर सभी तीन वर्षों के लिए एक समान 500/- रुपये प्रतिमास कर दिया गया है।
3.	नर्सों की संवर्ग की पुनरीक्षा :	3. नर्सों के संवर्ग का पुनर्संरचना करने की जाँचपड़ताल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति की सिफारिशों के लिए कार्रवाई की जा रही है।
4.	पारिवारिक आवास और परिवहन सुविधाएं	4. नर्सों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी नर्सों को पारिवारिक आवास देना सरकार के लिए संभव नहीं होगा और ना ही उन्हें विशिष्ट प्रकार की परिवहन सुविधाएं देना संभव होगा।

कार्य दिवसों का बर्बाद होना

3863. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान प्रत्येक राज्य में अब तक कितने कारखाने बन्द किए गए हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान बर्बाद हुये कार्य दिवसों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) उपलब्ध नवीनतम सूचना के आधार पर वर्ष 1988 के दौरान राज्य-वार बन्द औद्योगिक एककों तथा हड़तालों और तालाबंदियों के कारण नष्ट हुए श्रम दिवसों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1988 के दौरान कामबन्दियों तथा नष्ट हुए श्रम दिवसों की (अनंतिम)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	*कामबंदियों की सं.	नष्ट हुए श्रम दिवसों की संख्या** (हजारों में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	5	1,625
अरुणाचल प्रदेश	...	0
असम	0	45
बिहार	1	491
गोवा	0	36
गुजरात	12	293
हरियाणा	19	299
हिमाचल प्रदेश	...	1
जम्मू और कश्मीर	...	1
कर्नाटक	0	376
केरल	1	1,510
मध्य प्रदेश	0	362
महाराष्ट्र	70	4,146
मणिपुर	0	0
मेघालय	...	...
मिजोरम	...	0
नागालैण्ड	...	0

1	2	3
उड़ीसा	4	254
पंजाब	3	243
राजस्थान	2	440
सिक्किम	...	0
तमिलनाडू	5	1,812
त्रिपुरा	3	27
उत्तर प्रदेश	0	17
पश्चिम बंगाल	...	18,465
अंडमान और निकोबार	0	0
चंडीगढ़	...	1
दादर और नागर हवेली	0	0
दिल्ली	5	...
दमन और दीव	...	...
लक्षद्वीप	0	0
पांडिचेरी	0	29
कुल	130	30,471

*—ये जनवरी—नवम्बर, 1988 से संबंधित है।

**—हड़तालों तथा तालाबंदियों के कारण।

...—उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी) —सूचना केवल कैलेण्डर वर्ष के अनुसार रखी जाती है।

स्रोत—श्रम ब्यूरो, शिमला।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को नियमित करना

3864. श्री राम पूजन पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपने मस्टर रोल मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने के लिये पिछले छः महीनों के दौरान बेलदारों, खलासियों, चौकीदारों, पम्प आपरेटरों, वायरमैनों, पलम्बरों, फिटरों के पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किये थे;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ग-वार प्रत्येक साक्षात्कार में कितने मस्टर रोल मजदूर उपस्थित हुए/सफल रहे;

(ग) उनमें से दिल्ली तथा दिल्ली से बाहर कितने मजदूरों को श्रेणी वार अलग-अलग विनियमित किया गया; और

(घ) शेष सफल उम्मीदवारों की सेवाओं को कब तक नियमित किया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

'जल प्रदूषण के लिए जल की स्वच्छता के मापदंड"

3865. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जल प्रदूषण के लिए जल की स्वच्छता का स्तर निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या जल प्रदूषण के लिए निर्धारित किया गया वर्तमान स्तर सोवियत संघ तथा अमरीका में विद्यमान स्तरों से निम्न है; और

(ग) यदि हां, तो जल प्रदूषण के लिए जल की स्वच्छता के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जल गुणवत्ता के निश्चित पैरामीटरों पर आधारित विभिन्न प्रयोजनों जैसे उपचार के बिना पेयजल, उपचारित पेयजल, स्नान, सिंचाई आदि के लिए पानी के निर्दिष्ट सर्वोत्तम प्रयोग को निर्धारित किया गया है।

(ख) ये सामान्यतः तुलनीय हैं किन्तु जलवायु संबंधी परिस्थितियों आदि के कारण इनमें कुछ विभिन्नता भी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति

3866. **श्री सी. सम्बु :**
श्री सी. जंगा रेड्डी :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :
श्री के. मोहनदास :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के अन्त तक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार लोगों की राज्यवार, और श्रेणी-वार संख्या कितनी थी; और

(ख) इस वर्ष के दौरान कितने लोगों को राज्यवार रोजगार उपलब्ध कराया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसद कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) 1988 के अंत में देश के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, की संख्या तथा 1988 के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की गई नियुक्तियां संलग्न विवरण में राज्य-वार दी गई हैं। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, जून, 1988 के अंत में चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की वर्गवार संख्या इस प्रकार है :—

	जून, 1988 के अंत में चालू रजिस्टर पर नोकरी चाहने वाले व्यक्ति (लाखों में)
मैट्रिक से कम (अशिक्षित व्यक्तियों सहित)	127.3
मैट्रिक	96.8
हायर सैकेंडरी	41.9
स्नातकोत्तरों सहित स्नातक	28.1
कुल :	294.1

विवरण

(हजारों में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश		चालू रजिस्टर (1988 के अंत में)	नियुक्तियां (1988 के दौरान)
1		2	3
राज्य			
1.	आंध्र प्रदेश	2676.1	19.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	4.6	—
3.	असम	903.8	6.4
4.	बिहार	2657.6	18.7
5.	गोवा	74.3	1.9

1		2	3
6.	गुजरात	863.3	13.0
7.	हरियाणा	577.1	12.1
8.	हिमाचल प्रदेश	367.8	7.1
9.	जम्मू व कश्मीर	129.8	1.5
10.	कर्नाटक	1058.2	8.4
11.	केरल	2901.1	15.6
12.	मध्य प्रदेश	1788.2	25.3
13.	महाराष्ट्र	2663.7	29.7
14.	मणिपुर	245.5	0.4
15.	मेघालय	20.7	0.3
16.	मिजोरम	38.5	1.5
17.	नागालैण्ड	25.0	0.5
18.	उड़ीसा	745.0	10.0
19.	पंजाब	576.1	9.0
20.	राजस्थान	850.8	13.3
21.	सिक्किम*		
22.	तमिलनाडु	2607.6	50.6
23.	त्रिपुरा	135.8	1.7
24.	उत्तर प्रदेश	2974.5	29.1
25.	पश्चिम बंगाल	4188.8	12.9
संघ शासित प्रदेश			
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	15.1	1.4
2.	चंडीगढ़	142.7	1.4
3.	दादर व नागर हवेली	1.8	0.1

	1	2	3
4.	दिल्ली	706.4	36.0
5.	दमन व दीव**		
6.	लक्षद्वीप	7.8	@
7.	पांडिचेरी	102.8	1.4
	जोड़	90050.2	328.5

टिप्पणी : 1. *कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. **आंकड़ें नहीं रखे जाते।

3. @आंकड़े 50 से कम से कम।

4. ऐसा हो सकता है कि पूर्णांक के कारण संख्याएं जोड़ से मेल नहीं खाती हों।

"कलकत्ता में इंजेक्शन से एड्स का खतरा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3867. श्री बी. तुलसीराम :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 26 फरवरी, 1989 के 'नवभारत टाइम्स' में "कलकत्ता में इंजेक्शन से एड्स रोग का खतरा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मरीजों को ऐसे कितने टीके लगाये गए हैं;

(घ) इन मरीजों की जान बचाने के लिए क्या निवारक उपाय किये गए हैं; और

(ङ) इन टीकों को बिक्री हेतु जारी करने के लिए उत्तरदायी पाये गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में निर्मित इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन एच आई वी एंटी-बाडीज के लिए पाजिटिव पाए गए थे, जैसा कि समाचारों में छपा था।

(ख) से (ङ) मैसर्स बायोजेनेसिस इंडिया लिमि., लोनावाला, पुणे, महाराष्ट्र द्वारा निर्मित बैच न. 44174 और 44173 के रीहूमन इंजेक्शन पश्चिम बंगाल में रोगियों को लगाए गए थे।

हालांकि उन व्यक्तियों की संख्या बताना संभव नहीं होगा जिन्हें इन उत्पादों के इंजेक्शन लगाए गए थे। फिर भी राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों के माध्यम से देश में निर्मित सभी

रक्त उत्पादों की बिक्री पर तुरन्त रोक लगा दी गई। राज्य औषध नियंत्रकों को परामर्श दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए रक्त उत्पाद एड्स के वायरस से मुक्त हों, निम्नलिखित कदम उठाएं :—

— अत्यंत सावधानी के तौर पर आज तक निर्मित सभी रक्त उत्पादों/प्लासेंटा को जिनमें वे भी शामिल हैं, जिन्हें निर्माताओं द्वारा बाजार से हटा लिया गया है, नष्ट कर दिया जाए।

— यह सुनिश्चित करने के लिए कि रक्त उत्पादों के निर्माताओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद एच. आई. वी. प्रतिपिंडों से मुक्त हों, रक्त उत्पादों के निर्माताओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले दिशा-निर्देश राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारियों को अनुपालन के लिए परिचालित कर दिए गए हैं।

— जिन व्यक्तियों ने पिछले 2 वर्षों के दौरान कोई/रक्त प्लासेंटा उत्पाद लिया हो, एच. आई. वी. प्रतिपिंडों के लिए अपने रक्त की जांच समीपवर्ती एड्स निगरानी केन्द्र में करवा लें।

"मोर मनी फार सिविक बाडीज इन पंजाब" से शीर्षक से समाचार

3868. श्री वी. तुलसीराम :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 मार्च, 1989 के इंडियन एक्सप्रेस में "मोर मनी फार सिविक बाडीज इन पंजाब" से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पंजाब में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले नगर निकायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि निर्धारित की जायेगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्र (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई है।

राष्ट्रीय कपड़ा कपड़ा निगम के लिए गैर योजना प्रावधान

3869. श्री वी तुलसीराम :

श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

श्री हरि हर सोरन :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान होने वाले नकद नुकसान और कार्य पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लिए कोई गैर-योजना राशि का प्रावधान किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम को ऐसी स्थिति में लाने के लिए जहां उसे न लाभ और न घाटा, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि. की कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निगम को बजट सहायता के रुप में 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है।

(ग) राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने संस्थागत वित्त, उत्पाद सुधार और विविधीकरण, चुनिन्दा मिलों को उन्नत बनाने आदि के द्वारा चुनिन्दा आधुनिकीकरण पर आधारित एक नई व्यापक नीति बनाई है जिससे वित्तीय स्थिति सुधारी जा सके।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डिफेन्स कालोनी में क्लब के भवन को गिराना

3870. **डा. टी. कल्पना देवी** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली में स्थित नेताजी सुभाष मोडर्न स्पोर्टस क्लब के भवन को गिराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने कुछ अनधिकृत निर्माण गिराये हैं जो कि पार्क के लिए उद्दिष्ट क्षेत्र में बने हुए थे। तथापि, गिराने की कार्यवाही के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के उद्यान विभाग के स्टाफ ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्पोर्टस क्लब द्वारा निर्मित शेड को भी गिरा दिया था।

एम एन जे कैंसर अस्पताल में क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र

3871. **डा. टी. कल्पना देवी** :
श्रीमती एन. पी. झांसी लक्ष्मी :
क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश भर में क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एम. एन. जे. कैन्सर अस्पताल में एक क्षेत्रीय कैन्सर केन्द्र स्थापित करने के लिये आंध्र प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, हां। इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि सातवीं योजना अवधि के दौरान किसी नये क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र को खोलने या मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

छोटा परिवार अपनाने हेतु सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन

3872. डा. टी. कल्पना देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो बच्चों का प्रतिमान अपनाने वाले केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों को जो नसबंदी नसबन्दी आपरेशन करवाते हैं, प्रोत्साहन के रूप में दो वेतन वृद्धियां दी जाती हैं यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि खर्च की गई, और

(ख) क्या सरकार का ग्रामीण और शहरी गंदी बस्तियों में रहने वाले उन व्यक्तियों को जो परिवार नियोजन के गर्भ निरोधक तरीके अपनाते हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों को परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने हेतु प्रोत्साहन करने के रूप में मासिक प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) वर्तमान आदेशों के अंतर्गत कोई सरकारी कर्मचारी जो या जिसका पति/जिसकी पत्नी तीन अथवा इससे कम जीवित बच्चों बाद नसबंदी आपरेशन कराता है/कराती है, वैयक्तिक वेतन के रूप में कुछ एक शर्तों को पूरा करने पर एक विशेष वेतन वृद्धि पाने का हकदार है जो कि भावी वेतन वृद्धियों में समायोजित नहीं होगी। इस व्यय का कोई अलग खाता नहीं रखा जाता है क्योंकि प्रदान की गई वेतन वृद्धि वेतन के एक भाग के रूप में एक प्रोत्साहन है।

(ख) जी, नहीं।

स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी करना

3873. डा. टी. कल्पना देवी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन परिवारों को जिन्होंने नसबन्दी आपरेशन करवा लिया है स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी करने का विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) नसबन्दी आपरेशन करा चुके परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए अत्यधिक परिव्यय की आवश्यकता है जिसके लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत धन राशि उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में अनधिकृत भवन

[हिन्दी]

3874. श्री मदन पांडे : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनधिकृत भवनों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनका अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो सरकार का उन्हें कब तक अधिगृहित करने का विचार है;

(ग) क्या इस वर्ष करोल बाग दिल्ली में कुछ भवनों को सील किया गया था और बाद में उनकी सील तोड़ दी गई थी, और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्योरा क्या है और उनकी सील तोड़ने के क्या कारण हैं;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसने अनधिकृत भवनों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, नियमित रूप से दैनिक जांच पर 1.1.86 से 27.3.89 तक की अवधि के दौरान इसने 14918 अनधिकृत निर्माण के मामलों का पता लगाया है तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 एवं लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के उपबन्धों के अनुसार बेदखली/गिराने की कार्यवाही की जा रही है। दिल्ली नगर निगम ने भी 1988 और 1989 (28.2.1989 तक) के दौरान दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए क्रमश: 4472 और 675 मामले दर्ज किए हैं। किसी अनधिकृत भवनों को अर्जित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम ने 1989 के दौरान 23 भवनों को सील किया है। दिल्ली नगर निगम के अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेशों के अन्तर्गत संशोधन के लिए करोल बाग क्षेत्र के अन्तर्गत इसने 4 भवनों को (राजेन्द्र नगर क्षेत्र में) सील तोड़ी थी।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चिकित्सा स्नातकों की आवश्यकता उपलब्धता

[अनुवाद]

3875. श्री आर. एम. भोये : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चिकित्सा स्नातकों की आवश्यकता तथा उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक को आवंटित नियंत्रित कपड़ा

3876. श्री श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक को गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रकार के नियंत्रण कपडे जनता कपड़े की कितनी मात्रा का आवंटन किया गया था;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राज्य को आवंटित किए जाने वाले नियंत्रित कपड़े की मात्रा में वृद्धि करने की मांग की थी;

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक को वर्ष 1988-89 में आवंटित नियंत्रित कपड़े का ब्योरा क्या है, और

(घ) क्या राज्य को वर्ष 1989-90 में नियंत्रित कपड़े के आवंटन में कोई वृद्धि करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान कर्नाटक को आवंटित क्रंट्रोल के कपड़े और जनता कपड़े की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	क्रंट्रोल का कपड़ा	जनता का कपड़ा
1985-86	128.92	224.30
1986-87	63.85	267.CO
1988-89	55.51	373.80

(ख) जी, नहीं।

(ग) अप्रैल, 1988 से जनवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान कर्नाटक को लगभग 27.44 लाख वर्ग मीटर क्रंट्रोल का कपड़ा और 5.63 लाख वर्ग मीटर पी.सी. क्रंटोल का कपड़ा रिलीज किया गया था।

(घ) वर्ष 1989-90 के दौरान विभिन्न राज्यों को, जिसमें कर्नाटक भी शामिल है, क्रैंट्रोल के कपड़े का आवंटन मांगपैटर्न पर निर्भर करेगा।

कर्नाटक में रूई कताई मिलें

3877. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में रूई कताई मिलें स्थापित करने सम्बन्धी कितने आवेदन उनके मंत्रालय अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय में विचाराधीन हैं;

(ख) इस राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान कई कताई मिलें स्थापित करने हेतु कितने आवेदकों को लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ग) शेष आवेदकों को लाइसेंस स्वीकृत करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम): (क) कर्नाटक राज्य में सूती कताई मिलों को लाइसेंस दिए जाने के लिए कई नया आवेदन पत्र इस समय केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान कर्नाटक में सूती कताई मिलों की स्थापना के लिए नया लाइसेंस जारी नहीं किया गया।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठाता।

कपड़ा उत्पादन के लिए लक्ष्य का निर्धारण

[हिन्दी]

3878. **श्री दिनेश गोस्वामी** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में कपड़ा उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, और

(घ) यदि नहीं, तों कितनी कम होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात 1989-90 के दौरान उत्पादन लक्ष्य 14,500 मिलियन मीटर निर्धारित किया गया था। लक्ष्य की उपलब्धि अथवा अन्यथा के बारे में अन्तिम वर्ष 1989-90 की समाप्ति के बाद ही बताया जा सकता है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदाम किराए पर लिया जाना

3879. **श्री दिनेश गोस्वामी** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने राजस्थान में गैर-सरकारी क्षेत्र में निर्मित गोदामों को किराये पर न लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम के पास अपनी निजी भण्डारण क्षमता पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो इसकी कुल भंडारण क्षमता कितनी है। और

(घ) भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस वर्ष कुल कितनी मात्रा में खाद्यान्नों का भण्डारण किये जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) 1.2.1989 को स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास राजस्थान में कुल 14.82 लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता उपलब्ध थी जिसमें से निगम की अपनी क्षमता 7.55 लाख मीटरी टन और किराए पर ली गई 7.27 लाख मीटरी टन क्षमता थी। किराए पर ली गई क्षमता में 7.10 लाख मीटरी टन प्राइवेट पार्टियों, 15,000 मीटरी टन राजस्थान राज्य भाण्डागार निगम और 2.000 मीटरी टन केन्द्रीय भाण्डागार निगम से लिखी गई क्षमता शामिल है।

(घ) अनुमान है कि चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा राजस्थान में लगभग 3.91 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का अधिकतम स्टाक रखा जाएगा।

सोयाबीन खाद्य तेलों का आयात

3880. **श्री दिनेश गोस्वामी :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 के दौरान सोयाबीन खाद्य तेल का आयात किया गया था, यदि हां, तो इसका कितनी मात्रा में आयात किया गया था,

(ख) क्या इस तेल को खाना पकाने के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है जब तक इसे दोबारा शुद्ध न कर लिया जाए,

(ग) क्या इस तेल का उपयोग मुख्यतः वनस्पति घी का निर्माण करने के लिए किया जा रहा है,

(घ) क्या वनस्पति घी निर्माताओं ने अब इस तेल का प्रयोग करने के प्रति अपनी अनिच्छा प्रकट की है, और

(ङ) यदि हां, तो इस तेल की खपत के लिए सरकार ने क्या नीति अपनाई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) पचाग वर्ष 1988 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा सरकार की ओर से लगभग 3.28 लाख मी. टन सोयाबीन के तेल का आयात किया गया था। इसके अलावा ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को विदेश से 50 मीटरी टन परिष्कृत सोयाबीन का तेल उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था।

(ख और ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा अपरिष्कृत सोयाबीन के तेल का आयात मुख्यतया वनस्पति

उद्योग की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किया जाता है। तथापि, इस तेल को सीधे उपयोग में लाने से पूर्व उसका परिष्करण करना आवश्यक होता है।

(घ) इस समय वनस्पति उद्योग सोयाबीन तेल सहित आयातित खाद्य तेलों को वनस्पति के विनिर्माण में उपयोग करने के लिए नहीं उठा रहा है। क्योंकि इन तलों के निर्गम मूल्यों में बढ़ोतरी हो गई है तथा साथ ही खुले बाजार में देशीय खाद्य तेल भी कम मूल्य पर आसानी से उपलब्ध हैं।

(ङ) सरकार ने अब राज्य व्यापार निगम के पास सोयाबीन के तेल के संचित स्टाक का मुख्यतया सशस्त्र सेवाओं की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उपयोग करने का निर्णय किया है।

सहकारी ग्रुप आवास समितियों को भूमि का आवंटन

3881. कमला प्रसाद रावत : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी सहकारी ग्रुप आवास समितियां पंजीकृत हैं और इनका पंजीकरण किन-किन वर्षों में हुआ है; और

(ख) उन समितियों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए चालू वर्ष के दौरान सरकार का क्षेत्र-वार भूमि आवंटित करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क)

वर्ष	समितियो की संख्या
1	2
1968-69	5
1969-70	5
1970-71	42
1971-72	83
1972-73	36
1973-74	3
1974-75	—
1975-76	—
1976-77	1

1	2
1977-78	—
1978-79	2
1979-80	346
1980-81	45
1981-82	—
1982-83	651
1983-84	745
1984-85	18
1985-86	—
1986-87	2
1987-88	5
सामूहिक आवास समितियों में बदली गई गृह निर्माण समितियां	19
योग :	2008

(ख) पंजीयक सहकारी समिति, दिल्ली के पास अगस्त, 1983 तक पंजीकृत 1281 सहकारी सामूहिक आवास समितियों के नाम भूमि के आवंटनार्थ उनके द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजे गये हैं। भूमि की अनुपलब्धता के कारण उनको आवंटन पर विचार करना संभव नहीं हुआ है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भूमि की सीमित उपलब्धता और पंजीकृतों के बड़ी संख्या में पिछले बकाया को ध्यान में रखते हुए इस समय यह बताना कठिन है कि कितनी पंजीकृत सहकारी सामूहिक आवास समितियों की भूमि की आवश्यकता को समायोजित किया जा सकता है। तथापि, "आवास साकार योजना" के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों को भूमि के आवंटन में उच्च प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1983 से पूर्व पंजीकृत 518 समितियों को भूमि आवंटित कर दी गई है।

29 मार्च, 1989 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर मलेरिया के रोगी और इससे होने वाली मौतें

3882. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मलेरिया उन्मूलन के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इसकी कब तक उन्मूलन किए जाने की संभावना है;

(ख) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान मलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ग) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान मलेरिया उन्मूलन पर कितनी धन-राशि खर्च की गई,

(घ) क्या इस पर भारी धनराशि खर्च किए जाने के बावजूद इस वर्ष मलेरिया के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है, और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान अब तक मलेरिया के रोगियों की संख्या/इससे हुई मौतों का राज्यवार ब्योरा क्या है,

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 1955 में आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा की सिफारिशों के परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 1958 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया था। 1965 तक रोगियों की संख्या में गिरावट आ रही थी और तत्पश्चात रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि आ गई। सरकार ने मलेरिया को रोकने के लिए 1977 में एक संशोधित कार्य योजना प्रारम्भ की। तब से देश में मलेरिया के रोगियों की संख्या में कमी आ रही है। 1976 में रिकार्ड किए गए रोगियों में से घट कर वर्ष 1987 में 16.6 लाख रोगी हुए। वर्तमान उद्देश्य मलेरिया से होने वाली रुग्णता और मृत्यु दर पर नियंत्रण पाना है।

(ख)	मलेरिया के कुल रोगी	मौतें
1987 (पूरे वर्ष में)	1663284	188
1988 (अन्तिम)	1472059	161
1987 (इसी अवधि तक)	1319258	143

(ग) 1987-88 और 1988-89 के दौरान इस पर खर्च की गई राशि :—

(आंकड़े लाख में)

	नकद	सामग्री	कुल
1987-88	2659.34	5827.64	8486.98
1988-89	1551.92	6748.08	8300.00

(घ) वर्ष 1988 के दौरान वर्ष 1987 की इसी अवधि की तुलना में मलेरिया के रोगियों की संख्या में लगभग 11.00 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ङ) संलग्न विवरण में आवश्यक सूचना दी गई है।

विवरण

जनवरी, 1989 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1988 के दौरान भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मलेरिया की जानपदिक रोगविज्ञान संबंधी स्थिति

क्रमसं	राज्यों/संघों राज्य क्षेत्रों/ अन्य के नाम	वर्ष	एकत्र की गई रक्त स्लाइडें	जांच की गई रक्त स्लाइडें	घटनाएं
1.	आन्ध्र प्रदेश	1987	5827687	5827687	31145
		1988	6317698	6317698	39213
2.	अरुणाचल प्रदेश	1987	204446	204446	16164
		1988	170230	170230	15489
3.	असम	1987	1869039	1775394	53978
		1988	1843891	1711072	46394
4.	बिहार	1987	1213514	1213514	17160
		1988	994850	994850	14562
5.	गोवा	1987	99635	99635	4290
		1988	120822	120822	6273

6. गुजरात	1987	5398459	5398459	247097
	1988	6466220	6466220	394855
7. हरियाणा	1987	2533122	2533112	18926
	1988	2630029	2630029	9216
8. हिमाचल प्रदेश	1987	711635	693320	22460
	1988	717691	704053	10209
9. जम्मू व कश्मीर	1987	359224	345985	11291
	1988	359836	352224	4198
10. कर्नाटक	1987	5791113	5186282	72402
	1988	6248997	5032152	83614
11. केरल	1987	1083908	1045244	3459
	1988	1330588	1233930	4810
12. मध्य प्रदेश	1987	5031005	4630032	163477
	1988	6026064	5341941	199360
13. महाराष्ट्र	1987	7606531	7606531	47631
	1988	7705699	7545374	65064

1.	2.	3.	4	5.	6.
14.	मणिपुर	1987	156797	156797	1013
		1988	171337	171337	978
15.	मेघालय	1987	151040	151040	8196
		1988	193871	193871	7890
16.	मिजोरम	1987	163360	163360	12863
		1988	174895	174895	17620
17.	नागालैण्ड	1987	33693	33693	3807
		1988	30425	30425	2526
18.	उड़ीसा	1987	2829315	2827535	209612
		1988	2609657	2561727	171958
19.	पंजाब	1987	2699007	2698967	86604
		1988	2611225	2609935	33186
20.	राजस्थान	1987	2640561	2497073	48365
		1988	3130468	2982829	87949

21. सिक्किम	1987	26673	26673	24
	1988	27352	27352	22
22. तमिलनाडू	1987	6271499	6271499	48423
	1988	4845647	4662442	70291
23. त्रिपुरा	1987	154327	154327	6991
	1988	144788	144788	5725
24. उत्तर प्रदेश	1987	7248470	7112843	121388
	1988	8543240	7998567	124070
25. पश्चिम बंगाल	1987	1002467	1002467	29597
	1988	1684172	1258485	27134
26. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1987	139935	139935	3271
	1988	142631	142631	3360
27. चंडीगढ़	1987	74272	74272	7543
	1988	71913	71913	4733
28. दादर और नागर हवेली	1987	21389	21389	5625
	1988	25605	25605	5845

1	2	3	4	5	6
29.	दमन और दीव	1987	14037	14037	375
		1988	15248	15248	779
30.	दिल्ली	1987	916192	916192	14045
		1988	1039432	1039432	14292
31.	लक्षद्वीप	1987	672	672	3
		1988	541	541	1
32.	पांडिचेरी	1987	185930	185930	202
		1988	158595	158595	299
33.	कोलफील्ड	1987	54491	54241	149
		1988	33118	32788	92
34.	डी.एन.के. योजना	1987	5595	5595	1742
		1988	1547	1547	352
कुल योग		1987	62519080	60983378	1319258
		1988	68584323	62982548	1472059

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र/अन्य नाम	पी.फाल्सीपैयर रोग	वर्ष 1987 की तुलना में वर्ष 1988 में प्रतिशत वृद्धि (+) कमी (—)				सूचना जिस अवधि तक है।
			कुल रोगी		पी. फाल्सीपैयर रोगी		
1	2	7	8			9	10
1.	आंध्र प्रदेश	12207 11408	(+)	25.90	(—)	6.65	अक्तूबर
2.	अरूणाचल प्रदेश	3561					
		2934	(—)	4.18	(—)	17.61	नवम्बर
3.	असम	48047					
		28215	(—)	14.85	(—)	41.28	अगस्त
4.	बिहार	10571					
		8364	(—)	15.14	(—)	20.88	अगस्त
5.	गोआ	7					
		229	(+)	46.22	(+)	3171.43	नवम्बर

1.	2.	7.	8.	9.	10.
6.	गुजरात	64450			
		122791	(+) 59.68	(+) 90.52	दिसम्बर
7.	हरियाणा	280			
		826	(—) 56.59	(—1) 185.81	दिसम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	65			
		41	(+) 54.55	(—) 36.92	दिसम्बर
9.	जम्मू और कश्मीर	199			
		320	(—) 62.82	(+) 60.80	नवम्बर
10.	कर्नाटक	22925			
		22590	(+) 15.49	(—) 1.46	नवम्बर
11.	केरल	106			
		111	(+) 39.06	(+) 4.72	नवम्बर

12.	मध्य प्रदेश	61595					
		68252	(+)	21.95	(+)	10.81	अक्तूबर
13.	महाराष्ट्र	16254					
		17666	(+)	36.60	(+)	8.69	अक्तूबर
14.	मणिपुर	312					
		376	(—)	3.46	(+)	20.51	नवम्बर
15.	मेघालय	6002					
		5578	(—)	3.73	(—)	7.06	सितम्बर
16.	मिजोरम	6650					
		7768	(+)	37.62	(+)	16.81	अक्तूबर
17.	नागालैंड	1218					
		671	(—)	33.65	(—)	44.91	सितम्बर
18.	उड़ीसा	168167					
		141543	(—)	17.96	(—)	15.83	नवम्बर
19.	पंजाब	862					
		621	(—)	61.68	(—)	27.96	दिसम्बर

1.	2.	7.	8			9.	10.
20.	राजस्थान	8046					
		21671	(+)	81.84	(+)	169.34	नवम्बर
21.	सिक्किम	2	(—)	8.33	(+)	100.00	नवम्बर
22.	तमिलनाडु	2797					
		5107(+)	(+)	45.16	(+)	82.59	नवम्बर
23.	त्रिपुरा	6127					
		4472	(—)	18.11	(—)	17.01	नवम्बर
24.	उत्तर प्रदेश	8942					
		8216	(+)	2.21	(—)	8.09	नवम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	8658					
		39.24	(—)	8.32	(—)	40.89	सितम्बर
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	633					
		782	(+)	2.72	(+)	23.54	दिसम्बर

27.	चंडीगढ़	12					
		2	(—)	37.25	(—)	83.33	जुलाई
28.	दादर और नागर हवेली	274					
		342	(+)	3.91	(+)	27.37	सितम्बर
29.	दमण और द्वीप	—					
		33	(+)	107.73	(+)	100.00	सितम्बर
30.	दिल्ली	22					
		20	(—)	1.76	(—)	9.09	सितम्बर
31.	लक्षद्वीप	—					
		—	(—)	55.67	(—)		सितम्बर
32.	पांडिचेरी	4					
		1	(—)	48.02	(—)	75.00	सितम्बर
33.	कोलफिल्ड	28					
		16	(—)	338.728	(—)	12.86	अक्तूबर
34.	डी.एम.के. योजना	1459					
		289	(—)	79.79	(—)	88.19	फरवरी
		4584[illegible]					
		485629	(—)	11.58	(—)	5.92	

राजस्थान में वनरोपण"

[अनुवाद]

3883. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वन क्षेत्र का विस्तार करने, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने तथा वानिकी से संबंधित अन्य कार्यक्रमों के लिए सातवीं योजना के अन्तर्गत वनरोपण का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ है;

(ग) केन्द्र ने राजस्थान को अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(घ) क्या यह पता लगाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्य को राजस्थान में किस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) वनीकरण लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। राजस्थान में सातवीं योजनावधि के अन्तर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	पौद की संख्या (लाखों में)	
	लक्ष्य	उपलब्धियां
1985-86	820	958
1986-87	1100	1341
1987-88	1200	1174
1988-89	1300	1283 (जनवरी, 1989 तक)

(ग) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक राजस्थान को वनीकरण कार्यों के लिए 72.33 करोड़ रुपये आवंटित किए।

(घ) जी, हां। आठवीं योजनावधि के दौरान राजस्थान में वनीकरण कार्यक्रम में और अधिक तेजी लाने की आशा है।

गेहूं का आयात

3884. श्री गुरुदास कामत : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा अमरीका से दिसम्बर, 1988 के दौरान गेहूं का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ख) क्या राज्यों कीडा लगा गेहूँ सप्लाई किया गया था, यदि हां, तो राज्य-वार कितनी मात्रा में इसकी सप्लाई की गई; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा मनुष्यों के उपयोग हेतु अयोग्य पायी गयी कितनी मात्रा में गेहूं नष्ट की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1988-89 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से 20.11 लाख मीटरी टन गेहूं आयात किया गया है।

(ख) और (ग) हालांकि कुछ शिपमेंट्स में अर्गट और ड्वार्फ से प्रभावित अनाज का कोई बिरला ही मामला पाया गया था, लेकिन स्टाक खाद्य अप मिश्रण निवारण अधिनियम की सीमा के अन्दर था और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात की गई गेहूँ के समस्त परेषण मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इस किस्म का गेहूं हम 1950 से आयात कर रहे हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका इस किस्म का गेहूं भारी मात्रा में इस समय सोवियत रूस, जापान, पाकिस्तान, बंगला देश आदि जैसे प्रमुख उपभोक्ताओं को निर्यात कर रहा है। यद्यपि अमरीकी गेहूँ के समस्त परेषण मानव उपभोग के प्रयोजन के लिए होते हैं और ड्वार्फ बंट से ग्रस्त गेहूं के भारत में गेहूँ की खेती में फैलने का मौका नगण्य है, लेकिन अत्यधिक सावधानी बरतने के एक उपाय के रूप में ड्वार्फ से प्रभावित गेहूं का ग़ैर-गेहूं उत्पादक क्षेत्रों को भेज दिया गया है ताकि किसी को इसका संयोग से भी बीज के रूप में इस्तेमाल करने का अवसर न मिल सके।

विभिन्न राज्यों में रोलर फ्लोर मिलों को अर्गट से प्रभाहित गेहूं की निम्नलिखित मात्रा दी गई है :

आन्ध्र प्रदेश		57,482 मीटरी टन
केरल		15,795 मीटरी टन
कर्नाटक		36,260 मीटरी टन
तमिलनाडु		30,732 मीटरी टन
महाराष्ट्र		19,188 मीटरी टन
उड़ीसा		9,000 मीटरी टन
	जोड़	1,68,457 मीटरी टन

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का विलय

3885. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम अपने नियंत्रणाधीन मिलों में से कुछ का विलय करके, इनकी संख्या में कमी करने वाली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का मिल कामगारों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफ़ीक आलम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"वेसाइड वार्ड फार पेशेन्ट्स इन वेटिंग" शीर्षक से समाचार

3886. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिनांक 28 फरवरी, 1989 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "वेसाइड वार्ड फार पेशेन्ट्स इन वेटिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार अस्पतालों की व्यवस्था स्थिति में सुधार करने और रोगियों के प्रति चिकित्सकों की ओर अधिक शिष्ट बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) मौजूदा अस्पतालों के कार्यभार को कम करने के लिए सरकार दिल्ली के आस-पास क्षेत्रों में अस्पताल और औषधालय खोलने के उपाय कर रही है।

"एड्स रोग का पता लगाने की मशीनें

3887. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ अन्य देशों ने "एड्स" का तत्काल पता लगाने वाली "मशीनों का आविष्कार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत में ऐसी मशीनें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) इन मशीनों का प्रयोग कुछ ही देशों में अभी हाल ही में शुरू में हुआ है। अतः इन देशों में अभी इनकी विश्वसनीयता, विनिर्दिष्टता सूक्ष्म ग्राहिता का पता लगाया जा रहा है। इन किटों की खरीद के लिए तभी निर्णय लिया जा सकेगा जब इन मुद्दों पर सूचना उपलब्ध होगी।

इसके अलावा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग एच. आई. वी. संक्रमण के लिए हाल में उपलब्ध स्क्रीनिंग परीक्षणों के एक सेट का मूल्यांकन कर रहा है। मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर सरकार द्वारा भारत में परीक्षण किटों के निर्माण के लिए बातचीत करने की बात सोची गई है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की सुरक्षा

3888. श्री चिन्तामणि जेना : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के अनेक कर्मचारियों को पंजाब में उस समय मार दिया गया था जबकि वे वहां पर गेहूं की खरीद के लिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो मारे गए लोगों की संख्या क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 1989 के दौरान गेहूं की खरीद के लिए ड्यूटी तैनात किये जाने वाले भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि मई, 1988 में वसूली ड्यूटी पर तैनात निगम के दो कर्मचारी मारे गए थे।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के प्राधिकारियों ने वसूली ड्यूटी पर तैनात किए गए भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ की सुरक्षा का मामला राज्य सरकार के साथ तत्काल उठाया था। राज्य सरकार ने जिले के पुलिस अधीक्षक को मंडियों में तैनात स्टाफ को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपेक्षित अनुदेश जारी कर दिए हैं।

औषध-उपभोक्ता स्वास्थ्य और औषधियों के सही निर्माण के संबंध में दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी

3889. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला दक्षता समिति ने हाल ही में "औषध उपभोक्ता-स्वास्थ्य और औषधियों का सही निर्माण" (सेमीनार आन कन्ज्यूमर हैल्थ एण्ड राशनल कन्ज्यूमेशन आफ ड्रग्स) विषय पर दिल्ली में एक गोष्ठी आयोजित की थी; और यदि हां, तो इस गोष्ठी ने क्या सिफारिशें की;

(ख) क्या इसमें स्वयंसेवी औषधि-निरीक्षकों की नियुक्ति करने तथा उन्हें औषधियों की निगरानी और नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान करने की सिफारिश की थी; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां। सेमिनार की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) एक ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसे औषध प्रसाधन सामग्री अधिनियम के उपबन्धों और नियमों के अन्तर्गत निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव उक्त नियमों में दिए गए हैं। अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को औषधि निरीक्षकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

तथापि, औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 को 1986 में संशोधित कर दिया गया था और उक्त अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति अथवा उपभोक्ता संघ को औषध की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए किसी औषध के नमूने की जांच करवाने की शक्ति प्रदान की गई थी। उक्त अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति अथवा उपभोक्ता संघ को अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान की गई है।

विवरण

भारत में पिछले एक दशक के दौरान अनेक समूहों ने फार्मास्यूटिकल उद्योग द्वारा किए जा रहे अनैतिक व्यवसाय का प्रश्न उठाया है तथा एक युक्तिसंगत औषध-नीति बनाने के लिए संघर्ष किया है। डाक्टरों, वकीलों, पत्रकारों, महिला समूहों तथा अन्य सामाजिक कार्रवाई समूहों द्वारा पर्याप्त दबाव डाला गया है। लेकिन कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए अधिकांश प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल पाया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 252 अनिवार्य औषधों की सिफारिश की जो हमारी लगभग 80 प्रतिशत बीमारियों का उपचार कर सकती है। ये अनिवार्य-दवाइयां उपयुक्त रूप से तैयार नहीं की जाती और जो उत्पादित की जाती है उनका उपयुक्त रूप से वितरण नहीं किया जाता है। इसके बजाय हमारे देश में 60,000 से भी अधिक योग निर्मित किये जाते हैं। जिनमें से अधिकांश योग अनावश्यक घटिया हैं या दूसरे देशों में प्रतिबन्धित हैं। औषधों के गौण प्रभावों के बारे में कोई रिकार्ड नहीं है तथा उनकी गुणवत्ता नियंत्रण की कोई उचित प्रक्रिया नहीं है। निम्न ग्रेड की ग्लाइसेरोल के इस्तेमाल के कारण जे-जे अस्पताल (बम्बई) में 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। जहां इस रिपोर्ट में निश्चित रूप से औषध उद्योग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया है।

वहीं हम यह नहीं जानते कि हमारे देश में हर रोज इस तरह की कितनी घटनाएं होती हैं जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता या उनकी रिपोर्ट नहीं की जाती। निरन्तर विरोध के कारण हालांकि सरकार ने ई. पी. इंजेक्शनों पर प्रतिबन्ध लगाया है फिर भी इन्हें प्रतिबन्ध से बचाया जा रहा है।

हम भारत के लोग एकमत होकर युक्तिमूलक औषधियों के उपयोग तथा लाभोन्मुख पद्धति के बजाए मानव हित पर आधारित एक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के अधिकार की मांग करते हैं। हमारी मांग है कि :—

1. अनिवार्य तथा जीवन रक्षक औषधियां आवश्यकता के आधार पर चुनी जाएं तथा उचित मूल्य पर उपलब्ध की जाएं।

2. खतरनाक तथा असंगत औषधों का उत्पादन तथा बिक्री तत्काल बन्द कर दिया जाए।

3. दवाइयों के उपयोग के बारे में सूचना अधिमान्यत: क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध की जाएं।

4. गुणवत्ता नियंत्रण तथा औषध नियंत्रण को कड़ाई से लागू किया जाए।

5. ब्रांड नामो के बजाय उप्पत्तिमूलक नामों का उपयोग किया जाए।

6. जिन औषधों पर भारत सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया है। या बाजार से हटा ली है उनके नाम दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा समाचारपत्रों में प्रकाशित किए जाए ताकि डाक्टर तथा रोगी इन खतरनाक दवाइयों से दूर रहें।

7. अवैतनिक स्वैच्छिक औषध निरीक्षक नियुक्त किए जाएं तथा उन्हें औषध बाजार का निरीक्षण करने की शक्तियां दी जाएं

8. औषध नियंत्रण प्राधिकारी यह देखे कि दवाई बिक्रेता निर्धारित औषधों को बिना नुस्खें न बेचें।

9. सरकार औषध नियमों में उपयुक्त संशोधन करें ताकि प्रतिबन्ध आदेश की अवहेलना करने के लिए उसमें कोई खामी न रहे।

10. अनिवार्य औषधों के निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनिवार्य औषधों के उत्पादन के लिए अधिक राशि तथा कर से छूट के रूप में अधिक प्रोत्साहन दिए जाएं।

11. प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए आवश्यक औषधों का पता लगाया जाए तथा 5 किलोमीटर की दूरी के अन्दर-अन्दर उपलब्ध की जाएं।

12. औषधों के निर्माण के लिए उधार लाइसेंस लेने की पद्धति को तत्काल बन्द किया जाए।

13. औषधों के अत्यधिक नुस्खें लिखने की प्रक्रिया को कम करने के लिए नुस्खा यूनिट शुरू की जाए।

14. दूरदर्शन या आकाशवाणी पर किसी औषधि का विज्ञापन न दिया जाए।

15. औषध निर्माण में दोषी पाए गए व्यक्तियों को सख्त सजा दी जाए।

16. भारतीय चिकित्सा संघ स्वैच्छिक परीक्षण प्रयोगशालाएं खोले और सरकार व्यापक अनुदान के जरिए उन्हें धन उपलब्ध करें।

17. दवाई के पैक पर एक हिदायत दी जाए कि "डाक्टर की सलाह के बिना दवाई न लें।

कैंसर के उपचार के लिए नया औषध

3890. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर के उपचार के लिए वनस्पति से तैयार किये गये नये औषध का सफलतापूर्वक विकास और परीक्षण किया गया है; और

(ख) क्या इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार ऐसी वनस्पति को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सरकारी फार्मों में उगाने का है और देश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद/भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सरकारी प्रयोगशालाओं में औषध को तैयार करके और नैदानिक जांच के पश्चात, शीघ्र ही इसकी सारे देश में बिक्री की जायेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) औषध के नाम के अभाव में कोई विशेष सूचना देना संभव नहीं है ; तथापि कुछ अनुसंधान संगठन कैंसर रोधी क्षमता रखने वाले औषध पादपों पर अध्ययन कर रहे हैं । कोई निष्कर्ष निकालने के लिए लम्बी अवधि तक विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है ।

पोलियो पुनर्वास कार्यक्रम

3891. श्री पी. आर. कुमारमंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में हाल ही में कोई पोलियो पुनर्वास कार्यक्रम की घोषणा की है;

(ख) क्या देश में पहले से ही ऐसे अनेक ऐसे पोलियो पुनर्वास केन्द्र कार्यरत हैं जो परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद और सिद्ध) का प्रयोग कर रहे हैं जिन्हें बहुत ही सफल माना जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार परम्परागत और ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धतियों शामिल करते हुए पोलियो पुनर्वास की कोई उपयुक्त और समेकित चिकित्सा-पद्धति प्रारम्भ करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) कल्याण मंत्रालय शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास संबंधी सामान्य कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है । पुनर्वास कार्यों के संचालन के लिए उस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं । वर्ष 1988-89 के दौरान कल्याण मंत्रालय ने तमिलनाडु राज्य को शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए चल रही पुनर्वास योजनाओं के लिए अन्य अनुदानों के अतिरिक्त पोलियो से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एक करोड़ रुपये का अनुदान दिया ।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों के आधार पर कोई भी पोलियो पुनर्वास केन्द्र नहीं चला रहा है। इसलिए परम्परागत और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के आधार पर समन्वित पोलियो पुनर्वास केन्द्र चलाने का प्रश्न नहीं उठता।

"वार्निंग अगेंस्ट एंटिबायोटिक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3893. श्री. जी. विजय रामा राव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1989 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "वार्निंग अगेंस्ट एंटिबायोटिक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दो दिवसीय प्रबोधन पाठक्रम 'पेडियाट्रिक अपडेट, 89' में क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) क्या अतिसार के इलाज में एंटिबायोटिक दवाएं विशेष रूप से दी जाती है जिससे धनराशि का भारी अपव्यय होता है और शिशुओं के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर दी जाएगी।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साइंसिज, बंगलौर में मुफ्त इलाज कराने के लिए निर्धारित आय सीमा

3894. श्री. के. एस. कृष्ण अय्यर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इंस्टिट्यूट आफ मेंटल हैल्थ एण्ड न्यूरो साइंसिज, बंगलौर में रोगियों का मुफ्त इलाज कराने के लिए कितनी मासिक आय सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) इस समय कितने रोगियों का प्रतिमाह मुफ्त इलाज किया जा रहा है; और

(ग) क्या सरकार का आय सीमा 10000 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि वहां पर उपलब्ध सुविधाओं का और अधिक लोग लाभ उठा सकें ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 400 रुपये प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले रोगियों का हर प्रकार से मुफ्त उपचार किया जाता है, जिसमें भोजन, औषधें, अन्वेषण आदि शामिल हैं।

(ख) वर्ष 1988 के दौरान दाखिल किए गए कुल 7,453 रोगियों में से 4,465 रोगियों को निःशुल्क रोगी के रूप में दाखिल किया गया था।

(ग) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान एक स्वायत्त संस्था होने के नाते अपने शासी निकाय की स्वीकृति से मुफ्त उपचार के लिए आय सीमा में संशोधन करने के लिए सक्षम है। संस्थान द्वारा सूचित किया गया है कि आय के अनुसार प्रभारों के संशोधन पर संस्थान विचार कर रहा है।

आयोडेक्स को एक जड़ी-बूटी औषधि के रूप में घोषित करना

3895. श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या आयुर्वेदिक औषधियों के लिए राज्य तथा केन्द्रीय करों में कोई रियायतें उपलब्ध हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) आयोडेक्स में आयुर्वेदिक औषधियों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का आयोडेक्स को एक जड़ी-बूटी औषधि घोषित करने का विचार है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) आयुर्वेदिक औषधियों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दर सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा दिनांक 1.3.1989 की अधिसूचना संख्या 32/89-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत इन्हें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी छूट प्राप्त है ।

(ख) कर्नाटक राज्य के भारतीय चिकित्सा पद्धति के औसध नियंत्रक ने सूचित किया है कि इस औषधि के संघटक आयुर्वेदिक हैं ।

(ग) और (घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों लाइसेंस देने की शक्ति राज्य औषध नियंत्रकों को प्राप्त है । उपलब्ध सूचना के अनुसार कर्नाटक राज्य के भारतीय चिकित्सा पद्धति के औषध नियंत्रक ने आयोडेक्स के निर्माण के लिए आयुर्वेदिक स्वामित्व वाली औषध के रूप में लाइसेंस दिया है क्योंकि इस औषध के संघटकों का विवरण आयुर्वेदिक ग्रन्थों में दिया गया है ।

गलगंड और आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों के संबंध में केन्द्रीय दल द्वारा सर्वेक्षण

3896. श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय दल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक में गलगंड और आयोडीन की कमी से होने वाली अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग कुल तनसंख्या का कितके प्रतिशत है;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर रोक लगा दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय सेवा सर्वेक्षण दल द्वारा कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में

किए नमूना सर्वेक्षणों के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि सिंगेरी, मुदिगेर तथा कोप्पा तालुक में लगभग 41.10 प्रतिशत जनसंख्या को घेघा तथा आयोडीन की कमी से होने वाले अन्य विकार होने का भय है।

(ख) और (ग) जी नहीं। लेकिन, कर्नाटक सरकार चिकमगलूर जिले में आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी करने पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन अप्रैल, 1988 से जनवरी, 1989 की अवधि में कर्नाटक राज्य को 1057 टन आयोडीकृत नमक सप्लाई किया जा चुका है।

"एड्स क्योर फार्म मुलबेरी रूट" शीर्षक से समाचार

3897. श्री पी एम. सईद : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मार्च, 1989 के इंडियन एक्सप्रेस में "एड्स क्योर फाम मुलबेरी रूट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने काले शहतूत की जड़ से निकाले गए पदार्थ की अब तक जांच करने के बाद अनुकूल परिणामों की सूचना दी है;

(ग) क्या भारतीय वैज्ञानिक भी इस तरह की शोध और जांच के कार्य में लगे हैं क्योंकि कश्मीर और दार्जलिंग में शहतूत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में किए गए विषाक्तता संबंधी परीक्षण आशाजनक हैं। शहतूत के पेड़ की जड़ की छाल से निकाले गए डियोक्सी-जिरिमाइसिन पदार्थ पर किए गए प्रयोगशालीय परीक्षणों से पता चला है कि इससे विषाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है।

(ग) और (घ) एच. आई. वी. पृथकीकरण और इन-विट्रो कल्चर की सुविधाएं भारत में स्थापित की रही हैं। पहले ये सुविधाएं कार्य करना शुरू कर दें और प्रयोगशालीय परीक्षणों में एच. आई. वी. की वृद्धि होने लगे तब भारतीय वैज्ञानिकों के लिए इसी प्रकार के पदार्थों पर अध्ययन शुरू करना संभव हो सकेगा जो एच. आई. वी. को बढ़ने से रोकें।

रुग्ण उद्योगों के कामगारों का पुनर्वास

3898. डा. ए. के पटेल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा संभावित रुग्ण एककों के आधुनिकीकरण पुनः चालू किए जाने के कारण फालतू घोषित किए औद्योगिक कामगारों के लिए आरम्भ की गई पुनर्वास बीमा योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में यह योजना कब आरम्भ की गई थी;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने कामगारों को लाभ हुआ है; और

(घ) इन एककों के आधुनिकीकरण/पुन: चालू किए जाने के अतिरिक्त अन्य कारणों से बेरोजगार हुए कामगारों को पुन: रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) साधारण बीमा निगम द्वारा तैयार की गई मसौदा योजना वित्त मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त हुई। इस योजना में उद्योग के आधुनिकीकरण या संभाव्य रुग्णता के परिणाम-स्वरूप छंटनी किए गए कर्मकारों को नियोक्ताओं, कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विशिष्ट अनुपात में वित्त पोषित निधि सृजित करके नकद सहायता दिए जाने का प्रस्ताव था ।

(ख) से (घ) श्रम मंत्रालय ने इस योजना को कार्यान्वित किए जाने योग्य नहीं पाया है अत: इसे लागू करने आदि का प्रश्न नहीं उठता ।

अनुचित व्यापारिक व्यवहारों में दावों का निपटान

3899. श्री के. रामपूर्ति : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुचित व्यापारिक व्यवहार, दोषपूर्ण सामान तथा सेवा के मामले में राज्य आयोगों/राष्ट्रीय आयोग के पास दायर किए गए एक लाख रुपये से अधिक तथा दस लाख रुपये तक के अलग-अलग दावों का, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1986 से 1988 के दौरान प्रत्येक वर्ष निपटाए गए ऐसे दावों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार 1 लाख से अधिक तथा दस लाख रुपये तक के दावे राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों (राज्य आयोगों) के क्षेत्राधिकार में आते हैं । इन आयोगों ने बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पांडिचेरी में 1988 में कार्य करना आरम्भ कर दिया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार राज्य आयोग में 100 शिकायतें दायर की गई हैं, जिनमें से 57 पर निर्णय कर दिया गया है। राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में क्रमश: सात व एक शिकायत दायर की गई, जिनमें से अभी तक तक किसी पर निर्णय नहीं हुआ है। पांडिचेरी में 1988 में कोई शिकायत दायर नहीं की गई।

खुदरा/थोक विक्रेताओं तथा निर्माताओं से नमूने लेना

3900. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश में बड़ी संख्या में संदूषित और कीटाणु युक्त गलूकोस की बोतलों तथा दुग्ध आहार के टिन पकड़े गये हैं;

(ख) यदि हां, तो खुदरा/थोक व्यापारियों तथा निर्माताओं से गत एक वर्ष में उठाये गये नमूनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) खाद्य अपमिश्रण निवारक व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के अस्पतालों में मृत्यु-दर

3901. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में बहिरंगी विभागों में आने वाले रोगियों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में काफी वृद्धि हो गई है किन्तु डाक्टरों नर्सों की संख्या में और आधारभूत सुविधाएं पहले जैसी ही बनी हुई हैं;

(ख) क्या रोगियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है तथा डाक्टर ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे हैं और अस्पतालों में मृत्यु-दर में भी वृद्धि हो गई है;

(ग) यदि हां, तो गत 12 महीनों के दौरान अस्पताल-वार तथा माहवार बहिरंगी विभागों में कितने रोगी उपचार के लिए आए तथा अस्पतालों में कितनी मौतें हुई और पिछले तीन वर्षों में इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है; और

(घ) अस्पतालों को आधुनिक बनाने एवं सेवाओं में सुधार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न केन्द्र सरकार के अस्पतालों के बाह्य रोगी विभागों में आने वाले रोगियों की संख्या इस वर्ष से बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ डाक्टरों, परिचारिकाओं, आधारभूत ढांचे आदि की नफरी भी बढ़ा दी गई है। डाक्टरों द्वारा रोगियों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है पिछले 12 महीने के दौरान जो रोगी बाह्य रोगीविभाग में आए और जो मौतें हुई तथा पिछले 3 वर्षों के दौरान इसी अवधि के आंकड़ों का अस्पताल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अस्पताल सेवाओं को बढ़ाने/आधुनिक बनाने के लिए समय-समय पर कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

बाह्य रोगी विभाग में आए रोगियों और वर्ष 1986 से 1988 तक महीने वार मौतों के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े

अस्पताल का नाम	बाह्य रोगी विभाग में आए रोगियों की संख्या			मौतें		
	1986	1987	1988	1986	1987	1988
डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल						
जनवरी	74762	71483	69186	274	310	311
फरवरी	68212	76765	73932	227	201	285
मार्च	71860	78461	72486	247	301	273
अप्रैल	67587	71205	82175	293	304	258
मई	66921	71389	84377	270	280	354
जून	66199	85648	81089	338	339	331
जुलाई	85132	61237	78788	302	248	285
अगस्त	73475	83696	84352	295	279	312
सितम्बर	79097	85333	88570	245	296	315

अक्तूबर	74759	74618	76008	268	364	322
नवम्बर	65300	70614	72352	278	325	257
दिसम्बर	67235	68660	71510	327	363	254
योग	860539	899109	934745	3355	3690	3555
सफदरजंग अस्पताल						
जनवरी	99350	89641	96105	425	372	430
फरवरी	94374	1000709	99955	373	302	393
मार्च	95391	107848	87979	440	411	414
अप्रैल	101029	104175	110331	453	479	428
मई	105698	106038	115053	426	519	577
जून	114172	111481	104424	512	534	509
जुलाई	114726	82165	125016	505	350	549
अगस्त	113015	102818	125756	539	505	705
सितम्बर	110476	111791	135629	492	534	667
अक्तूबर	108622	109450	108273	478	530	658

1	2	3	4	5	6	7
नवम्बर	102673	104846	96298	441	458	501
दिसम्बर	100402	103812	95923	447	438	423
योग	1259928	12'4774	1300742	5531	5432	6254
			लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल नई दिल्ली			
1. जनवरी	27125	28275	29005	21	16	15
2. फरवरी	26309	32171	329448	19	15	10
3. मार्च	26262	35612	29983	22	9	11
4. अप्रैल	26511	34984	33571	15	23	14
5. मई	36602	33288	36978	16	20	26
6. जून	37827	35262	36881	26	18	18
7. जुलाई	42213	28579	38357	17	20	19
8. अगस्त	38036	36422	43101	23	19	29

9. सितम्बर	38492	40894	39927	21	21	33
10. अक्तूबर	35181	34822	34633	17	16	20
11. नवम्बर	31106	35727	32311	14	19	18
12. दिसम्बर	38843	31444	36581	21	24	15
योग	395497	417280	423368	232	220	228

कलावती सरन बाल अस्पताल में बाह्य रोगी विभाग में आए रोगियों और मौतों की संख्या

मास	1986		1987		1988		1989	
	बाह्य रोगी विभाग में आए रोगियों की संख्या	मौतें	बाह्य रोगी विभाग में आए रोगियों की संख्या	मौतें	बाह्य रोगी विभाग में आए रोगियों की संख्या	मौतें	बाह्य रोगी विभाग में रोगियों की संख्या	मौतें
जनवरी	24461	217	20603	238	20952	227		
फरवरी	19542	177	22633	184	22689	184		
मार्च	22303	188	25615	236	20597	223		

अप्रैल	23459	245	20300	244	24246	234
मई	24107	324	23977	309	26278	323
जून	23275	313	25036	335	24416	307
जुलाई	24847	362	21327	314	26491	453
अगस्त	23316	374	20070	401	27466	498
सितम्बर	24198	325	24892	448	24871	344
अक्तूबर	24627	346	23377	331	24962	342
नवम्बर	22712	283	23985	271	22823	242
दिसम्बर	23160	248	21714	250	22038	201
योग	277027	3402	273609	3561	287829	3578

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य पर हुआ प्रति व्यक्ति व्यय और उपलब्धि

3902. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1985 की स्थिति की तुलना में 1 जनवरी, 1989 को राज्यों में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया;

(ख) क्या ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य की देखभाल के बारे में सातवीं योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो द्वारा देश में वर्ष 1984-85 में यथासंकलित आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य (चिकित्सा और जन स्वास्थ्य) और परिवार कल्याण पर प्रति व्यक्ति खर्च नीचे दिया गया है :—

(i) स्वास्थ्य	41.24 रुपये
(ii) परिवार कल्याण	5.88 रुपये

वर्ष 1988-89 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि इनका संकलन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाना है।

(ख) और (ग) ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं उप-केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध की जाती हैं। उप-केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संबंध में रखे गये लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की आशा है। बहरहाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए रखे गये लक्ष्यों की प्राप्ति में कुछ कमी रह जाने की संभावना है।

"हुडको" से स्व-वित्त पोषित योजना तृतीय में अपना पंजीकरण परिवर्तित कराना

3903. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनके "हुडको" योजना के अन्तर्गत मध्यम आय वर्ग फ्लैटों को स्व-वित्त पोषित योजना-तृतीय में परिवर्तित कराने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया अथवा विचाराधीन है;

(ख) उनको अस्वीकार करने के क्या कारण है; और

(ग) सब आवेदन कर्ताओं की वरिष्ठता को बनाए रखते हुए अपना पंजीकरण परिवर्तित कराने की अनुमति देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :(क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 1980 के अस्वीकृत मामलों का रिकार्ड नहीं रखा गया है। इसलिये इस स्थिति में ब्यौरे प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

(ग) स्व-वित्त पोषित योजना-I,II तथा III अब बन्द हो चुकी हैं तथा मध्यम आय वर्ग के पंजीकृत व्यक्ति स्व-वित्त पोषित योजना-IV/ श्रेणी II तथा स्व-वित्त पोषित योजना-VI श्रेणी III में परिवर्तित करने के लिये अब आवेदन कर सकते हैं।

कानपुर के टैक्सटाइल मजदूर

3904. **डा. दत्ता सामन्त :**

श्री राधाकान्त दिगाल :

श्री महेन्द्र सिंह :

श्री कमला प्रसाद रावत :

श्री सतीश चन्द्र सिन्हा :

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर के हजारों टैक्सटाइल मजदूरों ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए 22 फरवरी, 1989 को रेल-मार्ग रोका था;

(ख) उनकी मांगों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(ग) इससे रेल यातायात कितना अस्त-व्यस्त हुआ तथा कितना नुकसान हुआ ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) जी हां, वस्त्र मिलों के कामगारों ने पाण्डे ट्रिब्यूनल अवार्ड के विरुद्ध 22.2.1989 से 27.2.1989 तक "रेल रोको आन्दोलन" के रूप में प्रदर्शन किया था इन मिलों के कामगार अन्य बातों के साथ-साथ अवार्ड को रद्द करने की मांग कर रहे थे। ऐसा सूचित किया गया है कि इस प्रदर्शन में एन टी सी और बी आई सी की मिलों में उत्पादन और उत्पादकता तथा रेल यातायात के आने जाने में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

कामगारों को उपदान का भुगतान

[हिन्दी]

3905. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों से हटाये गये कामगारों को उपदान एवं भविष्य निधि से संबंधित उनकी देय राशि लम्बे समय के पश्चात् मिलती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का उपदान एवं भविष्य निधि की राशि के शीघ्र भुगतान के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (घ) जी, हां। शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कर्मचारियों को विभिन्न कारणों से देय उपदान तथा भविष्य निधि का अंतिम भुगतान विलम्ब से किया जाता है। तथापि, इन देय राशियोंका शीघ्र भुगतान करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उठाये हैं :—

(i) उपदान :

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के वर्ष 1987 में संशोधन किया गया था और उपदान के भुगतान के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई थी तथा विलम्ब के मामले में नियोजक 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा यह प्रावधान 1-10-1987 से लागू किए गए हैं।

(ii) भविष्य निधि

यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेखा कार्य को क्रमिक रूप से कम्प्यूटराईज किया जाए ताकि अंशदाताओं को तीव्र और कुशल सेवा सुनिश्चित की जा सके। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 को वर्ष 1988 में संशोधित किया गया था और नियोजकों से भविष्य निधि देय राशियों की समय पर वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रावधान बनाए गए थे जिससे दावों के शीघ्र निपटान में सुविधा होगी।

केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों में कार्यरत फार्मासिस्टों की पदोन्नति

3906. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना की डिस्पेंसरियों/अस्पतालों में काम करने फार्मासिस्टों की पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना जैसी कोई योजना नहीं है। लेकिन, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन औषधालयों में कार्य कर रहे फार्मेसिस्टों के लिए प्रोन्नति की व्यवस्था है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधीनस्थ कर्मचारियों की मंजूरी

[अनुवाद]

3907. श्री गंगा राम : : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में "ग्रुप-क" इंजीनियरों के प्रथम संवर्ग समीक्षा के दौरान केवल "ग्रुप-क" इंजीनियरों के पदों के सर्जन के लिये ही धनराशि का प्रावधान किया गया और अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई;

(ख) क्या नए सृजित ग्रुप "क" के सभी अधिकारियों को कर्मचारी उपलब्ध कराये गये; हैं;

(ग) क्या अधिकारी वर्तमान कर्मचारियों से ही इन कार्यालयों को चला रहे हैं और लिपिकीय कर्मचारियों की भारी कमी है;

(घ) इस बड़े संस्थान के वास्तविक खर्च पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक ग्रुप "ख" और "ग" के कितने अतिरिक्त पदों को मंजूरी दी गयी है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विद्यमान कर्मचारियों को इधर-उधर करके छोटे से स्टाफ का प्रबन्ध किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) अब तक समूह "ख" तथा "ग" का कोई अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं किया गया है क्योंकि अतिरिक्त पदों के सृजन के प्रस्ताव को आस्थागित कर दिया गया है।

उपदान संदाय अधिनियम में संशोधन करना

[हिन्दी]

3908. श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण उपदान संदाय अधिनियम, 1972 धारा 4 ए को छोड़कर लागू है;

(ख) यदि हां, तो इस धारा को लागू न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कर्मचारियों को इस धारा के लागू न किये जाने के कारण भारी हानि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस धारा को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) जी, हां। उपदान संदाय (संशोधन) अधिनियम, 1987 में जोड़ी गई

नई धारा 4क अभी तक लागू नहीं की गई है क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ अधिनियम के अधीन उपदान निधि/उत्तरदायित्व का अनिवार्य बीमा को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) धारा 4क के नये उपबन्ध का प्रमुख उद्देश्य है कि कर्मचारियों की उपदान निधि को सुरक्षित रखा जाय। तथापि, इसके लागू न किए जाने से कर्मकारों को कोई सीधा नुकसान नहीं होगा। तथापि, नियमों को अंतिम रूप देने तथा नये उपबन्ध को यथा शीघ्र लागू करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

कोरापुट जिले में मस्तिष्क ज्वर का फैलना

[अनुवाद]

3909. श्री राधाकांत डिगाल :

श्री जगन्नाथ पटनायक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के कोरापुट जिले में एक रहस्यमय मस्तिष्क ज्वर के फैलने की जानकारी है;

(ख) क्या इस रहस्यमय बीमारी से काफी संख्या में लोगों की जानें गई हैं और विशेष रूप से आदिवासी लोग इस रोग के शिकार हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो शिकार लोगों को तत्काल उपचार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक उड़ीसा के कोरापुट जिले से मस्तिष्क ज्वर/जापानी/एनसेफलाइटिस के किसी भी रोगी के होने की सूचना नहीं मिली है। लेकिन कोरापुट जिले में पी. फाल्सीपेरम द्वारा होने वाले प्रमस्तिष्क (सेरिब्रल) मलेरिया के रोगी सूचित किए गए हैं। वर्ष 1988 में 28388 रोगी और दो मौतें सूचित की गई हैं जबकि वर्ष 1987 में इसी अवधि में 31755 रोगी हुए थे।

(ग) भविष्य में मौतों को रोकने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/रेफरल अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक उपचार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रों में उपयुक्त कीटनाशकों से कीटनाशी छिड़काव कार्य किया जा रहा है। निगरानी गतिविधियों को तेज कर दिया गया है।

नागपुर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए फ्लैट

3910. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगले तीन वर्षों के दौरान नागपुर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए फ्लैटों का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कुल मिलाकर कितने फ्लैटों का निर्माण किये जाने की संभावना है और कब तक की प्राथमिकता तारीख के कर्मचारियों को फ्लैट आवंटित कर दिये जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्य पूल में क्वार्टरों की संख्या			शामिल किये जाने वाली सम्भावित प्राथमिकता तारीख
टाइप-i	—	56	दिसम्बर, 1973
टाइप-ii	—	72	दिसम्बर, 1967
टाइप-iii	—	80	दिसम्बर, 1966
टाइप-iv	—	32	दिसम्बर, 1972
टाइप-v	—	24	दिसम्बर, 1988
योग :		264	

(ग) 1988-89 तथा 1989-90 में 90 लाख रुपये उद्दिष्ठ किये गए हैं।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की चोरी

3911. श्री मोहनभाई पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न गोदामों में अत्यधिक मात्रा में चोरी हो रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में पकड़े गये व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(घ) क्या पकड़े गए अधिकांशतः व्यक्ति भारतीय खाद्य निगम के ही कर्मचारी हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की चोरी के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत-अमेरिका अनुसंधान संगठन द्वारा मलेरिया रोग वाहक मच्छरों का पता लगाना

3912. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संयुक्त भारत अमरीका अनुसंधान संगठन ने मलेरिया रोग वाहक मच्छरों का पता लगाया गया है;

(ख) क्या भारत-अमरीका अनुसंधान संगठन द्वारा किये गए अध्ययन से यह सिद्ध हुआ है कि देश के अधिकांश गावों में एक विशेष नस्ल के मच्छर ही मलेरिया रोग वाहक होते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो मच्छरों की उस नस्ल को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिना बिके कपड़े का भंडार

3913. श्री एन. डैनिस : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास शहर में बिना बिके कपड़े का बहुत अधिक भंडार एकत्रित हो गया है;

(ख) हथकरघा, विद्युतकरघा और मिल आदि विभिन्न क्षेत्रों में कपड़े का कितना भंडार जमा हो गया है; और

(ग) एकत्रित भंडार का निपटान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) कपड़े का वितरण, खरीद और बिक्री किसी विशेष समय में मांग और पूर्ति सम्बन्धी बाजार बाध्यताओं पर निर्भर करते हैं। सरकार के पास मद्रास शहर से कपड़े के स्टाक सम्बन्धी सही और प्रमाणित आंकड़े/जानकारी उपलब्ध नहीं है।

"दक्षिण अर्काट कल्याण हिल्स पर वानस्पतिक उद्यान की स्थापना"

3914. श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के दक्षिण अर्काट जिले में कल्याण हिल्स पर एक वानस्पतिक उद्यान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) इस मन्त्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में कताई मिलें

3915. श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय तमिलनाडु में कितनी कताई मिलें कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) तमिलनाडु में कितनी नई कताई मिलें स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई आवेदन-पत्र केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) 31 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में 392 सूती (मानव निर्मित फाइबर) कताई मिलें प्रचालन में थीं।

(ख) और (ग) संघ सरकार कताई मिलों को उनमें परिवर्तन करने के लिए सीधे वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती

(घ) और (ङ) संघ सरकार के पास तमिलनाडु में कताई मिलें स्थापित करने के औद्योगिक लाइसेंस संबंधी कोई भी नया प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सिले सिलाए खादी के वस्त्रों का निर्यात

3916. श्री चन्द्र किशोर पाठक : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष कितने मूल्य के सिले-सिलाए वस्त्र का निर्यात किए गए;

(ख) क्या खादी के सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात भी किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इनका निर्यात करने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान निर्यात किए गए परिधानों का मूल्य 2000 करोड़ रु. था।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दूषित औषधियों के प्रयोग से "एड्स" रोग से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा

3917. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उन रोगियों को, जिन्हें दूषित औषधियों के प्रयोग से "एड्स" रोग हो गया है कोई राशि मुआवजे के रूप में देने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद में होमियोपैथिक औषध-प्रयोगशाला

3918. श्री एच. एन नन्जे गौड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक होमियोपैथिक औषध-प्रयोगशाला स्थापित की है,

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोगशाला की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं और यह क्या-क्या कार्य करेगी, और

(ग) इसके निदेशक मंडल के गठन और नियुक्ति का ब्यौरा और उसकी शर्तें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी हां।

(ख) प्रयोगशाला के मुख्य उद्देश्य और कार्य इस प्रकार हैं :

(1) होम्योपैथिक औषधों के मानक तैयार करना।

(2) होम्योपैथिक भेषज संहिता में शामिल किए जा चुके मानकों का सत्यापन करना।

(3) अन्य प्रयोगशालाओं में भेषज संहिता महत्व के किए गए कार्यों का सत्यापन करना।

(4) बेचे जा रहे औषध नमूनों का परीक्षण करना।

(5) जड़ी-बूटी संग्रहालय और म्युजियम में सही नमूनों को सुरक्षित रखना।

(6) उक्त मामलों से संबंधित कोई अन्य कार्य।

(ग) यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, इसलिए कोई निदेशक मंडल नहीं है।

नई दिल्ली नगर पालिका के कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन

3919. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका में बड़ी संख्या में कर्मचारी श्रेणी-II और श्रेणी-III के क्वार्टरों के आवंटन हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का उन्हें क्वार्टरों के आवंटन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) टाइप		प्रतीक्षा सूची में कर्मचारियों की संख्या
II	—	484
III	—	244

वास की कमी के कारण क्वार्टरों का आवंटन नहीं किया गया है।

(ग) शत प्रतिशत सन्तुष्टि सम्भव नहीं है। तथापि, चरणबद्ध रूप में अधिक क्वार्टरों का निर्माण करके जहां तक सम्भव हो अधिक से अधिक संख्या में कर्मचारियों को लाभान्वित करने के प्रयास किये जा रहे हैं ?

विकासपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन रद्द करना

3920. श्री विष्णु मोदी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकास पुरी और रोहणी आवासीय क्षेत्रों में किराया-खरीद के आधार पर किया गया कुल फ्लैटों का आवंटन रद्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा है और इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रोहिणी

मध्यम आय वर्ग	—	38
निम्न आय वर्ग	—	9
जनता	—	42
		89

विकास पुरी		
मध्यम आय वर्ग	—	22
निम्न आय वर्ग	—	3
जनता	—	13
		38

उपर्युक्त आवंटनों को निम्नलिखित कारणों से निरस्त किया गया है :

(i) निबन्धनों तथा शर्तों को पूरा न करना।

(ii) प्रारम्भिक धरोहर राशि का भुगतान न करना और निर्धारित अवधि के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत न करना; और

(iii) जारी किये गए मांग पत्रों पर आवंटियों की ओर से कोई प्रत्युत्तर न मिलना।

बोरों के सौदों में भारतीय खाद्य निगम को घाटा

3921. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**

श्री प्रकाश चन्द्र :

श्री एम. रघुमा रेड्डी :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1989 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि भारतीय खाद्य निगम को बोरो के प्रयोग से कई लाख रुपये का घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बोरों के स्थान पर प्लास्टिक बैग अथवा अन्य सस्ते माल से बने बोरों का प्रयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यथा-उल्लिखित तथ्य/ब्यौरे दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि 1981-82 से 1984-85 तक के वर्षों से संबंधित "पूर्वी जोन में वसूली और पटसन की बोरियों के निपटान की समीक्षा" के टाइटल से निगम को प्राप्त हुए लेखा परीक्षा नोट में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है :–

1. पूर्वी जोन में पटसन की बोरियों के स्टाक की खरीद और अनुरक्षण का कार्यक्रम बनाने के लिए किसी वास्तविक नीति का अनुसरण नहीं किया गया और 1981-82 से 1984-85 तक के दौरान पटसन की अधिशेष बोरियों के भण्डारण में 3109.26 लाख रुपये की हानि हुई।

2. बिहार क्षेत्र में बिना आवश्यकता के 9.27 लाख नयी बी. टविल पटसन की बोरियों के अधिशेष स्टाक की प्राप्ति से 27.32 लाख रुपये का परिहार्य खर्च हुआ।

3. उर्वरकों का आयात बंद कर देने के बावजूद पैरादीप बन्दरगाह पर 1977 से 6.72 लाख छोटी बी. टविल पटसन की बोरियों के अनावश्यक भण्डारण से 25.44 लाख रुपये का परिहार्य खर्च हुआ।

4. कलकत्ता और पैरादीप में पत्तन परिचालन में पटसन की बोरियों की अतिरिक्त खपत से 183.54 लाख रुपये की परिहार्य हानि हुई।

5. पश्चिम बंगाल में लेवी चावल की वसूली के दौरान भराई के मानदंडों का अनुपालन न करने से अतिरिक्त पटसन की बोरियों की खपत करने के कारण निगम को 11.87 लाख रुपये का परिहार्य खर्च करना पड़ा।

6. 1981-82 से 1983-84 तक के दौरान कलकत्ता में पटसन की बोरियों की मार्गस्थ और भण्डारण हानि, चोरी और उनके गबन से 7.20 लाख रुपये की हानि हुई।

7. वसूली और आयात के अलावा के परिचालनों के लिए पुरानी इस्तेमाल योग्य बोरियों की बजाए नयी बी.टी. बोरियों का इस्तेमाल करने से 1983-84 और 1984-85 के दौरान 120.78 लाख रुपये का परिहार्य खर्च हुआ।

8. इस्तेमाल न करने योग्य पुरानी पटसन की बोरियों का निपटान करने में हुए विलम्ब के कारण 3.98 लाख रुपये की परिहार्य हानि हुई।

9. मई, 1984 से अक्तूबर, 1984 के दौरान बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम को पटसन की बोरियों की अनधिकृत आपूर्ति से निगम को अप्रैल, 1985 से मार्च, 1986 तक अवरुद्ध धनराशि पर 2.29 लाख रुपये का ब्याज प्रभार वहन करना पड़ा।

"फॉरेस्ट लोस हाइस्ट इन इण्डिया-वर्ल्ड बैंक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3922. प्रो. नारायण चन्द पराशर :

श्री पी. कुलनदईवेलू :

क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 फरवरी, 1989 के इंडियन एक्सप्रेस (नई दिल्ली) में "फोरेस्ट लोस हाइस्ट इन इंडिया-वर्ल्ड बैंक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उक्त टिप्पणियाँ तथ्यों पर आधारित है;

(ग) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हरित क्षेत्र में वास्तव में कितनी क्षति हुई तथा इस समय हरित क्षेत्र के अंतर्गत कितने एकड़ भूमि हैं; और

(घ) भविष्य में वनों की अंधाधुंध क्षति को रोकने तथा हरित क्षेत्र में विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) देश में वन क्षेत्र की कम प्रतिशतता के बारे में केन्द्र सरकार को चिन्ता है।

(ग) राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी के अनुमान के अनुसार देश में 1972-75 में वन क्षेत्र के अन्तर्गत 55.52 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र था। भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार 1981-83 में वनों के अन्तर्गत 64.20 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र था। इसमें से 46.34 मिलियन हेक्टेयर जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 11 प्रतिशत है, अच्छा वन क्षेत्र है। इसके बाद वन क्षेत्र के तहत कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(घ) वनों के संरक्षण और हरित क्षेत्र के विस्तार हेतु उठाए गए कदम संलग्न विवरण के रूप में दिए गए हैं।

विवरण

वन विनाश को रोकने और उनके संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

1. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वनों के संरक्षण पर और अधिक बल दिया गया है।

2. गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिए 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम बनाया गया था। 1988 में इसमें संशोधन करके इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया गया है।

3. वनों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपबंधों को लागू करने के लिए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए राज्यों की सहायता हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है।

4. घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ईंधन की लकड़ी के प्रतिस्थापन के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास किया जा रहा है।

5. पैकिंग, रेलवे स्लीपरों और भवन निर्माण में लकड़ी के बदले वैकल्पिक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

6. वन उत्पादों के लिए आयात नीति को उदार बना दिया गया है।

7. लकड़ी के विकल्प का प्रयोग करने के लिए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

8. झूम खेती को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

9. वनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर दिशा-निर्देश नीचे जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ दिशा-निर्देश दिए जाते हैं : —

   1. प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई से बचना और जहां फसलों की बहाली अथवा अन्य बागवानी दृष्टिकोणों से, इस प्रकार की कटाई अपरिहार्य हो, वहां पहाड़ों पर इसका क्षेत्र 10 हेक्टेयर और मैदानों में 25 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।

   2. पहाड़ों पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की कटाई पर कम से कम कुछ सालों के लिए प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करना।

   3. पहाड़ियों और पर्वतों पर उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना, जिनमें वनों की कटाई से सुरक्षा करने और तत्काल व्यापक वनरोपण की जरूरत है।

   4. 4 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जीव-मंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षा क्षेत्रों के रूप में अलग रखना।

10. लोगों की भागीदारी से देश में व्यापक वनरोपण कार्यक्रम शुरू करने के लिए 1985 में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :—

(1) आपरेशन सायल-वाच

(2) ग्रामीण ईंधन की लकड़ी की पौधरोपण

(3) विकेन्द्रित नर्सरियां

(4) स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान

(5) रोजगार सृजन कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक वानिकी

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण

3923. प्रो. नारायण चन्द पराशर :
श्री विजय कुमार यादव :
क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण और खेत-मजदूरों की खराब स्थिति के बारे में जानकारी है जिनका कोई संगठित मजदूर संघ नहीं है और इसके अभाव में उनका शोषण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से विचार-विमर्श करके उनके कल्याण के लिए कोई कानून बनाने अथवा प्रशासनिक उपाय करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस शोषण को समाप्त करने के लिए इस प्रकार के शीघ्र ही कोई कदम उठाए जायेंगे ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) ग्रामीण और खेत मजदूर कुल मिलाकर असंगठित हैं और असंगठित रहने के कारण मजदूरी भुगतान, कार्य की शर्तें और नियोजन की निरन्तरता के मामले में कुछ घाटे की स्थिति में हैं। न्यूनतम मजदूरी, बंधुआ मजदूरी के उत्सादन, ठेका श्रम के विनियमन और उत्सादन, अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों की कामकाज दशाओं के विनियमन, महिला कर्मकारों को समान पारिश्रमिक, महिला कर्मकारों को प्रसूति प्रसुविधा, असंगठित मजदूरों, विशेषकर ग्रामीण/खेत मजदूरों के कल्याण की देखरेख की व्यवस्था के लिए विधान पहले ही मौजूद हैं। ग्रामीण/खेत मजदूरों के संबंध में श्रम विधानों के कारगर कार्यान्वयन के अभाव और उनके लिए एक केन्द्रीय विधान को लाने की सतत मांग ने पिछले काफी समय से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। 7 नवम्बर 1988 को नई दिल्ली में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 37वें अधिवेशन में अन्य बातों के साथ-साथ यह देखने में आया कि समस्या केन्द्रीय विधान के अभाव के कारण से नहीं है अपितु इसका संबंध विद्यमान श्रम विधानों के कार्यान्वयन से अधिक है और यदि कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाया जा सके तो इससे वह हासिल होगा जो किसी केन्द्रीय विधान में अपेक्षित हो सकता है। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग को गठित किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ विधान में किसी परिवर्तन की आवश्यकता और विद्यमान विधान के प्रवर्तन में कमियों की जांच करे तथा सुझाव दे।

पश्चिम दिल्ली में गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम

3924. डा. कृपा सिंधु भोई : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम दिल्ली की गन्दी बस्ती क्षेत्रों में गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम बड़े पैमाने पर कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है:

(ग) क्या कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में शामिल गंदी बस्ती विकास कार्य का ब्यौरा क्या है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (मलिन बस्ती स्कंध) संपूर्ण दिल्ली में, जिसमें पश्चिमी दिल्ली भी शामिल है, मलिन बस्तियों के सुधार में व्यस्त है। पश्चिमी दिल्ली के लिये कोई विशिष्ट तथा अलग कार्यक्रम और प्रावधान नहीं है। 7 वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान दिल्ली में मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के लिये 30 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है। आधारभूत सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. शौचालयों तथा स्नानघरों के लिए शुल्क दीजिए और उपयोग कीजिए जन-सुविधा काम्प्लेक्स।

2. नगर पालिका मुख्य लाइनों अथवा गहरे ट्रैण्ड पंपों के माध्यम से पेय जल।

3. पथ प्रकाश।

4. ढलावों/कूड़ेदान।

5. नलों से ढलवा मुहान्तों तक नालियां।

बिहार से श्रमिकों का दूसरे राज्यों में जाना

3925. श्री सैयद शाहबुद्दीन। क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों ने अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में गए श्रमिकों अथवा सभी श्रमिकों के कल्याण का ध्यान रखने के लिए अपने श्रम-निरीक्षक उन अन्य राज्यों में तैनात किये हैं; और उन्हें किन-किन स्थानों पर तैनात किया गया है;

(ख) इस समय बिहार से बाहर गये अनुमानतः कितने श्रमिक अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मेजबान राज्यों ने अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अन्तर्गत अपने यहां बिहार के श्रम निरीक्षकों को तैनात करने की अनुमति नहीं दी है;

(घ) क्या ऐसे मामलों में, अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने हस्तक्षेप किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) राज्यों द्वारा अन्य राज्यों में निरीक्षकों को तैनात करने और अन्य राज्यों में काम कर रहे विभिन्न राज्यों से प्रवासी श्रमिकों की संख्या से संबंधित सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) से (ङ) बिहार सरकार के अनुसार श्रम निरीक्षकों को चंडीगढ़, लखनऊ और कलकत्ता में तैनात नहीं किया जा सका क्योंकि मेजबान राज्य अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 की धारा 20 (3) के अंतर्गत अधिकार देने के लिए राजी नहीं थे। इस मामले पर 1987 में हुए श्रम सचिव बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और बैठक के निष्कर्षों में से एक निष्कर्ष यह था कि होम स्टेट की राज्य सरकार कार्यालय स्थापित करने या प्राप्त करने वाले राज्य में सम्पर्क अधिकारियों की नियुक्ति करने पर विचार करें ताकि अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए उस राज्य के श्रम विभाग के साथ सम्पर्क किया जा सके। केन्द्रीय श्रम मंत्री ने मुख्य मंत्रियों आदि को अक्तूबर, 1988 में लिखे अपने पत्र में इस अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्तन की महत्ता पर भी बल दिया।

जनसंख्या नियंत्रण में महुआ तेल की भूमिका

3926. श्री प्रताप राव बो. भोसले : क्या स्वास्थ्य परिवार और कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों ने गर्भ निरोधक के रुप में महुआ तेल की उपयोगिता सिद्ध की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) वैज्ञानिकों पाया है कि महुआ तेल से नर चूहों में अप्रजननता पैदा होती है। इसके प्रभाव का परीक्षण अब तक केवल पशुओं पर किया गया है। मनुष्यों पर इसकी क्षमता का परीक्षण करने से पहले विषाक्तता अध्ययनों के द्वारा महुआ के तेल की निरापदता सुनिश्चित करनी आवश्यकता होगी।

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में निदर्शक व पंजीयक के पद के लिए भर्ती

[हिन्दी]

392⁷. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के स्नातकोत्तर वृत्ति-छात्रों और आयुर्वेद चिकित्सक संघ ने मांग की है कि निदर्शक-व-पंजीयक के पद को सावधि पद में बदल दिया जाय, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) अन्य क्या मांगे की गयी हैं और इन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग में निदर्शक पंजीयक के रूप से कम चार पद होना आवश्यक है और तदनुसार राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के लिए 33 पद मंजूर किये गये और वे रिक्त पड़े हैं :

(घ) इन पदों के लम्बे समय से रिक्त पड़े रहने के क्या कारण है और इन सभी पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के स्नातकोत्तर छात्रों और आयुर्वेदिक चिकित्सा संघ ने मांग की थी कि निदेशक एवं रजिस्ट्रार के पदों को गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर और आयुर्वेद संकाय वाराणसी के पैटर्न पर नियतावधि पदों में बदल दिया जाए।

(ख) स्नातकोत्तर छात्रों की अन्य मांगे थी छात्रवृत्तियों की दर में वृद्धि करना, जिन छात्रों को छात्रावास की सुविधा नहीं दी जाती है उन्हें 300/- रुपये प्रतिमास देना तथा शोध पत्र आदि तैयार करने के संबंध में उनके द्वारा किए गए खर्च को पूरा करने के लिए आकस्मिक अनुदान के रूप में 3000/- रुपये देना।

संस्थान के शासी निकाय की सिफारिशों पर सरकार ने 20.3.89 को आदेश जारी किए है जिन के अन्तर्गत स्नातकोत्तर छात्रों को 1.4.88 से दी जा रही छात्रवृत्ति की दर में संशोधन कर दिया गया है। तथापि संस्थान का शासी निकाय कोई छात्रावास भत्तो और आकस्मिक अनुदान देने के लिए राजी नहीं हुआ।

(ग) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निदर्शक एवं रजिस्ट्रार के 3 पद प्रत्येक स्नातकोत्तर विभाग के लिए अनिवार्य हैं। संस्थान में निदर्शक एवं रजिस्ट्रार के पदों की स्वीकृत संख्या 37 है (नान प्लान के अन्तर्गत 35 पद और प्लान के अन्तर्गत 2 पद) जिनमें से इस समय 33 पद खाली पड़े हुए हैं।

(घ) और (ङ) ये पद या तो इनके पदधारियों की पदोन्नति हो जाने अथवा अन्यत्र उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने के कारण खाली पड़े हुए हैं। खाली पदों को भरने की कार्रवाई तभी की जाएगी जब संस्थान द्वारा उन्हें नियतावधि पदों में बदलने की मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा :

विद्युत करघा उद्योग

3928. श्री महेन्द्र सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के कमजोर वर्गों द्वारा सहकारी क्षेत्र में चलाये जा रहे विद्युत करघा एककों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता जारी रखने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं तैयार करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने का काम सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। तथापि, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विद्युत करघा सहकारी समितियों को दीर्घावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी दोनों के लिए सहकारी वाणिज्यिक बैंकों तथा राज्य वित्तीय निगमों के माध्यम से पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करते हैं।

अधिकृत वितरकों के माध्यम से नियंत्रित मूल्य के कपड़े की बिक्री

[अनुवाद]

3929. **श्री हरिहर सोरन :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकृत वितरकों के माध्यम से नियंत्रित मूल्य के कपड़े की बिक्री की प्रथा बन्द करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या नियंत्रण मूल्य के कपड़े की बिक्री अब राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघों के माध्यम से ही की जाएगी;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राष्ट्रीय कपड़ा निगम को क्या निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) नये आदेश किस तारीख से लागू होंगे ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ नियंत्रित मूल्य के कपड़े की प्रमुख वितरक एजेन्सी है। तथापि, नियंत्रित मूल्य के कपड़े के जमा हो गए स्टाक को देखते हुए, सरकार ने अस्थायी तौर पर राष्ट्रीय कपड़ा निगम को 31 मार्च, 1989 तक नियंत्रित मूल्य का कपड़ा अधिकृत वितरकों के अतिरिक्त माध्यम के जरिये बेचने की अनुमति दी थी।

भारतीय सहायता से सोवियत कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

3930. **श्री हरिहर सोरन :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कुछ सोवियत संघ में कपड़ा मिलों को आधुनिक करने का प्रस्ताव है,

(ख) क्या सोवियत संघ को ऐसा एक प्रस्ताव दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

आठवीं योजना में कपड़ा उत्पादन

3931. **श्री हरिहर सोरन :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कोई कपड़ा उत्पादन कार्यक्रम तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कपड़ा उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा तैयार किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं योजना अवधि में इस हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आयुर्वेदिक कालेज के लिए केन्द्रीय सहायता

3932. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में आयुर्वेदिक कालेजों/विश्वविद्यालयों में सुधार और विकास करने के लिए सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान, उड़ीसा में विभिन्न आयुर्वेदिक कालेजों को उनमें सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष-वार कितनी सहायता-राशि दी गई तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी दी जाएगी;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) केन्द्रीय सरकार प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों और राज्य सरकारों द्वारा अपने हाथ में लिए गए स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी (जिसमें आयुर्वेद शामिल हैं) के स्नातक पूर्व कालेजों को 1.60 लाख रुपये की दर से सहायता प्रदान कर रही हैं। इन पद्धतियों के सरकारी कालेजों में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति (जिसमें आयुर्वेद शामिल हैं) के विभागों का दर्जा बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जाती हैं।

(ख) उपर्युक्त स्कीमों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में आयुर्वेद कालेजों को दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि निम्न प्रकार से है :—

(रुपये लाखों में)

स्कीम	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89
1. स्नातक पूर्व कालेजों को सहायता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. स्नातकोत्तर विभागों का दर्जा बढ़ाने के लिए सहायता	2.50	3.50	2.60	2.30

परिवार कल्याण पुरस्कार के संबंध में मार्ग निर्देश

3933. प्रो के. वी. थामस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने परिवार कल्याण पुरस्कार की धनराशि को व्यय करने के संबंध में राज्यों को कोई मार्ग-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या इन मार्ग निर्देशों के कारण राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य सीमित हो गया है; और

(ग) यदि हां तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी मौजूदा दिशा निर्देशों में यह बताया गया है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण पहलू के लिए राज्य तीन वर्ष की अवधि के अन्दर अपने विवेक के अनुसार पुरस्कार की धनराशि का उपयोग कर सकते हैं। ये दिशा निर्देश राज्यों को पर्याप्त स्वेच्छा प्रदान करते हैं कि वे पुरस्कार की धनराशि का जिस भी तरह से चाहें, उपयोग कर सकते हैं बशर्ते कि यह उपयुक्तानुसार समय सीमा और कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत हो। ये सीमाएं परिवार कल्याण कार्यक्रम के समग्र हित में हैं।

केरल सरकार को कपूरथला प्लाटों का कब्जा देना

3934. प्रो. के. वी. थामस : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कपूरथला प्लाटों का केरल सरकार को कब्जा दे दिया गया है,

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) कब तक प्लाटों का कब्जा दे दिया जायेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) कपूरथला प्लाट पर 6.05 एकड़ भूमि के कुल क्षेत्र में से, 2.164 एकड़ भूमि पहले केरल सरकार को सुपुर्द कर दी गई है। कपूरथला प्लाट का क्षेत्र दिल्ली सुरक्षा पुलिस के अधिकार में है। दिल्ली सुरक्षा पुलिस को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के पश्चात ही यह भूमि केरल सरकार को सुपुर्द करने के लिए उपलब्ध होगी।

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 'अल्टरा साउण्ड" एक्सरे मशीन की मरम्मत

3935. डा. चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 10 फरवरी, 1989 से "अल्टरा साउण्ड एक्सरे मशीन" खराब पड़ी है;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार कितने रोगी "अल्टरासाउण्ड एक्सरे मशीन" की प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) क्या इस अस्पताल में यही एक मात्र "अल्टरासाउण्ड एक्सरे" मशीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस मशीन की मरम्मत करने और भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) 24.2.89 से 7.3.89 तक एक अल्ट्रा साउण्ड मशीन खराब थी। अब इसने कार्य करना शुरू कर दिया है।

(ख) 105 रोगी।

(ग) जी नहीं। एक अन्य अल्ट्रा साउण्ड मशीन भी है जो अतिरिक्त पुर्जों के अभाव के कारण इन दिनों कार्य नहीं कर रही है जिनका आयात किया जा रहा है। ये अतिरिक्त पुर्जे स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) जब कभी भी यह मशीन खराब हो जाती है तो इसकी मरम्मत करवाने के लिए सभी प्रयास प्राथमिकता के आधार पर किए जाते हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों के लिए संशोधित संवर्ग

3936. श्री ए. जयमोहन : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियरों (सिविल और इलेक्ट्रिकल) के समूह "क" पदों के लिए संवर्ग जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) इस संबंध में तीसरे और चौथे वेतन आयोग ने क्या सिफारिशें की थीं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रस्तावों को तैयार करने के लिए कार्यकारी दलों का गठन किया गया है।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायक इंजीनियरों (सिविल) तथा (विद्युत) की संवर्ग समीक्षा के सम्बन्ध में तृतीय एवं चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की गई हैं।

"यूकिलिप्टस के पेड़"

3937. श्री रामकीर्ति त्रिपाठी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यूकिलिप्टस के पेड़ पर्यावरण के लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने भविष्य में इन पेड़ों को लगाने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) यह दर्शाने के लिए कोई निर्णायक वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि सफेदा के पेड़ पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं।

(ख) सरकार सफेदा के पौधों के वृक्षारोपण जैसी एक-धान्य कृषि की तुलना में मिश्रित पौधरोपण को बढ़ावा दे रही है।

"उड़ीसा में वृक्षों की कटाई"

3938. डा. कृपासिंधु भोई : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि उड़ीसा में कितने वृक्ष काटे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है, और

(ग) राज्य में वृक्षों को काटने में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान चालू किए गए मामलों का ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

"उड़ीसा में बांस के जंगल"

3939. डा. कृपासिंधु भोई : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में बांस के जंगल लगभग कितने क्षेत्र हैं;

(ख) क्या राज्य में बांस के जंगलों की कटाई से हर वर्ष इनकी संख्या घटती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन योजना, 1979 के अन्तर्गत आबंटित फ्लैटों की प्रतिशतता

3940. श्रीमती डी. के. भंडारी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन योजना, 1979 के अन्तर्गत फरवरी, 1989 तक आबंटित फ्लैटों का श्रेणीवार प्रतिशत क्या है,

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत फ्लैटों का आबंटन प्रतिशत पिछले 9 वर्षों के दौरान बहुत कम रहा है,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) सरकार का इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क)

श्रेणी	आबंटन की प्रतिशतता
मध्यम आय वर्ग	33
निम्न आय वर्ग	28
जनता	45.5

(ख) से (ङ) गत 9 वर्षों के दौरान किए गए आबंटनों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रगति धीमी नहीं रही है । तथापि, बहुत से पंजीकृत व्यक्ति अभी भी आबंटन की प्रतीक्षा कर

रहे हैं। स्थिति से निपटने के लिए, जनवरी, 1989 में "आवास सरकार योजना" चलाई गई है, ताकि निम्न आय वर्ग तथा मध्य आय वर्ग की श्रेणियों के 10,000 से अधिक प्राथमिकता वाले पंजीकृत व्यक्ति सहकारी सामूहिक आवास समितियां बना सकें। ऐसी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित की जाएगी। भवन निर्माण की गति बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों द्वारा प्रतिपूर्ति दावे प्रस्तुत किया जाना

3941. **श्रीमती डी. के भंडारी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी खुले बाजार से खरीदी गई दवाईयों के लिए सुपर बाजार से प्रतिपूर्ति राशि का दावा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुपर बाजार प्रति दिन केवल 10,000 तक रुपए के एसे दावों की अदायगी कर सकता हैं;

(घ) क्या सुपर बाजार द्वारा निर्धारित की गई सीमा से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को असुविधा होती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की परेशानियां दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) यदि इंडेन्ट की गई औषधि या तो स्थानीय खरीद के इंडेन्ट पर या आपातकालिक प्राधिकार पर्ची पर बाजार द्वारा सप्लाई नहीं की जाती तो लाभार्थी को वह औषध खुले बाजार में खरीदने और सुपर बाजार से उसकी प्रतिपूर्ति का दावा करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) से (ङ) सुपर बाजार में पहले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की दैनिक प्रतिपूर्ति के लिए 10,0 0/-रु. की परिक्रामी निधि निर्धारित की थी। चूंकि प्रतिपूर्ति लेने वाले लाभार्थियों कीं संख्या अभी हाल में बढ़ गई है, इसलिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों की असुविधाओं को दूर करने के लिए परिक्रामी निधि की राशि बढ़ाकर 20,000/-रु. कर दी गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का कार्यकरण

3942. **श्री संतत कुमार मंडल** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश मे कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के कार्यकरण का आकलन करने के लिए गठित की गई तदर्थ समितियों में अस्पतालों में अत्यधिक भीड़-भाड़ होने के अलावा उनके कार्यकरण में अनेक अनियमितताओं का जिक्र किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों में अकुशल प्रशासनिक सेवा की आम शिकायतें हैं;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल के मानिकटोला जैसे कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में परिचर्या नर्सिंग और अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारी नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो देश भर में इन कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों की कार्य-कुशलता में वृद्धि करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां। तदर्थ समितियों ने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों के कार्यकरण में विभिन्न कमियों का उल्लेख किया है।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में दवाईयों और औषधियों की कमी, एम्बुलेंस वैनों की अनुपलब्धता, चिकित्सा और परा-चिकित्सा पदों को न भरे जाना आदि के बारे में इक्का-दुक्का शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ग) जी, हां, यह सूचित किया गया है कि मनिकतला में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल में स्वीकृत मानदण्डों के अनुसार चिकित्सा नर्सिंग और परा-चिकित्सा कर्मचारियों की पूर्ण सुविधा नहीं है।

(घ) दिल्ली को छोड़कर, जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सीय देख-रेख का सीधे प्रशासन करता है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सीय देख-रेख के प्रशासन का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। अतः संबंधित राज्य सरकारों ने ही समुचित उपचारात्मक उपाय करने हैं। फिर भी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम रिक्त पदों को भरने और अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए समय समय पर राज्य सरकारों को लिखता रहा है।

जन शक्ति निर्यात के क्षेत्र में आतंक की स्थिति

3943. डा. जी. विजय रामा राव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की जनशक्ति निर्यात संबंधी नीतियों से देश में जनशक्ति का निर्यात करने वाले क्षेत्र में आतंक छाया हुआ है क्योंकि इसके कारण पहले की अपेक्षा कम लोग बाहर भेजे गये हैं और भारत का स्थान जनशक्ति का निर्यात करने वाले देश में मुख्य नहीं रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कौन से सुधारात्मक उपाय किये गए हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 भारतीय कर्मकारों के विदेशों में संविदा आधार पर नियोजन के लिए उत्प्रवास को और उनके कल्याण से संबंधित विषयों को विनियमित करता है। भारत से मुख्य रूप से कर्मकार खाड़ी के देशों में जाते हैं। निम्नलिखित आंकड़े उन

कर्मकारों की संख्या दर्शाते हैं जिसके बारे में वर्ष 1986 से 1988 तक विदेशों में करार पर नियोजन के लिए उत्प्रवास अनुमति दी गई थी :—

1986	1.14 लाख
1987	1.25 लाख
1988	1.70 लाख

वर्ष 1987 के दौरान सुधार हुआ था। वर्ष 1987 की तुलना में वर्ष 1988 में और वृद्धि हुई है। सरकार ने जनशक्ति के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें समय समय पर मजदूरी ढाचे की पुनरीक्षा, उत्प्रवास प्रक्रिया का सरलीकरण और भारत में प्रशिक्षित जनशक्ति की बड़ी उपलब्धता का प्रचार आदि शामिल हैं। भारतीय मिशन प्रतिस्पर्धा और कठिन दशाओं के बारे में पूर्णतः सचेत हैं और इन देशों में यह स्थिति बनाए रखने के प्रयास जारी रख रहे हैं।

खतरनाक कार्य कर रहे बच्चो के बारे में सर्वेक्षण

3944. **श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या श्रम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने जीविकोपार्जन में कार्यरत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने बच्चे, उचित सुरक्षा उपायों रहित अवैध रूप से चलने वाले खतरनाक खानों में खतरनाक कार्य करते हुए पाये गए और कितने बच्चे भीख मागते हुए पाये गये थे; और

(घ) इस सम्बन्ध क्या सुधारात्मक कदम उटाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) से (ग) अपने जीविकोपार्जन में कार्यरत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, 1981 की जनगणना के अनुसार (असम को छोड़कर) खनन और उत्खनन में कार्यरत आयु ग्रुप 0-14 में बच्चों की संख्या 27,000 थी।

(घ) सरकार ने बाल श्रमिकों की समस्या का समाधान करने के निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. कुछ नियोजनों में बालकों के रोजगार को प्रतिषिद्ध करने के लिए श्रम कानूनों में उपबंध किए गए हैं। इनमें से प्रमुख कानून है-कारखाना अधिनियम, 1948, बाल श्रम, (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, खान अधिनियम, 1952, बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की-शर्तें) अधिनियम, 1966।

2. वर्ष 1987 में घोषित राष्ट्रीय बाल श्रम नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन चुने हुए क्षेत्रों में, जहां बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है, कामकाजी बालकों के लिए परियोजनाओं को शुरू करने की व्यवस्था है।

3. बाल श्रमिकों के लाभ के लिए कार्योन्मुख परियोजनाओं को शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में लिफ्ट आपरेटरों के वेतनमान

345. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में लिफ्त आपरेटरों के लिए दो वेतनमानों की सिफारिश गई है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार लिफ्ट आपरेटरों के दोनों वेतनमानों का विलय कर दिया गया है और सभी लिफ्ट आपरेटरों को उच्च वेतनमान दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मानदंड को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कनिष्ठ इंजीनियरों के मामले में न अपनाये जाने के क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) उच्चतम न्यायालय का निर्णय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिफ्ट आपरेटरों द्वारा दायर एक याचिका पर था। यह केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों पर लागू नहीं होता है।

हिन्दुस्तान खाद्य तेल निगम लिमिटेड की खाद्य तेल सम्बन्धी अपनी अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला

3946. **श्री रामेश्वर नीखरा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान खाद्य तेल निगम लिमिटेड की अब तक अपनी अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला नहीं है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक वनस्पति फैक्ट्री की अपनी अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला होना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि जनता हिन्दुस्तान खाद्य तेल निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित गणेश नं. 1 वनस्पति को घटिया घी होने के कारण नहीं खरीदती है, यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या गणेश फ्लोर मिल्स द्वारा ट्रस्ट के रूप में स्थापित गणेश साइंटीफिक रिसर्च फाउंडेशन में हिन्दुस्तान खाद्य तेल निगम लिमिटेड की अनुसंधान और विकास एकक स्थापित करने के लिए कोई प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) से (ख) निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के वनस्पति उद्योग के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि उनके पास अपनी अनुसंधान और विकास प्रयोगशाएं हों। वेजीटेबल ग्रायल्स प्रोडक्ट्स (स्टैंडर्ड ग्राफ क्वालिटी) आदेश, 1975 के तहत सरकार द्वारा निर्धारित वनस्पति के मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हिंदुस्तान वेजीटेबल ग्रायल्स कार्पोरेशन लि. की वनस्पति तैयार करने वाली सभी इकाईयों में आवश्यक परीक्षण करने के वास्ते अपनी-अपनी परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं।

(ग) हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल्स कार्पोरेशन पिछले तीन वर्षों से प्रति वर्ष 50,000 मी. टन वनस्पति का उत्पादन कर रही है, जो उनके माल की लोकप्रियता का द्योतक है। हिन्दुस्तान वेजीटेबल ग्रायल्स कार्पोरेशन ने फिलहाल गणेश साइंटिफिक रिसर्च फाउण्डेशन के साथ ऐसी स्थाई व्यवस्था कर रखी है जिसके अनुसार वेजीटेबल ग्रायल्स कार्पोरेशन की जो वनस्पति बाजार में बेची गई है, उसकी गुणता की परख करने के लिए अचानक नमूने लिए जा सकें ताकि जब भी आवश्यक हो उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(घ) गणेश साइंटिफिक रिसर्च फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक विज्ञानों तथा अनुप-युक्त विज्ञानों और मुख्यतः तेलों, तिलहनों तथा खाद्य उत्पादों के क्षेत्र में ज्ञान का विस्तार करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान को हाथ में लेना तथा चालू रखना/चालू रखने में सहायता करना है। फाउंडेशन के पंजीकृत ट्रस्ट डीड के अनुसार इसकी गतिविधियां वनस्पति तैयार करने वाले किसी एक एकक जैसे कि हिन्दुस्तान वेजीटेबल ग्रायल्स कार्पोरेशन के साथ बंधी हुई नहीं है।

खाद्य तेलों की आवश्यकता

3947. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 987-88 के दौरान देश भर खाद्य तेलों की अनुमानित खपत कितनी थी;

(ख) इस वर्ष के दौरान अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ग) इस वर्ष के दौरान कितने खाद्य तेलों का आयात किया गया;

(घ) वर्ष 1988-89 में खाद्य तेलों की अनुमानित मांग कितनी है;

(ङ) वर्ष 1988-89 के दौरान कितना उत्पादन हुआ है;

(च) मांग और घरेलू सप्लाई के बीच अंतर को पूरा करने के लिए वर्ष 1988-89 के दौरान अनुमानित आयात कितना है; और

(छ) स्वदेशी और आयातित खाद्य तेल की प्रति यूनिट तुलनात्मक औसत लागत कितनी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1987-88 के दौरान हमारे देश में खाद्य तेलों का अनुमानित उपभोग कुल मिलाकर 55.86 लाख टन रहा है।

(ख) 1987-88 के दौरान खाद्य तेलों का अनुमानित उत्पादन 37.67 लाख टन था।

(ग) 1987-88 के दौरान आयात की गई मात्रा 18.19 लाख टन थी।

(घ) 1988-89 के लिए खाद्य तेलों की अनुमानित मांग 55.82 लाख टन है।

(ङ) 1988-89 में खाद्य तेलों का अनुमानित उत्पादन 46.60 लाख टन है।

(च) 1988-89 के दौरान खाद्य तेलों का कुल आयात खाद्य तेलों की मांग व पूर्ति के बीच कमी को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

(छ) देशीय तथा आयातित खाद्य तेलों की तुलनात्मक औसत लागत प्रति मी. टन क्रमशः 17,000/-रु. तथा 6,500/-रु. है।

आश्रयविहीन लोगों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आश्रय वर्ष

[हिन्दी]

3948. श्री सी. जंगा रेड्डी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्ष 1987 को आश्रयविहीन लोगों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय आश्रय वर्ष के रूप में मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार को ऋण तथा अनुदान के रूप में, अलग-अलग, कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989 में तथा उसके पश्चात् कितने आश्रयविहीन लोगों को मकान दिए जाएंगे; और

(घ) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत आश्रयविहीन लोगों को किन-किन शर्तों के अधीन मकान दिये जायेंगे तथा ये मकान किस प्रकार के होंगे और इन शर्तों का स्वरुप क्या होगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आवास राज्य का विषय है तथा सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी-अपनी स्थानीय आवश्यकताओं और यथावत् प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता समेकित ऋणों और अनुदानों के रूप में दी दी जाती है जो विशिष्ट किसी शीर्ष से जुड़ी नहीं होती हैं।

(ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 14 की पहचान निराश्रितों के लिये आवास का अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष (आई. वाई. एस. एच.) के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रदर्शन परियोजना के रूप में की गई है। सूत्र 14 के अन्तर्गत जनवरी, 1989 तक इन योजनाओं की उपलब्धियां इस प्रकार हैं :—

योजनाएं	उपलब्धियां (लाखों में)		
	1987	1988	1989 (जनवरी, 1989 तक)
(i) ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थलों का प्रावधान आदि [सूत्र 14 (क)]	8.94	8.34	0.72
(ii) आवंटित किए गए आवास-स्थलों के लिए निर्माण सहायता [सूत्र 14 (ख)]	4.16	4.46	0.28 (परिवार)
(iii) इन्दिरा आवास योजना [सूत्र 14 (ग)]	1.76	1.69	0.08 (निवास एकक)
(iv) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए मकान [सूत्र 14 (घ)]	1.64	1.35	0.08 (निवास एकक)
(v) निम्न आय वर्ग आवास [सूत्र 14 (ङ)]	0.27	0.48	0.02 (निवास एकक)

(घ) भूमिहीन कामगारों के लिए ग्रामीण आवास स्थल और निर्माण सहायता की योजना के अन्तर्गत प्रत्येक परिवार को 100 वर्ग गज माप के आवास स्थलों के साथ स्थल के विकास के लिए 500/-रुपये की वित्तीय सहायता और अन्य 2,000/-रुपये निर्माण सहायता के रूप में दिए जाते हैं।

इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रति एकक 10,00/-रुपये का अनुदान दिया जाता है, जिसमें 6 000/-रुपये निवास एककों की लागत, 1200/-रुपये कम लागत की स्वच्छता सुविधाएं मुहैया करने और 3000/-रुपये अन्य आधारभूत सेवाओं के विकास प्रभारों के लिए हैं।

सिले सिलाए वस्त्रों के निर्माण तथा अन्य उद्योगों में महिला कामगार

[अनुवाद]

3949. श्री एच. बी. पाटिल : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले सिलाए वस्त्रों के निर्माण तथा अन्य उद्योगों में महिला कामगारों की सेवा शर्तों के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा सर्वेक्षण कब तक किया जाएगा ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) वस्त्र, कैमीकल्स और इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों में नियोजित महिलाओं के रोजगार संबंधी अध्ययन पहले सितम्बर से दिसम्बर, 1978 की अवधि के दौरान किया गया था। तत्पश्चात, टैक्सटाइल, खांडसारी और चीनी उत्पाद उद्योगों में काम कर रही महिला कर्मकारों की सामाजिक, आर्थिक दशाओं के बारे में अन्य अध्ययन जनवरी, 1982 से मई, 1982 की अवधि के दौरान किया गया था। इस अध्ययन के अन्तर्गत आए उद्योगों में से सिले सिलाए वस्त्र उद्योग भी एक था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली प्रशासन के औद्योगिक न्यायाधिकरणों श्रम न्यायालयों में लम्बित मामले

[हिन्दी]

3950. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के औद्योगिक न्यायाधिकरणों/श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवाद के कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) प्रत्येक न्यायाधिकरण/श्रम न्यायालय में कितने मामले लम्बित पड़े हैं और वे कितनी अवधि से लम्बित पड़े हैं; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राधा किशन मालवीय) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, वे विवादों के निपटान की प्रगति पर निगरानी रखते हैं और पीठासीन अधिकारियों के साथ मामले की पुनरीक्षा करने तथा लंबे समय से लम्बित मामलों को प्राथमिकता देने के लिए आवधिक बैठकें करते हैं।

विवरण

क्र. सं.	श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण का नाम	31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार लम्बित मामलों के ब्यौरे 1 वर्ष तक के	1-2 वर्ष तक के	2-3 वर्ष तक के	3 वर्ष से अधिक के	कुल
1.	औद्योगिक अधिकरण सं. I	153	84	134	224	625
2.	औद्योगिक अधिकरण सं. II	133	69	41	314	557
3.	औद्योगिक अधिकरण सं. III	88	59	8	146	301
4.	श्रम न्यायालय सं. I	556	524	56	71	1207
5.	श्रम न्यायालय सं. II	51	429	370	380	1230
6.	श्रम न्यायालय सं. III	1510	290	193	320	2313
7.	श्रम न्यायालय सं. IV	1034	165	41	285	1525
8.	श्रम न्यायालय सं V	1152	293	139	503	2087
9.	श्रम न्यायालय सं. VI	441	327	231	141	1140
10.	श्रम न्यायालय सं. VII	766	548	293	354	1961
11.	श्रम न्यायालय सं. VIII	898	8	8	69	983
	कुल	6782	2796	1514	2837	13929

विभिन्न नये फूड फैड्स (भोज्य पदार्थों) के कारण स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न खतरा

[अनुवाद]

3951. श्री पी. आर. कुमार मंगलम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षारयुक्त मांस (जंक फूड्स) भोजन में मिलाये जाने वाले पदार्थों (फूड एट्टीटिक्स खाद्य पदार्थों में कीटनाशी दवाओं के इस्तेमाल और विकिरण-युक्त खाद्य पदार्थ से विभिन्न नये भोज्य पदार्थों के कारण स्वास्थ्य विशेष रूप से युवाओं के स्वास्थ्य को भारी खतरा पैदा हो गया;

(ख) क्या उक्त एडिटिक्स/प्रसंसकरण से कैंसर-जन्म आदि विभिन्न रोग पैदा हो सकते हैं; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या सुरक्षात्मक कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबन्धों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन विश्व स्वास्थ्य संगठन/खाद्य एवं कृषि संगठन, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा और भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों में किए गए अनुसंधान में नियत की गई इनकी सुरक्षा सीमाओं को ध्यान में रखते हुए खाद्य राज्यों के उपभोग, खाद्य उत्पादों में कृमि-नाशी अवशिष्टों की कितनी मात्रा होनी चाहिए, की अनुमति दी जाती है नियत की जाती है ।

इस किरणन प्रक्रिया के सुरक्षा और प्रौद्योगिक पहलुओं पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानटिरिंग अभिकरण की स्थापना की गई है ।

खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता पर नियन्त्रण करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी खाद्य उपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत जंक खाद्य पदार्थों समेत सभी खाद्य पदार्थों पर गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए राज्य/संघ क्षेत्र के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत जंक खाद्य पदार्थों समेत सभी खाद्य पदार्थों पर गुण-वत्ता नियंत्रण कर रही है ।

12.00 मध्याह्न

अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय

वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : 28 फरवरी, 1989 को अपने बजट भाषण के दौरान कथित रूप से जानबूझ कर सभा को गुमराह करने के लिए वित्त मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण के विरुद्ध 6 मार्च, 1989 को प्रो. मधुदंडवते ने विशेषाधिकार के एक प्रश्न की सूचना दी थी । अपनी सूचना में, प्रो. दंडवते ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा है कि :

> "बजट में वित्त मंत्री ने 7,337 करोड़ रुपये का कुल अनुमानित घाटा दिखा है । अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा है कि घाटा कम रखा गया है ।
>
> परन्तु यह सामान्य बजट प्रक्रियाओं में हेर-फेर करके किया गया है ।
>
> दस्तावेज 'प्राप्तियां बजट 1989-90' के पृष्ठ 13 पर 'निबल अन्य कर रहित राजस्व' 4218 करोड़ रु. दर्शाया गया है । इसी दस्तावेज के पृष्ठ 17 पर, यह बताया गया है कि 'बजट अनुमान 1989-90 में सार्वजनिक खाते में दर्ज तेल समन्वय समिति के पूल लेखे से 2300 करोड़ रु. का अंशदान भी शामिल हैं । यदि इस अंशदान को

प्राप्तियों में न जोड़ा गया होता तो निवल भाय कर रहित राजस्व 4218 करोड़ रु. से घट कर 1918 करोड़ रु. हो जाता और इसके परिणामस्वरूप 1989-90 का कुल घाटा बढ़ कर 9637 करोड़ रु. हो जाता।

सार्वजनिक खाते में दर्ज तेल पूल निधि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल के मूल्यों में घट-बढ़ को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। अतः इस निधि का इस्तेमाल अन्तरराष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्यों में भारी वृद्धि होने की स्थिति में ही किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक खाते में 2300 करोड़ रु. के तेल निधि अंशदान को राजस्व बजट में प्राप्तियों के रूप में दिखाकर वित्त मन्त्री ने यह दिखाने के लिए कि 1989-90 के बजट में घाटा कम है, सामान्य बजट संबधी प्रक्रिया में जानबूझ कर हेराफेरी की है। सभा को जानबूझ कर गुमराह करके वित्त मंत्री ने लोक सभा की अवमानना की है और सभा के विशेषाधिकार का हनन किया है।"

मैंने यह मामला वित्त मंत्री, श्री एस.बी. चव्हाण को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा था। दिनांक 8 मार्च, 1989 के अपने उत्तर में, श्री एस.बी. चव्हाण ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया :

"तेल समन्वय समिति का पूल लेखा पैट्रोलियम पदार्थों के विक्रय मूल्य और कंपनियों को अनुमत प्रतिधारण मूल्य के अन्तर से तेल कंपनियों के होने वाली अतिरिक्त राशि का द्योतक है। तेल समन्वय समिति अपनी सामान्य आवश्यकता से उपलब्ध अधिक राशि को सरकार के पास जमा रखती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय किया गया था कि 2300 करोड़ रु. की राशि को जमा खाते से निकाल कर सरकार के अंशदान के रूप में दिखाया जाना चाहिए यह सार्वजनिक लेखा (पूंजीगत बजट) से समेकित निधि (राजस्व बजट) में अंतरण है। 2300 करोड़ रु. की राशि समेकित निधि में जमा हो गई है (जिसका प्रो. मधु दंडवते ने उल्लेख किया है।) जबकि सार्वजनिक लेखे में 2300 करोड़ रु. नामे डाले गये हैं। (देखिए दस्तावेज प्राप्तियां बजट के पृष्ठ 19 और 29 जिसमें सार्वजनिक लेखे में इस अन्तरण का प्रभाव दर्शाया गया है।

2. सरकार के कुल घाटे का हिसाब समेकित निधि और सार्वजनिक लेखे के लेनदेन को ध्यान में रख कर लगाया जाता है। चूंकि समेकित निधि में वृद्धि सार्वजनिक लेखे में कमी द्वारा संतुलित की गई है इसलिए इस अन्तरण से केन्द्रीय सरकार के कुल घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरे शब्दों में, यदि यह लेनदेन नहीं किया गया होता तो भी कुल घाटा 7337 करोड़ रु. हो रहता।

3. बजट दस्तावेजों में सही स्थिति दर्शाई गई है। सभा को गुमराह करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इस लेन-देन का कुल घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।"

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : वे नहीं जानते, यह केवल अंतरिम विनिर्णय है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : गड़बड़ तो जरूर है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह वित्त मंत्री का उत्तर है। आप हमेशा बाधा क्यों डालते हैं ? वित्त मंत्री के उत्तर की एक प्रति प्रो. मधु दंडवते को दी गई थी।

वित्त मंत्री के उत्तर पर टिप्पणी करते हुए प्रो. मधु दंडवते ने 13 मार्च, 1989 के अपने पत्र में, जो मुझे सम्बोधित था, अन्य बातों के साथ-साथ बताया :—

मेरी आपत्तियां निम्नलिखित हैं :

(1) 2300 करोड़ रु. पूंजीगत लेखे से राजस्व लेखे में अन्तरित करना ही आपत्तिजनक है। यह उतना ही अनियमित होगा जितना कि सरकार द्वारा रेलवे पेंशन निधि का इस्तेमाल सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन देने के लिए किया जाना।

(2) पूंजीगत लेखे और इसकी अधिशेष राशि का इस्तेमाल पूंजीगत आस्तियां बनाने के लिये किया जाना होता है न कि राजस्व घाटे को कम करने के लिए इसे राजस्व लेखे में अन्तरित करना होता है।

(3) कुल घाटे से अधिक राजस्व घाटा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सही परिचायक है और यह एक तथ्य है कि वित्त मंत्री ने 2300 करोड़ रु. की राशि को पूंजीगत लेखे से राजस्व लेखे में इसलिए अन्तरित किया है ताकि यह दर्शाया जा सका कि राजस्व घाटा कम है।

(4) मेरी बुनियादी आपत्ति तेल के घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में घट-बढ़ को पूरा करने के विशेष प्रयोजनार्थ स्थापित विशेष निधि के धन को अपने चालू खर्च के लिए विनियोजित करने की सरकार की कार्यवाही पर है। यह धन इस कार्य के लिए निर्धारित नहीं है। (यदि किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा ऐसा किया गया होता तो इसे आपराधिक दुर्विनियोजन कहा गया होता)।

(5) इस पृष्ठ भूमि में, मैं यह महसूस करता हूं कि वित्त मंत्री ने सभा को गुमराह किया है और बजट संबंधी समान्य प्रक्रिया में हेर-फेर की है और इस प्रकार सभा के विशेषाधिकार का हनन किया है।"

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब इस सभा ने इसे अस्वीकार कर दिया है।

प्रो. मधु दंडवते : यह मेरा विनिर्णय है, महोदय, आपका नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उपर्युक्त मुद्दे वित्त मंत्री के पास उनकी टिप्पणी हेतु भेजे थे। 14 मार्च, 1989 के अपने उत्तर में मंत्री जी ने अन्य बातों के साथ-साथ बताया—

"मुद्दा 1 और 4 : वर्तमान व्यवस्था के अनुसार प्रति धारा मूल्य से अधिक तेल कंपनियों को अधिशेष राशि तेल समन्वय समिति के पास जमा कर दी जाती है जिसे प्रतिधारण मूल्य बनाए रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निकाला जा सकता है। वर्षों से यह राशि इकट्ठी होती रही है और प्रति वर्ष अधिशेष राशि इस हिसाब में जोड़ दी जाती है। इस समय यह राशि 8900 करोड़ रु. है पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री से अधिशेष राशि मुख्यतः नियंत्रित मूल्य के बारे में सरकार की नीति से एकत्र होता है। यह अन्य वस्तुओं जैसे खाद्य तेलों की खरीद और बिक्री प्राप्त होने वाली अधिशेष राशि से बहुत भिन्न नहीं है। आयातित खाद्य तेलों की बिक्री से होने वाले लाभ को बजट में राजस्व प्राप्ति के रूप में दर्शाया जाता है। सरकार के राजस्व बजट को ऐसी अधिशेष राशि का लाभ मिलना चाहिए, यह इस तथ्य से भी न्यायोचित है कि कतिपय अन्य वस्तुओं जैसे खाद्य सामग्री तथा उर्वरकों के निर्धारित/नियंत्रित मूल्यों से होने वाला घाटा सरकार के राजस्व बजट द्वारा वहन किया जाता है। अतः इस पूल खाते की तुलना रेलवे पेंशन निधि से करना सही नहीं है।

मुद्दा 2 : पूंजीगत लेखे अर्थात पूंजीगत प्रतियां और पूंजीगत निवेश सहित पूंजीगत व्यय में अन्तर को अधिशेष राशि जब भी उपलब्ध होती है राजस्व व्यय को पूरा करने में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि सरकार की राजस्व प्राप्तियों राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होतीं। वर्ष 1989-90 के बजट में, यदि यह अन्तरण न किया गया होता तो यह अधिशेष राशि बहुत अधिक हो जाती और राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए इस अधिशेष राशि का स्तेमाल भी किया गया होता। अतः अन्तरण प्रविष्ठि से पूंजीगत अधिशेष के उपयोग में कोई वास्तविक अन्तर नहीं आता। अन्तरण की प्रक्रिया युक्तिसंगत होने के विषय में उपर्युक्त पैरा में स्पष्टीकरण दिया गया है। जैसा कि मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि निर्धारित मूल्योंके कारण हुई अधिशेष राशि राजस्व मद में आती है।

मुद्दा 3 और 5 : राजस्व घाटा या कुल घाटा अर्थ व्यवस्था का सही परिचायक है इस विषय में वर्ष 1989-90 के बजट-दस्तावेज में कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया है। दोनों घाटे सही तौर पर दर्शाए गए हैं और कोई भी तथ्य नहीं छुपाया गया है। इसलिए दिखावे वाली या सभा को गुमराह करने वाली या बजट प्रक्रिया में फेर-बदल करने वाली कोई बात नहीं है। बहरहाल, संसद के समक्ष जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है वह सरकार के अनुमान है जोकि बजट दस्तावेजों में सही-सही दर्शाए गए हैं। बजट के बारे में अंतिम निर्णय, सदैव की भांति, संसद लेगी। चर्चा के दौरान, माननीय सदस्यों को प्राक्कलनों के मुख्य मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।"

मैंने इस मामले की ध्यान पूर्वक जांच की है और देखा है कि प्रो. मधु दण्डवते का यह दावा कि वित्त मंत्री ने जानबूझ कर सदन को गुमराह किया है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। बजट पत्रों के अवलोकन से पता चलता है कि 2300 करोड़ रुपए की राशि को तेल समन्वय समिति के पूल खाते से पूंजी खाते से राजस्व खाते में अन्तरित करने के मामले में सभी तथ्य स्पष्ट किए गए हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है। इसलिए सदन को जानबूझ कर गुमराह करने तथा इसत विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न ही नहीं उठता।

फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि 2300 करोड़ रुपये, पूंजी खाते से राजस्व खाते में अंतरित करके राजस्व घाटे की बेहतर तस्वीर प्रस्तुत की गई है । यह बात सच है कि इस अन्तरण से कुल घाटा जिसकी गणना संचित निधि और लोक लेखे को हिसाब में लेकर की जाती है प्रभावित नहीं होता, किन्तु मेरा अपना यह मत है कि बेहतर होता यदि राजस्व घाटे को कम करने के लिए खाते की फालतू राशि का अंशतः उपयोग भी नहीं किया जाता ।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं यह निर्णय करना सरकार का काम है कि बजट प्रस्ताव किस प्रकार तैयार किए जाएं किन्तु उन्हें स्वीकृत करने, संशोधन करने और अस्वीकार करने का अन्तिम अधिकार इस सभा का है ।

इसलिए मैं इस मामले में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देता।

———

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट रुकिए·· कल मैं सदन में उपस्थित नहीं था । यहाँ कल हंगामा हुआ है । किन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के बारे में विशेषाधिकार के बहुत से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरे समक्ष दो विकल्प हैं । मुझे निर्णय करना है कल मेरी विपक्षी तथा सरकार के नेताओं के साथ बैठक थी । मुझे कुछ निर्णय लेना था । जिस के बारे में मुझे कार्यवाही वृतांत प्राप्त हुए हैं । हमने बहुत सी बातों पर चर्चा की । किन्तु अन्त में हमने जो निर्णय किया उसे सभा पटल पर रखने के लिए मैंने माननीय उपाध्यक्ष को प्राधिकृत किया है । इसलिए मुझे इस बात का फैसला करना है कि यह रिपोर्ट पूरी है या उसका एक भाग ही है । इसलिए, हमने इस प्रकार से किया । टाईप की हुए प्रतिलिपि यहाँ पर है । निर्णय आपको करना है । मैं वही करूंगा जिसके लिए यह सदन मुझे प्राधिकृत करेगा और मेरे नेता मुझे प्राधिकृत करेंगे ।

> "अध्यक्ष ने गृह मंत्री तथा विपक्ष के नेताओं के साथ इस बारे में चर्चा की कि क्या ठक्कर आयोग की पूरी रिपोर्ट सभा पटल पर रखी गई है । इस बारे में मतभेद था कि पूरी रिपोर्ट क्या है । इसलिए अध्यक्ष ने अपना अन्तिम निर्णय देने से पहले इस मामले में महा न्यायवादी की राय लेने का निर्णय किया है ।"

इसलिए मुझे स्वयं को संतुस्ट करना है कि यह अन्तिम या पूरी रिपोर्ट है या नहीं और क्या सभा से कुछ छिपाया गया है । मैं यही कह रहा हूं । किन्तु मुझे समय चाहिए इन परिस्थितियों में और नियमों के अंतर्गत तथा संविधान के अन्तर्गत मुझे सहायता चाहिए संविधानिक उपबंधों के अंतर्गत मुझे जो भी सहायता चाहिए मुझे उसके लिए प्राधिकृत किया गया है । मैं यही करूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक ही सदस्य को बोलने की अनुमति दे सकता हूँ। आप सभी लोग खड़े होकर क्यों बोलने लगते हैं ?

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते (राजपुर) : महोदय आपकी अनुमति से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने आपको लिखा भी है। चूंकि आपके कक्ष में कल जो कुछ हुआ आपने उसका हवाला देने का निर्णय किया है और चूंकि माननीय गृह मंत्री जी ने भी कल आपके कक्ष में जो कुछ हुआ उसके बारे में कहने का फैसला किया है, इसलिए, मैं केवल एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ताकि आपकी स्थिति को आंच न आए। हम अभी कल ही मिले थे। आप मुझसे सहमत होंगे और मैं आपकी शब्दशः बताता हूं कि आपने क्या कहा था और माननीय गृह मंत्री जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा हम श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के षड़यंत्र के संबंध में कुछ नए मुकदमे दायर करने जा रहे हैं। उस स्थिति में यदि कुछ और दस्तावेज दिखाए जाते हैं तो उससे पूछ ताछ के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।" "तब आपने कहा था" मैं कोई वकील नहीं हूँ"। आपने यह एक महत्वपूर्ण बात कही थी यदि कोई महत्वपूर्ण किस्म के मुकदमे प्रभावित होने वाले हैं"—यदि सुरक्षा का भी प्रश्न है—"मैं महा न्यायवादी से विचार-विमर्श करूंगा और यदि यह मुझे कोई राय देते हैं तो मैं उस पर विचार करूंगा" आपने आगे कहा था यदि मैं आवश्यक समझूंगा तो मैं उनसे सलाह करूंगा और उन्हें संसद के समक्ष आने के लिए कहूंगा"। किन्तु मुख्यतः आपका आग्रह इस बात पर था कि कानून के अंतर्गत रिपोर्ट का अभिप्राय क्या है ? प्रसंगवश मैं आपको यह भी बता दूं, कि मैं आपके अध्यक्ष के नाते अधिकारी की रक्षा करना चाहता हू। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप शोर क्यों करते हैं।

[अनुवाद]

मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : वह यह समझ रहे हैं कि मैं वित्त मन्त्री के बारे में बोल रहा हूं। मैं गृह मंत्री के बारे में बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे केवल एक बात कहनी है। हमने कक्ष में जो भी बातचीत की उसका अन्तिम परिणाम इस सदन में निकला है। मैंने जो भी किया वह मैंने यहां अपने सहयोगियों विपक्ष के माननीय नेताओं और सरकार की सहमति से किया मैंने इसका प्रारूप तैयार किया पढ़ कर सुनाया और तत्पश्चात हम बाहर आए। कक्ष में कई बातों पर विचार किया गया था। किन्तु अंतिम परिणाम यही है। इसलिए मुझे कहने दें। मुझे सर्व सहमति के अनुसार पता लगाना होगा। यही मैं करूंगा।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : मुझे अपनी बात पूरी करने दें (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शोर नहीं करें। काहे को यह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : मैं अपनी बात पूरी ही करने जा रहा था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जिद करते हैं।

[अनुवाद]

फैसला केवल मुझे करना है। आप यहां मेरे सुपर कंडक्टर नही हैं।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : कोई निर्णय नहीं दिया गया (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कुछ गलत है तो मेरा जवाब ना में होगा। मैं बिना सुने कोई फैसला कैसे कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, हममें जो कुछ भी बातचीत की थी उसे शब्दशः बात न करें। मैंने अन्तिम निर्णय बता दिया है।

प्रो. मधु दंडवते : मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 121 और 122 की ओर दिलाना चाहता हूं। अनुच्छेद 121 स्पष्ट कहता है कि संसद को न्यायपालिका पर आक्षेप नहीं करने चाहिए। और अनुच्छेद 122 कहता है कि न्यायपालिका भी संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अनुच्छेद 122 कहता है कि महा न्यायवाही की तो बात ही क्या, न्यायपालिका भी संसद के कार्य में दस्ता क्षेप नहीं कर सकती। मैं यह बात आप पर और इस सदन पर छोड़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, देखिए, आप चिन्ता न करें। मेरा मार्ग निर्देशन संवैधानिक उपबंध करते हैं। क्या नहीं करते ? मैं कुछ सलाह या सहायता ले सकता हूं। किन्तु अध्यक्ष के नाते अंतिम निर्णय मेरा है। कोई बात ठीक है या गलत इसका निर्णय मुझे करना है सीधी सी बात है ?

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : अनुच्छेद 122 के अनुसार आपका फैसला अंतिम है और न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और अनुच्छेद 122 के अनुसार न्यायपालिका भी संसद के कार्यसंचालन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप तो जोर जोर से बोल कर काम खराब करते हैं।

[अनुवाद]

इस सभा के अलावा कोई और निर्णय नही कर सकता मैं किसी की भी सहायता ले सकता हूं। किन्तु वह मेरा मालिक नहीं हैं। कुछ नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब गृह मंत्री।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) मैं केवल एक स्पष्टी करण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप मालिक नहीं हैं। जैसे मैंने प्रो. दंडवते को अनुमति दी है, अब मैंने गृह मंत्री को अनुमति दी है। यह गलत बात है आप लोग हमेशा ही अपनी बात मनवाते हैं।

श्री सुरेश कुरूप : मैं तो केवल अनुरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अनुरोध की और बात है। किन्तु चिल्लाना अलग चीज है। मैंने श्री बूटा सिंह को अनुमति दी है।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले को साफ करने के लिए, मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य श्री मधु दंडवते जी ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। मैं उसमें कोई सुधार नहीं करूंगा। मैं तो केवल यही कहने आ रहा हूं कि मैंने क्या कहा था और आज भी मेरा यही मत है। आपको याद होगा कि मैंने अपने दिनांक 27 के पत्र, जिस दिन रिपोर्ट इस सदन में प्रस्तुत की गई थी, आपसे अनुरोध किया था कि मेरे विचार से तथा आयोग के अनुसार जिसे रिपोर्ट माना जाएगा सदन के समक्ष रख दी गई है (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह उनका मत है। इसी बारे में मुझे निर्णय लेना है।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : और किसी भी शंका को दूर करने के लिए मैंने यह सुझाव रखा था कि सरकार आयोग की कार्यवाही तथा आयोग द्वारा गृह मंत्री जी को अंतिम रिपोर्ट देने के 20 दिन बाद पृथक से दिए गए कुछ दस्तावेज आपके समक्ष रखेगी। साथ ही विपक्ष के माननीय नेताओं की उपस्थिति में मैंने यह निवेदन किया था कि इन दस्तावेजों को आयोग के कार्यवाही सारांश हैं, वे बड़े षडयंत्रों के बारे में दायर किए जाने वाले मामलों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। (व्यवधान)। कल मैंने इन्द्रजीत गुप्त जी से यह बात कही थी। साथ ही 27 तारीख को अध्यक्ष महोदय के नाम लिखे अपने पत्र में मैंने यही बात कही थी। मैंने अध्यक्ष महोदय से यह निवेदन किया था कि आयोग के कार्यवाही सारांश में शामिल दस्तावेजों से न्यायालय में दायर किए जाने वाले मामले को क्षति पहुंचने की संभावना है।

इसलिए मैंने यह मामला अध्यक्ष महोदय और राज्य सभा के सभापति पर उनके द्वारा दस्तावेज देखने के बाद छोड़ दिया है। निष्कर्ष निकालने की जिम्मेदारी उन पर है, और महान्यायवादी से परामर्श करना अध्यक्ष महोदय पर निर्भर है। उस मामले में अध्यक्ष महोदय को कोई नहीं रोक सकता। मैं यहीं वही बात दोहराना चाहता था। (व्यवधान)

आपके परामर्श के बाद बने सामान्य दृष्टिकोण से सहमत होकर मैंने सोचा कि शायद विपक्ष के माननीय नेता अपने-अपने सदस्यों पर नियंत्रण कर पाएंगे और सभा अपनी कार्यवाही सहज रूप से जारी रख पाएगी। दुर्भाग्य से, कल ऐसा नहीं हुआ और मैंने कल अपना रोष व्यक्त किया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक-एक करके मैं आप सब को अनुमति दूंगा। इस तरह नहीं श्री आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है। 17 तारीख को जब समूचे विपक्ष को निलंबित कर दिया गया था प्रधानमंत्री ने इस सदन में यह वक्तव्य दिया था कि पूरी ठक्कर रिपोर्ट उन्होंने यह नहीं कहा कि उस भाग को छोड़कर जिसे रोक लिया गया है, सभा पटल पर रखी जाएगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं एक मिनट के लिए आपके वक्तव्य में व्यवधान डाल सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

[अनुवाद]

भगवान के लिए कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जो कुछ कह रहे हैं कि क्या यह रिपोर्ट पूरी है या नहीं, यह मेरे विचाराधीन है

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा आप बैठते क्यों नहीं, स्प्रिंग लगे हुए हैं क्या ...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : 27 तारीख को श्री बूटा सिंह ने भी वक्तव्य दिया था। उन्होंने जो कुछ कहा मैं उससे उद्धृत करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

आपको क्या हो रहा है। आप क्यों खड़े हो रहे हैं। आप भाई बैठ जाओ।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पडरौना) : 3-4 सदस्य हमेशा खड़े रहते हैं। आप उन्हें क्यों देते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं भी वही अनुरोध कर रहा हूं, जो आप कह रहे हैं हाथ जोड़ कर···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : गृह मंत्री ने यही कहा है।

"चूंकि विशेष जांच-दल ने उसे सौंपा गया काम पूरा कर लिया है, इसलिए ठक्कर आयोग की अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट जारी करने में अब कोई बाधा नहीं है।" (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अगर चुप बैठेंगे तो मैं सारा काम ठीक कर लूंगा।

[अनुवाद]

मैं इसे निपटा लूंगा, कोई बात नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन 700 पृष्ठों को सभा में रखने से रोका गया है क्या वह उन्हें रोक सकते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब क्या हो गया, आप बड़ी फिजूल की बातें करते है।

[अनुवाद]

वह अनावश्यक रूप से बोल रहे हैं। इसमें कोई नयी बात नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इन्द्र जीत गुप्त (बसीरहाट) : सर, आप जो बोल रहे हैं, और यह जो कह रहे हैं, दोनों में बड़ा फर्क है।

[अनुवाद]

हम जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चुप बैठेंगे तो काम बन जाएगा। आप चुप बैठे रहिए बस।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, मैं यहां भाषण नहीं दे रहा हूं। आपने जो कुछ कहा है, मैंने सुना है। आपने जो कुछ कहा है, उस पर मैं पहले ही विचार कर रहा हूं। आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ नया नही है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच. के. एल भगत) : महोदय, इस समस्या का हल निकालने के लिए इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए आपने विपक्षी नेताओं, गृह मंत्री और स्वयं मुझे आमन्त्रित करके बहुत कृपा की है ((व्यवधान) मैं केवल स्पष्ट कर रहा हूँ। प्रो. दंडवते को स्पष्टीकरण का अवसर दिया गया था। मैं उसी बात पर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ने आपकी ओ' से वहीं तैयार किया गया प्रारूप सभा में पढ़कर सुनाया। यह प्रारूप सभी को सुनाया गया था। उससे सब सहमत थे (व्यवधान) मैं केवल अपनी व्यथा व्यक्त कर रहा हूँ। आप सच्चाई से क्यों भागते है ? मुझे दुख है क्योंकि सामान्यत: अध्यक्ष के कक्ष में की जाने वाली चर्चा ऐसी होती है जिस पर सामान्यत: कभी भी यहां चर्चा नहीं की जानी चाहिए। हम सब उस प्रारूप से सहमत थे। प्रारूप पढ़कर सुनाया गया था। सभी ने उस पर सहमति व्यक्त की थी (व्यवधान) निश्चय ही मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम सब पर सहमत थे कि गृह मंत्री आपको सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। आपने कहा था कि आप महान्यायवादी से परामर्श करेंगे और इस मसले पर आप जो भी विनिर्णय देंगे, वह सभी को मान्य होगा। उस पर सहमति हुई थी। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी लगभग यही बात कही है। मैंने इस बात की सराहना की थी कि श्री इन्द्रजीत गुप्त, प्रो. दंडवते और श्री बसुदेव आचार्य ने आपकी उपस्थिति में हुई चर्चा तथा निर्णय को माना है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने जो बात स्वीकार कर ली है, वह उस पर अटल रहेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : पहले ही समाचार पत्रों में अन्य अध्यायों के सार प्रकाशित हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य आप कभी कोई बात नहीं मानते। आप हमेशा······

(व्यवधान)

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : बीच में क्यों बोलते हैं, आचार्य जी। आप बैठ जाईए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बीच में क्यों गड़बड़ करते रहते हैं मिं. आचार्य।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अरे भाई आचार्य जी, चुप हो जाओ दो मिनट के लिए कभी तो चुप हो जाया करो। शोर न करो।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मेरे विचार से आप इस बात से सहमत होंगे कि सभा को यह जानने का अधिकार है कि आप किन मुद्दों के बारे में महान्यायवादी का परामर्श लेने जा रहे हैं। यदि मैं आपकी बात ठीक से सुन पाया हूं तो अभी अभी आपने बताया कि यह जो मतभेद उठा कि जो रिपोर्ट सभा में पेश का गई है, वह पूरी है अथवा नहीं, इस बारे में आप महान्यायवादी से परा-

मर्श करने जा रहे है । क्या ऐसा ही है ? क्योंकि उसके तुरन्त बाद गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उससे भ्रम और बढ़ गया । यदि मैं उन्हें ठीक से समझ पाया हूँ तो उनका यह कहना है कि जिस भाग को वह कार्यवाही सारांश अथवा कार्यवाही कहते है, उसे वे रोक रहे हैं क्योंकि उनका विचार है कि इससे एक बड़े षड़यंत्र के संबंध में कुछ लोगों के विरुद्ध शुरू की जाने वाली कार्यवाही में बाधा पहुँच सकती है । चूंकि हम सब कुछ स्पष्ट जानना चाहते हैं इसलिए महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बारे मे महान्यायवादी से परामर्श लेने जा रहे है कि (क) जो दस्तावेज रखे गए हैं क्या वह पूरी रिपोर्ट है या रिपोर्ट का एक भाग है अथवा (ख) क्या आप उनसे इस बारे में परामर्श करने जा रहे हैं कि क्या कार्यवाही सारांश या कार्यवाही के रूप में रखे गये भाग को रोक लिया जाना चाहिए ....

सरदार बूटा सिंह : ये दो अलग कारण हैं ।

श्री इन्द्रजीत सिंह : क्योंकि इससे बाद की कार्यवाहियों में बाधा पहुँचने की संभावना है । आप क्या करने जा रहे हैं ? क्या महान्यायवादी यह निर्णय करेंगे कि यह रिपोर्ट पूरी है अथवा उसका एक भाग है या क्या वह आपको यह बताएंगे कि कुछ विशेष कारण से इसके एक भाग को रोक लिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय मेरा कार्य सादा और स्पष्ट है । मुझे पूरा परामर्श और राय लेने के बाद ही निर्णय लेना है । मैं हर संभव प्रयास द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए हर सभव उपाय करूंगा कि क्या यह रिपोर्ट अंतिम और पूरी है या फिर इसका कुछ अंश छोड़ दिया गया है । मुझे यही कहना है । मैं केवल, यहां तक ही बाध्य हूं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप शोर क्यों कर रहे हैं, मैं एक-एक को बुला लूंगा । पूछ लूंगा ।

[अनुवाद]

यदि आपको कोई नई बात कहनी है तो कहे जो बातें पहले ही कही जा चुकी हैं और जिनका उत्तर दिया जा चुका है कृपया उन्हें मत दोहराइए । मैं आपसे एक-एक करके पूछूंगा कि आपको क्या कहना है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पूरा समय दूंगा । लेकिन आपको अपनी बात अपनी सीमा और दो मिनट में कहनी होगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री पुरुषोत्तमन, कृपया बीच में मत टोकिए भगतजी, आपको अवसर दूंगा पहले मुझे इस तरफ के सदस्यों से निपट लेने दीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक एक करके बोलें, सब नजर आ रहा है मुझे।

[अनुवाद]

मुझे इतना कम तो नहीं दिखाई देता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए आपकी भी बारी आ जाएगी। आपकी पहलवानी नजर आ रही है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : यदि आप इस बारे में महान्यायवादी से परामर्श ले रहे हैं कि रिपोर्ट का अर्थ क्या है अथवा 'रिपोर्ट' शब्द की परिभाषा क्या है तो इस बारे में आपके तथा गृहमंत्री के कथन परस्पर विरोधी हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इससे निपटने दीजिए।

[हिन्दी]

आप बीच में गड़बड़ करेंगे तो कैसे होगा ?

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या आपकी बात सही है या गृह मंत्री जी का कथन सही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

आप ठीक तरह से क्यों नहीं बैठ सकते ?

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके कक्ष में क्या निर्णय लिया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरूप, आयोग की सम्पूर्ण रिपोर्ट में क्या क्या आता है इस बारे में मतभेद था। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय ने कल सदन में यह घोषणा की थी :

> "अतः अध्यक्ष महोदय ने इस मामले में महान्यायवादी की सलाह लेने और उसके बाद वे अपना अन्तिम विनिर्णय देने का फैसला किया है।"

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप : वह गलत बात कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह चाहे जो कुछ कहें परन्तु मेरा सम्बन्ध केवल इस बात से है। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बात समाप्त हो चुकी है। बस यही काफी है। मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हे सर्वोपरि समझते हैं अथवा मुझे सर्वोपरि समझते हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों कर रहे हैं? तांती जी आपसे ज्यादा होशियार हैं। पहले उनकी सुन लूं।

[अनुवाद]

वह हम सबसे ज्यादा होशियार हैं। हां, श्री तांती जी आप क्या कहना चाहते है.?

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : प्रधान मंत्री महोदय ने 17 तारीख को इस सम्मानित सभा में यह घोषणा की थी कि आयोग की रिपोर्ट को सभापटल पर रखा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात पहले ही सुन चुका हूं। आपको और क्या कहना है?

श्री भद्रेश्वर तांती : हमें पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदय : मैं, अब यही निर्णय ले रहा हूं।

[हिन्दी]

सारी रात रोए, एक मरा, वह भी अपना नहीं, पड़ोसी का।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री भद्रेश्वर तांती : हम सम्पूर्ण रिपोर्ट को प्राप्त करना चाहते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : श्री भोई की बात सुन लीजिए, वह बड़ा इम्पोर्टेन्ट मैटर है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने देख लिया है, मैं जरूर सुनूंगा, आप क्यों चिन्तित हो रहे हैं ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप चुप रहिए, मैं अपने आप देख लूंगा।

[**अनुवाद**]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह कार्यवृत्त अथवा कार्यवाही का प्रश्न नहीं है। यहां तक कि सरकार जिसे रिपोर्ट समझती है...... (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : बात तो वही की वही है।

[**अनुवाद**]

यह तो वही बात है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह वही बात नही है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हैं ?

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : अगर आप चुप रह जाएं तो मेरा काम बन जाए।

[**अनुवाद**]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यहां तक कि सरकार जिसे रिपोर्ट समझती है, उन्होंने उस रिपोर्ट का एक भाग अर्थात रिपोर्ट का भाग 1 (अ) निकाल लिया है जोकि विदेशी एजेन्सियों के इस मामले में सम्मिलित होने से सम्बंधित है। वह भाग सदन को नहीं दिया गया है। उनके अनुसार वह रिपोर्ट का एक भाग है। यह एक अति गम्भीर मामला है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच कर रहा हूं। मैं यही कार्य कर रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं, मुझे आपके लिए खेद है।

अध्यक्ष महोदय : कम से कम मेरे लिए सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाइये क्योंकि मुझे यह सब सहन करना पड़ता है।

प्रो. मधु दंडवते : महोदय, श्री जयपाल रेड्डी कुछ मूल बातें कहेंगे।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, मैं आज बहुत चुप रहा हूं। मैं चाहूंगा कि मेरी बात को शान्तिपूर्वक सुना जाये। (**व्यवधान**) प्रधानमंत्री महोदय ने 17 मार्च को सदन में जो कुछ कहा था मैं उसमें से उद्धृत कर रहा हूं।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया बाबा।

[अनुवाद]

प्रो. मधु दंडवते : यह बहुत संगत बात है। इससे आपको सहायता मिलेगी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : उन्होंने कहा है :

"समाचार पत्रों में एक समाचार छपा है जिसे इस प्रतिवेदन का एक भाग बताया जाता है ......"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह मैंने पढ़ा हुआ है। ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों शोर कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं न।

[अनुवाद]

मुझे बात करने दीजिए। आप मेरा कार्य क्यों सम्भाल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मुझे सम्पूर्ण बात की जांच करने दीजिए। उन्होंने आगे कहा है :

"इससे जान बूझकर तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने और गैर-जिम्मेदार तरीके से चरित्र हनन के प्रयासों को बढ़ावा मिल रहा है। इस सबको रोकने के लिए......"

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे बहुत बार पढ़ा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब चुप रहिये। मुझे बोलने दीजिए, भगवान। आप क्यों ले रहे हैं बीच में।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय सभा को यह पता होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा है :

"इस सबको रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रतिवेदन के पूरे पाठ को प्रकाशित किया जाये। मैंने जांच के सम्बंध में वर्तमान स्थिति का पता लगाया है। मुझे यह सूचना दी गई है कि अब जांच पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जायेगी।" (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें गलत क्या है ? इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सभा में ऐसा कहा गया था।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आगे :

> "इसलिए अब प्रतिवेदन के प्रकाशित करने से की जा रही आपराधिक जांच पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

मुझे तीन बातें कहनी हैं। तीन प्रतिबन्धित खंडों से आज समाचार पत्रों में उद्धरण प्रकाशित हुए हैं। इसलिए इन बातों को रोकने के लिए सभी तीनों खंडों को··· ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न है और उसका वही उत्तर है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : दूसरे गृह मंत्री महोदय की दलील गलत है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं पहले भी यह कह चुका हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे रद्द किया जाता है। यह असंगत बात है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या करेंगे, रेड्डी साहब, बहुत हो गया। कोई नई चीज तो है नहीं, क्यों बाल की खाल निकाल रहे हैं। आप तो समझदार आदमी हैं

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णय के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाएगा। भगवान के लिए बैठ जाइये। मेरा समर्थन मत कीजिए, आपका सर्वोत्तम समर्थन यह है कि आप चुप रहिए।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मेरे सहयोगी ने जो कुछ कहा है मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा ······(व्यवधान) सरकार द्वारा अपनाई गई स्थिति के अनुसार रिपोर्ट 27 मार्च को चार बजे सभा पटल रखी गई थी; उससे पहले आपने भी रिपोर्ट नहीं देखी थी। हमें यह बताया गया था कि सम्पूर्ण रिपोर्ट को परिशिष्टयों सहित प्रस्तुत किया जा रहा था।

अध्यक्ष महोदय : यहाँ यही सम्पूर्ण प्रश्न है।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : रिपोर्ट के सभापटल पर रखने के बाद ही आपको और हमें यह पता लगा कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। उसी रिपोर्ट से हमें यह पता लगा कि आयोग की रिपोर्ट पांच खंडों में है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात मेरे विचाराधीन है।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। मेरा मुद्दा यह है कि स्वयं समिति ने यह कहा है कि रिपोर्ट की विषय वस्तु इस प्रकार है। रिपोर्ट के एक भाग को

गोपनीय तरीके से रोक लिया गया है। अब यह प्रश्न नहीं उठता कि इसे महान्यायवादी के पास से जाना चाहिए अथवा नहीं क्योंकि रिपोर्ट को महान्यायवादी के परामर्श के अनुसार ही प्रस्तुत किया गया था (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही बात मेरे विचाराधीन है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों कर रहे हैं, मुझे काम करने दो।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं कर रहा हूं। मुझे पता है, मेरी रुलिंग क्या है।

[अनुवाद]

मैं जानता हूं कि मेरा विनिर्णय क्या है। मैं जानता हूं कि इसे कैसे करना है। बार-बार वही बात कही जा रही है। कुछ भी नहीं होगा।

श्री बी. किशोर चन्द्र एस. देव : रिपोर्ट को 27 तारीख को सभापटल पर रखने से पहले आपने यह उचित नहीं समझा कि महान्यायवादी अपनी राय व्यक्त करे। हमसे यह वायदा किया गया था कि सम्पूर्ण रिपोर्ट······(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यह चाहते हैं कि मैं सभा को स्थगित कर दूं तो मैं उसे स्थगित कर दूंगा

(व्यवधान)

श्री बी. किशोर चन्द्र एस. देव : महोदय, जब आपने 27 तारीख को रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले महान्यायवादी से सलाह करना उचित नहीं समझा······

अध्यक्ष महोदय : यह कोई मुद्दा नहीं है। मेरा सम्बन्ध इस बात से है कि क्या सभापटल पर रखी गई रिपोर्ट पूर्ण है अथवा नहीं। यही मेरा काम है।

श्री बी. किशोर चन्द्र एस. देव : यह सभा में किया गया एक घोटाला है। महोदय, उनके रिपोर्ट को सभापटल पर रखने का निर्णय लेने से पहले······

अध्यक्ष महोदय : और अधिक नहीं। कुछ नहीं होगा। मुझे अपने आपको सन्तुष्ट करना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या लेना देना है उससे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सारे के सारे आप क्या कहेंगे ? एक ही बात है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने अभी तक कोई नई बात नहीं कही है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या नया बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री से स्पष्टीकरण लेने के लिए ही यह मुद्दा रख रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं है उस बात में। फिर वही बात।

[अनुवाद]

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, माननीय गृह मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है। मैं आपके विनिर्णय के बारे में नहीं कह रहा हूं। क्योंकि उनका वक्तव्य……

अध्यक्ष महोदय : वह कोई वक्तव्य दे सकते हैं। मैं स्वयं अपने से आबाद हूं……

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उनका वक्तव्य कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जा चुका है। मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं तो उनसे एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, सरकार जांच आयोग अधिनियम के तहत एक नियत अवधि के अन्दर प्रत्येक आयोग के प्रतिवेदन को सभापटल रखने के लिए आबद्ध है। प्रतिवेदन को गुप्त और गोपनीय रखने का सरकार को अधिकार देने वाला संकल्प वापस ले लिया गया है और माननीय गृह मंत्री समझते हैं कि बड़े स्तर पर षडयन्त्र के मामले पर कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु और अभी शुरू किए जाने वाले मामले इन धाराओं के प्रकट होने से प्रभावित न हों इसलिए इन्हें प्रकाशित करने से रोक लिया गया है तो मेरा यही मुद्दा है कि क्या सरकार इन भागों को गुप्त और गोपनीय रखने का अधिकार प्राप्त करने के लिए एक और प्रस्ताव सभा में पेश करेगी।

अध्यक्ष महोदय : अस्वीकृत । यह अनावश्यक और असांगिक है । इस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आरिफ मोहम्मद खां, मेरे सम्मुख प्रश्न यह है कि क्या यह सम्पूर्ण प्रतिवेदन है या नहीं । यदि नहीं तो उस स्थिति में अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे अन्यथा नहीं ।

प्रो. मधु दण्डवते : आप महा अधिवक्ता से परामर्श करने जा रहे हैं, आप सोमनाथ चटर्जी से भी परामर्श क्यों नहीं करते ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कब कहा कि नहीं पूछना है, महाराज । मैं तो बारी-बारी कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे बैठ जायें तो आप बोल लें ।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, मेरा यह कहना है कि सभा का सारा मुद्दा जानने का अधिकार क्या इसलिए रोक दिया जाएगा कि बाद में वह न्यायाधीन हो जाएगा । इसलिए आपको वह भाग लेना है······

अध्यक्ष महोदय : वह भाग अभी नहीं आया है ।

श्री तम्पन थामस : वह इसके बाद आएगा । मैं कहना चाहूंगा कि इसके बाद यदि कहा जाए कि यह न्यायाधीन है और नहीं दिया जा सकता तो हम प्रति प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे । आपको हमारे हितों, इस सभा के हितों और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अस्वीकृत । बैठ जाइए ।

[हिन्दी]

बारी बारी से बुला रहा हूं, फिर आप सारे के सारे क्यों चिल्ला रहे हैं स मेरी समझ में नहीं आ रहा इसमें स्वाद क्या आ रहा है ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष पीठ के प्रति पूर्ण सहानुभूति के साथ जैसा कि आपने कहा कि अधिसूचना के प्रस्ताव को वापस लेने के बाद यह सरकार का वैधानिक कर्तव्य है कि वह प्रतिवेदन प्रस्तुत करे । इसमें कोई विकल्प नहीं है । कोई भी व्यक्ति इस बारे में कोई मत नहीं दे सकता है । (व्यवधान)

प्रतिवेदन क्या है, यह मुद्दा तथ्यों से सम्बन्धित प्रश्न है न कि कानून से यह बताया गया है कि प्रतिवेदन के चार खण्ड हैं और प्रत्येक खण्ड में 2000 पृष्ठ हैं। इस बारे में कानूनी मत का : श्न ही नहीं उठता है। कानून तथ्य को नहीं बदल सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अस्वीकृत।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या अस्वीकार्य है ?

अध्यक्ष महोदय : आपकी आपत्ति।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

[हिन्दी]

बैठ जाइये, क्या कर रहे हैं आप लोग।

[अनुवाद]

डा. कृपासिन्धु भोई (संबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, हजारों लोग इस अन्तः शिरा तरल को लेने से मर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह आपत्ति जनक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें। सभा में ऐसा करना उचित नहीं है······

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा में कोई प्रदर्शन नहीं होगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बी. आर. भगत (आरा) : महोदय मैं आज सुबह के समाचारपत्र में छपे एक अत्यन्त गम्भीर मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगान विद्रोहियों और पंजाब के आतंकवादियों के बीच अत्यन्त स्पष्ट सम्बन्ध हैं। अफगान नेता श्री हिकमतयार ने एक संदेश में कहा है "हमारे भाई पंजाब के आतंकवादियों के साथ सक्रिय हैं।"

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके प्रस्ताव को पहले ही स्वीकार कर चुका हूं। हम इसके लिए तारीख निर्धारित करेंगे।

12.46 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखए संख्या एल. टी. 7604/89]

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड लखनऊ, अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड दिल्ली, तथा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1987-18 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 7605/89]

(2) (एक) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संकरण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 7606/89]

(3) (एक) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 7607/89]

अधिसूचना जिसके द्वारा वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1988 लागू होने की तारीख नियत की गई

पर्यावरण और वन मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं अधिसूचना संख्या का. आ. 188 (अ), जो 15 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 मार्च, 1989, वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 1988 लागू होने की तारीख नियत की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल. टी. 7608/89]

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड कानपुर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 7609/89]

केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण; स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शि‍ा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा

वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : कुमारी सरोज खापर्डे की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 7610/89]

(2) (एक) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1987-88 (वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 7611/89]

भारतीय खाद्य निगम का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री डी. एल बैठा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 7612/89]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1989-90 के वित्तीय प्राक्कलन तथा कार्य-निष्पादन बजट

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राधा किशन मालवीय) : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1989-90 के वित्तीय प्राक्कलन तथा कार्य-निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 7613/89]

12.48½ म. प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

62वां प्रतिवेदन

श्री एम. तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बासठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 43वां तथा 44वां प्रतिवेदन

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी रूपान्तरण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (शिक्षा विभाग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के प्रवेश तथा उन्हें दी गई अन्य सुविधाओं के संबंध में 38वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा दी गई कार्यवाही के संबंध में समिति का तैतालीसवां प्रतिवेदन ;

(दो) कल्याण मन्त्रालय-लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक दशाओं के संबंध में 35वें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में समिति का पचासीवां प्रतिवेदन।

12.50 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सिधमुख और नोहर सिंचाई परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता।

[हिन्दी]

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सिधमुख व नोहर सिंचाई परियोजना काफी लम्बे समय से विचाराधीन चल रही है। इस परियोजना के सर्वे के लिए एक डिविजन गांव से लगभग चार पांच वर्ष खोला गया था, जिसका मुख्यालय परियोजना स्थल से हटा कर जयपुर कर दिया गया। इन परियोजनाओं के लिए कार्यरत सिधमुख खंड जयपुर में कार्यरत है, ने केन्द्रीय जल आयोग द्वारा उठाए गए आक्षेप/ स्पष्टीकरणों के निराकरण के लिए नोहर परियोजना व सिधमुख परियोजना हेतु क्रमश: माह जून, 87 व जुलाई 87 में मांगे गए थे, लेकिन, राजस्थान सरकार द्वारा भिजवाए अभी तक प्रत्युत्तर नहीं गए हैं।

इन योजनाओं से दो लाख 48 हजार एकड़ के भू-भाग पर सिंचाई हो सकेगी तथा इस जिले व चुरू को मिलाकर लगभग 400 गांव लाभान्वित होंगे। अकाल की विभीषिका का भी स्थाई हल निकल सकेगा। इन परियोजनाओं में अकाल राहत मद में काफी बड़ी धनराशि राज्य सरकार खर्च कर चुकी है कि परियोजना शुरू न होने पर व्यर्थ जाएगी और हरियाणा सरकार ने उक्त कामों के लिए अपने तखमीने केन्द्रीय जल आयोग को जनवरी, 83 में दे दिए हैं।

अत: इन परियोजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा कर शीघ्र इस कार्य को शुरू करवाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जायें।

(दो) राष्ट्रीय बैंकों में ग्राहकों को और अधिक आधुनिक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अशोक शंकर राव चव्हाण (नान्देड़) : मैं देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों की सभी शाखाओं में स्वचालित टैलर मशीनें और पास बुकों को कंप्यूटरी द्वारा अद्यतन करने जैसी आधुनिक सुविधाएं जनता को दिए जाने की आवश्यकता के मामले को उठा रहा हूं। अभी तक ये सुविधाएं अधिकांशत: महानगरों में स्थित राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में ही उपलब्ध करायी गई है। इन नगरों के

अतिरिक्त अन्य नगर और कस्बे भी हैं जो औद्योगिक, वाणिज्यिक रुप से तथा अन्यथा विभिन्न दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं और जहां अत्यधिक बैंक कार्य भार है। मेरा सुझाव यह है कि प्रारम्भ में देश के सभी जिला नगरों के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की एक-एक शाखा में यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए जो बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावी सेवा उपलब्ध कराने में सहायक होगी।

मैं माननीय वित्त मंत्री से इस मामले में निर्देश देने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) सेना, सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य अर्ध सैनिक बलों में मैट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त लड़कों को भर्ती किए जाने की आवश्यकता

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : पहले सेना, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में मैट्रिक से कम शिक्षा प्राप्त लड़कों की भर्ती की जाती थी। अब केवल वही लड़के भर्ती किए जाते हैं जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की है। इससे युवकों में बेरोजगारी बढ़ी है।

मैं भारत सरकार से अन्यथा शारीरिक रूप से योग्य सभी युवकों को सेना और अन्य अर्ध सैनिक बलों में भर्ती किए जाने की मांग करता हूं।

(चार) ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक घर खोले जाने के लिए डाक विभाग से प्राप्त प्रस्तावों को वित्त मंत्रालय द्वारा शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : सरकार द्वारा नई भर्ती पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण डाक विभाग द्वारा वित्त मंत्रालय को भेजे गए प्रस्तावों को समय पर मंजूरी न देकर वित्त मन्त्रालय ने वित्तीय वर्ष 1988-89 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 3000 ई. डी. शाखा डाक-घर खोलने के कार्य में विलम्ब किया है।

चूंकि डाक विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घर खोलने के लिए नियत किए गए राज्य-वार लक्ष्य को 31 मार्च, 1989 से पूर्व पूरा किया जाना था किन्तु इन प्रस्तावों की मंजूरी में असाधारण विलम्ब से गांवों के उन लोगों में नैराश्य और असन्तोष फैला है जो नए शाखा डाक घरों के खुलने की उम्मीद लगाए बैठे थे। वर्ष 1984 में प्रतिबन्ध लगने के बाद से ऐसा कोई शाखा डाक घर नहीं खोला गया है।

यह जानकर निराशा हुई है और धक्का लगा है कि नियोजित विकास की प्रक्रिया दफ्तर-शाही रुकावटों के कारण असफल हो गई है।

अब समय है कि वित्त मंत्रालय डाक विभाग से प्राप्त सभी प्रस्तावों को उचित जांच और विचार करने के बाद और आगे विलम्ब किए बिना मंजूरी दे और यह सुनिश्चित करें कि चालू वित्तीय वर्ष में खोले जाने वाले सभी डाक घर वास्तव में खोले जाएं। इस कार्य में हुई चूक से ग्रामीण विकास कार्य में बाधा पहुँचेगी।

(पांच) वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना को उड़ीसा के सभी जिलों में लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने गरीब परिवारों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की है जिसके अन्तर्गत दुर्घटना में मरने

वाले व्यक्ति के परिवार को 3000/-रुपये की सहायता दी जाती है। उड़ीसा में योजना को प्रथम चरण में 15 अगस्त, 1985 को कालाहान्डी, कोरापुट और बोलनगीर तीन जिलों में लागू किया गया था। इस योजना को 15 अगस्त, 1986 से मयूरगंज, ढेनकनाल, क्योंझर, और गजम आदि चार और जिलों में लागू किया गया।

अभी तक राज्य के छः अन्य जिलों कटक, बालासोर, पुरी, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़ और फुलबनी-को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। सुन्दरगढ़ जनजातिय-उप-योजना जिला है। फुलबनी और बालासोर में 13 जनजातीय उप-योजना ब्लाक हैं। इन सभी छः जिलों में गरीबी बहुत अधिक है।

इसलिए, मैं योजना को उड़ीसा के बाकी छः जिलों में भी लागू किए जाने की मांग करता हूं।

डा. कृपासिन्धु भोई : महोदय :

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री झिकराम।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं···

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे मंत्री के साथ उठा सकते हैं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे लिख कर दे सकते हैं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपको पता लगाना है। आप इसे लिख कर दे सकते हैं। इस तरह नहीं।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

(छः) मध्य प्रदेश के मांडला और सिवनी जिलों में सूखे की स्थिति का आकलन किए जाने हेतु एक केन्द्रीय दल भेजे जाने तथा उपचारात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री एम. एल. झिकराम (मांडला) : उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के जिला मांडला और

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

सिवनी जिले की लखनादौन तहसील में इस वर्ष वर्षा न होने से वहां सूखे की स्थिति हो गई है। लोग अपना घर-द्वार छोड़कर दूसरे जिलों में पेट पालने हेतु पलायन कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जो केन्द्रीय अध्ययन दल छत्तीसगढ़ जा रहा है, उसे मालवा सिवनी जिले में भी भेजने पर शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त करते हुए राहत कार्य तत्काल खुलवाने हेतु प्रांतीय शासन को निर्देश देने की कृपा करें तथा राहत हेतु आबंटन देने की दया करें। अभी 26-2-89 से जो शिकार, के पास मध्यपूर्व छोटी लाइन में ट्रेन दुर्घटना हुई थी उसमें 98 प्रतिशत लोग मेरे क्षेत्र के ही थे, जो सूखे की स्थिति के कारण अपना घर छोड़कर दूसरे जिलों में काम की तलाश में पलायन कर रहे थे। अतः इस क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर राहत कार्य खोले जावें।

(सात) फाइलेरिया रोग पर नियंत्रण पाए जाने हेतु राजामुंदरी होम्योपैथी अस्पताल का विस्तार किये जाने तथा पूर्व गोदावरी जिले में एक अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने हेतु धन राशि प्रदान किये जाने की आवश्यकता।

श्री गोपाल कृष्ण थोटा (काकीनाडा) : राजामुन्दरी में 50 बिस्तर वाला होम्योपैथी अस्पताल है। लेकिन धन की कमी के कारण, अस्पताल का विस्तार करना संभव नहीं है। इस क्षेत्र के लोग, विशेषतया पूर्वी गोदावरी जिले के लोग फाइलेरिया की बीमारी से पीड़ित हैं जो मच्छर के काटने से होता है। इस बीमारी के लिए एलोपैथी दवाइयां केवल अस्थाई आराम पहुंचाने वाली हैं। फाइलेरिया के लिए कारगर दवाई केवल होम्योपैथी में ही उपलब्ध है।

इसलिए मैं राजामुन्दरी में होम्योपैथी अस्पताल को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने का सरकार से अनुरोध करता हूँ। मैं सरकार से पूर्वी गोदावरी जिले में फाइलेरिया को रोकने के लिए एक अनुसंधान संस्थान खोलने का भी अनुरोध करता हूँ।

(आठ) कलकत्ता स्थित लेखन सामग्री कार्यालय को पुनः खोले जाने तथा सरकारी मुद्रणालयों और प्रपत्र भण्डार बंद किये जाने के निर्णय की पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : दिसम्बर 1986 में लोक सभा में चर्चा के बाद, सरकार ने तीन सरकारी मुद्रणालयों और फार्म स्टोर को बन्द करने के अपने निर्णय पर पुनः विचार करने का फैसला किया था, परन्तु बाद में दिसम्बर, 1987 से लेखन सामग्री कार्यालय को बन्द करने के आदेश दिए गए, जिसके विरुद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गयी और रोका देश प्राप्त किया गया। यद्यपि सरकार इस कार्यालय को बन्द करने के निर्णय को कार्य रूप नहीं दे सकती तथापि कर्मचारियों को बिना किसी काम के वेतन दिया जा रहा है।

सरकार के लेखन सामग्री विभाग और मुद्रणालयों में विद्यमान स्थिति से राष्ट्र के साथ-साथ कर्मचारियों को हानि उठानी पड़ रही है। यद्यपि शहरी विकास मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय की सहमति से मुद्रणालयों को बन्द करने के बजाय उनके आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है और ऐसा लगता है कि सरकार मुद्रण का कार्य निजी लोगों को सौंपने को उत्सुक है।

इस समय, कोई रिक्तियां नहीं भरी गई है और नई मशीनों के लिए कोई कर्मचारी नहीं लगाया गया है। सरकारी क्षेत्र में इस प्रकार उद्योगों को बन्द करने की नीति का देश में रोजगार प्रदान करने की क्षमता पर बड़ा प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

मैं अनुरोध करता हूँ कि सरकार कलकत्ता लेखनसामग्री कार्यालय को फिर से शुरू करने के लिए तुरन्त कदम उठाये तथा भारत सरकार के मुद्रणालयों और फार्म स्टोर को बन्द करने के निर्णय को अन्तिम रूप से त्याग देवे।

12.58 म. प.

आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

और

आय-कर संशोधन विधेयक (जारी)

उपसभाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री सी. जंगा रेड्डी द्वारा 28 मार्च 1989 को, पेश किये गये निम्नलिखित संकल्प आगे चर्चा करेगी अर्थात् :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1989 को प्रख्यापित आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

श्री सी. जंगा रेड्डी।

[हिन्दी]

श्री सी. जंगा रेड्डी (हनमकोण्डा) : उपाध्यक्ष जी, यह जो बिल लाया गया है वह आर्मेनिया में जो भूकम्प आया, उसके लिए प्राईम मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड खोला गया और उस रिलीफ फंड के नाम पर जो इनकम टैक्स में छूट दी गयी है उसके लिए तो हम बधाई देते हैं कि इस फंड में जमा करने वालों को इनकम टैक्स में छूट दी गयी है। मगर हम यह कहते हैं कि इसके लिए आर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी। 16, 17 दिसम्बर, तक यहाँ संसद का अधिवेशन चालू था उसी वक्त सोच कर के यह बिल ला सकते थे क्योंकि वहां भूकम्प 8 दिसम्बर को आया था। उसी वक्त आपको सोचना चाहिए था कि उनको रिलीफ देना है और उसके लिए पैसा जमा करना होगा। आपने उनको रिलीफ दिया इसके लिए तो हम आपको बधाई देते हैं। मगर साथ ही साथ हम यह भी कहते हैं कि बिहार में भी भूकम्प आया, उसके बारे में आपने क्या सोचा ? क्या प्राईम मिनिस्टर रिलीफ फंड से उन लोगों को कुछ नहीं देना चाहते हैं ? आप इसके बारे में कुछ सोचते नहीं हैं। बिहार में जो हुआ, उसके बारे में भी तो आप सोचिये बिहार में उनके पास में कपड़ा नहीं है, खाने के लिए नहीं है। वहां दरभंगा जिले में कई मकान गिर गये। वहां बहुत से लोग गृहविहीन हो गये। वहां बहुत लोगों को नुकसान हुआ जिसमें बेचैनी है उनकी राहत के लिए, उनकी सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या योजना बनायी है। अगर आप उनके लिए भी कोई योजना बनाते और उसके लिए पैसा देने वालों को भी आप इनकम टैक्स में छूट दे सकते थे। बिहार रिलीफ फंड के

लिए कुछ नहीं किया गया। बिहार में भूकम्प के लिए भी आप कुछ कर सकते थे। मगर यह नहीं किया गया इसलिए मैं इसका विरोध करना चाहता हूं।

साथ ही साथ आपने एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंज के लिए अन्य देशों से लीज पर या किराये पर लेकर के विमान आप चला रहे हैं, उनके लिए जो किराया या लीज की रकम आप उन देशों को देते है उस पर भी आपने इनकम टैक्स पर एग्जेम्पशन दी है। आपको कोटेशन मांगते वक्त ही यह सोचना चाहिये था कि हम यह रियायत देने वाले हैं।

1.00 म. प.

मगर अब इसमें जो छूट दी गई है, इंडियन एयर इंडिया द्वारा दिए गए किराए पर लगने वाले इनकमटैक्स पर छूट देने की जो बात कही गई है, किराया तय करते वक्त इस बात को सोचना चाहिए था, कोटेशन के वक्त इस बात को बताना चाहिए था कि हम इनकमटैक्स में यह छूट देने वाले हैं। इससे किराया कम करवाया जा सकता था, और अधिक कम्पनियां कोटेशन भेज सकती थीं और किराए में कमी हो सकती थी। अगर किसी को 10 लाख रुपया किराए का भुगतान किया जाता है और 4 लाख उसका इनकमटैक्स में चला जाता है तो किराए की दर भी उसी हिसाब से तय की जाएगी और अगर इसमें छूट मिलती है तो किराए की दर उस हिसाब से तय होगी। इसलिए एग्रीमेंट के समय यह क्यों नहीं किया गया। एग्रीमेंट होने के बाद जो यह किया जा रहा है, इससे शक होता है कि कहीं अण्डरबिलिंग तो नहीं हो गई जो बाद में एग्जंम्शन दी जा रही है। इसलिए इस प्रकार के आर्डिनेंस सेशन होते हुए जारी करना ठीक नहीं है। इस तरह से छूट देने से लोगों को आशंका पैदा होती है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ। "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1989 को प्रख्यापित आय-कर (संशोधन) आध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

वित्त मन्त्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ए. के. पांजा) : महोदय, श्री एस. बी. चव्हाण की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि आय कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय सदस्यों, को याद होगा कि 8 दिसम्बर 1988 को सोवियत संघ के आर्मीनिया गणराज्य में एक भयंकर भूकम्प आया था जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गये थे, और बड़ी मात्रा में सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा था। भारत भूकम्प पीड़ित लोगों को सबसे पहले राहत सामग्री पहुंचाने वाले विश्व के देशों में से एक था। भूकम्प में बचे लोगों को राहत पहुंचाने के लिये संसाधन जुटाने के वास्ते प्रधान मन्त्री आर्मीनिया भूकम्प राहत कोष के नाम से ऐक विशेष कोष बनाया गया था जिसके लिये व्यक्तिगत रूप से और संगठनों से चेक या नगद अंशदान मांगा गया था। इस कोष में योगदान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु यह प्रस्ताव किया गया कि

योगदान की राशि को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 (छ) को संशोधित करके पूरी-पूरी छूट दी जाये।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत एक करार के अन्तर्गत किसी विदेशी सरकार अथवा विदेशी कम्पनी से एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स द्वारा पट्टे पर वायुयान लेने पर स्त्रोत पर कर न काटे जाने की सुविधा देने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया ताकि पट्टे किराये के रूप में दी जाने वाली राशि को पूरी तरह कुल आय से घटाया जा सकें।

चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और पूर्वोक्त उद्देश्यों के लिए आयकर अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करने के बारे में तत्काल कार्यवाही आवश्यक थी इसलिए 24 जनवरी 1989 को राष्ट्रपति नामक अध्यादेश प्रख्यापित किया। आयकर (संशोधन) विधेयक, 1989 का उद्देश्य आय-कर संशोधन अध्यादेश, 1989 का स्थान लेना है। विधेयक के उपबंधों को 24 जनवरी 1989 से लागू किया जायेगा अर्थात जिस तारीख को अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था और यह कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 और पूर्ववर्ती वर्षों की आय की गणना हेतु प्रासंगिक होगा।

महोदय, मुझे विश्वास है कि यह सभा इस विधेयक का सर्व सम्मति से समर्थन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि आय-कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि हम आय-कर (संशोधन) विधेयक (1989) के उपबंधों से सहमत हैं। तथापि यह कहते हुए मुझे खेद है कि इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों को छोड़ दिया गया है। जहाँ तक एयर इंडिया अथवा इंडियन एयरलाइन्स द्वारा स्रोत पर कर को बिना काटे पट्टा किराया दिये जाने की सुविधा से सम्बन्धित दूसरे उपबन्ध का सम्बन्ध है हम भी महसूस करते हैं कि इस उपबन्ध से सरकार यात्रियों को समुचित सेवा प्रदान करने के लिए कुछ और वायुयान प्राप्त कर सकेगी। वास्तव में आन्ध्र प्रदेश में विशेषतया हैदराबाद—विजयवाड़ा—तिरुपति—मद्रास क्षेत्र में जून 1988 से दो एवरो एच एस 748 विमानों की उड़ान बंद होने के कारण हम कठिनाई महसूस कर रहे हैं पहले इस क्षेत्र में एक नियमित उड़ान थी और यात्रियों को उस उड़ान का समय पता था यह फ्लाइट कब आयेगी और कब जायेगी। लेकिन अब क्योंकि अब दो एवरो विमान की उड़ान बंद होने के कारण यात्रियों को काफी असुविधाएं हो रही हैं। कुछ दिनों से फ्लाइट का समय बदल गया हैं इससे काफी भ्रान्ति हो गई है। अत: हमें आशा है कि अगर सरकार कुछ विमान लेती है तो इससे स्थिति सुधरेगी।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि राष्ट्रीय हित में एक अन्य पहलू पर भी विचार कर इस संशोधन विधेयक में शामिल किया जाना जाना चाहिए था। सरकार ताप बिजली घरों के कुशल कार्यकरण और रखरखाव पर बड़ा कार्यरत

कर्मिकों को राष्ट्रीय प्रशंसनीय उत्पादकता पुरस्कार दे रही है। यह बहुत अच्छा निर्णय है और इस योजना के लागू किये जाने के बाद, देश में संयंत्र भार घटक में सुधार हुआ है। वास्तव में, यह 47 प्रतिशत से बढ़कर 56.8 प्रतिशत हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि संयंत्र भार घटक में एक प्वाइंट में वृद्धि से राष्ट्र को लगभग करोड़ों रुपये का लाभ होगा देश के विभिन्न भागों में स्थित कई ताप बिजली घर है जिन्हें कुशलता से चलाया जा रहा है उन्हें प्रशंसनीय कार्य के लिए पुरस्कार दिये गये हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे विजयवाड़ा ताप बिजली घर समूचे राष्ट्र में प्रथम स्थान पर है और आज इसे एक बहुत अच्छा बिजलीघर कहा जाता है, न केवल हमारे देश में बल्कि समूचे विश्व में इस ताप बिजली घर की प्रशंसा की जा रही है। प्रति वर्ष ताप बिजली घर को लगभग दस लाख या बारह लाख या तेरह लाख रुपया दिया जाता है जो वहां कार्यरत कार्मिकों में बांट दिया जाएगा। प्रति व्यक्ति को लगभग 600 रुपये हिस्से आते हैं। वित्त मंत्रालय को बार-बार अभ्यावेदन दिए गए हैं कि इस राशि पर आय-कर नहीं लगाया जाना चाहिए महोदय आप जानते हैं कि जीवन बीमा निगम और आय-कर विभाग में कार्यरत कुछ लोगों को उनके अच्छे कार्यों या सरकार को महत्वपूर्ण जानकारी दिये जाने के लिए कुछ इनाम दिया जाते हैं। जब ऐसे कर्मचारियों को कुछ इनाम दिया जाता है तो इस पर आय-कर नहीं लगाया जाता है। इसी तरह, वह राशि जो ताप बिजली घरों में कार्य करने वाले लोगों को उनके परिश्रम और श्रम के लिए दी जाती है यदि उसे आय-कर से मुक्त कर दिया जाता है तो भारत सरकार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परन्तु इसका ताप बिजली घर में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और इससे ताप बिजली के उत्पादन में और सुधार होगा तथा कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को अधिक बिजली प्राप्त होगी। वास्तव में इसे 1 अप्रैल, 1973 से प्रत्यक्ष कर संशोधन अधिनियम, 1974 की धारा 10 (17) (ख) के द्वारा अन्तः स्थापित किया गया है जिसमें जनहित के कार्यों में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार को आयकर से छूट देने की व्यवस्था है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राव, आप इसके बाद अपना भाषण जारी रखें। मंत्री महोदया कुछ कहना चाहती हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि हम एक घंटे के मध्याह्न भोजन के लिए कार्यवाही स्थगित कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : हम मध्याह्न भोजन के लिये सभा की कार्यवाही स्थगित करते हैं, सभा 2.10 म.प. पर पुनः समवेत होगी।

1.11 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.19 म.प. तक के लिये स्थगित हुई।

———

2.15 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.15 म.प. पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आयकर (संशोधन) अध्यादेश १९८९ के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और आयकर (संशोधन) विधेयक जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी- शोभनाद्रीश्वर राव अपना भाषण जारी रखें।

श्री बी. शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि पूर्वोक्त आयकर का नुकसान उन लाभों से कम होगा जो प्रशंसनीय कार्यों के लिये मिलने वाले पुरस्कारों को आयकर से छूट देने से मिलेंगे। हाल ही में 14 फरवरी, 1989 को ऊर्जा मंत्री ने मेरा यह सुझाव मान लिया था कि ताप बिजली घरों में प्रशासनीक कार्य करने वाले कर्मचारियों को जो पुरस्कार दिये जा रहे हैं उन्हें आयकर से धारा 10 (17) (ख) के अन्तर्गत छूट दी जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की और वित्त मंत्रालय से सिफारिश की। मेरा राज्य वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इसकी जांच करें और इन पुरुस्कारों को आयकर से छूट दिलाने के लिये आवश्यक कदम उठाये। यह सच है कि अध्याय तीन में आयकर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 17(ख) के परन्तुक में इन बातों का उल्लेख किया गया है जो कुल आय का भाग नहीं है :

"केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिये जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित लोक हित में अनुमोदित किये जाये पारितोषिक के रूप में किया गया संदाय चाहे नकदी में हो या वस्तु के रूप में।"

यदि ऐसी बात है तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मुद्दे पर विचार करें।

इस पहलू के अतिरिक्त मेरा सरकार से यह निवेदन है कि ऐसे पुरुस्कारों को आयकर से छूट दी जाए जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार जनहित में राष्ट्र की प्रशंसनीय सेवा करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को देती है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हू।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का बहुत अच्छा उद्देश्य है। इससे भारत और सोवियत रूस का पारस्परिक प्रेम प्रदर्शित होता है। युद्ध और शांति के समय में दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे का साथ दिया है, एक साथ रहे हैं और एक दूसरे की सहायता की है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री राजकपूर की सोवियत रूस की यात्रा से लेकर आज तक जब भारत और रूस के लोग मिलते हैं तो प्रत्येक अवसर पर रूस के लोग वहां गये उनके गीतों मे एक गीत गाते हैं। हमने नयी दिल्ली में रूसी महिलाओं को यह गीत गाते हुए देखा है :

"मेरा जूता है जापानी……"

दो देशों के बीच ऐसे सम्बन्ध है।

इसलिये जब आर्मीनिया में दुर्घटना हुई तो यह देश रूस के लोगों के बचाव और राहत कार्य के लिये आगे आया। यह क्रम है जैसा कि पांजा जी ने कहा है कि हमारा देश सोवियत रूस के लोगों को पहले सहायता भेजने वाले देशों में से था। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब ऐसी दुर्घटनायें होती है और हमें सहायता देनी पड़ती है तो अधिनियम में संशोधन करना पड़ता है। वास्तव में हमारा कानून लचीला होना चाहिये था जिससे ऐसी आपदाओं में जरूरतमंद को जो सुविधायें दी जानी हों दी जा सके। हमारे कानून वैसे तो बहुत लचीले हैं परन्तु आर्मीनीया राहत कोष के अन्श दाताओं को छूट देने के लिये संसद में हमें जो यह विधेयक पेश करना पड़ा हैं उससे स्पष्ट है कि हमारे कानून जैसे आयकर अधिनियम बहुत अधिक लचीले नहीं है इसीके फलस्वरूप एक धारा विशेष में संशोधन करने तथा उसके स्थान पर दूसरा विधेयक लाने के लिये अध्यादेश जारी करना पड़ा यदि आपदाओं में से ऐसे अन्शदान को छूट देने के लिए कोई सामान्य उपज हो तो ऐसे अस्थायी संशोधन को जरूरत नहीं पड़ती है।

दूसरे अन्शदान के पश्चात भी यह विशेष उपबंध सांविधिक पुस्तक में बना रहेगा और अनावश्यक भी हो जायेगा जो संशोधन लागू नहीं हैं उन्हें नहीं बनाए रखना चाहिए।

तीसरे यद्यपि सोवियत रूस और अमेरिका जैसे अनेक विकसित देश विज्ञान पर बहुत अधिक खर्च कर रहे है उनके लोग चन्द्रमा पर भी जाते हैं तथा उनके रॉकेट बहुत ऊंचाई तक जाते हैं परन्तु सोवियत रूस जैसा देश भूकम्प का पता नहीं लगा सका। सोवियत रूस के लोगों ने यह स्वीकार किया है कि ऐसा कोई साधन नहीं है। मैं विकसित देशों से अपील करता हूं कि वे अपने अधिक संसाधनों का उपयोग वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी कार्यों के बजाए ऐसी आपदाओं का पता लगाने वाले उपायों की खोज करें क्योंकि इसकी बहुत अधिक आवश्यकता महसूस की गई है।

विधेयक का दूसरा भाग वायु सेवाओं को पट्टे की धनराशि में दी जाने वाली छूट के बारे में हैं। निस्संदेह यह खुशी की बात है कि सोवियत रूस और दूसरे देशों से हम कुछ विमान लेगें परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम इन विमानों को प्राप्त करने के बाद भी क्या हम उनका सही उपयोग कर सकेंगे ? हाल ही के आंकड़ों से पता चलता है और सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी बताया है कि यद्यपि अनेक अन्तर्राष्ट्रीय विमानन यातायात प्राधिकरण (आई.ए.टी.ए.) पर है, उनका सदस्यता शुल्क 60 लाख रुपये हैं परन्तु अन्तराष्ट्रीय विमानन यातायात प्राधिकरण हमें 29 लाख रुपये की सेवायें प्रदान करता हैं।

1984 में 16 सेवाओं में से एअर इण्डिया को 13 सेवाओं से नुकसान हुआ।

1987-88 में 13 सेवाओं में से 10 सेवाओं से नुकसान हुआ।

रुपयों के सन्दर्भ में 1987-88 के दौरान कुल 43.41 करोड़ रुपये की हानि हुई।

अब श्री पांजा कहते हैं कि मेरा विधेयक कराधान प्रस्तावों के बारे में है परन्तु जब हम विमानों के पट्टे की धनराशि में छूट दे रहे हैं तो हमें इसकी जांच करनी चाहिए और अपनी बात करनी चाहिए। प्रश्न यह है कि जवाब कौन देगा ? जब मूलतः उपाय दूसरे मंत्रालय से संबंधित है

तो उस मंत्रालय को भी चर्चा में भाग लेना चाहिए। अन्यथा हम विधेयक के संबंध में हम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनका हमें जवाब नहीं मिल सकेगा। इसका जवाब कौन देगा कि विमानों का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा उनका कहां उपयोग होगा तथा हानि कैसे कम की जायेगी ?

इसलिये मेरा आप से अनुरोध है कि इस बात पर ध्यान दें कि जब कभी इस प्रकार का कोई विधेयक पुरःस्थापित किया जाए, ऐसे अवसर कम ही आते हैं जब ऐसे विधेयक पुनः स्थापित किए जाएं जो मूल रूप से किसी अन्य मंत्रालय से संबंधित हो तो इस पहलू की जांच की जानी चाहिए।

एक अन्य बात जिस पर मैं बल देना चाहता हूं वह है कि अब हमें रूसी विमान, करार के अनुसार पट्टे पर मिल रहे हैं। वास्तव में, जैसा कि मुझे समाचारों से ज्ञात हुआ है, इन विमानों में ईंधन कम खर्च होता है। किन्तु अन्य भी कई पहलू हैं जिनकी जांच की जानी है। हमारे चालकों के अन्दर यह भावना है कि उन्हें इन विमानों को चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। वे इन विमानों को सोवियत चालकों द्वारा चलाए जाने के विरुद्ध हैं। यह नहीं मालूम कि उनकी यह आपत्ति केवल उनकी सेवा शर्तों पर आधारित है अथवा अन्य पहलुओं पर। साथ ही साथ, वे चाहे सोवियत चालक हों या कोई अन्य, हमारे देश के भीतरी मार्गों में विदेशी चालकों का होना उतना सुरक्षित भी नहीं है। हमें यह सावधानी बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए वे चालक बगडोगरा, तेजपुर, गोवा, विशाखापत्तनम, कोचीन और बंगाल में विमान चलायेंगे जहां हमारे संवेदनशील सुरक्षा प्रतिष्ठान अवस्थित हैं। क्या सरकार इसकी अनुमति देगी ? क्या सरकार यह महसूस करती है कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं कि कोई विमान चालक ऐसे मार्गों पर विमान चलाए ? क्या सरकार यह महसूस करती है कि इससे ऐसे सुरक्षा प्रतिष्ठानों को कोई खतरा नहीं है ? इस संबंध में नगर विमानन मंत्रालय का क्या विचार है ? इस बात की जांच की जानी होगी।

दूसरे, चाहे ये विमान सस्ते तथा ईंधन की कम खपत वाले हैं, कहा जाता है कि इनमें गर्म खाना आदि रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। उदाहरण के लिए यदि हमें इंडियन एयर-लाइन्स द्वारा खाने के लिए कुछ गर्म नहीं दिया जाता तो हमारी क्या हालत होगी ? इस मामले में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है क्योंकि कहा जाता है कि विमान में खाना गर्म रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। निस्सन्देह वे ईंधन की कम खपत वाले हो सकते हैं। किन्तु आम धारणा यह है कि जहां तक यात्री सुविधाओं का संबंध है, वे उतने आधुनिक नहीं हैं। यह छूट देते समय इन पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है।

एक और बात है, ये चालक यहां रहेंगे। मेरे विचार से उनका दैनिक भत्ता 1000 रुपए से अधिक होगा। वे होटलों में ठहरेंगे। उनके इंजीनियर तथा अन्य-ग्राउण्ड कर्मचारी होटलों में रहेंगे। इसलिए हमें इन पायलटों पर प्रतिदिन एक भारी राशि खर्च करनी पड़ेगी, इस पर भी विचार करना होगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हालांकि मैं ये सब बातें पहले भी कह चुका हूं, मैं जानता हूं कि मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा क्योंकि यह श्री पांजा का मंत्रालय नहीं है। यह अन्य मंत्रालय से संबंधित है। हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगा ? इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. सुधीर राय (बर्दवान) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि प्रधान मंत्री ने अमोनीया के भूकम्प पीड़ितों के लिए एक राहत कोष शुरू किया है। जो लोग इसमें योगदान देंगे उन्हें करों में रियायत दी जाएगी। सोवियत रूस हमारा मित्र देश है और नि.संदेह यह एक प्रशसनीय कार्य है। किन्तु यदि मुख्य मंत्री राहत कोष मे योगदान पर भी ऐसी ही छूट दी जाए तो हमें प्रसन्नता होगी क्योंकि अक्सर ये कोष बाढ़ पीड़ितों तथा सूखा-प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सहायता के लिए शुरू किए जाते हैं। किन्तु मुख्यमन्त्री राहत कोष मे योगदान करने वालों को करों में ऐसी छूट नहीं मिलती।

दूसरे, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय प्रत्यक्ष करों से एकत्रित राजस्व 50 प्रतिशत था और अप्रत्यक्ष करों से एकत्र राजस्व भी लगभग 50 प्रतिशत था। किन्तु अब केवल 17 प्रतिशत राजस्व प्रत्यक्ष करों से एकत्रित किया जाता है और 83 प्रतिशत राजस्व अप्रत्यक्ष करों से एकत्रित किया जाता है···(व्यवधान)···यह अत्यन्त असमान बोझ है। महोदय, भारत समाजवाद का पक्षधर है। किन्तु निर्धन, कम आय वर्ग के व्यक्तियों को यह बोझ उठाना पड़ता है।

तीसरे, मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में प्रत्यक्ष करों की अत्यधिक चोरी होती है और इसके कारण काले धन की एक मजबूत समानान्तर अर्थव्यवस्था बन गई है। इस काले धन की समानान्तर अर्थव्यवस्था ने लोकतंत्र तथा समाजवाद के महत्वपूर्ण मूल्यों को लील लिया है। इसलिए इन कमियों को दूर किया जाना चाहिए और यदि संभव हो, जैसा कि प्रो. निकोलस कालदर ने सुझाव दिया है, व्यय कर, दान कर और सम्पदाकर आदि लगाने चाहिए। ये सभी कर कमियां दूर करने में मदद करेंगे।

मुझे आश्चर्य होता है कि प्रति वर्ष आयकर पर प्रभार लगाया जाता है। ये प्रभार आखिर क्यों लगाया जाता है? यह प्रभार केवल राज्यों को उनके अधिकार से वंचित रखने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आय कर केन्द्र तथा राज्यों के बीच बांटा जाता है। यह प्रभार राज्य सरकारों को उनके अधिकार से वंचित रखने के लिए लगाया जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? केन्द्र सरकार हाई ब्लड प्रेसर से पीड़ित हो जाती है तो राज्य सरकारों के पास वित्त की कमी हो जाती है।

श्री ए. के. पांजा : लो-ब्लड प्रेशर।

डा. सुधीर राय : वह लो ब्लड प्रेशर भी नहीं है। यह वित्त की कमी है। इसलिए इसे दूर किया जाना चाहिए। प्रभार नहीं लगाए जाने चाहिए। केवल आय कर होना चाहिए। प्रभार नहीं लगाए जाने चाहिए। केवल आयकर होना चाहिए। यदि प्रभर लगाया भी जाए तो यह राज्यो और केन्द्र में बांटा जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वर्ष 1967 में कारपोरेशन टैक्स केन्द्र को दिया गया था। यह कर भी केन्द्र तथा राज्यों के बीच बांटा जाना चाहिए क्योंकि केन्द्र सरकार वित्तीय रूप से मजबूत होती है और केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का बंटवारा उपनिवेशवाद का परिचायक है क्योंकि सदा राज्य ही केन्द्र सरकार के पास सहायतार्थ पहुँचते हैं। इस व्यवस्था को यहीं समाप्त किया जाना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कर प्रशासन बहुत ढीला पड़ गया है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में कहा गया है कि केवल तीन प्रतिशत आय कर निर्धारितियों की ही जांच की जाती है क्योंकि 2 लाख रुपए से कम आय वाले आयकर निर्धारितियों की जांच नहीं की जाती है, इससे प्रतिवर्ष 1250 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसलिए कर-प्रशासन को कड़ा बनाया जाना चाहिए। न केवल इतना, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए विभिन्न राहत उपायों के कारण 3000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष नुकसान होता है।

मैं अन्त में केवल इतना ही कहूँगा कि अधिक से अधिक प्रत्यक्ष कर होने चाहिए। करों की बड़े पैमाने पर चोरी को रोका जाना चाहिए तथा सभी निगम कर अथवा अभार केन्द्र और राज्यों के बीच बांटे जाने चाहिए।

[हिन्दी]

डा. गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय मैं दो-तीन बातें इस बिल के संबंध मे कहना चाहता हूँ। वैसे इस बिल में कहने लायक ज्यादा बातें नहीं हैं। आर्मिनिया में भूकम्प आया, तो उस पर सारे देश की सहानुभूति थी। टेलीविजन पर भी दिखाया गया तथा कई दिनों तक दिखाया गया। यहाँ से जो सामान भेजा गया, उस के बारे में भी टेलीविजन पर जिक्र आया सरकार ने ठीक ही कदम उठाया और बहुत ही बड़ी राहत वहाँ भेजी गई। इसके साथ यह भी कहा गया, जैसाकि इस बिल में है, जो इसमें कन्ट्रीब्यूट करेंगे, वह इनकम टैक्स से एग्जैम्ट होगा मेरी राय में इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। मेरा एक छोटा सा निवेदन है और मुझे गलत न समझा जाए। हमारे देश में, जिस कान्स्टीचूयेंसी से मैं आता हूँ, वहां बहुत बड़ा भूकम्प आया। उत्तरी बिहार मिथिला क्षेत्र में बहुत बड़ा भूकम्प आया, जिसमें सैकड़ों लोग मरे, हजारों लोग पंगू बन गए और लाखों मकान गिर गए। वहाँ पर प्रधान मंत्री जी भी गए थे, मैं भी उनके साथ गया था। उन्होंने वहाँ पूरी सहानुभूति दिखाई। हर मरने वाले को एक मोटी रकम देने के लिए कहा गया जिसको बिहार सरकार ने दिया। ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन जो नुकसान उस क्षेत्र में हुआ उसके बारे में देश का कन्सैंस नहीं मिला। आर्मिनिया के बारे में तो हम कहते हैं, लेकिन झंझारपुर में जो भूकम्प आया, उसके बारे में तो हम सोचते तक नहीं है। आर्मीनिया के लिए बहुत हमदर्दी है, लेकिन मेरा निवेदन है कि मेरी कान्स्टीचूयेंसी में जो भूकम्प आया है, उसके बारे में देश सोचे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी सोचें। इतनी बड़ी आपदा थी, इसका मैने सदन में जिक्र भी किया था कि वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही हुई है। उत्तरी बिहार मिथिला क्षेत्र में आज भी लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। मैंने सदन में जिक्र किया था कि जिस समय सैंन्ट्रल टीम बिहार गई थी, उस क्षति का जायजा लेने के लिए, उस समय बिहार में सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चल रहे थे। इस वजह से सैन्ट्रल टीम कुछ भी जायजा नहीं लेसकी। इसलिए मैंने अनुरोध किया था कि एक बार फिर से वहां सैंन्ट्रल टीम भेजी जाए, जो वहाँ पर हुए नुकसान का, हानि का सही जायजा ले सके और फिर केन्द्र उसके मुताबिक बिहार को अनुदान दे सके, ग्रान्ट दे रिलीफ दे या मकान बनाने के लिए लोन दे। इस बारे में जो मंत्री जी से मुझे जवाब मिला है उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई, तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है वहां पर फिर से सैंन्ट्रल टीम भेजने की। जो कुछ हो गया है, ठीक है। यदि इस

मानसिकता से हम काम करेंगे, तो काम कैसे चलेगा। वह बहुत ही उपेक्षित क्षेत्र है और वहां नुकसान बहुत भारी है। मैं फिर आप से विनम्रता से निवेदन करता हूं कि बिहार में जो भूकम्प आया था उसके बारे में सही जायजा लिया जाए और यदि वहां पर लोगों को मदद पहुंचाने की बात हो अभी भी यदि देर होने पर भी कोई मदद पहुंचाये तो उन्हें इनकम टैक्स से पूरा बरी किया जाए।

इटली में दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत ही ज्यादा ब्लैक मनी हो गया था। वहां की सरकार ने यह छूट दे दी चूंकि वहां बहुत ही बुरी हालत भूकम्प से थी, इक्का-दुक्का मकान ही नजर आ रहे थे, कि जो भी पूंजीपति या जो भी सज्जन लोगों के लिए मकान बनायेंगे, उनसे यह नहीं पूछा जाएगा कि यह धन वे कहां से लाए हैं। अपने देश में भी सबसे बड़ी बीमारी काला धन की है, क्या मैं निवेदन करूं कि सरकार इस दिशा में कुछ सोचे जो-जो क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से घिरे हुए है, वहां उन लोगों को मकान बनाने की छूट दे दी जाए। यह उनसे नहीं पूछा जाए कि वे यह पैसा कहां से लाए हैं क्योंकि मकान का जो रेंट होता है, जो किराया होता है, वह उस के इन्वैस्टमेंट के मुताबिक बहुत ही कम रिटर्न है।

तो चाहे गरीब तबका हो या कमजोर तबका हो, उसके लिए अगर कोई मकान बना कर देता है और उसको ऐसा लगता है कि उस ने गरीब लोगों के कल्याण के लिए पैसा खर्च किया है, तो उसे परेशान न किया जाए। भूकम्प पीड़ितों के प्रति यदि आप की सहानुभूति है, इस देश के भूकम्प पीड़ित लोगों के प्रति सहानुभूति है, तो मैं कहता हूं कि कुछ आप ऐसा कीजिए जिससे यह दिखाई पड़े कि हां, आपने गरीब लोगों की आह सुनी है और उनकी तकलीफ के बारे में विचार किया है, नहीं तो गरीब बेचारे पिस्ते हो रहेंगे और हम यहां पर हर साल भाषण दे कर वापस चले जाएंगे। आपदा चाहे भूकम्प की हो, चाहे बाढ़ की हो और चाहे आग लगने की हो या कोई ऐसी बात हो, देवी आपदा हो, जिस पर आदमी का नियन्त्रण नहीं रहता है, वह कहीं भी हो और किसी भी क्षेत्र में हो, इन्कम टैक्स एक्ट में ऐसा प्राविजन होना चाहिए कि दैवी आपदा पर अगर कोई मदद करे, तो आटोमेटीकली पूरे का पूरा डोनेशन इन्कम से बाहर गिना जाए और उसके लिए कोई अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं। क्योंकि इसको भुगता है। कई स्वयं-सेवी संस्थाओं ने पिछले कुछ वर्षों में बाढ़ से निपटने के लिए एक फंड खोला, जिसमें लोगों ने चन्दा लेना शुरू किया और इन्कम टैक्स कमिश्नर से एग्जम्पशन लेना चाहा, तो उन्होंने एड़ी-चोटी का पसीना बहाया कि उन को एगजम्पशन मिल जाए लेकिन कुछ मामलों में तो एगजम्पशन मिल गया लेकिन बहुत से मामलों में एगजम्पशन नहीं मिला। यह जरूर है कि कुछ ऐसे लोग होंगे, जोकि गलत काम करेंगे लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर कुछ लोग गलत काम करते हैं, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए लेकिन ऐसा नियम बना दीजिए कि यदि कोई दैवी आपदा आने पर डोनेशन देना चाहे, तो वह डोनेशन आटोमेटीकली इन्कम से बाहर हो जाए।

लीजिंग के बारे में जो बात हुई, तो उसके लिए तो मेरे साथियों ने कह दिया है लेकिन मैं अपनी यह बात कहकर समाप्त करूंगा कि आर्मेनिया के भूकंम्प पीड़ितों की जरूर मदद कीजिए और उसके लिए जो डोनेशन दिया जाए, उसको आमदनी से बाहर रखिये, पर उसके साथ साथ मिथिला क्षेत्र में जो भूकम्प आया था, जिसमें बहुत से लोग तबाह हो गये, उनकी मदद के लिए भी डोनेशन दिया जाए, उसको भी आप इन्कम से बाहर रखिये।

[अनुवाद]

श्री सम्पन थामस (अबेलिकरा) : महोदय, आयकर (संशोधन) विधेयक को दो प्रयोजनों से लाया गया है। पहला उद्देश्य है, आर्मीनिया भूकम्प राहत कोष में दिए गए दान को कर मुक्त बनाना। यह स्वागत योग्य है। हमें ऐसा करना होगा। न केवल हमें छूट देनी चाहिए बल्कि ऐसे माननीय उद्देश्य के लिए हम जिस प्रकार भी राशि एकत्र कर सकें, हमें करनी चाहिए। इस संबंध में इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।

दूसरी बात है एयर इन्डिया अथवा इण्डियन एयर लाइन्स द्वारा विदेशी व्यापारियों अथवा अभिकरणों के माध्यम से विमान प्राप्त करना। जब सरकार ऐसे वित्तीय मामलों संबंधी निर्णय पर अपनी सहमति प्रदान करती है उन्हें भी आयकर आयकर अधिनियम के अधिकार के आशंका से बाहर लाया जाना होता है। मुझे है कि यह राष्ट्र के हित में नहीं है। विदेशी मुद्रा का नुकसान तथा काले धन की उत्पत्ति संभव है।

अत: दो पहलु है एक माननीय है और दूसरा व्यापार से संबंधित। जहां बहुराष्ट्रिक अथवा विदेशी अभिकरण किसी मामले से संबंधित हो, वहां छूट दी जाए या नहीं यह प्रश्न है। मैं पूरा अर्थ नहीं समझ सका कि एयर इण्डिया अथवा इण्डियन एयर लाइन्स को इससे छूट दी जानी है अथवा उन विदेशी अभिकरणों को इससे लाभान्वित होंगे। इसमें दो भिन्न-भिन्न बातें है। पहली बात व्यापार से उत्पन्न आय को छूट देने की है तथा दूसरी माननीय आधार पर दिए गए दान को छूट देने की है। मैं माननीय मंत्री से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इन दोनों बातों को किस प्रकार मिला दिया गया है और इसके लिए नैतिक एवं कानूनी पृष्ठभूमि क्या है? इस समय मैं कहना चाहता हूँ कि आय कर अधिनियम को देखें यह अत्यंत महत्वपूर्ण है आयकर आम आदमी द्वारा दिया जाता है। यहां तक कि बजट प्रस्तावों में भी जो इस सभा के समक्ष रखे गये हैं, मजदूरों तथा स्थायी आय वर्ग के लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है। सामान्य कार्य की ड्यूटी में उन्हें उससे कुछ अधिक मिल रहा होता जो वे आज प्राप्त कर रहे है। इन सभी पर कर लगाया जा रहा है। मुझे यह कहते हुए अफसोस है कि केवल चार सप्ताह पहले मद्रास उच्च न्यायालय ने नगर प्रतिपूर्ति भत्ता तथा अन्य भत्तों को जो कि मजदूरी के सामान्य जीवन के लिए आवश्यक है जो प्रतिपूर्ति भत्ते के रूप में है को आयकर अधिनियम के क्षेत्राधिकार में शामिल करने संबंधी याचिका पर स्थगन आदेश दिया है। याचिका दक्षिण रेलवे मजदूर संघ द्वारा दायर की गई थी जिसका मैं अध्यक्ष हूं। न्यायाधीश ने सुनवाई की और तय किया कि यह ऐसा मामला है जिसमें न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। नगर प्रतिपूर्ति भत्ता मंहगाई भत्ता तथा अन्य ऐसे भत्ते जो उनकी आजीविका चलाने के लिए आवश्यक है उनमें उन्हें छूट दी जानी चाहिए। उन्हें इसका पता चला और उन्होंने याचिका स्थगित कर दी। लेकिन मुझे दुःख है कि सरकार ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए सभी कदम सावधानीपूर्वक उठाये हैं। वे साधारण श्रमिक हैं—श्रमिक का अर्थ निम्नतम आय वर्ग से होता है। उनके साथ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने भी रिट याचिका दायर की और स्थगन आदेश प्राप्त किये। अब केन्द्रीय सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है कि नगर प्रतिपूर्ति भत्ता महगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते जो नियोजकों द्वारा दिये जाते हैं उन्हें आयकर से छूट नहीं दी जायेगी और इन भत्तों पर आयकर भुगतान करना होगा। सरकार का यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। सरकार व्यापारी लोगों तथा विदेशी एजेन्सियों को आय कर में भुगतान करने में छूट दे रही है। जबकि यह कर राष्ट्रपति के समेकित धन में

शामिल किया जाना होता है और जिसका देश के कल्याण कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वे ऐसे भत्तों जैसे नगर आपूर्ति भत्ता, महंगाई भत्ता और ऐसे प्रतिपूर्ति भत्ते जो आयकर अधिनियम के क्षेत्राधिकार में आते हैं, सरकार इन भत्तों पर छूट देने को न्यायसंगत और उचित नहीं मानती है।

मुझे इसका उल्लेख करते हुए दुःख है। मगर सरकार इस प्रश्न पर खुले दिल से विचार करने के लिए इच्छुक है तो उसे सबसे पहले कर-योग्य आय की वर्तमान सीमा बढ़ानी चाहिए। वर्तमान आय सीमा 18,000 रुपये है या 20 000 से कुछ कम है। आजकल एक परिवार के लिए 20,000 रुपये कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति जिसकी प्रतिमाह आय 18,000 रुपये है वह महसूस नहीं करता कि 5 या 7 सदस्यों वाले परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह राशि पर्याप्त हैं लेकिन वह आयकर दायित्व के प्रथम स्तर के अन्तर्गत आता है और फिर कर-दायित्व बढ़ता जाता है। वर्ष 1960 की तुलना में अब रुपये की कीमत बहुत कम हो गई है जैसा कि मैंने दो दिन पहले बताया था कि रुपये की कीमत दसवां हिस्सा कम हो गई है। वर्ष 1960 में 10,000 रुपये तक की राशि को कर-मुक्त किया गया था अब जब कि रुपये की कीमत इतनी कम हो गई है तो उसी अनुपात में आय-कर की छूट सीमा भी बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यह सीमा बढ़ाई जानी चाहिए आज आप उस वर्ग को कर-छूट नहीं दे रहे हो। अगर आप कर-वसूली और कर ढांचे को देखें तो उससे यह पता चलता है कि कर मूलतः आम आदमी से ही लिया जाता है यह व्यापारी-वर्ग से नहीं लिया जाता है। वे लोग जानते हैं कि कर से कैसे बचा जा सकता है और कर-चोरी कैसे की जा सकती है। वे लोग जानते हैं कि काले धन को सफेद धन में कैसे बदला जा सकता है और कितना धन इस्तेमाल किया जा सकता है उदाहरण के लिए, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी को अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ भत्तों सहित सामान्य वेतन मिलता है। वह आयकर के रूप में कितना भुगतान करता है? बहुत से व्यापारी लोग आयकर का भुगतान नहीं करते जिनका उन्हें भुगतान करना चाहिए। और वे सभी नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके फैक्टरियों और भवनों का निर्माण करते हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार को ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि सामान्य व्यक्ति और आम जनता ईमानदारी से जीवन बिता सके। सभी लोगों को चोर और अपराधी नहीं बनाना चाहिए उन्हें दो खाते रखने के लिए एक खाता आय-कर के उद्देश्यों के लिए और अन्य खाता वास्तविक आय रखने के लिये मजबूर नहीं करना चाहिए।

दूसरा, आपको कानून को सरल और कारगर बनाना चाहिए। एक अनुभवी वकील के अनुसार ये कानून बहुत जटिल है। आय-कर कानूनों को विशेष रूप से सरल बनाने की आवश्यकता है। यद्यपि इस दिशा में कुछ प्रयास किये गये हैं फिर भी एक आम आदमी के लिए कानून को तथा आय-कर का भुगतान कैसे किया जाता है, को समझना कठिन हैं। यद्यपि व्यापारी वर्ग जानता है आय-कर से कैसे बचा जाये, आम व्यक्ति यह बात नहीं जानता।

जैसा मैंने कहा था आयकर के लिए छूट-सीमा बढ़ाई जाने की आवश्यकता है जिससे आम व्यक्ति को भी कुछ राहत मिल सके। दूसरा, आपको कानूनों को कारगर और सरल बनाना चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मानवता के कार्यों के लिए जो छूट दी जानी चाहिए। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने खातों के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए

इस सदन में मैं गैर-सरकारी सदस्यों का एक विधेयक लाया हूं। आज के लोगों की जिम्मेदारी क्या है ? वे अपनी आय आदि के लिए किसे देनदार हैं ? ऐसे कितने लोग हैं जो पूरा आय-कर अदा करते हैं ? मैंने समाचारों में पढ़ा है कि आय-कर विभाग समय-समय पर बताते हैं कि क्षेत्र-वार कितने लोग हैं जिनकी आय प्रति वर्ष एक लाख रुपये से अधिक है। ऐसे व्यक्ति केवल चार, पांच या अधिक से अधिक छः लोग होंगे। क्या यह सच हो सकता है ? क्या भारत में इतने कम लोग हैं जिनकी प्रति वर्ष आय इतनी है। हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी प्रति वर्ष आय लाखों रुपये है। स्पष्टतः उन्हें नहीं गिना जाता। जैसा कि मैंने कहा है प्रत्येक व्यक्ति को हिसाब किताब रखने का जिम्मेदार होना चाहिए। मेरा विधेयक इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर लाया गया है। प्रत्येक नागरिक को जहां वह रहता है वहां के स्थानीय निकाय को अपनी आय का हिसाब-किताब देना चाहिए ताकि इनका विकेन्द्रीकरण हो सके। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति बनी जायेगी। ऐसा करने से सभी लोग अपनी आय का हिसाब किताब रखने के लिये विवश हो जायेंगे। लेकिन इस समय यह अनिवार्य नहीं है।

अन्त में, सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और इस विषय में कुछ ठोस कार्य-वाही करनी चाहिए। कानून ऐसे हों जिन्हें जनसाधारण समझ सके और जिनसे लोगों को गलत तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर न होना पड़े। लोगों को अपेक्षित राहत दी जानी चाहिए। जिससे कि वह उचित तरीके से जीवन निर्वाह कर सकें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय सदस्य बहुत ऊंचे शब्दों में बोल रहे थे कि इनकम टैक्स किस तरह से वसूल होना चाहिए, किस किसको इसमें छूट दी जानी चाहिए, लेकिन ये जिस पार्टी को बिलांग करते हैं, जिस रास्ते पर चलते हैं, उसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी सही इनकम जाहिर की है, यह अपने आप प्रकट हो जाता है। रास्ता वह पकड़िए जिस रास्ते पर आप सही तरीके से चल सकते हों। भाषण उसी तरह का दीजिए जिससे लोगों पर अच्छा असर पड़े इसलिए हमको उसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। यह बिल बहुत मामूली सा है और अच्छी व्यवस्थाओं के लिए लाया गया है। आरमीनिया के भूकम्प के कारण लोगो को मदद करने की आवश्यकता है और उसके लिए जो छूट दी है उसका सभी समर्थन कर रहे हैं। दूसरा आपने एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स को लीज पर एयरक्राफ्ट लेंगी उनको भी टैक्स में छूट दी है। जो बात माननीय सदस्य ने कही है वह सद्भावनापूर्ण नहीं है। मैं तो यह और कहना चाहता हूं कि एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइन्स जो जहाज लायेंगी उनके अलावा इस देश में जितनी मशीनरी करोड़ों रुपये की तादाद में कारखाने स्थापित करने के लिए लायी जाती है, वह भी लीज पर हों और उनमें भी हम टैक्स एक्जेम्प्ट कर दें। इस तरीके से जो हम इंडस्ट्रीयला-इजेशन करना चाहते हैं, उसमें हमको सहूलियत मिलेगी और आर्थिक तौर पर समृद्ध होने के लिए आगे बढ़ सकेंगे और देश के विकास में मदद मिलेगी। हम आरमीनिया की तो मदद कर रहे हैं लेकिन अपने देश में भी भूकम्प आते रहते हैं। जिस प्रान्त में भी भूकम्प आए उसके लिए देश भर के लोगों को अपील करनी चाहिए ताकि कई तरह की संस्थाएं मदद कर सकें। आरमीनिया की मदद के लिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने देश में भी अगर

इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित तरीके से भारत सरकार को और अन्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना चाहिए। फैमीन, फ्लड और भूकम्प के लिए हमें अधिक-से-अधिक मदद करनी चाहिए।

प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा जमा कराएं और उसके जरिए से हमें फैमीन, फ्लड और भूकम्प के लिए मदद करनी चाहिए, इस फंड में जो जमा करते हैं उसमें छूट मिलनी चाहिए। पिछले साल देश में अकाल पड़ा था और आपने काफी दिल खोलकर लोगों की मदद की, खासतौर से राजस्थान की आपने बहुत मदद की है, हम आपके आभारी हैं। इस तरह के काम में जो भी संस्थाएं या जो भी पूंजीपति या अन्य कोई मदद देना चाहे तो उसको छूट मिलनी चाहिए। कुछ सदस्यों ने कहा कि एयर क्राफ्ट जो मंगा रहे हैं उसमें सोवियत पायलट होंगे और हम अपने सेन्सटिव एरियाज में किसी को जाने नहीं देते हैं। कोई पायलट उड़ान भरता है, उन स्थानों को देखता है तो निश्चित तरीके से नुकसानदायक होगा। इसके लिए ध्यान देने की आवश्यक आवश्यकता है।

3.00 म.प.

अगर हम लीज पर लेते हैं और अपने पायलट्स को प्रशिक्षित करके उनके जरिए सारी व्यवस्थायें कराते हैं तो यह व्यवस्था ठीक प्रकार से चल पाएगी। आप कितने जहाज इंडियन एयरलाइंस के लिए लेंगे और कितने एयर इंडिया के लिए लेंगे यह भी बतायें? यह भी बताने की कृपा करें कि एयर इंडिया की जितनी उड़ानें हैं उनमें से कौन-कौन-सी ऐसी हैं जिनसे लाभ होता है और कौन-कौन-सी में नुकसान होता है। क्या कभी भारत सरकार या सम्बन्धित विभाग ने इस बात को देखा है? क्योंकि पीछे एक बार ऐसा हुआ था कि एक उड़ान दिल्ली से अमरीका तक की थी तो लन्दन से आगे उसमें सिर्फ एक यात्री ही गया था। तीन सौ यात्रियों के विमान में एक आदमी का जाना इससे आप अन्दाजा लगायें कि कितना घाटा होता है। अगर हम ऐसी उड़ानें चलाने की कोशिश करेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। हमारे यहां पर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर पर्यटन स्थल हैं। वहां पर हवाई जहाजों की कमी है। ऐसे स्थानों पर अगर आप सुविधा उपलब्ध करायें तो इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और एयरलाइंस को भी फायदा होगा।

3.01 म.प.

[श्री एम. वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

हमारे यहां पर बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जिन्होंने गरीबों का शोषण करके करोड़ों रुपया इकट्ठा किया है और अपना नाम रखने के लिए अपने नाम से या अपने बाप-दादाओं के नाम से स्कूल, धर्मशाला और अस्पताल खोल रखे हैं। कुछ पूंजीपति इनका निर्माण भी करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों पर भी टैक्स की छूट होनी चाहिए क्योंकि इसके जरिये गरीबों को फायदा मिल सकेगा। इनमें से बहुत कम लोग इनकम टैक्स देते हैं, उसके बाद ब्लैक मनी क्रिएट होती है और उसका खर्च करने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं है। तो इस प्रकार ये लोग ऐसी संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अगर आप चाहें तो इनको कह दिया जाए कि ये लोग ऐसी संस्थाओं का निर्माण करके सरकार के सुपुर्द कर दें। गांवों में जहां सड़कें नहीं हैं, पीने का पानी नहीं है, स्कूल, अस्पताल नहीं हैं वहां अगर ऐसे लोग इनका निर्माण करना चाहें तो इनको भी छूट मिलनी चाहिए। थम्पन थामस ने

अभी कहा कि आपने 18 हजार रुपये तक आयकर में छूट दे रखी है सभी माननीय सदस्यों ने ऐसा कहा है कि इसको बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर देना चाहिए। लेकिन आपने अब की बार 18 से 25 हजार पर 20 प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की है जो कि पहले 25 प्रतिशत था तो यह तो थोड़ी-सी राहत है। इससे बहुत कम लाभ होगा। हम सांसदों को 1500 रुपये मिलते है आनरेरियम के और बाबुओं को दो-तीन हजार रुपये मिलते हैं ऐसे लोग इंकट में फंस जाते हैं तो उनको परेशानी होती है। इसलिए ऐसे लोगों को बचाने के लिए आप आयकर की सीमा को बढ़ाकर 25 हजार रुपये तक कर दीजिए और 25 से :0 हजार रुपये तक रियायत देनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। आप यह भी जानते हैं कि जितना टैक्स कम करेंगे, टैक्स की वसूली उतनी ही ज्यादा होगी। पिछली दफा जब कायकर की सीमा 12 हजार से बढ़ाकर 18 हजार की गयी थी, उस समय भी आपने देखा होगा कि टैक्स की वसूली पहले से ज्यादा हुई थी। इसलिये आप निचले स्तर पर जितना कम टैक्स लगायेंगे, वसूली उतनी ही बढ़ जाएगी। जो लोग टैक्स इवेड करते हैं, वह भी कम हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है और मुझे आशा है कि आप इस ओर ध्यान देंगे।

मैं यह भी चाहता हूं कि जो लोग देश हित में काम करते हैं, रिसर्च स्कौलर्स, साइंटिस्ट या दूसरे किसी ऐसे क्षेत्र में रिसर्च वर्क करते हैं जिससे राष्ट्र की प्रगति में सहायता मिलती है, यदि उन्हें कोई रिवार्ड मिलता है तो वह रिवार्ड की राशि भी इन्कम टैक्स से एक्जेम्प्ट होनी चाहिए। इससे उन लोगों को अपने काम में और प्रोत्साहन मिलेगा और हम ज्यादा तेजी से देश की तरक्की कर पाएंगे।

जिस समय वी.पी. सिंह जी हमारे वित्त मंत्री थे, मैंने उस वक्त भी कहा था, जब उन्होंने राजा-महाराजाओं और दूसरे बड़े लोगों पर गिफ्ट टैक्स और दूसरे टैक्स बंद कर दिये थे, ऐसा करते समय हो सकता है कि उनके मन में अपने भाइबंदों के ऊपर से टैक्स का भार कम करने की मंशा रही हो, तभी उन्होंने मेहरबानी करके टैक्स हटाया था, हमने उस वक्त भी उनका विरोध किया था कि इन्कम टैक्स या दूसरे टैक्स नहीं हटाये जाने चाहिए क्योंकि लोग इसकी आड़ में अपनी सम्पत्ति किसी दूसरे के नाम गिफ्ट करके टैक्स इवेड करते हैं। वैल्थ टैक्स की भी ऐसी ही स्थिति थी। मेरा निश्चित मत है कि दोनों टैक्स अवश्य लगने चाहिए। पूंजीपति लोग जिस तरह से टैक्स इवेड करते हैं, वैल्थ टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं, इससे वे लोग टैक्स के शिकंजे में आएंगे और सरकार की वसूली ज्यादा होगी। इसलिए यह व्यवस्था होना भी आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं आयकर संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति जी, इस सदन में जो बिल विचार के लिए आया है, मैं उसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं। इस बिल को लाने के दो मुख्य उद्देश्य हैं— पहले तो आरमीनिया में आए भूकम्प से पीड़ित लोगों को सहायता के लिए एक कोष का निर्माण करना और दूसरे एयरलाइंस या हवाई जहाजों के सम्बन्ध में हुए समझौते के अन्तर्गत कुछ छूट प्रदान करना, मुझे दोनों उद्देश्य उचित प्रतीत होते हैं। यदि कहीं लोग विपत्ति में फंस जाते हैं तो उनकी सहायता करने की हमारी परम्परा रही है। भारत और सोवियत रूस की मैत्री समय की कसौटी पर कई बार परखी जा चुकी है और हर बार सच्ची और पक्की उतरी है, प्रामाणिक सिद्ध हुई है। इस बिल का सम्बन्ध विपत्तिग्रस्त लोगों की सहायता करना है। यदि हमारे दोस्त देश के

लोग किसी प्राकृतिक विपत्ति का शिकार हो जाते हैं, आर्थिक विपत्ति का शिकार हो जाते हैं, सामरिक विपत्ति का शिकार हो जाते हैं, वैसी ही समस्या हमारे देश में भी उठ सकती है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी सहायता के लिए कदम उठाएं और भारत का रवैया बहुत सकारात्मक रहा है। आरमीनिया में आए भूकम्प ने सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हमें उनकी पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। भारत सरकार ने जो कदम उठाया है, वह अत्यन्त सराहनीय है।

इससे कुछ समय पूर्व हमारे देश में भी भूकम्प आया था, जिससे बिहार के चार जिले—दरभंगा, मधुबनी, सहरसा और मुंगेर—बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। यद्यपि ये चारों जिले मेरी कांस्टीटूएंसी में नहीं आते, मेरे बगल का क्षेत्र हैं, लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी इससे काफी परेशानी लोगों को हुई, यद्यपि बहुत बड़ा धक्का नहीं था।

इस सिलसिले में भारत सरकार को जितनी गम्भीरता से अपने देश के भूकम्प की स्थिति को लेना चाहिए था और जो उत्साह लोगों के अन्दर जगाना चाहिए था उसकी मदद के सिलसिले में, मैं समझता हूं कि भारत सरकार इस मामले में सफल नहीं रही है और बिहार सरकार तो पूरी तरह से फेल हो गई इस मामले में। यह मैं नहीं कहता, बल्कि खुद सत्ता पक्ष के लोग इस बात को यहां इस सदन में बोलते हैं और बाहर भी बोलते हैं। और अभी-भी उनकी हालत बहुत ही दयनीय है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बिहार के पीड़ितों की मदद की जाए। जो वायदा आपने किया है, उसको अभी तक पूरा नहीं किया है और बिहार सरकार तो पूरी तरह आप पर निर्भर है। जब तक आपकी मदद नहीं मिलती है, तब तक बिहार की सरकार कुछ नहीं कर सकती है।

जब इन्कम टैक्स के एग्जम्पशन का यह बिल आया है, तो हम और देश जानना चाहेंगे कि प्रधान मंत्री कोष का निर्माण जो भूकम्प आर्मीनिया में आया उसका निर्माण किया गया और आर्डिनेंस निकाला गया, तो इसके तहत भारत सरकार ने कितनी मदद की, भारत सरकार के मातहत चलने वाले जो पब्लिक सैक्टर के कारखाने हैं, उन्होंने कितनी मदद की, हमारे देश के अन्दर जो एकाधिकारी, मोनोपोलिस्ट्स, कैपीटलिस्ट्स हैं, चाहे वे टाटा के घराने के हों, चाहे बिड़ला के घराने के हों या कोई और घराने के हों, इन लोगों ने क्या किया, पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स ने क्या किया, वालेंटरी आर्गेनाइजेशन्स ने क्या किया। इसका एक आंकड़ा जरूर दिया जाना चाहिए था जिसका इसमें अभाव है, जिससे अन्दाजा मिल सके कि देश के अन्दर ऐसे लोग जो इन्कम टैक्स के कानूनों का गलत इस्तेमाल करके और उसके शिकंजे से निकल करके जो ब्लैक मनी कमा रहे हैं, वे ऐसे मौके पर जब भारत सरकार ने सही कदम उठाया है, उनका जवाब क्या रहा है और उन्होंने इस मामले में कितनी मदद की है। इसलिए ऐसे मौके पर यह आवश्यक है कि इस मामले में उचित जानकारी हासिल की जाए और देश के अन्दर जो ऐसे तत्व हैं, उन तत्वों की जो ब्लैक मनी है, जो एक समानान्तर इकनोमी के रूप में काम कर रही है और इससे देश की गरीब जनता को काफी नुकसान हो रहा है, इन्होंने क्या किया है। क्योंकि यह सवाल बराबर उठता रहा है। इसलिए हम दुबारा इस सवाल पर दबाव डालना चाहेंगे कि सरकार द्वारा इस पर ध्यान देना चाहिए। यह बड़ा टेम्पेंट है, फाइनेंस को रोकने की बात की जानी चाहिए थी।

इस सिलसिले में मैं दूसरी बात हवाई जहाजों के बारे में कहना चाहता हूं। अभी हमारा देश इस मामले में संकट में है। हवाई यात्रा के मामले में हमारा देश अभी काफी संकट के दौर से

गुजर रहा है। मैं समझता हूं कि जो समझौते किए गए हैं, ये सही है, और इनसे काफी रिलीफ मिलेगा। ये समझौते पहले किए जाने चाहिए थे। लेकिन देर से किए गए हैं, तो भी ठीक है। इनसे काफी रिलीफ हमारे देश के लोगों को मिलेगा।

इस सिलसिले में, मैं अपने क्षेत्र की चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि सरकार की ऐसी नीति है कि सूबे के इम्पोर्टेंट इलाकों को और अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से मजबूत इलाकों को हवाई सेवा से जोड़ा जाए जिससे लोग इन इलाकों में पहुंच सकें। मैं जिस कांस्टीट्यूएंसी से आता हूं वह नालंदा है। नालंदा में राजगिरी जगह है, जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही प्रसिद्ध इलाका है और बुद्धिष्ठ क्षेत्र में आता है। इसी प्रकार से राजगिरी हो, बोध गया हो, सारनाथ हो या और ऐसी कई जगह हैं जो बुद्धिष्ठ क्षेत्र में आती हैं, लेकिन इन जगहों पर वायुदूत के चलने तक की अभी तक व्यवस्था नहीं है। जिला प्रशासन ने राजगिरी के अन्दर एन.आई.ई.पी. के कार्यक्रम के तहत एक मील की हवाई स्ट्रिप तैयार की है, लेकिन उसके पक्कीकरण की जरूरत है। जिसमें लगभग 15,16 लाख लगते हैं, जैसा कि वहां के कलैक्टर से बात हुई, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को ले, क्योंकि सरकार की नजर में वहां उसी तरह की हवाई स्ट्रिप तैयार करने की योजना विचाराधीन, अगर उसको फाइनल शेप दी जाए तो वहां पर वायुदूत उतरने की व्यवस्था हो सकती है। हमको उमीद है कि सरकार यह करेगी।

बिहार हर मामले में बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। वहां बिहार की राजधानी पटना में प्लेन तो उतरता है लेकिन उसके टाइमिंग्ज में बड़ी गड़बड़ी है, न सुबह टाइम पर पहुंचता है और न शाम को टाइम पर पहुंचता है, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

यह बात सही है कि भूकम्प आने के बारे में पहले से इसकी जानकारी मिल सके ऐसी कोई मशीनरी अभी तक नहीं बन सकी है और इस मामले में हम वहां तक नहीं पहुंच सके हैं और पूरी दुनियां वहां तक नहीं पहुंच सकी है, लेकिन फिर भी हिन्दुस्तान को इस मामले में सबसे मदद लेकर इस बात की कोशिश करनी चाहिए, चाहे आविष्कार की बात हो, अनुसंधान की बात हो, उसमें आगे बढ़ना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इस बात का पता लगाया जा सके। इसमें हमारे हिन्दुस्तान के कई इलाके आते हैं जो हिमालय रेंज में आते हैं जो कि भूकम्प से ग्रसित इलाके माने जाते हैं, वहां कभी भी भूकम्प आ सकता है अब सोसाइटी में इसका खतरा मौजूद है और हम उस जोन में पड़ते हैं तो हमें उससे बचाव की व्यवस्था करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा. दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, आर्मीनिया में बुरी तरह भूचाल आया था। हमारी सरकार ने उन्हें सहायता सामान से भरे तीन जहाज भेजकर अपनी सहृदयता का परिचय दिया है। लेकिन जिस तरह से सरकार इस विधेयक के जरिए बड़े उद्योगपतियों को आय-कर से छूट देने जा रही है वह ठीक नहीं है। इससे वेतन भोगियों का कोई लाभ नहीं होगा। सरकार औद्योगिक घरानों में कुछ रियायतें देने जा रही है, यदि वे इस फंड में अंशदान करते हैं। यह तो एक तरह से भीख मांगना हुआ। सरकार और देश ऐसे बड़े औद्योगिक घरानों की दया पर जी रहे हैं। मैं देश की अर्थव्यवस्था की समूची प्रणाली का विरोध करता हूं।

महोदय, इस देश में आयकर का भुगतान करने वाले कौन लोग हैं, सत्तर लाख आय-कर दाताओं में से पचास लाख वेतन भोगी लोग हैं। जो श्रमिक और सरकारी कर्मचारी हैं। आय-कर के द्वारा इकट्ठा किया गया कुल राजस्व, समूची राष्ट्रीय आय का पांच प्रतिशत भी नहीं है। इससे पता चलता है कि बड़े औद्योगिक घराने ब्लैकमनी कैसे बनाते हैं। कर भुगतान नहीं करना पड़े इसका सबसे अच्छा तरीका है, धनवान हो जाओ काला धन इकट्ठा करो और सलाहकार रखो, महोदया, यह प्रक्रिया है। सत्तर लाख आय-कर दाताओं में से पचास लाख लोग श्रमिक हैं। पांच लाख भी बड़े लोग कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। मेरे पास ब्यौरा है। लेकिन यह समय नहीं है आप इन बड़े लोगों को कई रियायतें दे रहे हैं। महोदय, एक उद्योगपति एक इकाई से दस करोड़ रुपये मुनाफा कमा रहा है और दूसरी इकाई में दस करोड़ रुपयों का नुकसान दिखा रहा है और उसे इन दोनों इकाइयों को एक करने की अनुमति दी जाती है जिससे कर के भुगतान से बचा जा सके। इसके अलावा परिवार का विभाजन पिता, माता, बेटा-बेटी आदि में करके लोगो में सम्पत्ति विभाजित करदी जाती है। और इसतरहसे उन्हें कर-भुगतान से छूट दी जाती है। इसकेअतिरिक्त आप इन लोगो को निर्यात में शत-प्रतिशत छूट देते हो। इन बड़े उद्योगपतियों ने कर से बचने के लिए सभी रूग्ण इकाइयों को अपने हाथ में ले लिया है। आप इन बड़े लोगों के काले कारनामों को सहमति दे रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन बड़े लोगों से आयकर द्वारा आपने कितना धन इकट्ठा किया है। हम आंकड़े जानना चाहते हैं। मंत्री लोग और उनकी पार्टी के अध्यक्ष इन बड़े लोगों, टाटा और बिरला से दस लाख रुपये दान देने के लिए कहते हैं।

अगर वे दस लाख रुपया अंशदान में आते हैं तो वे उन्हें पांच लाइसेंस दे देते हैं और इस प्रकार उनकी सौ करोड़ रुपये की आय हो जाती है। चूंकि मैं इन सभी उद्योगपतियों को जानता हूं इसलिए मुझे इसकी जानकारी है। बम्बई के कपड़ा श्रमिकों को नुकसान क्यों हुआ ? सरकार ने बम्बई के सभी साठ मिल मालिकों को 200 करोड़ रुपये की कर्ज के रुपये में सहायता दी है परन्तु विगत तीस वर्षो से वे एक वर्ष में एककरोड़ रुपये का भी करनहीं दे रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है और हम यहां कैसी चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि आप इन बड़े लोगों को सभी सहायता तथा राजसहायता दे रहे हैं परन्तु वे करों में अंशदान नहीं दे रहे हैं। ऐसी रियायतें देकर आप इन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अंशदान को आयकर से मुक्त करने के पीछे अच्छा काम हो सकता है परन्तु यह धनराशि एकत्रित करने के लिए आप इन लोगों के सामने हाथ पसार रहे हैं और उन्हें सैकड़ो रियायतें दे रहे हैं। यह अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त के खिलाफ है। इससे देश में कालाधन पैदा होगा। इसलिए मैं इस प्रणाली का विरोध करता हूं।

मैंने बम्बई में देखा है कि इन मिल मालिकों ने अपने निवास स्थान के स्कूलों अथवा अन्य कहीं छोटे मंदिरों के लिए चन्दा दिया है। ये टाटा और बिरला बहुत चालाक हैं। हर जगह श्रमिकों के लिए मंदिर हैं। यद्यपि वे मजदूरी के सिर्फ 10 रुपये देते हैं परन्तु मंदिर हर जगह हैं। वे चाहते हैं कि श्रमिक मंदिर में जाकर पूजा करे। इससे अप्रत्यक्ष रूप से कालाधन पैदा होगा। इस लिए मैं इस किस्म के रवैये के खिलाफ हूं यदि आप सहायता देना चाहते हैं तो सीधे रूप से लोगों को सहायता दीजिए। रूस में पचास हजार लोगों की मौत हुई है। इसलिए इन बड़े लोगों के सामने हाथ मत पसारिये। यह सरकार का धन है। आप उनसे कालाधन लेकर उन्हें और रियायतें दे रहे हैं। इसलिये मैं इस दृष्टिकोण का विरोध करता हूं (व्यवधान) जी हां, मैं आपके रवैये के खिलाफ हूं। मैं रूस के लोगों को सहायता देने के खिलाफ नहीं हूं। आपने वहां कुछ विमान भेजे

हैं और उन्हें सहायता दी है। यदि आप चाहें तो हम भी आपको कुछ अंशदान दे सकते हैं परन्तु इन बड़े लोगों, पूंजीपतियों और व्यापारियों से मत मांगिए जो काले कार्यों में लिप्त हैं क्योंकि इस धन को एकत्रित करने के लिए आपको उन्हें और रियायतें देनी पड़ेंगी। यदि आप रियायतें नहीं देंगे तो कोई आपको पांच लाख रुपये नहीं देगा। इसलिए स्वतंत्रता के चालीस वर्षों के बाद इस देश में यह प्रणाली अपनाई जा रही है · (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप उनकी किस प्रकार सहायता करेंगे ?

डा. दत्ता सामंत : मेरे श्रमिक आपको सहायता देंगे। आप भी अंशदान कीजिए। परन्तु इस प्रकार नहीं। यह काला धन है। यह सब किस्म के कार्यों से कमाया जाता है। इस देश में इन लोगों ने अनेक कार्यों से काले धन के रूप में चालीस हजार करोड़ रुपये एकत्रित किए हैं और आप उनसे यह कह कर मांग रहे हैं, "कृपया कुछ धनराशि दीजिए मैं आपको कर में रियायतें दूंगा। यह प्रशंसनीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा है।" हमारे मंत्री उनके सामने हाथ पसार रहे हैं। इसलिए मैं इस प्रणाली के खिलाफ हूं। वेतन भोगी लोगों का अत्यधिक शोषण किया जा रहा है···

(व्यवधान)

श्री ए. के. पांजा : आपने कहा कि मंत्री हाथ पसार रहे हैं। कृपया आप उनका नाम बताइये। उसके बाद मैं आपको अन्य मिल मालिकों के नाम बताऊंगा जिनके साथ आपका लेन-देन होता है।

डा. दत्ता सामंत : महोदय, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूं। यह आप चाहेंगे तो मैं उनके नाम बता दूंगा।

श्री ए. के. पांजा जब आपने 'मन्त्री" कहा है तो आपको नाम बताना पड़ेगा। हम नाम जानना चाहते हैं।

डा. दत्ता सामंत : जी, हां मैं नाम बताऊंगा। महाराष्ट्र के सतारा, सांगली जिलों में दस-पन्द्रह स्कूल और कालिजों का निर्माण किया गया। उनके लिए धन खटाऊ, मोरारजी और इन सब मिल मालिकों ने दिया उन्होंने 25,000 या 30,000 रुपये दिए परन्तु बम्बई के श्रमिकों के हितों का नुकसान हुआ कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल के दौरान··· (व्यवधान)

श्री ए. के पांजा : यह धन किसे दिया गया ?

डा. दत्ता सामंत : मैं यह बताऊंगा। कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल के दौरान आप मंत्री नहीं थे परन्तु मैंने केन्द्रीय कपड़ा मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया। कृपाया मुझसे नाम बताने के लिए मत कहिए। यदि आप चाहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। मैंने उनके साथ चार बार विचार-विमर्श किया। मैंने उन्हें बताया कि इन मिल मालिकों ने अर्थव्यवस्था का शोषण करके अत्यधिक कालाधन कमाया है और श्रमिकों को भूल गए हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप उनके खातों की जांच करके उन पर मुकद्दमा चलायेंगे। मंत्री महोदय ने रात के बारह बजे मुझसे कहा, "डा. आप यूनियन चलाना चाहते हैं परन्तु हम यह राज चलाना चाहते हैं। हम बम्बई के मिल मालिकों को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि वे विगत तीस वर्षों से हमें चुनाव के लिए धन दे रहे हैं।" यदि आप चाहेंगे

तो मैं आज भी बता दूं गा परन्तु मुझे नाम बताने के लिए मत कहिये। इस सरकार के वित्त मंत्री ने मुझे बताया (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : महोदय, वह किस के बारे में कह रहे हैं ?

डा. दत्ता सामंत : मैं यही बताने आ रहा हूं।

श्री ए. के. पांजा : क्या उस बातचीत से आपको यूनियन चलाने में सफलता मिली है ?...
(व्यवधान)

डा. दत्ता सामंत : जब आप पूरी तरह से इन मिल-मालिकों के चुंगल में हैं तो मैं यूनियन किस प्रकार चला सकता हूं ? आपने इन काली करतूतों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ? 1,50,000 कारखाने बन्द पड़े हैं। 40,000 करोड़ रुपये काले धन के रूप में एकत्रित किए गए हैं। क्या इस काले धन को रोकना आवश्यक कार्य नहीं है ? इस क्षेत्र में 7,000 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी हुई है आपकी सरकार क्या कर रही है ? मैं यह आरोप लगाऊंगा कि आप लोग इसमें शामिल हैं। यदि आप नाम पूछना चाहते हैं तो मैं बता सकता हूं। (व्यवधान)

सभापति महोदय : डा. सामंत, कृपया विधेयक के अंतर्गत ही चर्चा कीजिए।

डा. दत्ता सामंत : महोदय, माननीय मंत्री मुझ से नाम पूछ रहे हैं। अब मैं प्रासंगिक बात करूंगा। यदि आप टाटा या बिरला से सम्पर्क नहीं रखेंगे और उनका सम्मान नहीं करेंगे तो वे आपको धन नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री ए. के. पांजा : हम जानते हैं कि आप किसका सम्मान करते हैं। मेरी तरफ इशारा मत कीजिए। (व्यवधान)

डा. दत्ता सामंत : मैं सत्य बात की बात कर रहा हूं। केन्द्रीय मंत्री ने मुझसे कहा कि वे बम्बई के मिल मालिकों को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें चुनावों के लिए धन चाहिए। यद्यपि आपने वेतन भोगी लोगों को जो रियायतें दी हैं वे नगण्य हैं क्योंकि वे कर दे रहे हैं। आपने उनके लिए क्या किया ? विगत चार वर्षों से जब से यह सरकार सत्ता में आयी है तब से आयकर से छूट की सीमा 18000 रुपये है, जबकि इस अवधि में मुद्रास्फीति की दर 40 प्रतिशत बढ़ गई है। आप अनेक तरह से श्रमिकों से धन एकत्रित कर रहे हैं। वे राजस्व में सबसे अधिक अंशदान कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने वक्तव्य दिया है कि सभी भत्तों जैसे मंहगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, शिक्षा भत्ता तथा मकान किराया भत्ता आदि पर भी कर लगेगा। आपने इसे लागू करने के लिए वक्तव्य भी जारी कर दिया है। परन्तु मद्रास उच्च न्यायालय ने इसका बचाव किया। दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों में जीवन लागत बहुत बढ़ गई है, इन मंहगे शहरों में रहने के लिए कम से कम 1500 रुपये प्रतिमाह की जरूरत है। यह सरकार श्रमिकों के हितों के विरुद्ध कार्य कर रही है।

सरकार ने 3000 या 4000 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन पाने वाले लोगों को 350 रु. की रियायत दी है। आप दिखावा करते हैं कि आप श्रमिकों का कल्याण कर रहे हैं। आप दिखावा करते हैं

कि आप के सब रियायतें श्रमिकों को दे रहे हैं। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। आप ये रियायतें सिर्फ बड़े लोगों को दे रहे हैं। आप काले बाजारियों और उन लोगों को रियायतें दे रहे हैं जो उन उद्योगों का दायित्व संभाले हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे? बड़े बड़े उद्योगपति तथा काले बाजारिये कर मुक्त हैं; वे देश की अर्थव्यवस्था के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, जिसका वे संचालन करते हैं।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना से श्रमिकों को कोई लाभ नहीं है। इस योजना से उन्हें लगभग एक लाख रुपये मिलते हैं परन्तु आप इस धनराशि में से 50,000 रुपये आयकर के रूप में लेते हैं। क्या यह उचित है? जब श्रमिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हें नौकरी खोनी पड़ेगी। आप कहते हैं कि आप इसके लिए एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे। परन्तु इन लोगों को आपने कितना श्रम दिया है मैं इस बात के सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि सरकार ने वेतनभोगी लोगों का कभी भला नहीं किया है।

दूसरी बात मैं इंडियन एयर लाइंस के बारे में कहना चाहता हूं। वहां कैसी स्थिति है? यह सच है कि यह आपके कार्यक्षेत्र में नहीं है। विगत अनेक वर्षों से 50 विमान सेवा कर रहे हैं। यद्यपि कुल 50 विमान हैं परन्तु यात्रियों की संख्या में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 160 स्टेशन हैं तथा निगम को लाभ हो रहा है। यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए विमानों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने हेतु सरकार क्या कर रही है? अंतिम क्षणों में कुछ व्यवस्था की जाती है। परन्तु इस अस्थाई व्यवस्था से क्या लाभ है इन 160 स्टेशनों में से 110 स्टेशनों को घाटा हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? इस व्यापार में ईमानदारी से कार्य नहीं किया जाता है परन्तु इन कमियों के बावजूद भी आपने विगत आठ वर्षों में किरायों में तीन गुनी वृद्धि कर दी है। लेकिन आप विमानों की संख्या क्यों नहीं बढ़ायी? आपने विगत सात या आठ वर्षों में एक भी विमान नहीं बढ़ाया है। आप इन विमानों को बड़ी जोखिम से उठा रहे हैं जिसमें यात्रियों का जीवन भी शामिल है। परन्तु आप बड़े लोगों को रियायत दे रहे हैं। इंडियन एयर लाइन्स कोरपोरेशन से आपको कितनी बचत हो रही है? एयर इंडिया के विमान बिना किसी यात्री के विदेशों की उड़ान भर रहे हैं (व्यवधान)

श्री ए. के. पांजा : इसकी उड़ान संख्या क्या है?

डा. दत्ता सामंत : यदि आप चाहोगे तो मैं आपको पूरा ब्यौरा दे दूंगा। जब मैंने यह सब ब्यौरा दिया तो मैंने इस सभा में दो घंटे तक चर्चा की। अब समय कम है। क्या आप मेरे समस्त प्रश्नों का जवाब देंगे? मैं आपको ये बातें बता दूंगा।

इस समय विमानों की कुल संख्या केवल 50 है। गत सात-आठ वर्षों से यही 50 विमान चल रहे हैं। इन 50 विमानों में से तीन हमेशा खराब रहते हैं। परन्तु गत सात वर्षों से यात्रियों की संख्या प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ रही है। अब यह संख्या दुगनी हो गई है। इस बात के बावजूद हवाई अड्डों की संख्या में 160 की वृद्धि हुई है। फिर भी आप कुछ और चाहते हैं।

श्री ए. के. पांजा : जी हां।

डा. दत्ता सामंत : आप इसका उत्तर दीजिए। मैं इस सभा में ये सभी मुद्दे उठाता हूं। मैं

किसी अच्छे उपाय के विरुद्ध नहीं हूं। पिछले सत्र में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के दौरान इसकी चर्चा की थी। उस समय सैकड़ो मुद्दे उठाए गए थे परन्तु उनमें से किसी का भी सही उत्तर नहीं दिया गया। हवाई अड्डों पर उपकरण अवतरण प्रणाली नहीं है। बम्बई हवाई अड्डे को बंद रखा गया क्योंकि हवाई पट्टी की मरम्मत की जानी है। इंडियन एअर लाइन्स और एअर इंडिया की यह दयनीय स्थिति है। हमें दोषों का पता लगा कर उन्हें दूर करना चाहिए। आप तो अपनी कमियों को बर्दाश्त करने को तैयार हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है, आप इससे बच नहीं सकते। कुछ तो कहना ही होगा।

मैं एक और प्रश्न पूछ रहा हूं। यह सही है कि आप भूकम्प पीड़ितों को कुछ धनराशि दे रहे हैं। वहां भूकम्प से लगभग 50,000 लोगों की मृत्यु हुई है। भोपाल गैस त्रासदी में 3000 लोग मरे और दो लाख घायल हुए, श्री लंका में गत कुछ वर्षों में शान्तिसेना के 800 लोग मारे गए। आपके पास उनके शव यहां लाने के लिए धन नहीं है। इस देश में कितनी ही घटनाएं हो चुकी हैं। क्या आप उन्हें यही रियायतें देंगे? आपकी अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी है। इसलिए आज गरीबी के नाम पर आप कालाबाजारियों से भीख मांग रहे हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ कि आप कर के रूप में यह कालाधन लें और रूस को भुगतान करें। मैं इस प्रणाली को पसंद नहीं करता। ऐसे कालाबाजारियों को कभी प्रोत्साहन मत दीजिए। इस देश के बहुत से उद्योगपति आपकी दया पर पल रहे हैं। वे कहते हैं, हम ही आपको जीवित रखे हुए हैं। मैं केवल आपकी पार्टी की ही बात नहीं कर रहा हूँ। यह बात कालाबाजार करने वाले लोगों को समर्थन देने वाले सभी दलों पर लागू होती है। यह प्रणाली बदली जानी चाहिए। मैं ऐसी प्रणाली का विरोध करता हूँ हालांकि इस विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करता हूँ। यदि आप चाहें तो मेरे कामगार इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत योगदान देंगे। परन्तु मैं कालाबाजारियों से धन एकत्र करने का विरोध करता हूँ। निःसन्देह उनके पास आपको देने के लिए बहुत धन है। परन्तु मैं इस विधेयक में निहित दृष्टिकोण का विरोध करता हूँ।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, मैं इन्कम टैक्स (एमेंडमेंट) बिल, 1989 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

मैं प्राइम मिनिस्टर साहब और फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को बधाई देना चाहती हूँ कि 8 दिसम्बर, 1988 को जो रूस में अर्मेनिया में भूकम्प आया था, उस से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एक स्पेशल फण्ड क्रियेट किया गया और वहां के लोगों को हैल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने जो स्पेशल फण्ड क्रियेट किया है, उस का मैं समर्थन करती हूँ।

मैं ने डा. दत्ता सामन्त का भाषण सुना और उसको सुन कर मैं तो डर गई और यह बहुत दुःख और शर्म की बात है कि ऐसा मेम्बर हमारे हाऊस का है। वर्कर्स के काज के लिए हम लोग भी लड़ते हैं और हिन्दुस्तान में डा. दत्ता सामन्त अकेले ही ऐसे नहीं हैं, जो इस सेक्टर के लोगों के भले की बात कहते हों। (व्यवधान) डा. दत्ता सामन्त का ही यह काज नहीं है। वे वर्कर्स की प्राब्लम्स सोल्व नहीं करते हैं बल्कि वे वर्कर्स को टकराते हैं। हम यह बात इसलिए कहते हैं कि वर्कर्स की भलाई के लिए जो अच्छी चीजें होनी चाहिए, उस के लिए कोई डिफ्रेंस आफ ओपीनियन नहीं है चाहे इधर की साइड के लोग हों या उधर की साइड के लोग हों लेकिन उनको

देखना चाहिए कि काज क्या है। यह बिल पालीटिक्स करने के लिए नहीं लाया गया है।... (व्यवधान) हमने आपकी बात सुनी है, थोड़ा आपको भी डाइजेस्ट करना चाहिए और थोड़ी पेशेंस होनी चाहिए, आप ट्रेड यूनियन लीडर है। मेरा कहना यह है कि यह जो बिल लाया गया है, इसमें थोड़ा टेक्निकल प्वाइन्ट है और इन्कम टैक्स में एग्जम्पशन देने के लिए यह बिल लाया गया है। अभी दत्ता सामन्त ने कहा कि यह काज बहुत अच्छा है और उस काज को सपोर्ट किया है लेकिन इसका जो डिसीजन है उसको अपोज किया है। यह डबल रोल आफ कंडक्ट है। उसके माफिक बात की जाती है। वह इस काज को तो सपोर्ट करता है लेकिन इस सिस्टम को अपोज करता है। इसमें वही बात आती है कि हम खाना खाएगा लेकिन मुंह में कुछ भी नहीं देखा जाएगा। वह छिपा कर खाएगा। उन्होंने ऐसा भाषण दिया है। हर मन्त्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि ऐसा कभी भी कोई इंसीडेंट हो सकता है, देश में हो सकता है, विदेश में हो सकता है जिसमें मदद करना हमारा धर्म है। यह कोई राजनीति की बात नहीं है। यह हमारी परम्परा है, यह हमारा आदर्श है कि हम किसी भी देश का दुःख में साथ दें। यह हमारा धर्म है, यह कोई पोलिटिकल मेटर नहीं है। हमारे प्राईमिनिस्टर ने और भी देशों को मदद दी है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

हमारे प्राई मिनिस्टर ने बहुत से आदमियों को बहुत से काज के लिए सपोर्ट किया है। हम लोग जब भी कोई लेटर लिखते हैं कि किसी दुःखी आदमी को मदद देने के लिए, किसी को बीमारी में ट्रीटमेंट में मदद देने के लिए, किसी की मेरिज में मदद देने के लिए, किसी का मर्डर हो गया है तो उसकी फेमिली को मदद करने के लिए तो वह प्राई मिनिस्टर रिलीफ फंड से मदद करते हैं। इसके लिए भी मैं उनको बधाई देती हूं। इसी तरह से अर्मेनिया में मदद करना भी हमारे देश का काम है। जिन देशों से हमारी मित्रता है, हमारा बन्दोबस्त है उस देश के लोगों की मदद करना जरूरी है। यह हमारा धर्म है। इसलिए मैं इस काज को भी सपोर्ट करती हूं और इस सिस्टम को भी सपोर्ट करती हूं।

मैं मन्त्री जी से कहना चाहती हूं कि जैसा अर्मेनिया में भूकम्प आया, ऐसा इंसीडेंट दूसरी जगहों पर भी हो सकता है। जिसके लिए आपको बार-बार अमेंडमेंट लाना पड़े यह ठीक नहीं है। आप ऐसा एक परमानेंट अमेंडमेंट लाइये और कोई परमानेंट क्लाज बनाइये कि यदि ऐसा कोई इंसीडेंट होगा तो आप डाइरेक्टली उसके लिए मदद कर सकते हैं। आप ऐसा कोई नेशनल रिलीफ फंड बना लीजिये जिससे कि प्राई मिनिस्टर खुद मदद कर सकें और उस फण्ड में रुपया जमा करने वाले को इनकम टेक्स में एग्जेम्पशन भी जरूरी होनी चाहिए। यह कोई पोलिटिकल काम नहीं है, यह कोई इलेक्शन जीतने का काम नहीं है। यह मानव की मदद करने का काम है। यह काम बहुत अच्छा है।

सर, यह बात भी ठीक है कि हमारे देश में भी थोड़ा प्राब्लम हुआ। जैसे बिहार में भूकम्प आया। पंजा जी आपको मालूम है कि हमारे प्रदेश में रेपसीड आयल की एडल्ट्रेशन से एक हजार आदमी पेरेलाईज हो गये। आपने खुद जा कर के देखा कि उनकी क्या कंडीशन हुई। उसके लिए भी आप सोचिये कि कैसे आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं। विदेश की प्राब्लम में भी मदद करना जरूरी है और हमारे देश में जो प्राब्लम होती है उसमें भी मदद करनी जरूरी है। हमारे यहां जो एक हजार आदमी रेपसीड आयल की एडलट्रेशन से पेरेलाईज हो गये हैं उनके लिए भी

थोड़ी प्राई मिनिस्टर रिलीफ फंड से मदद कीजिये और हमारे बिहार में जो भूकम्प आया, जिसके बारे में राजहंस जी ने भी बताया कि बहुत सारे आदमी वहां आसमान के नीचे रहते हैं। उनके पास अभी तक रहने के लिए कोई अकोमोडेशन नहीं है, उनके पास खाने को नहीं है। उनके लिए भी आप कोशिश कीजिये। बिहार में एक टीम भेज दीजिए और उसका रिपोर्ट आ जाती है उसके माफिक मदद कीजिये। इसके लिए भी हम प्राईम मिनिस्टर के बहुत आभारी होंगे।

मैं एक बात और बोलना चाहती हूं। ये लोग पोलिटिकल डिस्कशन बहुत कर सकते हैं, प्राब्लम सोल्व नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए मैं बोलना चाहती हूं कि हमारे देश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत इंडस्ट्रीज सिक हो गयी हैं। अब कोई नया आदमी सिक इंडस्ट्री को लेने के लिए आता है तो उस पर बहुत बर्डन पड़ता है। जो आदमी सिक इण्डस्ट्री को हेल्दी इण्डस्ट्री बनाने के लिए आगे आता है, मालिक को मिलियन बनाने के लिए नहीं, वर्कर का काम चालू रखने के लिए वह इण्डस्ट्री को रिवाईव करने के लिए आगे आता है। आप उस इण्डस्ट्री के लिए एक्साईज और इनकम टैक्स के रूप में जो बर्डन उस पर पड़ता है उसमें उसको छूट दीजिए। इससे बाहरी आदमी भी सिक इण्डस्ट्री को चालू करने के लिये आगे आयेंगे।

मुझे एक बात और कहनी है। आयकर की जो छूट सीमा है वह 18,200 रुपये है। लेकिन जो आदमी दो हजार रुपये कमाता है उसके लिए तो कोई प्राब्लम नहीं होता क्योंकि हमारे देश में कानून भी है और कानून का भंग भी है। हमें मालूम है—

धनवान खजाना भरता है कानून हिफाजत करता है
मजदूर बिचारा रो रो कर तकदीर की शिकायत करता है।

जो धनवान होते हैं वे इनकम टेक्स दें भी, नहीं भी दें लेकिन उसके पेपर ठीक रहते हैं। जो आम जनता है, सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको डेढ़ दो हजार तनख्वाह मिलती है, वे अपना परिवार बहुत मुश्किल से चलाते हैं। इस बजट में हमें विश्वास था कि इनकम टैक्स लिमिट 18200 रुपए से बढ़ाकर 30000 रुपए होगी, लेकिन उसमें हमें निराशा हुई। अब फाइनांस बिल आने वाला है, इसमें हमारा निवेदन है कि इस लिमिट को 30000 रुपए अवश्य कर दीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूं।

कुमारी ममता बनर्जी : इसलिए मेरा निवेदन है कि इस काम को आप जरूर करिए। सरकारी कर्मचारी, वर्कर्स, मिडिल क्लास और आम जनता को इससे बहुत लाभ होगा। सभी माननीय सदस्यों की यह मंशा है—

[अनुवाद]

कृपया कहिए कि मामले पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

इस मैटर को लागू करना जरूरी है। यह सिर्फ मेरी मांग नहीं है, सदन के हर सदस्य की मांग है।

दत्ता सामन्त जी ने इसमें पोलीटिक्स लाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि इण्डस्ट्रीज से पैसा लेते हैं इसलिए इण्डस्ट्रीसिक हो जाती है। जो बात कहनी है वह साफ साफ कहनी चाहिए। हमारे आपके राजनीतिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन किसी देश की मदद करने की बात है, इसमें अगर आप राजनीति ले आएंगे तो आप इस पवित्र भावना को मंद करेंगे। इस भावना को हमें पवित्र बनाए रखना चाहिए और इस तरह की राजनीतिक बात इसके सिलसिले में नहीं करनी चाहिए।

[अनुवाद]

डा. दत्ता सामन्त : मैं आपके दृष्टिकोण का विरोध करता हूं। यदि आप चाहती हैं तो मेरे कागजात आपको दे देंगे।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : मानवता को पोलीटिक्स में नहीं लाना चाहिए।

[अनुवाद]

डा. दत्ता सामन्त : मैं उद्योगपतियों की दया पर नहीं हूं।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी : हम सब पोलीटिकल लोग हैं, लेकिन पोलीटिक्स से मानवता बड़ी है, मानवता जिन्दा रहेगी तब तक हिन्दुस्तान जिन्दा रहेगा। इसलिए हम इस बिल का स्वागत करते हैं, सपोर्ट करते हैं।

[अनुवाद]

श्री वी. श्री. रमैया (एलुरु) : सभापति महोदय, इस विधेयक के दो भाग हैं। पहला है आर्मेनिया सोवियत गणराज्य के लिए राहत को छूट देना और दूसरा एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स तथा विमान प्रयोजनार्थ किराये की छूट देना।

जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है, 8 दिसम्बर, 1988 को आर्मेनिया सोवियत गणराज्य में भयंकर भूकम्प आया था जिसके कारण 50,000 से अधिक लोगों की जानें गईं और इसके लिए राहत को पूर्णतया कर दिया गया था। यह एक पुण्य कार्य है। मैं निश्चित तौर पर इसका समर्थन करता हूं। साथ ही मैं यह भी महसूस करता हूं कि जैसा कि किसी अन्य सदस्य ने भी कहा है, राज्यों को दिए जाने वाले अन्य राहत कोष, जैसे मुख्यमंत्री राहत कोष पर भी इसी प्रकार विचार किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री निश्चित रूप से उस मामले पर विचार करेंगे। यह कोष भी उन्हीं मानवीय प्रयोजनों के लिए है और इस पर भी उसी भांति विचार किया जाना चाहिए। यदि इस समय उस विषय में भी प्रस्ताव लाया जाए तो अधिक उपयुक्त होगा। सभी उसकी प्रशंसा करेंगे।

दूसरा मुद्दा, इंडियन एअरलाइन्स और एअर इंडिया के लिए पट्टा राशि के बारे में है। इससे वहां अकुशलता और अक्षमता ही बढ़ेगी। हम हर रोज इंडियन एअरलाइन्स की दशा देखते हैं। यात्रियों को उनके गन्तव्य स्थलों की बजाय अन्यत्र छोड़ देते हैं जिससे उन्हें असुविधा होती है और कोई सही अन्तर नहीं देते हैं। ऐसी बातों को और प्रोत्साहित करने का कोई औचित्य नहीं है और यही समय है कि हम सुनिश्चित करें कि ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा रहे।

यदि हम आप्तवासी भारतीयों आदि को इसी प्रकार छूट देकर उनसे कहें कि वे इस देश में एअरलाइनों की भांति विमान-सेवा आरम्भ करें तो शायद वे प्रतिस्पर्धा की भावना से कार्य करें जिससे लोगों को कम खर्चे में बेहतर सेवा मिले। तब वे इस प्रकार की छूट और रियायतें नहीं मांगेंगे और अधिक कुशलता और परिश्रम से सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं महसूस करता हूं कि अधिक रियायतें देने से यह अधिक महत्वपूर्ण है। पिछले कई वर्षों का कार्य देखने के बाद, हम देखते है कि प्रतिवर्ष स्थिति खराब ही हो रही है। कार्यकुशलता बद से बदतर हो रही है। मैं यही महसूस करता हूं कि यही उचित समय है जबकि हमें एक समानान्तर और प्रतियोगी विमान सेवा शुरु कर देनी चाहिए जो कि प्रतिस्पर्धा की भावना से कार्य करके जनता की सेवा कर सके। इससे विद्यमान स्थिति और विमान सेवा की कार्यकुशलता में सुधार आएगा। मैं महसूस करता हूं कि दूसरे क्षण पर अधिक सावधानीपूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है, हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं क्योंकि यह सही प्रयोजन के लिए है। नि:सन्देह इसमें मामूली संशोधन की आवश्यकता है, जैसा कि मैं पहले कह चुका है कि मुख्य मंत्रियों के कोष के लिए भी यह सुविधा दी जानी चाहिए।

मैं कुछ और सुझाव देना चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्य मध्यमवर्ग के लोगों के लिए विभिन्न भत्तों पर कराधान का पहले ही जिक्र कर चुके हैं। उन्हें इन भत्तों पर कुछ छूट दी जानी चाहिए जो उन्हें लम्बे समय से प्राप्त हैं। नगर प्रतिपूर्ति भत्ता तथा अन्य सभी भत्तों को कराधान से पूर्णतया छूट दी जानी चाहिए क्योंकि वे मध्यम वर्ग के लोग हैं। उनकी ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

तीसरा सुझाव, मैं आयकर सीमा बढ़ाने के बारे में देना चाहूंगा। इस सभा का प्रत्येक सदस्य इस बात का समर्थन कर रहा है कि छूट की सीमा जो 1800 रुपये है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि यह सीमा क्या होनी चाहिए तथापि मैं कहना चाहूंगा कि यह रुपये की क्रय शक्ति के अनुपात में होनी चाहिए। आप कोई सिद्धान्त बना सकते हैं। आपको विचार करना होगा कि पिछले वर्ष क्रय शक्ति क्या थी, इस वर्ष क्या है और अगले वर्ष क्या होगी तथा क्रय शक्ति के आधार पर यदि आप छूट की सीमा निर्धारित करें तो वह अधिक उपयुक्त और इन लोगों के लिए सहायक होगा।

अन्त में, मैं आयकर विवरणियां प्रस्तुत किए जाने के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। इस समय, विवरणियां वर्ष में एक ही बार दाखिल की जाती हैं इससे लेखापरीक्षकों और कर-निर्धारितियों के लिए भारी कठिनाई हो जाती है। इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन किया जाना चाहिए क्योंकि यह मौसमी काम है। विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं। मार्च की बजाय यदि आप दिसम्बर और जून या कोई अन्य महीना इस कार्य के लिए निर्धारित कर दें तो इससे आयकर विवरणियां दाखिल करने वाले लोगों को बहुत मदद मिलेगी। मैं आशा करता हूं माननीय मन्त्री

मेरे सुझावों पर यदि आज नहीं तो जल्दी ही विचार करेंगे और कुछ सहायता देकर कर दाताओं की मदद करेंगे।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : सभापति महोदय, मेरा नाम सांविधिक संकल्पों के प्रस्तावकों में था। प्रारम्भ में, मैं सोवियत संघ के भूकम्प पीड़ितों को दी गई सहायता की प्रशंसा और स्वागत करता हूं जिन्होंने भारी दुख उठाए है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारा देश उनकी मदद करेगा। इस प्रयोजनार्थ हमने राहत कोष में अंशदान देने वाले लोगों को कुछ रियायतें देने का निर्णय किया है। मैं इस प्रयास की भी प्रशंसा करता हूं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसी विकट परिस्थितियों एवं दुखों से गुजरने वाले सभी लोगों की सहायता की जानी चाहिए। हमें, राष्ट्र के रूप में, उनकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए।

महोदय, पंजाब में सैकड़ों व्यक्ति आतंकवादियों के हाथों मारे जा चुके हैं। बहुत से गांवों में विधवाएं हैं। बहुत से बच्चों के मां-बाप गोली से मारे जा चुके हैं। इसी प्रकार दिल्ली में 2000 विधवाएं हैं जिनके पति सिख-विरोधी दंगों में मारे गए। 2000 विधवाएं और 3000 से अधिक अनाथ बच्चे हैं। भारत सरकार को, एक राष्ट्र के रूप में, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ना होगा तथा विधवाओं और आतंकवादियों के हाथों पीड़ित लोगों की सहायता के लिए एक कोष तैयार करना होगा। पंजाब में हिन्दु तथा सिख दोनों ही आतंकवादियों के बुरे इरादों का शिकार हो रहे हैं। मेरे विचार से आतंकवादियों के हाथों पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कम-से-कम 100 करोड़ रुपए का कोष तैयार किया जाना चाहिए।

जैसा कि मेरे जानकर मित्रों ने कहा है दूसरा मुद्दा एअर इण्डिया को प्रोत्साहन देने तथा नए जहाज खरीदने के लिए सहायता देने के बारे में है। यह एक अच्छी बात है क्योंकि प्रतिस्पर्धा के इस संसार में हमें तदनुसार कुछ न कुछ करना होगा। किन्तु इस सदन को यह जानकारी होनी चाहिए कि एअर इण्डिया की सेवा विश्व में सबसे खराब है।

श्री बी.बी रमैया : इंडियन एयर लाइन्स की भी।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : एयर लाइन्स की भी।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : मैं एअर इण्डिया के बारे में की गई टिप्पणी से सहमत नहीं हूं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : यदि आप कह सकते हैं तो मैं भी कह सकता हूं। मेरे पास सबूत है। एयर इण्डिया के उच्च अधिकारियों का व्यवहार इस प्रकार का है। आप मेरा उदाहरण लीजिए। मैंने 35, 126 रुपये देकर दिल्ली-लंदन टोरोन्टो का एक 'जे' क्लास टिकट खरीदा। मुझे दिल्ली-लंदन के लिए टिकट एयर-इंडिया द्वारा लन्दन-टोरोन्टो के लिए एयर कनाडा द्वारा; टोरोन्टो-लंदन के लिए कनाडा द्वारा; और लंदन-दिल्ली के लिए एयर इण्डिया द्वारा दिया गया, मुझे एयर कनाडा के लोगों द्वारा बाहर निकालकर इकोनामी क्लास में बैठने के लिये मजबूर किया गया जबकि मैंने 'जे' क्लास का भाड़ा दिया हुआ था मैं पिछले चार महीने से इस अन्याय के विरुद्ध लड़ रहा हूं। जो मेरे साथ किया गया। वह उन लोगों को बचाने का प्रयत्न कर रहे है जिन्होंने मेरा टिकट टोरोन्टो में री-रूट किया था। एयर इण्डिया के प्रबन्ध निदेशक से लेकर दिल्ली में आरक्षण अधिकारी तक सभी कर्मचारी उन्हें बचाने का प्रयत्न कर रहे है। मैं केवल कल मंत्री महोदय से

मिला। मंत्री महोदय ने एयर इन्डिया के अधिकारियों को बुलाकर कहा कि या तो वे मेरे पैसे वापस कर दें अन्यथा वह उनको एजेन्सी 26 कर देंगे। अब वे कार्यवाही कर रहे हैं। यह स्थिति है।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या आपके साथ ऐसा उपवादी होने के कारण किया गया ?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : नहीं एक संसद सदस्य होने के कारण। और आप कह रहे हैं कि "एयर इंडिया अच्छा काम कर रही है। (व्यवधान)

श्री बिपिन पाल दास : आपने कहा था कि एयर इन्डिया की सेवा विश्व में सबसे खराब है।" मैंने इस पर आपत्ति की थी।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : एशिया में सबसे खराब। एयर इंडिया में लंदन में ब्रिटिश एयरवेज को ठेके अपनी पूरी सेवा पर दे दी है। एयर इन्डिया, न्यूयार्क, वाशिंगटन तथा अन्य स्थानों पर अपनी तमाम सेवायें जैसे बुकिंग, सामान की देखभाल आदि ब्रिटिश एयरवेज को देने जा रहा है। अब स्थिति यह है कि प्रतीक्षा सूची को कम करने के लिये, ब्रिटिश एयरवेज कुछ स्थान एयर इन्डिया को देता है तथा ब्रिटिश एयरवेज भी बाकी के स्थान भर जाते हैं।

दूसरे, एयर इन्डिया का एक विमान बम्बई से लंदन केवल एक यात्री को लेकर गया और वही जहाज आठ यात्रियों को वापस लेकर आया। मैं आपके माध्यम से लोक सभा में अपने मित्रों को सुझाव देता हूं कि हमें इस सदन में एयर इंडिया के पारलाए, व्यवहार और कार्यपालन के बारे में कम-से-कम दो घन्टे चर्चा करनी चाहिए। मैंने यह न्याय केवल अपने लिए प्राप्त किया था।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : उस एक यात्री के अलावा शेष जहाज में लदा माल था।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैंने धमकी दी थी कि मैं एअर इण्डिया के कार्यालय के बाहर धरने दे दूंगा। तब माननीय मन्त्री महोदय ने मेरी मदद की और वे लोग सीधे रास्ते पर आए। कोई आम आदमी उनसे न्याय या अच्छे व्यवहार की उम्मीद कैसे कर सकता है? कोई कैसे ऐसी आशा कर सकता है। मुझे एअर इण्डिया के व्यवहार और उसकी कार्यप्रणाली पर आपत्ति है। अन्यथा राष्ट्र के लिए हमें सरकार की इस कार्यवाही का समर्थन करना चाहिए क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए तथा हमारे एयर लाइन्स के कार्यपालन में सुधार के लिए किया जा रहा है। मैं कुछ आपत्तियों के साथ इसका समर्थन करता हूं। एअर इण्डिया और इण्डियन एअर लाइन्स के बारे में मेरे अपने विचार है।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : मैं, यह संशोधन विधेयक पुरस्थापित करने के लिए सम्बन्धित मन्त्री, और प्रधान मन्त्री का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यह विधेयक सही समय पर प्रस्तुत किया गया है और बहुत ही युक्तिसंगत है। मैं, स्वनियोजित लोगों के बारे में केवल एक सुझाव देना चाहता हूं।

पांजा जी वकीलों की पीड़ा समझते हैं। जब आयकर में कटौती करने का प्रश्न आता है, तो वकीलों तथा विभिन्न व्यवसायों के अन्य स्वनियोजित लोगों का स्वास्थ्य चिकित्सा

आदि पर किए गए खर्च पर पूर्ण छूट नहीं मिलती। उन्हें इस पहलू पर विचार करना चाहिए। आखिरकार मैं एक स्व-नियोजित व्यक्ति हूं। मुझे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होता है। मुझे यह लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं चाहता—भारत में किसी भी स्व:नियोजित व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। बीमा है, किन्तु वह एक अलग कोष है।

जहां तक आय कर का सम्बन्ध है छूट सूची में कम से कम स्व;नियोजित लोगों को स्वास्थ्य पर किए गए खर्च पर कर से पूर्ण छूट दी जानी चाहिए निस्सन्देह, मैं वकीलों की पैरवी कर रहा हूं और मुझे आशा है कि पांजा जी हमारी पीड़ा समझेंगे। इस पर विचार किया जाना चाहिए और भविष्य में कोई संशोधन लाया जाना चाहिए।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : यह केवल वकीलों की बात कर रहे हैं।

श्री आशुतोष लाहा : नहीं। मैंने सभी स्वनियोजित लोगों के लिए कहा है। जब मैंने स्व-लिए अधिक आग्रह कर रहा हूं। इसका नियोजित लोगों के लिए कहा, तो मैंने वकीलों के लिए विशेष रूप से कहा। केवल मैं वकीलों के पक्ष यह नहीं है कि मैं दूसरे स्वनियोजित लोगों का समर्थन नहीं कर रहा हूं।

श्री अजित कुमार साहा : वे अपनी आय छिपाते हैं। वकीलों के साथ यही समस्या है।

श्री आशुतोष लाहा : मैं नहीं समझता कि वह स्व-नियोजित लोगों की परिस्थितियों से भली भान्ति वाकिफ हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। किन्तु अपवाद नियम नहीं होते।

मेरा यह अनुरोध है अपनी बात को समाप्त करने से पहले, इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं मैं मंत्री और प्रधानमन्त्री को पुनः बधाई देता हूं कि उन्होंने मानवता की भलाई के लिए आरमीनिया में आए भूकम्प से तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को कुछ राहत देने के लिए तथा इस प्रयोजन के लिए खोले गये कोष में दान देने पर आयकर में शत प्रतिशत छूट देने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है.

श्री ए. के. पांजा : जब मैं यह विधेयक प्रस्तुत किया था, तो मैंने यह सोचा था कि इसका क्षेत्र सीमित है क्योंकि केवल धारा 80-छ, और धारा 10 के विशेष प्रयोजनार्थ यह अध्यादेश पारित किया गया था और अब इस अध्यादेश को अधिनियम बनाने के लिए इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है.

आज के संशोधन के लिए बहस के क्षेत्र को सीमित करते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा है कि यदि देश के भीतर किसी अन्य विनाश के लिए दान किया जाए तो क्या उस पर कोई छूट दी जाती है। जी, हां। उस पर छूट दी जाती है परन्तु उस दशा में यदि यह अंशदान धारा-80-छ की उप-धारा (2) के उपखण्ड (iii क) के अन्तर्गत "प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय राहत कोष" में किया जाता है। कृपया "राष्ट्रीय राहत कोष शब्दों पर ध्यान दें भगवान न करें यदि कोई विनाश लीला होती है—जैसी कि बिहार में हुई थी, तो प्रधान मन्त्री के राष्ट्रीय राहत कोष में इस प्रयोजन के लिए या राहत कोष की परिधि में आने वाली किसी अन्य प्रयोजन के लिए दिए गए अंशदान पर शत प्रतिशत छूट मिलती है।

4.00 म.प.

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

चूंकि ये शब्द है "राष्ट्रीय राहत कोष"। अतः जब आरमीनिया में भूकम्प आया तो हमें शान्ति और युद्ध में मित्र सोवियत संघ के लोगों की सहायता करनी थी, इसलिए तुरन्त अध्यादेश पारित किया गया। उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए 42 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व···जो 3 अप्रैल को समाप्त हो रही है—हम इस संशोधन पर मंजूरी लेने के लिए माननीय सदस्यों के समक्ष आए हैं। चूंकि यह राष्ट्रीय राहत कोष था, इसलिए हम इसमें आरमीनिया को शामिल नहीं कर सकते थे। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा यदि यह अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राहत कोष होता तो इस संशोधन की कोई जरूरत नहीं थी। चूंकि हमने एक अध्यादेश के द्वारा यह संशोधन किया था और सदन सत्र में नहीं था, इसलिए हम इस प्रकार प्रकार के सभी विनाशों के लिए सभी ऐसे कोषों को यह छूट देने के लिए सर्वग्राही शक्ति प्राप्त नहीं करना चाहते थे। मैं कुछ सदस्यों की इस दलील से सहमत हूं कि भारत से बाहर जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके लिए अलग कोष बनाया जाएगा और प्रयोजन समाप्त होने पर कोष समाप्त कर दिया जाएगा। अतः क्या इसके लिए आप बार बार संशोधन संसद में लाएगे। भारत के बाहर जब फिर कोई विनाश लीला होगी तो आप फिर क्या नया संशोधन लाएंगे इस दलील में हम है। हम यह संशोधन एक अध्यादेश के द्वारा कर रहे थे इसलिए हम उस समय जरूरत से अधिक शक्तियां नहीं लेना चाहते थे और इसीलिए इसका क्षेत्र प्रधानमन्त्री आरमीनिया भूकम्प राहत कोष तक ही सीमित रखा गया जिसका प्रयोजन केवल भूकम्प राहत कोष है।

माननीय सदस्यों द्वारा एक अन्य मुद्दा यह उठाया गया है कि क्या मुख्यमन्त्री जहां वे ऐसा कर रहे हैं ऐसी राहत पाने के अधिकारी हैं? एक प्रावधान है। कृपया धारा 10 के खंड (23 ग) के उपखंड (4) के साथ पठित धारा 80 छ देखिए, यदि इस धारा के तहत ऐसी किसी संस्था को छूट दिए जाने की घोषणा की जाती है तो उसे 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। यदि कोई राशि मुख्यमन्त्री राहत कोष में दी जाती है और यदि उस राशि के लिए आवेदित किया गया है और हमने इस छूट की स्वीकृति दे दी है तो उस कोष में अंशदान देने वाला व्यक्ति तुरन्त 50 प्रतिशत छूट का हकदार हो जाता है।

अतः जहां तक मुख्यमन्त्री राहत कोष का सम्बन्ध है, आप कृपया राज्य से पता कीजिए और यदि ऐसा करना बहुत जरूरी समझा जाए तो कृपया मुझे बताइए क्योंकि यह कोष किसी ऐसी आपदा से निपटने के लिए बनाया जाता है जो हमारे नियन्त्रण या शक्ति से बाहर की बात है· माननीय सदस्य श्री बी. एस. राव ने एक मुद्दा उठाया था कि तापीय विद्युत केन्द्रों के कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए असराहनीय पुरस्कारों को आयकर अधिनियम की परिधि से बाहर रखा जाना चाहिए। पत्र मिलते ही उस पर विचार करने के लिए उसे वित्त मन्त्री जी के पास भेज दिया गया था इस मुद्दे को ध्यान में रख लिया गया है। मैं वित्त मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा।

वेतनभोगी लोगों को राहत देने के सम्बन्ध में एक मुद्दा उठाया गया था। निश्चय ही बजट पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर काफी तर्क-वितर्क हुआ। मेरे विचार से यहां उपस्थित विशेषज्ञों और वकीलों को यह जानकारी है कि वेतनभोगी लोग भी अपने कर भुगतान की अच्छी योजना बना

हैं और एक अच्छे वकील से सलाह ले सकते हैं किन्तु मैं श्री आशुतोष लाहा के इस अनुरोध से सहमत नहीं हूँ कि वकीलों को कुछ राहत दी जाए। निःसन्देह आरम्भिक वर्षों में या यूं कहिए कि पाँच वर्षों तक उन्हें कठिनाई होती है किन्तु हम जानते हैं कि वकीलों को, जो इस सभा के सदस्य भी हैं किसी राहत की आवश्यकता नहीं है बल्कि उन्हें तो दूसरों को राहत देनी चाहिए। 18000 रुपए आयकर में छूट की सीमा है। यदि उपलब्ध कटौतियों को ध्यान में रखकर सही योजना बनाई जाए तो हमें राहत मिल सकती है। मैं धारा 80 ग ग के बाद की धाराएं पढ़ रहा हूँ। एक वेतनभोगी बिना आय कर का भुगतान किए 1,03,000 रुपए सालाना कमा सकता है बशर्ते कि... (व्यवधान) मुझे यही बात कहनी है। आप अपने श्रमिकों को सही सलाह नहीं दे रहे हैं। श्रीमान सामन्त जी, जब श्रमिक संघ की निधि में अंशदान करते हैं तो उन्हें कानूनी सहायता भी दी जानी चाहिए। यदि उपयुक्त योजना बनाई जाए और धारा 80 ग ग के अन्तर्गत दी जाने वाले कटौतियों पर विचार करते हुए यदि पूंजी निवेश सही ढंग से किया जाए, तो उसे राहत मिलती है। धारा 80 ग ग में विस्तार से सब कुछ बताया गया है। आय-कर अधिनियम में कुछ और संशोधन किए गए हैं। यदि उन्हें सही मार्ग निर्देशन दिए जाए तो उन्हें राहत मिलती है। लेकिन उनका मार्ग दर्शन कौन करता है? उन्हें मार्ग दर्शन प्राप्त करने के लिए वकीलों को फीस देनी पड़ती है। अतः यह काम माननीय सदस्यों को करना चाहिए। यदि आप सचमुच वेतनभोगी के बारे में सोचते हैं, जैसा कि सरकार ने इस बारे में सोचा है, कि उन्हें यथासम्भव राहत दी जाए तो···

डा. दत्ता सामन्त : आप एक नोट जारी क्यों नहीं करते ?

श्री ए. के. पांजा : यह नोट जारी करने का प्रश्न नहीं है। सरकार सलाहकार का काम नहीं कर रही है। मैं केवल श्रमिकों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं निश्चित वेतनभोगियों की बात कर रहा हूं। वे बहुत मुश्किल में हैं। मैं यह महसूस कर सकता हूं। लेकिन ऐसे कई उपाय हैं जिनसे उन्हें राहत मिल सकती है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इससे उन्हें पूरा लाभ मिलेगा। मैं यह कह रहा हूं कि ऐसा प्रायः कहा जाता है कि 18,000 रुपये या इससे अधिक आय होने पर आपको आय-कर देना होता है। फिर भी आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि एक निश्चित राशि तक हमने इस यथासम्भव राहत दी है। कृपया इसको सराहना कीजिए। 7.7 लाख करदाताओं के नाम पंजीकृत किए गए हैं। अतः हम इस सूची को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि हम सर्वेक्षण के लिए जाते हैं, तो हमें राजनैतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है कि सर्वेक्षण क्यों कराया जाए। कुछ स्थानों पर तो हमारे अधिकारियों को मारा पीटा जाता है और धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, खोज कार्य नहीं। किसी का दरवाजा खटखटा कर पूछना कि क्या आपने कोई मकान खरीदा है या कोई व्यापार शुरू किया है या क्या आप आय-कर दाता है, या आप आय-कर देते हैं आदि—यह सब सर्वेक्षण कार्य है, खोज कार्य नहीं। हम जानते हैं कि इनसे समस्याएं पैदा हो रही हैं। लेकिन हमें लोगों तक धीरे-धीरे पहुंचना होगा। आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष हमने 3 लाख और करदाता बनाए हैं: इस वर्ष हम 31 मार्च के बाद ये आंकड़े एकत्रित कर पाएंगे। अतः सर्वेक्षण का क्षेत्र व्यापक होना चाहिए। यदि आप इस सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने पर विचार करें तो 9 लाख लोग तुरन्त इस सीमा में से निकल जाएंगे। अतः 77 लाख में से 9 लाख कर दाता एकदम कर से मुक्त हो जाएंगे। परन्तु वे उनकी अन्य मानक कटौतियों के हकदार होंगे जबकि अन्य व्यापारी लोगों ये कटौतियां नहीं मिलती मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को बता सकते है कि वे संसद द्वारा बनाए गए कानून का लाभ उठाए। यह कानून आपने लोगों के लिए पारित किया है। यदि

आप कानून को सही ढंग से समझ लें और मुझे विश्वास है कि आप इसे समझते हैं, तो वे लोग 1,03,000 रुपये तक कमा सकते हैं। निश्चय ही राष्ट्रीय बचत पत्र आदि में कुछ पूंजी निवेश तो करना ही होगा।

एक माननीय सदस्य ने यह तर्क दिया था कि ऐसे केवल 10 या 20 या 100 ही लोगों के नाम बनाए जाते हैं जिसकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है। हमारे रिकार्ड में कुछ और ही है। वर्ष 1986-87 के आंकड़ों के आधार पर ऐसे करदाताओं की संख्या इस समय 91,2^5 है जिनकी आय 1 लाख रुपए या इससे अधिक है। जिनकी आय 50,000 रुपए से अधिक है उनकी संख्या 7,02,635 है। अतः ये आंकड़े हैं। कृपया इन पर ध्यान दीजिए। एक और मुद्दा श्री दत्ता सामन्त ने उठाया था, और वह जो कुछ कह रहे थे, वह बिना समझे कह रहे थे (व्यवधान)

डा. दत्ता सामंत : किस क्षेत्र के लोग निवेश कर दे रहे हैं ? आपने उन्हें निर्यात, पूंजी निवेश आदि के लिए कितनी रियायतें दी हैं ? हम इस सभा में उस बारे में सुनते रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो हम उस बारे में चर्चा करा सकते हैं (व्यवधान)

श्री ए. के. पांजा : मैं तर्क वितर्क जारी नहीं रख सकता। (व्यवधान)

श्री दत्ता सामन्त ने काले धन के बारे में भाषण दिया था। मैं पिछले 1 वर्ष 3 महीनों से यहां हूँ। श्री दत्ता सामन्त ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि काला धन कहां है। उन्होंने ऐसा एक भी उदाहरण नहीं दिया है। वह कह सकते हैं, क्या यह मेरा काम है ? मैं संसद के सी.पी.आई. दल के सदस्य, श्री गुरुदास गुप्ता का आभारी हूं जिन्होंने यह काम किया और हमने एक सार्वजनिक समारोह में उन्हें सम्मानित किया है। यदि श्री दत्ता सामन्त का यह दावा करते हैं कि उन्हें इस धन के बारे में विशेष जानकारी है, तो वह बताएं कि काला धन किसके पास है और कहां है। हमने शपथ ली हुई रखते हैं। मैं उन्हें यहां पुरस्कार दूंगा। मुझे स्पष्ट प्रमाण दीजिए।

(व्यवधान)

डा. दत्ता सामन्त : किसी न किसी को जांच करनी होगी।

एक माननीय सदस्य : आप यहां पुरस्कार कैसे दे सकते हैं ?

श्री ए. के. पांजा : यदि अध्यक्ष महोदय अनुमति दें तो मैं पुरस्कार दे सकता हूं। हमें प्रमाण दीजिए। आप ने इस सभा में शपथ ली है। यदि आप हमें जानकारी देते हैं तो आपको तुरन्त पुरस्कार दिया जाएगा। मुझे एक उदाहरण दीजिए। मैं आपको पूरा एक महीने का समय देता हूं, जब तक कि संसद स्थगित नहीं होती। मुझे गुप्त रूप से जानकारी दीजिए। इसे पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। पुरस्कार मिलने तक हम आपका नाम गुप्त रखेंगे, जैसा कि हमने श्री गुरुदास गुप्ता के मामले में किया गया है (व्यवधान) आप उसे उन मजदूरों में बांट दीजिए जिनके मामले की आप पैरवी कर रहे हैं।

यह कहा गया था कि कुछ भी नहीं किया जा रहा है। मैं कुछ आंकड़े दे सकता हूं यद्यपि आंकड़े इस मामले से सम्बन्धित नहीं हैं। इस पर तर्क किया गया है इसलिए मुझे उत्तर देना पड़ेगा मैं तुलनात्मक आंकड़े दे रहा हूं। मैं 1985 और 1986 के आंकड़े पेश नहीं कर रहा हूं। ये आंकड़े 1.2.1987 से 31.1.88 और 31.1.88 से 31.1.89 अर्थात पिछले वर्ष और इस वर्ष के हैं।

सीमा-शुल्क राजस्व में 17.25 प्रतिशत वृद्धि हुई है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में 14.90 प्रतिशत और बरामद वस्तुओं से मूल्य में 72.34 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। आप काले धन की बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊंगा कि हम छापे में बरामद वस्तुओं का औसत मूल्य क्या है। हम शब्दबाजी नहीं कर रहे हैं और न ही समाचार पत्रों में यह समाचार देने जा रहे हैं जैसा कि आपके एक मित्र किया करते थे वह हर बात को सब जगह फैला देते थे। (व्यवधान) यह आरोप लगाया गया था कि जब हम छानबीन करते हैं, किसी के घर जाकर पता लगाते हैं तो कुछ निर्दोष व्यक्तियों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए जांच और संतुलन की प्रणाली शुरू की है; हम विभिन्न स्रोतों से तीन बार जानकारी हासिल करने के बाद ही हमला बोलते हैं। हर छापे में बरामद वस्तुओं का औसत मूल्य बढ़ा है।

डा. दत्ता सामन्त : अनुपातिक तौर पर तस्करी में वृद्धि हुई है। हमारे देश में 7000 करोड़ रुपये का सोना तस्करी द्वारा लाया जा रहा है। आप तस्करी किये गये सोने के 10 प्रतिशत भाग को जब्त करने में भी असफल रहे हैं।

श्री ए. के. पांजा : यदि 7000 करोड़ रुपये मूल्य का सोना है तो कृपया आप मुझे एक करोड़ रुपये मूल्य के तस्करी के सोने के बारे में सूचना दीजिए।

सभापति महोदय : इस प्रकार कोई बातचीत नहीं की जाएगी। कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए। कृपया मंत्री महोदय के भाषण में विघ्न मत डालिए।

श्री ए. के. पांजा : मैं पकड़े गये सोने के बारे में आंकड़े प्रस्तुत करूंगा। गत वर्ष 63.43 करोड़ रुपये का सोना पकड़ा गया था और इस वर्ष 209 62 करोड़ रुपये का सोना पकड़ा गया है। इसका अर्थ यह है कि इसमें 230.47 प्रतिशत वृद्धि हुई है। गत वर्ष गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या 2430 थी और इस वर्ष जनवरी तक यह संख्या 3224 हो गई जिसका अर्थ यह है कि इसमें 32.67 प्रतिशत वृद्धि हुई है। काफिपोसा कानून के अन्तर्गत गत 858 अपराधियों को तथा इस वर्ष जनवरी तक 1518 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। इस प्रकार इसमें 76.92 प्रतिशत वृद्धि हुई है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जब्त की गई परि सम्पत्तियों के मूल्य में 39 5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आय कर के बारे में भी प्रति अभिग्रहण में वृद्धि हुई है, गत वर्ष यह 153000 था और इस वर्ष आंकड़े 21,8000 हैं जिसका अभिप्राय यह है कि इसमें 42.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। गत वर्ष 5379 लोगों पर अभियोग चलाया गया था जबकि इस वर्ष 7586 व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया है। अभियोग में 41 प्रतिशत वृद्धि हुई है। निगमित कर की वसूली में 4.1 प्रतिशत और आयकर की वसूली में 19.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

डा. दत्ता सामंत : आपने निगम क्षेत्र को कितनी सहायता दी है और आपने कितना कर एकत्रित किया है?

श्री ए. के. पांजा : इस बारे में डा दत्ता सामन्त को विशेष जानकारी है और मैं उसमें सुधार नहीं कर सकता।

अत: महोदय, इन आधारों पर लगाये गये आरोप झूठे हैं।

दूसरा मुद्दा वायुयान के बारे में है। आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्य ने यह ठीक ही उल्लेख किया है कि वायुयान भली प्रकार कार्य नहीं कर रहे हैं और उनमें से बहुत से विमान खराब पड़े हैं। इस कारण मुझे स्वयं देरी हुई है। सम्भवतः इसके कारण हम सभी को परेशानी हुई है। इसीलिए हमने लीज करार का विकल्प रखा है। परन्तु जब हम विदेशी सरकार के साथ लीज करार कर रहें हैं तो वे आय कर औपचारिकताओं की जांच करना नहीं चाहते। लीज करार में स्रोत पर कटौती की मांग की गई ताकि हम उन्हें जल्दी प्राप्त कर सके। आप यह पूछ सकते हैं कि हम विमान क्यों नहीं खरीदते। इसका उत्तर बहुत सरल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उस धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए करना चाहते हैं। इसीलिए लीज करार करने का प्रयत्न किया गया था।

अतः मुझे विश्वास है कि सभी शंकाओं को दूर कर दिया गया है और मैं माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट करने में सफल रहा हूं। मुझे आशा है कि इस बात को माननीय सदस्यों का एकमत समर्थन मिलेगा। मैं कुमारी ममता बनर्जी की इस बात से सहमत हूं कि जहां तक आर्मेनिया का सम्बन्ध है इस कार्यवाही के बारे में सदन को सर्व सम्मति से कार्य करना चाहिए। यह हमारा मित्र देश है और हम उस देश के प्रति मित्रता का भाव दर्शा रहे हैं। हमारा इतिहास यह दर्शाता है कि हमने उन लोगों की सहायता करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। अतः मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सर्व सम्मति से इसका समर्थन करेंगे।

[हिन्दी]

श्री सी. जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, बिहार में जो भूकम्प आया था, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है।

[अनुवाद]

श्री ए. के. पांजा : जहां तक बिहार का सम्बन्ध है इस बारे में पहले ही एक प्रावधान है। हम यहां उस धारा में संशोधन करने के लिए हैं। कोई भी व्यक्ति प्रधान मंत्री के राहत कोष में अपना योगदान दे सकता है, इसे आयकर के शत प्रतिशत छूट दी गई है। अतः किसी नये संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

डा. दत्ता सामंत : आपने इस बारे में क्या विशेष प्रयास किया है।

श्री ए. के. पांजा : जो मंत्री महोदय राहत कार्य की देखभाल कर रहे हैं वे इस बारे में बतायेंगे। श्री जंगा रेड्डी ने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है आपने नहीं। मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। मैं समझता हूँ कि केन्द्रीय सरकार ने राहत के लिए आज तक 16,87,50,000 रुपये की राशि पहले ही दे दी है। परन्तु मैं इस बारे में आपको बिलकुल सही आंकड़े नहीं दे सकता। मेरे विभाग से मुझे जो भी आंकड़े प्राप्त हुए थे उन्हें मैंने आपके लिए प्रस्तुत कर दिया है। राज्य की मार्जिन धनराशि 3,37,50,000 रुपये है और उसमें से ही खर्चा पूरा किया जाना है। श्री जंगा रेड्डी और विरोधी पक्ष के कुछ अन्य सदस्यों ने भी बिहार के बारे में उल्लेख किया है। यदि वहां कोई विशेष कार्य किया जाना है तो उसके लिए सम्बन्धित मंत्री महोदय से सम्पर्क किया जा सकता है जो कि राहत कार्य के प्रभारी है और वे आपको इस बारे में अन्य आंकड़े दे सकेंगे। परन्तु मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक वित्त विभाग का सम्बन्ध है, बिहार को राहत देने के लिए जब भी कोई फाइल आई है तो हमने अतिशीघ्रता से उसे मंजूरी दी है।

श्री सी. जंगा रेड्डी : आपने बिहार के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की है जिसके लिए आप कर में छूट दे रहे हैं ?

श्री ए. के. पांजा : यह कहना सम्भव नहीं है।

सभापति महोदय : श्री जंगा रेड्डी क्या आप यह चाहते हैं कि आपके सांविधिक संकल्प पर चर्चा का उत्तर दिया जाए ?

[हिन्दी]

श्री सी. जंगा रेड्डी : मैं यही बताना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो कुछ वहां के लोगों के लोगों के लिए किया, ठीक किया। रूस के साथ हमारे रिलेशन्स अच्छे हैं और वहां के भूकम्प पीड़ितों के लिए जो कुछ किया, वह ठीक है और मैंने उस वक्त भी बधाई दी थी लेकिन मुझे दु:ख इस बात का है कि हमारे देश में जो भूकम्प आया, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा और उससे पीड़ित लोगों के लिए कभी कुछ नहीं कहा।

मेरी दूसरी विनती यह है कि विमान जो आपने किराए पर लिया, तो किराए पर लेते वक्त एग्रीमेंट में टैक्स एगजम्पशन की बात क्यों नहीं की। अगर इसको करना था, तो उसी वक्त करना चाहिए था। विमान लीज पर लेने के बाद, किराये पर लेने के बाद, जो किराया दिया जा रहा है दूसरे देश वालों को, उस वक्त आपने एगजम्पशन दिया। इसलिए हम इसका विरोध करना चाहते हैं। पहले ही आपके एनाऊन्समेंट में किराये पर लेते वक्त किराया देने वाले को इन्कम टैक्स का एगजम्पशन मिलेगा, इस प्रकार की कोशिश क्यों नहीं की गई, इस बात को क्यों डेक्लेयर नहीं किया गया। बस यही हम जानना चाहते है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जंगा रेड्डी, क्या आप अपने संकल्प पर जोर देना चाहते है अथवा क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं ?

श्री सी. जंगा रेड्डी : मैं न तो इस पर बल देना चाहता हूं और न ही इसे वापस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं सांविधिक संकल्प सदन मैं मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

> कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1989 को प्रख्यापित आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि आय-कर अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

"खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।"

श्री ए. के. पांजा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

4-25 म.प.

दिल्ली नगर-पालिका विधि (संशोधन) विधेयक

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 और पंजाब नगरपालिका अधिनियम 1911 में जैसा कि वह नई दिल्ली में प्रवृत्त है, और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

महोदय, दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम 1988 एक दिसम्बर 1988 से लागू हुआ था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा मानक किराये के अनुपात में परिवर्तन होने से दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा सम्पत्ति कर निर्धारण के मामले प्रभावित हुए हैं क्योंकि सम्पत्ति की करयोग्य उपयोगिता का सम्बन्ध दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन मानक किराए की अवधारणा से जुड़ा हुआ है। संशोधन अधिनियम द्वारा लाये गये प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार हैं। -(क) 3500 रुपये प्रति माह अथवा उससे अधिक किराए वाले भवन इस किराया

नियंत्रण अधिनियम के अंतराधिकार से बाहर हैं, (ख) एक दिसम्बर 1988 के बाद निर्मित परिसम्पत्तियों प्रथम दस वर्षों के लिए मानक किराये के लिए मूल्यांकन योग्य नहीं होंगी, (ग) निर्माण लागत इत्यादि के अनुपात के विभिन्न श्रेणियों को परिसम्पत्तियों पर मानक किराए का लागू दर को बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। और (घ) एक उपबन्ध यह बनाया गया है कि प्रत्येक तीन वर्षों के बाद मानक किराए अथवा (जहां कोई मानक किराया निर्धारित नहीं है) मकान मालिक और किराएदार के बीच सहमति से निर्धारित किसी भी किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 में किए गए उपरोक्त परिवर्तनों जिन्हें एक दिसम्बर, 1988 से लागू किया गया के परिणामस्वरूप दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को एक दिसम्बर 1988 से लेकर 31 दिसम्बर 1989 तक के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 126 की उपधारा (1) के अतंर्गत सम्पत्ति कर की निर्धारण सूचि में संशोधन करते हैं। परिणामस्वरूप आयुक्त महोदय को उसी वित्त वर्ष अथात 31 मार्च 1989 से पहले निर्धारण सूचियों में संशोधन करने के लिए नोटिस जारी करते हैं। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सी परिसम्पत्तियों में, लगभग 5 लाख परिसम्पत्तियों में पुन कर निर्धारित किया जाना है और सम्पत्ति के मालिकों को नोटिस जारी करने के लिए समय बहुत कम रह जाता है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए आयुक्त महोदय के लिए यह संभव नहीं है कि वे सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करवा ले, दस्तावेजों की जांच करवा कर 31 मार्च 1989 से पहले प्रस्तावित कर निर्धारण संशोधन के बारे में नोटिस जारी कर सकें। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन किया जाए ताकि कर निर्धारण और पुनर्निर्धारण के लिए पर्याप्त समय की व्यवस्था की जा सके।

वर्तमान समय में एक बार निगम द्वारा आरंभ किए जाने के बाद निर्धारण सूचि को अंतिम रूप देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। उस प्रकार के एक लाख से भी अधिक मामले निगम के पास लम्बित पड़े हैं। यह प्रस्ताव किया गया है कि वर्तमान समय में लम्बित पड़े पुराने मामलों को अंतिम रूप देने के लिए तीन वर्ष को समय सीमा निर्धारित की जाए। भावी मामलों के संबंध में इसी प्रकार की समय सीमा लागू करने का भी प्रस्ताव है। माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि यह प्रस्ताव करदाता को राहत देने के लिए हैं।

इसी प्रकार दिल्ली में लागू पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 के संशोधन का प्रस्ताव है ताकि नई दिल्ली नगर पालिका 1-4-1988 1-4-89 और 1-4-1990 को आरंभ होने वाले वित्तीय वर्षों की कर निर्धारण सूचियों के संशोधन के लिए पहली अप्रैल, 1991 से पूर्व नोटिस जारी किए जा सकें। इन सूचियों को अंतिम रूप देने को समय सीमा नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में भी लागू की गई है।

दिल्ली महानगर परिषद ने विचार के बाद इसी प्रकार का कानून बनाए जाने की सिफारिश की है।

यह एक संशोधन विधेयक है जो दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1988 के परिणाम स्वरूप आया है।

मैं इस विधेयक को सभा में विचार तथा स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और पंजाब नगरपालिका का अधिनियम, 1911 में जैसाकि वह नई दिल्ली में प्रवृत्त है, और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री के. रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : सभापति महोदय दिल्ली नगरपालिका विधि(संशोधन) विधेयक द्वारा सरकार का दो अलग-अलग अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। एक है दिल्ली नगर निगम अधिनियम और दूसरा है पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 जो नई दिल्ली में लागू है।

पहले अधिनियम अर्थात दिल्ली नगर निगम अधिनियम में सरकार धारा 126 में एक नया उपबंध जोड़ना चाहती है और दूसरे अधिनियम, पंजाब नगरपालिका अधिनियम 1911, में सरकार धारा 67 के पश्चात 67(क) के रूप में एक नया उपबंध जोड़ना चाहती है।

ये दो अधिनियम लागू हैं। गत वर्ष किराया नियंत्रण अधिनियम दिल्ली में भी लागू किया गया है। यह 1-12-1988 को लागू हुआ इसीलिए इस संशोधन अधिनियम को लागू करने के पश्चात् सम्पत्ति कर में संशोधन करने की आवश्यकता हुई। सम्पत्तियां अनेक प्रकार की हैं। इनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1981-82 में यह लगभग 84 हजार थी, और 1986-87 तक इनकी संख्या दो लाख से भी अधिक हो गई है। मंत्री महोदय ने अब हमें बताया है कि ऐसी 5 लाख सम्पत्तियां हैं जिनके करों में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। अर्थात 5 लाख मूल्यांकनों की समीक्षा करनी होगी और उन लोगों को नोटिस देने हैं। नई निर्धारण सूचियां तैयार करनी होंगी क्योंकि जब वे देय कर में वृद्धि करना चाहते या घटाना चाहते हैं तो उन्हें सम्पत्ति के स्वामियों को नोटिस देने होते हैं। मैं सरकार के इस भारी काम को समझ सकता हूँ। उन्हें पांच लाख से अधिक लोगों से निपटना है और उनके लिए यह काम या चार महीने के अन्दर करना संभव नहीं होगा। इसी लिए यह विधेयक लाया गया है। यह एक ऐसा विधेयक है जिसका सम्बन्ध करों में वृद्धि से और करों के निर्धारण से है। अन्य सभी पहलुओं के संबंध में एक व्यापक विधेयक लाने के बदले वे केवल कर बढ़ाना चाहते थे मैंने विधेयक छः बार पढ़ा है परन्तु मैं नहीं समझ पाया कि क्या यह विधेयक करदाताओं के हित में है या इसके खिलाफ है; और क्या नगर निगम को इससे अधिक राजस्व प्राप्त होगा ? विधेयक का प्रारूप इसी प्रकार बनाया गया है कि इसके उपबंध स्पष्ट नहीं हैं।

जहां तक करों में वृद्धि का संबंध है, मैं समझता हूं कि सरकार को यह विधेयक खण्डशः नहीं लाना चाहिए था। कर निर्धारण के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं। आपको देखना चाहिए कि क्या वर्तमान कर्मचारी सर्वेक्षण और निर्धारण के लिए पर्याप्त हैं; और क्या वे यह काम इतने थोड़े समय में कर सकेंगे। यह काम नगर निगम पर छोड़ दिया गया है।

नगरपालिका के अधिकारी जो कुछ भी देते हैं नगर निगम उसको स्वीकार कर लेता है। हमने ऐसे अनेक मामलों के संबंध में सुना है जिनमें नगरपालिका के अधिकारियों और करदाताओं

के बीच साठ-गांठ रही है। और इस साठ-गांठ के कारण नगरपालिका को बहुत सी करराशि से से वंचित किया जाता रहा है। मैं नहीं जानता कि सरकार व्यापक विधेयक लाने के बदले क्यों यह विधेयक खंडित रूप में लाती है। सरकार को कुछ ऐसे विधेयक तथा मानदण्ड लाने चाहिए जिन पर कर लगाना अथवा इसका निर्धारण करना है। जब तक आप ऐसे विनिमय नहीं लाते हैं, मुझे लगता है कि उस समय तक आप करदाता के साथ किसी प्रकार का न्याय कर सकते हैं और इस समय प्रचलित अनियमितताओं को कम कर सकती हैं।

लगभग तीन या चार वर्ष पूर्व श्री चिदम्बरम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने करों के संशोधन तथा मूल्यांकन के संबंध में कुछ सिफारिशें की थीं। किन्तु उन सिफारिशों को पिछले 3 या 4 वर्षों से लम्बित रखा गया है और सरकार ने सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की है। अब भी मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस समय प्रचलित कदाचार को कम करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाये। 20 लाख रुपये 30 लाख रुपये, 40 लाख रुपये की संपत्तियां अन्तंग्रस्त हैं। इन लोगों को अधिक भुगतान करना होगा। स्वाभाविक है कि संपत्ति के स्वामियों द्वारा किसी न किसी ढंग से नगरपालिका के अधिनियमों के साथ सौदा पटाना पड़ता है और कर कम कर दिया जाता है। जो लोग इस प्रकार के काम नहीं कर सकते, उन्हें अधिक कर देना पड़ता है। अर्थात आप उन्हें नगरपालिका अधिकारियों की दया पर छोड़ते हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाएं ताकि यह सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो और नगरपालिका अधिकारियों का सामना अधिकार छीन लिया जाए।

दिल्ली में एक और बात प्रचलित है। तीस या चालीस वर्ष के दौरान संपत्ति के स्वामी बदल गए होंगे। अब उसको 1000 रुपये मामूली सा किराया मिलता हो और इन तीस या चालीस वर्ष के दौरान संपत्ति के अनेक स्वामी बदल गए होंगे। 5 लाख रुपये की संपत्ति के लिए 20 लाख रुपये या 30 लाख रुपये "पगड़ी" दी जाती है। अर्थात "पगड़ी" अधिक है। इमारत के स्वामी को कुछ भी नहीं मिलता है। उसको अधिक किराया नहीं मिलता है। उसको केवल 1000 रुपये ही मिलते हैं जो वह 30-40 वर्ष पूर्व ले रहा है। इसमें 5 या 10 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। किन्तु जिस व्यक्ति ने मकान किराये पर लिया था वह उसे किसी और व्यक्ति को दे देता है और इसी संपत्ति के द्वारा लाखों रुपये कमाता है। आप इस व्यक्ति के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं ? आप कोई ऐसा अधिनियम लाइए जिससे यह प्रथा समाप्त हो जाए। यदि कोई व्यक्ति है तो आप देखिए कि वह उस इमारत को खाली कर दे। वह इमारत स्वतः ही स्वामी के अधिकार में आनी चाहिये ताकि वह इसको किराये पर दे सके। यदि ऐसा किया जाय तो स्वामी अधिकार कर दे सकता है। मैं नहीं जानता कि दिल्ली में किराये की मात्रा अथवा पूंजीगत मूल्य के आधार पर कर लिया जाता है। आपको इसे पूंजीगत मूल्य पर कर लेना चाहिये तब कर की दर बढ़ जाएगी। यदि यह किराये की मात्रा पर है, तो स्वामी को बहुत ही कम किराया मिलेगा। अतः नगरपालिका को हानि होती है। इस प्रथा को समाप्त किया जाये।

अनेक मामले लम्बित भी तो पड़े हुए हैं। लगभग दो-तीन लाख मामले लंबित पड़े हुए हैं। नगरपालिका इन मामलों को इतनी जल्दी नहीं निपटा सकती है। अतः दो-तीन वर्ष के लिए राजस्व की हानि होगी। विधेयक में लिखा है कि इन मामलों को तीन वर्ष के अन्दर-अन्दर निपटाया जाना चाहिए। यह एक अच्छा संशोधन है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

जहां तक इन पांच हजार मामलों में वसूली का संबंध है, क्या आप समझते हैं कि वर्तमान कर्मचारी इस काम के लिए पर्याप्त हैं ? क्या नगरपालिका इतने कम समय में इन मामलों को कर्मचारियों में वृद्धि किए बिना निपटा सकती है ? मैं नहीं समझता कि आप करदाताओं के साथ न्याय कर सकते हैं। ये मामले कई वर्ष तक लम्बित पड़े रहेंगे। फिर अंततः इस संशोधन से कुछ करदाताओं के मामले कई वर्ष तक लम्बित पड़े रहेंगे और यदि लम्बित तीन वर्ष से अधिक है तो बच भी सकते हैं। अतः मैं समझता हूं कि यह उपबन्ध एक प्रकार से नगरपालिका के लिए हानिकर है

जहां तक लम्बित मामलों का संबंध है आप नगरपालिका को अधिकार दे रहे हैं। क्या आप वास्तव में यह मानते हैं कि यह नगरपालिका प्राधिकरण इन सभी मामलों के साथ न्याय कर सकता है ? वे अन्तिम प्राधिकारी बनने जा रहे है। आप अपीलीय न्यायाधिकरण क्यों नहीं बनाते हैं ताकि इन लोगों को कर निर्धारण की राशि के संबंध में न्याय प्राप्त हो सके चाहे निर्धारण सही है या नहीं, अधिक है। आप न्यायाधिकरण क्यों नहीं बनाते हैं ? जब तक आप इन सभी बातों पर विचार नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि तब तक इस विधेयक से उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : सभापति जी, दिल्ली कारपोरेशन एक्ट में माननीय मन्त्री जी जो अमेंडमेंट लाए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं। इससे उन लोगों को कुछ राहत मिलेगी जिनके पास इन दिनों में हाऊस टैक्स के नोटिस गए हैं। जिन लोगों के पास पहले तीन-चार हजार रुपए के नोटिस जाते थे, वहां कई जगह पर एक-एक, दो-दो लाख रुपए के नोटिस गए हैं जिससे लोगों में बहुत बेचैनी हुई है और एक बहुत बड़ी कन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई है इसलिए आप यह अमेंडमेंट लाए हैं जिससे उनको कुछ राहत मिल सके या कारपोरेशन वाले जो फैसला करने जा रहे थे उसकी मियाद तीन साल के लिए बढ़ा दी जाए ताकि उनका फैसला अपील से हो जाए या कारपोरेशन वाले जो रिवाइज नोटिस देना चाहते थे, उसमें उनको समय मिल जाए। लेकिन परेशानी वहीं की वहीं है। परेशानी यह थी कि हाऊस टैक्स के नोटिस बढ़े हुए रेट से भेजे हैं। उसकी वह अपील करेंगे और अपील करके अगर वे कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले उनको पूरे हाऊस टैक्स का पैसा जमा करना पड़ेगा, उसके बाद अपील सुनी जायेगी। इससे वे तो नुकसान में ही रहे। आपने रेंट क्रंट्रोल एक्ट पास किया। रेंट कंट्रोल एक्ट पास करने से 3500 रुपए से ज्यादा की प्रापर्टी इससे बाहर हो गई और फिर एग्रीड रेंट के ऊपर उनको नोटिस चले गए। इस बिल से जहाँ आप सिर्फ कार्पोरेशन को एक पावर दे रहे हैं कि वह तीन साल तक और ज्यादा समय लेकर अपना फैसला कर सकेगी, इससे उन टैक्स पेयर को कोई फायदा नहीं हुआ। उनकी जान अभी भी इंस्पेक्टरों के हाथों में रहेगी जिन्होंने नोटिस भेजे हैं। मैं दिल्ली का व्यक्ति हूं, मैं दिल्ली नगर निगम की तारीफ करता हूं कि उन्होंने स्लम एरिया में रहने वाले और गरीबों के लिए अच्छा काम किया है। लेकिन यह ऐसी चीज है जिससे बहुत लोगों पर नाजायज दबाव पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से लड़ाई-झगड़ा करके कोर्ट में आर्डर आया कि कार्पोरेशन जो टैक्स लेती है, एग्रीड रेंट से टैक्स होगा वह पांच साल के लिए होगा उसके बाद वह स्टेंडर्ड रेंट पर आ जायेगा, उसके हिसाब से 7-8 प्रतिशत था। लेकिन अब वह एग्रीड रेंट होगा तो वह तीस प्रतिशत बंगे कमर्शियल प्रापर्टी पर और आक्युपाइड रेजिडेंशियल प्रापर्टी पर भी बढ़ जायेगा। यह जो उनकी परेशानी है इसको दूर करने के लिए आपको प्रावधान रखना चाहिए था ताकि उनकी दिक्कत दूर हो सके। सारी दिल्ली एक है,

लेकिन एम सी डी. 30 प्रतिशत रखता है और एन.डी.एम.सी. 12 प्रतिशत रखता है। कमर्शियल टैक्स तो दो कानून बनाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए यह प्रावधान किया जाये कि जो दो कानून हैं, अलग-अलग टैक्स हैं इनको एक होना चाहिए। अगर यह होता तो हमें बड़ी खुशी होती और हम आपकी तारीफ करते कि आपने दिल्ली वालों को कुछ राहत दी है। बहुत सारे केस कार्पोरेशन में पड़े हैं। पेज टू फोर ए में जो क्लाज है वह मैं नहीं समझ सकता हूं। इसका मतलब यह है कि 1988 से पहले के तीन साल के केस भी खोले जा सकते हैं।

[अनुवाद]

'( ) उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन—

(क) 1 अप्रैल 1988 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से पूर्व किसी वर्ष से सम्बन्धित निर्धारण सूची में, 31 मार्च, 1991 के पश्चात नहीं किया जाएगा;"

[हिन्दी]

इन तीन सालों के अन्दर वह 1988 के पहले तीन साल के भी केस खुल सकते हैं इस तरह से 6 साल मिल जायेंगे। जो रेंट कन्ट्रोल एक्ट आया था, उसके बाद बढ़े हुए नोटिस जा रहे हैं, उसको रोकना था लेकिन 1988 से पहले तीन साल के दे देंगे तो यह सबकी फाइलें खोल देंगे और इंस्पेक्टर राज हो जायेगा। इससे लोगों को वे परेशान करेंगे। आप सबसे पहले इसे रोकें। तीन-तीन लाख और पांच-पांच लाख के नोटिस गये हैं, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, लोग चीख-चिल्ला रहे हैं/मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसको बन्द करें। रेटेबल वैल्यू जो एक हजार तक के मकान पर होगी, उनको हाउस टैक्स से छूट दे दी थी। वह कम थी इसको आप बढ़ाकर पांच हजार रुपये तक की रिटेबल वैल्यू जिनकी है उनको भी एक्सम्प्ट कर दें। जिससे रि-सिटेलमैंट कालोनीज और नई कालोनीज में जो गरीब लोग रहते हैं, जहां 25 गज के मकान हैं उनको भी राहत मिले। जो लोग डिफाल्टर हैं, सालों तक पेमेंट नहीं करते या कोर्ट में चले जाते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। वह सालों तक कार्पोरेशन के पैसे का इस्तेमाल करते हैं और 10 साल बाद भी वही पैसा उनको देना पड़ता है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूं इसको और भी आप देखेंगे जो नयी कन्स्ट्रक्शन है, पुरानी दिल्ली में प्रापर्टी है उसको अनधिकृत मार्केट में कंवर्ट कर दिया गया है, आपके बिल्डिंग बाइलाज ऐसे हैं उनको प्रमोशन नहीं देते। यह बड़ी अजीब बात है कि एक सड़क पर एक चार मंजिला मकान है और दूसरा आदमी अगर चार मंजिला बनाना चाहता है तो उसे प्रमोशन नहीं मिलती है। यह कौन-सा कानून है। इसी तरह आपके यहां कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के केस पड़े हुए हैं। आदमी बिजली और पानी ले लेता है उसको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जो आपकी प्रमीशन सैकमप्लीशन सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो उसके ऊपर पैनल्टी क्लाज दिखाकर लाखों रुपया लगा देते हैं और उसका डेमोलिशन किया जाता है और उसे तंग किया जाता है। मैं चाहता हूं कि आप जो राहत देने वाले हैं वह राहत दें यह जो तीस प्रतिशत टैक्स है, यह बहुत ज्यादा है। रेंट कन्ट्रोल एक्ट से उनको राहत दी जानी चाहिए। मेट्रोपोलिटन कौंसिल ने जो कमेटी बनाई है उससे फायदा नहीं होगा यह आपके मन्त्रालय के स्तर की होनी चाहिए वरना जो एक्ट लाये हैं उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। जो आप फायदा देना चाहते हैं उसमें टैक्स पेयर को कोई फायदा नहीं है···इसका सारा फायदा टैक्स कलेक्टिंग बॉडी यानी दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन को है। वह तो पहले से ही पैसे वाली बॉडी है, आप दिल्ली

म्युनिसिपल कारपोरेशन को काफी पैसा देते रहते हैं, खर्च करने के लिए काफी पैसा देते हैं, कम से कम टैक्स पेयर्स की जान तो उनसे छुड़ाइये । बड़े आदमियों से आप लें, जिनके कोमर्शियल इस्टे-ब्लिशमेंटस हैं, जिनके 50-100 मार्केट हैं, उनसे आप पैसा इकट्ठा करें, उसमें किसी को ऐतराज नहीं हो सकता, लेकिन जो गरीब आदमी छोटे से मकान में रहता है, सैल्फ आक्यूपाइड मकान में रहता है, उसको तंग नहीं किया जाना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूं कि आप अच्छे प्रावधानों के साथ कोई नया एक्ट सदन में लायें और गरीब लोगों को कुछ राहत दिलायें ताकि दिल्ली वाले बच सकें और आप का नाम लें । धन्यवाद ।

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय, मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, और पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 में संशोधन करने वाले दिल्ली नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 का समर्थन करता हूं ।

विधेयक उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार "धारा 126 की उपधारा (1) के परन्तुक की दृष्टि से, आयुक्त से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसी वित्तीय वर्ष के भीतर, अर्थात 31 मार्च, 1989 से पहले निर्धारण का पुनरीक्षण करने के लिए सूचनाएं जारी करे।" यहां यह भी कहा गया है कि "यह आवश्यक समझा गया है कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में निर्धारण आरम्भ करने की प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय का उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए।"

माननीय मंत्री महोदय यह विधेयक बड़ी शीघ्रता से लाए हैं क्योंकि उन्हें यह विधेयक 31 मार्च, 1989 से पूर्व पारित करना है।

महोदय, पंजाब नगरपालिका अधिनियम 194 बहुत पुराना हो चुका है और यह भी अत्यंत पुराना अधिनियम है इसलिए इस अधिनियम पर विचार किया जाए। लेकिन इस छोटे से कानून से विधेयक लाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा । इसलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह एक व्यापक विधेयक लाएं ताकि सभी पहलुओं पर उचित प्रकार से विचार हो सके ।

महोदय, दिल्ली के गृह कर या सम्पत्ति कर के सम्बन्ध में समय की अवधि बढ़ाने के लिए इस विधेयक में संशोधन का प्रावधान है । मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन प्रश्न यह है : यह निर्धारण निश्चित करने के लिए वैज्ञानिक तरीका क्या है ? कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है । अभी मेरे मित्र ने कहा कि बड़े सम्पत्तियों के मालिक कर नहीं दे रहे और छोटे मकान मालिकों को अधिक कर देना पड़ता है । इस प्रकार इन करों के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है । अन्य शब्दों में, मैं कह सकता हूं कि दिल्ली से गृह कर या सम्पत्ति कर की राशि का निर्धारण करने के लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह नौकरशाहों पर निर्भर करता है। इस विभाग में ऊपर से निचले स्तर तक अत्यधिक भ्रष्टाचार है। इस विभाग के अधिकारी मकान मालिकों को नोटिस भेजते रहते हैं और मनमाने तरीके से सम्पत्ति कर बढ़ा देते हैं और इस कर को घटाने के लिए रिश्वत मांगते हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं एक मुद्दा दिल्ली में वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के बारे में उठाना चाहता हूं। यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि संघीय क्षेत्र दिल्ली के हर छोटे से मामले के लिए संसद को सदा ही अपना कीमती समय और संसाधन खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए दिल्ली को राज्य का दर्जा देना आवश्यक है ताकि ये सभी कार्य राज्य सरकार और राज्य की विधानसभा कर सके। दिल्ली के लोग दिल्ली को राज्य बनाने की मांग काफी लम्बे समय से करते रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस(ई) ने भी 1980 में अपने चुनाव घोषणापत्र में दिल्ली को राज्य का दर्जा देने का वायदा किया था। इसलिए मैं मांग करता हूं कि दिल्ली के लोगों की इस उचित और सही मांग को मान लिया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एन. टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री अग्रवाल ने अभी कहा है, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में संशोधन के बाद से जनवरी से लगातार तीन महीनों से दिल्ली के कर-दाताओं को परेशान किया जा रहा है। अब मुद्दा यह है कि मिली भगत को किस प्रकार रोका जाए। कर दाताओं को परेशानी से बचाया जाए।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली में सभी सम्पत्ति मालिक स्वयं दिल्लीवासी होने का दावा नहीं कर सकते क्योंकि वे देश के विभिन्न भागों से आते हैं, विशेषकर दिल्ली में सम्पत्ति मालिक सारे देश के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते है। एक ओर तो देश के दूर दराज के क्षेत्रों से सम्बन्धित हम लोग भी कर दाताओं की तकलीफें महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर, इस संशोधन के अभाव में दिल्ली प्रशासन कठिन स्थिति का सामना कर रहा है क्योंकि उन्हें यह कार्य करना है और हर बार निर्धारण नोटिस जारी करने पड़ते हैं। हर निर्धारण नोटिस के बाद यह नोट भेजा जा रहा है कि यह अन्तिम निर्धारण नहीं है। समय की अवधि की पालना करने के लिए उन्हें ये निर्धारण नोटिस 31 मार्च से पूर्व भेजने हैं। अब इस कठिनाई को इस संशोधन के माध्यम से दूर किया जा रहा है। नोटिस देने तथा मामलों को अन्तिम रूप देने के बारे में भी समय अवधि को एक वर्ष से बढ़ा कर तीन वर्ष कर दिया गया है इससे एक प्रकार से कर विभाग के अधिकारियों को राहत मिलेगी।

यह मुद्दा उठाया गया था कि क्या विद्यमान कर्मचारी इन आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ रहेंगे : इस बारे में भी विचार किया जाए। आयकर या बिक्री कर या सम्पत्ति कर विभाग आदि कोई भी कर विभाग स्वतंत्र नहीं हैं। वे चाहे दिल्ली में हो या किसी अन्य शहर में हों। इस प्रकार, कर विभाग एक तरफ तो दबाव से मुक्त नहीं है और दूसरी ओर वे इस आलोचना से भी मुक्त नहीं हैं कि वे सदैव कर दाताओं से मिली भगत करते हैं।

दिल्ली में कर दाताओं की तीन श्रेणियां हैं। अनेक सम्पत्ति मालिक सही व्यक्ति हैं एवं गरीब हैं और उन्हें सम्पत्ति-मालिक नहीं कहा जा सकता है और उनसे यह कर वसूल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी श्रेणी ऐसे लोगों की है जो बीच में हैं अर्थात् अत्यधिक अमीर लोगों की श्रेणी और अत्यधिक पीड़ित लोगों के बीच की श्रेणी। तीसरी श्रेणी अत्यधिक अमीर लोगों की है। जब हम इन विभिन्न स्तरों के कर दाताओं के मामलों का निर्णय करते हैं तो हमें अत्यधिक अमीर श्रेणी

के साथ सख्ती बरतनी चाहिए क्योंकि वे दबाव डालने और इनका प्रतिरोध करने तथा गड़बड़ करने की क्षमता रखते है। वे कर अधिकारियों और निरिक्षकों से मिलीभगत करते हैं। फिलहाल यह कार्य 400 से भी कम निरीक्षकों द्वारा किया जा रहा है। कर्मचारियों की संख्या में की जाने वाली वृद्धि सम्पत्ति मालिकों की संख्या में होने वाली वृद्धि तथा निर्धारण की जाने वाली सम्पत्ति की धनराशि में वृद्धि की तुलना में पर्याप्त नहीं है। स्थिति का सामना करने के लिए हमें यह देखना है कि विभाग उचित प्रकार से कार्य करे और हमें समय-समय पर यह भी देखना है कि वे कैसे कार्य करते हैं, कितनी ईमानदारी से करते हैं और कितनी कुशलता से कार्य करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक औसत कर दाता के लिए गड़बड़ी करना, मुकदमे-बाजी करना और इसे आगे खींचना आसान नहीं होगा। लेकिन जो कर नहीं देना चाहते, वे अदालतों, उच्च न्यायालय में आकर वकीलों को अधिक फीस देकर मुकदमों को लम्बा खींच सकते हैं। ऐसे ज्यादातर मामले उनके लिए लाभप्रद और सरकार के लिए अलाभकारी होंगे। लेकिन इस समय सरकार को राजस्व में वृद्धि करनी है। मुझे इस राशि का पक्का नहीं पता लेकिन संशोधित निर्धारणों के मुताबिक 35 करोड़ से 40 करोड़ रुपये के राजस्व की संभावना है। लेकिन यह संभावना तो कागजों में ही है क्योंकि कर दाताओं की अधिकांश संख्या दिल्ली में है जो मुकदमेबाजी कर सकते हैं और फिर अपीलें करके मामलों को लटकाए रखेंगे और यह सरकार के लिए नुकसानदायक होगा। सरकार तथा वास्तविक कर दाताओं को इस नुकसान से बचाने के लिए हमें संशोधन को थोड़ा और अधिक व्यापक एवं दूरदर्शी बनाना चाहिए। यह संशोधन तब आया है जबकि पहले वाली तालिका के अनुसार मुश्किल से दो दिन ही बचे हैं। पहले वाली तालिका के अनुसार निर्धारण की अन्तिम तारीख 3 मार्च है और इसे थोड़ा पहले भी लिया जा सकता था। इसके बाद पता नहीं संशोधित कानून के कार्यान्वयन में कोई सुधार होगा या नहीं। हम दिल्ली प्रशासन और इसकी देखरेख कर रहे केन्द्रीय मंत्रालय की निष्ठा और ईमानदारी पर संदेह नहीं कर सकते हैं। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि यह कराधान का मामला है और वह भी विशेष रूप से ऐसी सम्पत्ति पर कर वसूली से संबंधित हैं जो गरीबों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों से संबंधित नहीं है बल्कि उनसे संबंधित है जो इस कर को अदा कर सकते हैं। यह समाज में समान स्तर कायम करने का तरीका है। यदि देश में समाजवाद, न्याय और राम राज्य लाने के प्रति गंभीर हैं तो इसमें समय लगेगा, गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे कि राम राज्य का मतलब धन और समृद्धि का वितरण है। एक समुदाय के रूप में हम एक स्तर से दूसरे स्तर पर एकदम नहीं पहुंच सकते हैं। राम राज्य में न्याय का मतलब है कि जो कुछ उपलब्ध है, उसका उचित वितरण हो। यह थोड़ा या अधिक अथवा बहुत अधिक हो सकता है लेकिन समाज में किसी भी स्थिति में जो कुछ उपलब्ध है, उसका सही तरह से वितरण करना कराधान के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार, देश में समाजवाद लाने और समाज के निम्नतम वर्ग के लिए समृद्धि लाने के लिए भी हमारी अर्थव्यवस्था में कराधान अत्यधिक महत्व-पूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्रों में हरेक अमीर आदमी और थोड़ी बहुत सामर्थ्य वाले लोग भी शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं क्योंकि शहरी क्षेत्रों में कराधान बहुत अधिक है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कम है और वे शहरी सम्पत्ति और जमीन पर कर की अधिक दर का लाभ उठा रहे है। लोग शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं और समर्थ लोग अपने सम्बन्धियों के नाम से भवन तथा जमीन खरीद रहे हैं और वे अनेक बेनामी सौदे कर रहे हैं। वस्तुत: यह महत्वपूर्ण है कि इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, कर विभाग और दिल्ली प्रशासन को वास्तविक आवश्यकताओं पर गहराई से विचार करना चाहिए

क्योंकि हम इस दिए गए समय से ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहते जो कि एक वर्ष या तीन वर्ष है और फिर हमने समय को बढ़ा दिया है और हमने करों के निर्धारण के लिए कुछ दरें भी बढ़ा दी हैं।

5.00 म.प.

लेकिन हमें इसी से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इसके द्वारा वास्तव में समाज की आय को समान स्तर पर ला सकें। एक तो यह पहलू है। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि देश में अनेक शहरी क्षेत्र, अनेक नगरपालिका क्षेत्र और नगर निगम हैं। लेकिन उन्हें दिल्ली के बराबर स्थिति में नहीं समझा जाता है। दिल्ली की अति विशिष्ट स्थिति है। मैं सुझाव देता हूं कि इन नगरपालिका क्षेत्रों को भी यही शर्तें और राजस्व अर्जित करने के प्रावधान दिए जाएं ताकि वे शहरी सीमाबद्ध सम्पत्तियों से अर्जित इस राजस्व को समाज के विकास में लगाने में समर्थ हों। मैं ऐसी नगर निगमों के बारे में जानता हूं जहां पर सम्पत्ति और अन्य शहरी स्रोतों पर करों से प्राप्त राजस्व नगरपालिका निकायों को नहीं दिया जा रहा है। यदि वहां भी ऐसे ही ऐसे ही प्रावधान बना दिए जाएं तो मैं समझता हूं कि इसका सारे समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं, आज भारत को बड़े शहरों के माध्यम से ही देखा जाता है। बड़े शहरों में पहले तो दिल्ली है और दिल्ली के बाद कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे अन्य महानगर हैं। लेकिन सिर्फ ये शहर ही देश का प्रतिनिधित्व न करें। शहरों में जो होता है और जो आय होती है वह ग्रामीण क्षेत्रों के लाभ के लिए भी उपयोग की जाए। मैं समझता हूं कि इस कानून के अपने प्रभाव होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस कानून का स्वागत और समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर माननीय मंत्री महोदय उचित ध्यान देंगे।

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं दिल्ली नगरपालिका विधि (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। महोदय हम सभी को उम्मीद थी कि दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था के पुनर्गठन और दिल्ली को राज्य का दर्जा देने तथा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका जैसी अनेक सभी एजेन्सियों को मिलाकर एक करने के लिए सरकार एक विधेयक पेश करेगी। दिल्ली लोगों तथा इस सभा के अग्रवाल जैसे माननीय सदस्यों ने भी लगातार यह मांग की है कि एक संगठित एजेंसी हो ताकि दिल्ली में बेहतर नागरिक प्रशासन हो सके। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ है। मैं नहीं जानता कि सरकारिया आयोग क्या कर रहा है; क्या इसका कार्य पूरा हो गया है और इसका प्रतिवेदन कब तैयार होगा और सरकारिया आयोग की सिफारिशों को इस सभा के समक्ष कब रखा जाएगा। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने पहले भी कहा है, यह उचित समय है जबकि दिल्ली को राज्य का दर्जा दे दिया जाए। इस सम्मानित सभा, संसद जैसी राष्ट्रीय संस्था, द्वारा दिल्ली में नगरपालिकाओं से संबंधित नगरपालिका कानूनों पर चर्चा करना आवश्यक है। यह तो राज्य पर छोड़ दिया जाए और दिल्ली को राज्य बना दिया जाए। यह अत्यन्त आवश्यक है कि दिल्ली में शीघ्र ही एक राज्य विधान सभा हो। मैं समझता हूं कि अन्य सदस्यों की तरह कांग्रेसी सदस्यों की भी यही भावनाएं हैं।

महोदय, मैंने इस दिल्ली नगर निगम अधिनियम का अध्ययन किया है। एक भूतपूर्व मेयर की हैसियत से मैंने काफी आग्रह पूर्वक किया। दिल्ली नगर निगम अधिनियम अत्यधिक पुराना अधिनियम है। हमारे देश की राजधानी होने के कारण सारा देश इस दिल्ली शहर से नेतृत्व की अपेक्षा

करता है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम ऐसा आदर्श अधिनियम होना चाहिए कि अन्य निकाय इसका अनुसरण करें। इस कर संबंधी कार्यवाही पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने अधिनियम में देखा है कि अभी भी सम्पत्ति कर मे चार भाग हैं—एक तो जल कर है, दूसरा सफाई कर है, तीसरा अग्नि कर है और चौथा सामान्य कर है। यही उचित समय है कि इन सभी करों को एक ही कर में समाविष्ट किया जाए क्योंकि यदि अनेक कर होंगे तो प्रत्येक कर से अधिक भ्रष्टाचार के अवसर उत्पन्न होंगे क्योंकि कर-निर्धारण के लिए कोई सुव्यवस्थित प्रणाली नहीं है। इस संबंध में मैं बाद में बताऊंगा। मैं सुझाव देता हू कि यही उचित समय है जब सरकार को इस संबंध में विचार करना चाहिए। आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी करों को समामेलित करना चाहिए। क्या पानी के बिना कोई घर हो सकता है? पानी का शुल्क किसी और एजेंसी द्वारा लिया जा रहा है। क्या कोई मकान या इमारत सफाई सुविधा, शौचालय, डब्लू.सी. आदि के बिना हो सकता है? हर मकान में यह होने चाहिए और होंगे भी फिर, अग्नि कर भी है, जो अनिवार्य है। फिर, सामान्य कर भी है। मेरे विचार से इन सभी करों को मिला देना निगम के हित में और सम्पत्ति के स्वामियों दोनों के लिए आवश्यक है। बंगलौर में तो ऐसा ही है और यह प्रणाली अच्छे ढंग से चल रही है।

अब मैं कर निर्धारण के संबंध में कहता हूं। मैंने अधिनियम में देखा है—बंगलौर निगम में भी कर निर्धारण के संबंध में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यह बात अधिकारियों के स्वविवेक पर छोड़ दी गई है। यह अधिकारी कौन हैं? ये राजस्व निरीक्षक और निम्न संवर्ग के अधिकारी हैं। वे ही इसका कर निर्धारण करते हैं। अनेक मामलों में इनका कर-निर्धारण अन्तिम होगा क्योंकि सम्पत्ति स्वामी और अधिकारी के संबंधों के कारण सम्पत्ति का निर्धारण अत्यन्त कम दर पर आएगा। और वह स्वामी अपील नहीं करेगा। वह करेगा भी कैसे जबकि कर-निर्धारण करने वाले ने उसको इतनी राहत दी है? वह उसकी परवाह नहीं करता है। मैं आपको यह सुझाव दे रहा हूं कि आप ऐसा कोई पद्धति निकालिए जिसमें वैज्ञानिक आधार पर कर निर्धारण किया जाना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं देख रहा हूं, यह है कि जब कभी कर-निर्धारण किया जाता है तो व्यक्ति पार्टी को अयुक्त को अपील करने की अनुमति दी जाती है। कुछ मामलों में तो आयुक्त यह अधिकार किसी और को सौंप देता है। यह ठाक नहीं है। मैं यह सुझाव देता हूं कि आप एक अपील सीमित बनाइए जैसा कि हमारे बंगलौर में है। यह एक न्यायाधिकरण होना चाहिए और इसको किसी विशेष अधिकारी को नहीं दिया जाना चाहिए।

जहां तक कम कर-निर्धारण का सम्बन्ध है इस के लिए एक निगरानी समिति होनी चाहिए। एक छोटा दल होना चाहिए जिनका मुख्य कर्तव्य यह होना चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि क्या आवास कर का निर्धारण सही किया गया है या नहीं। ऐसा करने से ही कर-निर्धारण अधिकारियों में थोड़ा डर होगा और ऐसा करने से ही उनके द्वारा न्याय किए जाने की सम्भावना है।

(व्यवधान)

श्री के. एस. राव (मछली पट्टनम) : सरकारी या गैर-सरकारी।

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर : कर निर्धारण समिति अलग है। कर-निर्धारण में सौदेबाजी की बहुत संभावना है। मैं एक उदाहरण देता हूं सामान्यतः जब किराया लिया जाता है तो अधिकांश

मकान मालिक यदि 1,000 रु. लेते हैं तो वे 500 रुपये मकान किराये के तौर पर, 300 रुपये फर्नीचर लगवाने के खर्चे के तौर पर, 200 रुपये पानी के और अन्य फर्नीचर के खर्चे के तौर पर लेते हैं। इस प्रकार, वे सम्पत्ति कर का भुगतान करने से बच जाते हैं। यह सभी जगह हो रहा है। जब कोई किरायेदार निकलता है और दूसरा किराएदार आता है तो वे उस से "पगड़ी" ले लेते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। बहुत सारी राशि पेशगी ले लेते हैं और "पगड़ी" भी ले लेते हैं जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं होता। इसका कोई लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है। इस पर कर नहीं लगता है। जब वह "पगड़ी" बहुत अधिक लेते हैं तो किराया कम कर दिया जाता है और निगम की आमदनी में भी कमी होती है। मैं यह सुझाव देता हूं कि जब इस प्रकार की त्रुटियां हैं तो इन सभी बातों की ओर ध्यान देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति होनी चाहिए ताकि आप दिल्ली नगर निगम अधिनियम को एक ऐसा आदर्श बनाएं जिसका पालन अन्य निगम भी करें।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है मेरे विचार से इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। पांच लाख सम्पत्तियां सम्मिलित हैं, और एक मात्र शंका यह है कि क्या आपके पास इस काम को इन दो वर्ष में पूरा करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं ? निश्चय ही यह नगरपालिका को देखना है। यदि वे चाहें, वे अधिक कर्मचारियों की मांग कर सकते हैं। किन्तु उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह काम समय पर पूरा हो जाए।

अन्त में मैं पुनः एक बार इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि जहां तक दिल्ली का संबंध है, एजेंसियों का एकीकरण अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि मैं जानता हूं कि दिल्ली की जनता को किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मुझे यहां अपने अनेक मित्रों से पता चला है कि मकान मालिक बहुत अधिक किराया लेते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि 100 वर्ग फीट (10फीट x 1 फीट) के एक छोटे कमरे के लिए 500 रुपये किराया लिया जाता है। और वे कितना कर देते हैं ? कोई भी नहीं, क्योंकि वे रसीद नहीं देते हैं। यह आवश्यक है कि यह किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन आना चाहिए। मकान मालिकों से किराये की रसीद देने पर जोर दिया जाना चाहिए और किराएदारों पर भी रसीद लेने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं हमें भारी राजस्व की हानि होगी।

मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इन पहलुओं की ओर ध्यान देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम में कर वसूली की सभी कमियों को दूर किया जाए ताकि अन्य निगम भी इनका अनु-पालन करें।

इन शब्दों के साथ मैं संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं दिल्ली म्यूनिसिपल लाज (एमेंडमेंट) बिल, 1989 का समर्थन करता हूं।

मैं सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि खास तौर पर जब इतनी बड़ी जायदादों के संबंध में आप को यह करना था, तो आपने क्यों नहीं इस बात पर ध्यान दिया कि पहले कानून में नोटिसेज देने में कितना समय लगेगा, किस प्रकार की सारी व्यवस्था होगी और किस तरीके से ये सारे

एसेसमेंट किए जाएंगे। इस बात का कतई ध्यान नहीं रखा गया और उसी वजह से आपको यह दूसरा एमेंडमेंट लाना पड़ा। बार-बार इस तरीके के एमेंडमेंट लाने से आपके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा अन्तर आता है और इस की वजह से करप्शन भी ज्यादा बढ़ता है। आप ने जो स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में दिया है, वह इस प्रकार है :

[अनुवाद]

"दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में किए गए कतिपय संशोधनों को दृष्टि में रखते हुए, जो 1 दिसम्बर, 1988 को प्रभावी हुए हैं, दिल्ली नगर निगम आयुक्त से यह अपेक्षा की जाती है कि वह, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 126 की उपधारा (1) के अधीन संपत्ति कर के लिए निर्धारण सूची का पुनरीक्षण करेगा 1 दिसम्बर, 1988 के 31 मार्च, 1989 तक की अवधि के लिए देय होने वाले संपत्ति कर की वसूली करने के लिए धारा 126 की उपधारा (1) के परंतुक की दृष्टि से आयुक्त से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसी वित्तीय वर्ष के भीतर अर्थात 31 मार्च 989 से पहले, निर्धारण का पुनरीक्षण करने के लिए सूचनाएं जारी करें।"

[हिन्दी]

यह आप जानते थे कि 31 मार्च, 1989 से पहले ये सारे एसेसमेंट के नोटिसेज आप को देने पड़ेंगे और आपका यह कानून जो है, यह पहली दिसम्बर, 1988 से लागू किया गया है। तो इन महीनों के अन्दर 5 लाख प्रोपर्टीज के किस तरीके से नोटिस इसू कर सकते थे। यह एक विचारणीय विषय है, जिसके संबंध में आपके ब्यौरोक्रेट्स ने कोई विचार नहीं किया और कानून बना दिया और लोगों को नोटिसेज देकर आपने उनमें खलबली मचा दी और उसकी वजह से दिल्ली के लोग कितने परेशान हैं और कितनी कठिनाई उनको उठानी पड़ रही है, इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। अग्रवाल साहब ने उसके बारे में बताया है कि नोटिस पा कर लाखों लोग हड़ताल गए और बहुत बड़ी ऊथल-पुथल हो गई।

514. म.प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह आप जानते हैं कि पैसे वाले जो लोग हैं, वह किस तरीके से मशीनरी से मिलकर टैक्स का फायदा करने के लिए कितनी तरकीबें कर सकते हैं। कानून के जरिए से अदालत में जाकर भी कर सकते हैं, स्टे लेकर कर सकते हैं और लोगों को करप्ट करके अपने आप को बचा सकते हैं और वे विभिन्न प्रकार की एजेन्सियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जो गरीब और कमजोर तबके के लोग हैं, जिन पर नोटिस जारी होने से परेशानी आई है, वे किस तरीके से इन सारी कठिनाइयों का सामना करेंगे। इसलिए यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है और खास तौर से यह जो हाउस टैक्स का मामला है, यह सिर्फ दिल्ली का ही मामला नहीं है, सारे देश के अन्दर ऐसी व्यवस्था से लोग-बाग बहुत तकलीफ में हैं। और हर जगह इस हाउस टैक्स की वजह से लोगों में बहुत असन्तोष है। आप जिस तरीके से इनकम टैक्स वसूल करते हैं कि इतनी आमदनी हो तो इतना इनकम टैक्स दीजिए उसी तरीके से कोई ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि जिसकी प्रापर्टी का जो असेसमेंट होगा उससे उतना ही टैक्स वसूल किया जाएगा।

आज प्रापर्टी की असेसमेंट में बहुत अंतर आता है। आज से 20 या 30 साल पहले जिन्होंने जमीन खरीदी होगी, मकान बनाना होगा तो उस वक्त उस प्रापर्टी का वेल्युएशन किया होगा और आज उसका क्या वेल्युएशन होगा। उस वक्त आपका असेसमेंट क्या था और आज क्या है। पहले जो अधिकार आपने कमिश्नर को दे रखे थे—नाम बदलने का, प्रापर्टी जोड़ा है तो उसको शामिल करने का, किसी प्रापर्टी को ओमिट करने का, कई प्रकार के प्रावधान आपने सेक्शन 120 के अंदर दे रखे हैं। आपने जो आल्ट्रेशन के, असेसमेंट के वाईड अधिकार दे रखे हैं उनके साथ आपकी यह व्यवस्था किस तरीके से बैठेगी, यह भी आपको सोचना होगा।

आप तीन साल के अन्दर प्रापर्टीज का असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट अथारिटी आपकी कौन सी होगी, उसके बारे में भी अभी माननीय सदस्यों ने बताया कि कोई रैवेन्यु इंस्पेक्टर होता है जो कि असेसमेंट करता है। उन असेसि अथारिटी के संबंध में भी सभी लोग जानते हैं कि वह किस तरीके से वेल्युएशन करता है, असेसमेंट करता है। किस तरीके से लोग-बाग उसे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, गुमराह करते हैं, यह भी आपको देखना होगा। इसमें आपकी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि रैवेन्यु इंस्पेक्टर के बजाए में कोई टैक्नीकल आफिसर भी इसके अन्दर में शामिल करना चाहिए। इस असेसिंग अथारिटी के अन्दर कोई पी.डब्ल्यु.डी. वर्क्स का कोई एक्जीक्युटिव या असिसटेंट इंजीनियर हो जो कि जमीन, जायदाद से ताल्लुक रखता हो और जिसको यह मालूम हो कि ठीक प्रकार से कैसे वेल्युएशन हो सकता है और किस प्रकार से आपका प्रापर्टीज का वेल्युएशन बढ़े इसकी व्यवस्था आप कीजिए। यह बात सभी जानते हैं कि टेक्निकल सर्विसिज के जो लोग हैं कि किस-किस चिनाई में कितना-कितना पैसा लगता है। वे यह भी जानते हैं किस-किस रेट में सारी व्यवस्था हो सकती है। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि कोई साइंटिफिक क्राईटेरिया तय कीजिए कि किस किस स्थान पर कैसे वेल्युएशन हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि हाउस टेक्स में लोगों को भयंकर तकलीफ होती है। उसमें असेसमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसलिए आप प्रापर्टीज का असेसमेंट अलग-अलग तरीके से कीजिए। ट्रेडिंग, कमर्शियल और हाउसिंग काम्पलेक्सिज में किस तरीके से रेट फिक्स किए जाएं, इसके संबंध में पूरी जानकारी आज आपकी असेसिंग अथारिटी को नहीं होगा। जब तक इन कम्पलेक्सिज का ठीक प्रकार से असेसमेंट नहीं हो पाएगा तब तक आपकी टेक्स की वसूली भी ठीक प्रकार से नहीं होगी।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि बहुत सारे लिटिगेशन हो जाएंगे। अगर पांच लाख का असेसमेंट होगा और पांच लाख लोगों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो म्युनिसिपल कारपोरेशन को मुकदमे लड़ने से ही फुरसत नहीं होगी। इसलिए आप इस तरह से असेसमेंट कीजिए जिससे कि मुकदमेबाजी भी न हो और आप ठीक प्रकार से टेक्स भी वसूल कर सकें

अभी एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि कोई अपीलेट अथारिटी अधिकारियों की मुकर्रर कीजिये जो कि असेसिंग अथारिटी के ऊपर हो ताकि जिनकी गलत तरीके से असेसमेंट हो तो उनको अपील करने की राहत मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था करना भी नितांत आवश्यक है।

दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट में जो टाईम आपने फिक्स किया है और जो पंजाब म्युनिसिपल एक्ट 1911 में टाईम दिया हुआ है उसमें भी फर्क है। पंजाब एक्ट ने तीन साल दिए हैं और इसमें आपने

दो साल दिए हैं असेसमेंट के लिए। इन दोनों में आपने कैसे फर्क कर दिया। इससे जो आज प्रापर्टी दिल्ली म्युनिसिपल एक्ट के तहत में होंगी उसकी व्यवस्था किस प्रकार बैठेगी ? दिल्ली पहले पंजाब के अधीन थी, वह एक्ट यहां पर लागू होता था, अभी भी बहुत सी प्रापर्टीज उसके अधीन होंगी, इसलिए वह 3 और 2 साल का अन्तर नहीं रखना चाहिए, इसको बराबर करना चाहिए।

अग्रवाल साहब ने ठीक कहा कि पुरानी दिल्ली में कमर्शियल टैक्स 30 परसेंट है और नई दिल्ली में साढ़े सात परसेंट है, यह अन्तर भी नहीं होना चाहिए। नई दिल्ली तो ज्यादा खूबसूरत जगह है और प्रापर्टी का वेल्युएशन भी पुरानी दिल्ली के मुकाबले अधिक है, इसको भी निश्चित तरीके से बराबर किया जाना चाहिए। आपने नई दिल्ली के लोगों को राहत देने के लिए साढ़े सात परसेंट किया है, लेकिन पुरानी दिल्ली के लोग जो सदियों से यहां बसे हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली के सारे उतार-चढ़ाव देखे है, उनके लिए परसेंटेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सब के साथ समान तरीके से व्यवहार होना चाहिए।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं, आशा है मंत्री महोदय उन पर ध्यान देंगे, ताकि लोगों को राहत मिले।

श्री सी जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं संपूर्ण रूप से विरोध करता हूं दिसम्बर 1988 की नोटिस दिया, तीन महीने के अन्दर नहीं करना चाहते हैं तो फर्स्ट अप्रैल से इसको लागू कर सकते थे, लेकिन आपका तो चुनावों मकसद है, तीन साल का आपका पहला मकसद यह है कि आप चुनाव लड़ेंगे, हार जाएंगे, दूसरी पार्टी की सरकार बनेगी और उसके लिए आप सिरदर्दी छोड़ जाएंगे।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : ये सपने मत देखो।

श्री सी जंगा रेड्डी : अगर सपना होता तो आप चुनाव करा लेते। (व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : जब मर्जी आए करा लो।

श्री सी जंगा रेड्डी :आपकी सरकार है आपने ही नहीं कराए हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अब ये सपने भूल जाओ। दिल्ली को बी.जे.पी. ने और जनसंघ ने ही खराब किया है, दिल्ली कांग्रेस के हाथ में ही बहुत सुधरी हुई है।

श्री सी जंगा रेड्डी : इसीलिए इंटरनेशनल पेपर्स में यह आया है कि जनसंघ ने दिल्ली को दिल्ली बनाया है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सिर्फ मुर्दाघाट को सही कराया है, बाकी सब बाद में हुआ है, आप देख लीजिए। (व्यवधान)

श्री सी जंगा रेड्डी : चुनाव का रिजल्ट आपको बता देगा, आप चुनाव दो साल से क्यों स्थगित करते चले आ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने चुनाव क्यों नहीं कराए।

(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : इसलिए नहीं कराए क्योंकि हमने असेंबली की मांग की है, कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, असेंबली मिल जाए, जब मर्जी आप चुनाव कराएं कांग्रेस जीतेगी लोग राजीव गांधी के साथ हैं।

श्री सी जंगा रेड्डी : असेंबली की मांग के साथ बी.जे.पी. आपके साथ है, कांग्रेस आपके साथ है, 4 साल से आप सो रहे थे, एक दम बूटासिंह जो उठे कि चुनाव आ गया है अब कमेटी बनाओ, चार साल से आपने क्या किया था। चुनाव घोषणा पत्र में यह दिया गया था कि दिल्ली को विधान सभा का दर्जा देंगे। अब सरकार आपकी है मेट्रोपोलिटन कौंसिल आपकी है, कारपोरेशन आपका है, अब दिल्ली को विधान सभा का दर्जा देने में क्या दिक्कत है। अब चुनाव आ गए हैं, चुनाव कराने हैं इसलिए आपके दिमाग में आ गया कि चुनाव घोषणा पत्र में जो वादा किया था, उसको पूरा करने के लिए कमेटी बनानी हैं, इसलिए इलेक्शन पोस्टपोंड कर रहे हैं। इससे यह साबित होता है कि आप चुनाव में हारने वाले हैं, यह स्वप्न है या क्या है यह आपको पता चल जाएगा। कमेटी आपके पास है, दो महीने में उसकी रिपोर्ट मांगिए और चुनाव कराइए।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : हम तैयार हैं।

श्री सी जंगा रेड्डी : आप तैयार हैं लेकिन आपके बूटा सिंह जी तैयार नहीं हैं। अब तैयार हैं तो चुनाव कराइए। (**व्यवधान**)

इसलिए मेरा कहना है कि यह जो तीन और दो साल का अलग-अलग किया है; इनको ठीक करिए। पानी की वसूली करने वाला अलग है, बिजली की वसूली करने वाला अलग है बी.जे.पी. तो यही चाहती है कि दिल्ली को विधान सभा का दर्जा दिया जाए। अगर आप भी चाहते हैं तो क्यों नहीं बनाया। केन्द्र सरकार कारपोरेशन मेट्रोपोलिटन काउंसिल और कानून आपके साथ में हैं इसी तरह बूटा सिंह जी राजीव गांधी जी आपके हाथ में हैं और आप भी उनके हाथ में हैं तो किसने विरोध किया। चुनाव का समय आ गया तो तब आपको कमेटी की याद आ गई। इसका क्या जवाब है। पिछले चार साल से राजीव गांधी, बूटा सिंह और आप भी सोए हुए थे।... (**व्यवधान**)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सन् 77 में आपने वायदा किया था, तब क्यों नहीं किया।

श्री सी जंगा रेड्डी : पैंतीस साल से आप राज कर रहे हैं, ढाई साल में हम कैसे कर सकते थे।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सन् 67 से आप बराबर थे।

श्री सी जंगा रेड्डी : पैंतीस साल में आप नहीं कर सके तो ढाई साल में कैसे हो जाता। आपकी नीयत चुनाव कराने की नहीं है। आप हार जाएंगे। जब वसूल करने को नीयत नहीं है तो नोटिस क्यों दिया है। तीन साल के बाद जो सरकार आयेगी वह नोटिस देगी, आप क्यों नोटिस दे रहे हैं। दिल्ली में लोग शोर मचा रहे हैं। तीन महीने के अंदर री-असेसमेंट होना है। व्यास जी कह रहे थे कि कानून बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। रेंट कंट्रोल को आपने तब्दील किया तो उसको फर्स्ट अप्रैल से लागू कर सकते थे नहीं तो दो साल के लिये और बढ़ा सकते थे। दिल्ली विधान सभा होने के बाद उसमें पास करा सकते थे। सभी लोगों की यही मांग है कि दिल्ली को

विधान सभा का दर्जा देना चाहिए। विरोधी दल के लोग भी आपके साथ हैं। कमेटी की क्या जरूरत है। वह क्या करेगी। म्युनिसिपल कमेटी और म्युनिसिपल कारपोरेशन को क्यों नहीं मिला सकते। अलग-अलग कानून बना रहे हैं। अब आप कानून बना रहे हैं, पहले भी तो बना सकते थे। लोगों को बहकाने के लिए आप इस बिल को लाए हैं। जब आप तीन साल के बाद वसूल करेंगे तो क्यों इसके लिये कोशिश कर रहे हैं तब तक आप यहां नहीं रहेंगे। जो आएंगे वे कानून बना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक काम्प्रोहेन्सीव बिल लाइए।...(व्यवधान)

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : आप सपना देख रहे हैं।

श्री सी जंगा रेड्डी : हम तो साकार करके दिखा चुके हैं। विदेशी पत्रिकाओं ने भी इस सम्बन्ध में लिखा है। पता नहीं आप उस वक्त थे या नहीं। सन् 67 में आप म्युनिसिपल कारपोरेशन में होंगे। अब आप एम. पी. बन गए हैं। आप नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण अय्यर जी ने ठीक कहा कि ट्रिब्युनल बनाइए या दो साल के बाद असेसमेंट कराइए। अगर बीस साल से पहले वाला जमीन खरीदकर घर बनाता है तो मार्किट वैल्यु पर असेसमेंट करते हैं वह चार सौ परसेंट से ज्यादा होता है। पांच हजार का सवा लाख से ऊपर होता है। अगर उस पर असेसमेंट करेंगे तो कैसे होगा। जो रेंट लेता है उसके ऊपर लगाइए। जो खुद रहता है उसके ऊपर क्यों लगाते हैं। अगर कोई आदमी मकान वैकेट करता है तो वह पगड़ी लेता है और मकान भी मालिक को नहीं मिलता है और दूसरे आदमी को कब्जा दे देता है। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करना चाहता हूं। अगर रखना चाहते हैं तो तीन महीने के अन्दर वसूल करें। नहीं तो अगले चुनाव के बाद जो लोग आयेंगे वह करेंगे। संसद में हम कानून पास करेंगे और एम.सी.डो. और एन.डी.एम.सी. वालों के लिए लागू करना कष्टदायक होगा। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कार्पोरेशन के लिए तीन साल और दिल्ली कमेटी के लिए दो साल —एक पर तीस प्रतिशत और दूसरे के लिए साढ़े सात प्रतिशत आप दोनों को अलग-अलग न करके एक कर दें। इसीलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली को विधान सभा का दर्जा जल्दी से जल्दी दिया जाये। कमेटी की क्या जरूरत है जो आपने बनाई है, यह चुनाव टालने के लिए किया है। एक बिल आर्डिनेंस के रूप में लाकर दिल्ली को विधान सभा का दर्जा दे सकते हैं। क्या दिल्ली मिजोरम और नगालैंड से भी कम है। यहां पर सफाई के लिए अलग, पीने के पानी के लिए अलग, वाटर टैक्स के लिए अलग व्यवस्था है, इससे नागरिक बड़े परेशान हैं। इन सबको एक छतरी के नीचे लाना चाहिए। आप विधान सभा का दर्जा देने के लिए इतने दिन इसलिए लगा रहे हैं कि चुनाव जब सिर पर आयें तब इसको दर्जा दें। तीन साल तक असेसमेंट का जो प्रावधान रखा है उसमें कोई तर्क नहीं है। कोई टेक्नीकल कमेटी बनाइये, तीन-चार आदमियों की, बिलकुल छोटा आदमी असेसमेंट करे। मैं इस बिल का विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बड़े सही समय पर यह बिल आया है। पिछले दो महीनों में समाचार पत्रों को देखा जाये, जो दिल्ली से निकल रहे हैं उनमें कितने लेख लिखे गये हैं इस प्रापर्टी टैक्स के खिलाफ, कितनी खबरें आई हैं, कितने लेटर्स टू एडीटर्स प्रकाशित हुए हैं। कहने का अर्थ है दिल्ली में जिसकी छोटी-सी भी प्रापर्टी है वह इतना आतंकित महसूस कर रहे हैं कि एक सैंस आफ टेरर हो गया है। ऐसे आदमी को जिसे साल में एक हजार रुपये प्रापर्टी टैक्स, हाउस टैक्स देना पड़ता था अब 30 से 40 हजार का नोटिस आ गया है, मैंने स्वयं देखा है। यह क्या अन्धेरगर्दी मचा दी है। कोई शरीफ

आदमी नोटिस को पढ़े तो वह हैरान हो जाये। उसमें लिखा है कि या इतनी तारीख तक प्रापर्टी टैक्स जमा कीजिए या कोएरसिव मेथेड यूज किया जायेगा, यह क्या मेथेड हुआ ? दिल्ली नगर निगम का जो हाल है उसके बारे में जितना कहा जाये वह थोड़ा है। हम सबने इसी सदन में सोचा था कि सरकारिया कमेटी बैठी है जिसका खास काम होगा कि पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और साऊथ दिल्ली सबका सम्पत्ति कर रेशनेल कर दिया जायेगा। जस्टिस सरकारिया चले गये, लेकिन दूसरे आदमी आये हैं। समय ले लीजिए, उस कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इसका क्या रेशनेल है कि आर. के. पुरम् में एक सर्विस होल्डर मर-मर कर छोटी-सी सम्पत्ति खड़ी करता है उसको तो 34 प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है और नई दिल्ली में कनाट प्लेस में साढ़े सात प्रतिशत टैक्स लगे ·· कोई सोच नहीं सकता कि दिल्ली में ऐसा होता होगा। वैसे तो लोगों ने बिहार को बहुत बदनाम किया हुआ है लेकिन बिहार में लोग कहते हैं कि दिल्ली ऊंचा सुनती है, दिल्ली में न्याय नहीं होता है। हम भी अपनी नजर से देख रहे हैं कि कहीं साढ़े सात परसेंट की दर से टैक्स वसूला जाता है जहां करोड़पति और अरब पति लोग रहते हैं और कहीं साढ़े तैंतीस या चौंतीस परसेंट की दर से टैक्स लिया जा रहा है जहां लोगों ने मर-मर कर अपनी छोटी सी प्रोपर्टी खड़ी की है। यह भी क्या खूब है। क्या कोई बाहर का व्यक्ति इसे मानने तैयार होगा। सारी दुनिया में टैक्स का यही प्रिंसिपल है और प्रोपर्टी टैक्स इसीलिए वसूल किया जाता है कि आप उस इलाके में सरटेन अमेनिटीज, सरटेन फैसिलिटीज उपलब्ध करायें, लेकिन आप क्या फैसलिटी दे रहे हैं, मैं स्वयं साउथ दिल्ली में रहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि कोई फैसिलिटी आप नहीं दे रहे हैं। पोश कालोनियों में आज यह हाल है कि जगह-जगह सुअर घूम रहे हैं, साल-साल भर में कूड़ा पड़ा हुआ है। यदि आफिससं गैलरी में म्युनिसिपल कारपोरेशन के लोग मेरी बात सुन रहे हों, वे मेरे साथ चलें, मैं दिखा दूंगा। इसलिए टैक्स वसूलने का आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। लोग खुले आम कह रहे हैं।

[अनुवाद]

जब तक सफाई नहीं होती है तब तक कोई कर नहीं दिया जाएगा।

[हिन्दी]

चारों ओर गंद मचा है, सारी दिल्ली स्लम बना दी है। एक जमादार को आप कह नहीं सकते कि यहां झाड़ू लगाओ। दो-दो महीने तक जमादार नहीं आते हैं। यदि टेलीफोन करते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता। मैं तो कहता हूं कि यदि भ्रष्टाचार का कोई सबसे बड़ा अड्डा है तो वह दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन है, मुझे यह कहने में तकलीफ है। अब वक्त आ गया है कि इन बातों पर गौर किया जाये। आप सारे टैक्स स्ट्रक्चर को ठीक कीजिए। जल्दी से उस कमेटी की रिपोर्ट लाइये और सारी जगह यूनिफार्म साढ़े सात परसेंट की दर से टैक्स लगाइये। आपके इन्स-पैक्टर जब टैक्स वसूलने आते हैं तो वे क्या तमाशा करते हैं, यदि आप सुनेंगे तो आश्चर्य में रह जायेंगे। वे खुद लोगों को बताते हैं कि तुम अपनी प्रोपर्टी के दो एग्रीमेंट किरायेदार से बनवाओ, एक में लिख दो कि हजार रुपये महीना मैंने फर्नीचर एलाउंस लिया और दूसरे में हजार रुपये महीना किराया, इस तरह उसे एक हजार रुपये पर टैक्स देना पड़ेगा और जो हाउस टैक्स बचेगा उसमें से कुछ हिस्सा इंसपैक्टर की जेब में चला जायेगा। मुझे पता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सब जगह एक जैसी हालत है। मेरा सुझाव है कि जहां जहां किसी प्रोपर्टी के लिये दो

या तीन एग्रीमेंट हुए हैं, उन सब पर आप टैक्स वसूल कीजिये। न लेने का क्या औचित्य है। आज ईमानदारी से टैक्स देने वाला मुसीबत में पड़ जाता है और जो लोग इन्सपैक्टर से मिलकर दो-तीन एग्रीमैंटस करते हैं, वे फायदे में रहते हैं। इसलिए आप सभी एग्रीमैंटस पर टैक्स लगाइये। सर्विस या फर्नीचर एलाउन्स का नाम लेकर टैक्स न देना मात्र धोखा है, टैक्स देने से बचने का जरिया है। मैं समझता हूं कि सरकार ने बड़ी होशियारी का काम किया है जो यह बिल सदन में लाया है। अब असेसमैंट के लिए तीन वर्ष का समय दिया जा रहा है परन्तु इसके साथ साथ इसमें रैशनैलिटी लाइये, सब पर समान दर से टैक्स लेने का प्रावधान भी कीजिये। इसमें किसी तरह की आर्बीट्रेरीनैस या मनमानी बात नहीं होनी चाहिए। एक ही जगह पर कुछ कामर्शियल प्रोपर्टी है, कुछ रेजिडैन्शयल प्रोपर्टी है, कामर्शियल प्रोपर्टी वालों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है और रेजिडैन्शयल प्रोपर्टी वालों को कम टैक्स देना पड़ता है परन्तु रेजिडैन्शयल एरिया में सबकी नजरों के सामने कामर्शियल यूज हो रहा है, उसे कोई ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता, इसका क्या जवाब आपके पास है। कहीं किसी देश में ऐसा नहीं होता कि रेजिडेन्शयल एरिया में लोग सीना तानकर कामर्शियल आफिस खोलें और रेजिडैन्शयल रेट पर टैक्स अदा करें। इसका सीधा मतलब यही होता है कि ईमानदार आदमी मरें और बेईमान आदमी पनपें। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जो एसैसमैंट किया जाये, वह ठीकठाक असेसमैंट हो जिससे कि गरीब और छोटे लोग मुसीबत से न पड़ने पायें जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी सी प्रोपर्टी खड़ी की है और अमीर लोग जिस तरह से चालाकी करके अपनी रैंटल इन्कम को दो-तीन भागों में बांट कर टैक्स बचा लेते हैं, वे न बचने पायें। फिर पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली और साउथ दिल्ली, सभी के टैक्स को एक तरह का कीजिए। कम कीजिए। सारी दुनिया में टैक्सेशन का प्रिंसीपल है कि टैक्स कम कीजिएगा, तो टैक्स ज्यादा आएगा, टैक्स ज्यादा कीजिएगा, तो टैक्स न देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

सरकार ने अच्छा बिल पेश किया है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि म्युनिसिपल कार्पोरेशन के लोगों को समझाए कि टैक्स वसूल करने से पहले, उनके इंसपैक्टर यह देखने जाएं कि वे सारी सुविधाएं वहां हैं कि नहीं, सफाई वहां खत्म हो रही है या नहीं, पानी का इन्तजाम है या नहीं, बिजली का कैसा इन्तजाम है। लोग सही ढंग से जी भी रहे हैं या नहीं। जब सरकार लोगों की सुख-सुविधा पर ध्यान देगी, तो लोगों को टैक्स देने से कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन यदि आप एक साल में कई साल का टैक्स लोगों के सिर के ऊपर पटक देंगे, तो वे कहां से दे पाएंगे। इस तरह से टैक्स लगाइए कि लोगों को टैक्स देने में कोई तकलीफ न हो।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में ही मैं उन सभी आदरणीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। मेरे अच्छे मित्र श्री जंगा रेड्डी के सिवाय सब ने इस विधेयक का समर्थन किया है और मेरा विचार है कि श्री रेड्डी भी मन ही मन इसका समर्थन करते हैं। उनकी शंका केवल चुनावों के बारे में है। इसका चुनाव के साथ कोई संबंध नहीं है।

मुख्य समस्या तो काम की अधिकता है क्योंकि इसमें अनेक कर निर्धारण अन्तर्ग्रस्त हैं जिसके कारण सरकार इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए विवश हुई है। चूंकि कर-निर्धारण

की जिस पद्धति का पालन करना है वह इतनी विवेकपूर्ण होनी चाहिए कि जनता को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई परेशानी है और इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने भी यह महसूस किया है कि इस काम को तेजी से पूरा करना ठीक नहीं है क्योंकि दोनों स्थानीय निकायों समेत लगभग 5 लाख तेरह हजार कर-निर्धारण करने हैं।

वाद-विवाद के दौरान कुछ सदस्यों ने कहा है कि नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका में भी करदाताओं को परेशान किया जाता है। दिल्ली के माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इन निगमों में कर की दो प्रकार की दरें हैं जो कर आपस में मिलती-जुलती हैं। नई दिल्ली नगर पालिका में कर की दर 12.5 प्रतिशत है और अन्य दूसरे में यह 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक है। यह सत्य है। और इसे ध्यान में रखते हुए तथा विभिन्न पहलुओं पर विचार करके सरकार ने इस बारे में सोचा कि इस समस्या का समाधान किस बेहतर तरीके से किया जा सकता है। मैं उस विशेष मुद्दे के बारे में बाद में बताऊंगा कि हम इस समस्या का समाधान किस तरह करने जा रहे हैं किन्तु सर्वप्रथम मैं यह कहूंगा कि एक सदस्य ने शायद श्री अग्रवाल जी ने एक प्रश्न उठाया है और यह कहा है कि धारा 4क में संशोधन करके हम पिछले मामलों में जाने की चेष्टा कर रहे हैं। हम अपने वायदे से हटने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य केवल उन्हीं मामलों पर विचार करना है जो 31.3.88 तक के हैं, उससे पहले के नहीं। मैं आपको आश्वस्त करूंगा। हम पिछले मामलों में नहीं जा रहे हैं और न ही जाएंगे। आप इस बात से आश्वस्त रहें। एक अन्य सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि नियोजित व्यक्तियों की संख्या बहुत कम है। लेकिन समय-समय पर काम की मात्रा के मूल्यांकन के आधार पर दोनों संगठनों ने निरीक्षक तथा कर-निर्धारक के पद के मूल्यांकन के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा दी है और यह कार्य लगातार किया जा रहा है। मैं समझता हूं—मेरे पास कुल आंकड़े उपलब्ध नहीं है—कि सहायता के लिए अनुमानतः काफी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा सावधानी बरती गई है कि वहां पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हों और काफी संख्या में कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। स्थिति यह है कि 1983 से 1986 तक मूल्यांकन अधिकारियों / कर निर्धारकों की संख्या 49 से बढ़ाकर 101 तक की गई है और निरीक्षकों की संख्या 205 से बढ़ाकर लगभग 486 की गई है।

अतः इस संबंध में कदम उठाए गए हैं कि इस विशेष पहलू की जांच के लिए उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध कराये जाएं। जैसा कि श्री जयप्रकाश अग्रवाल ने ठीक ही कहा है, जब हमने कर-निर्धारण प्रक्रिया शुरू की, हमारा ध्यान इस ओर दिलाया गया कि निर्धारित धन की मात्रा इतनी अधिक है कि इसकी पुनः जांच किए जाने की आवश्यकता है। हमें जनता से तथा दोनों निगमों से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए। मुझे खुशी है कि दिल्ली में सम्पत्ति कराधान का संतोषजनक ढांचा बनाने के लिए दिल्ली प्रशासन पहले ही से एक समिति बनाने की घोषणा कर चुका है। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी पार्षद करेंगे और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

मेयर

महानगर परिषद के तीन प्रतिनिधि

नगरपालिका के दो सदस्य

मुख्य सचिव

वित्त सचिव

आयुक्त दिल्ली नगरनिगम

प्रशासक, नई दिल्ली नगर पालिका

लोक वित्त में विशेषज्ञ

सचिव (एल.एस.जी.)

समिति को 30 सितम्बर, 1989 तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : इसमें एक एम.पी. भी होना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : हम निश्चय ही इसकी सिफारिश करेंगे।

निष्कर्ष देते समय, समिति निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखेगी :

दिल्ली में मकानों की संख्या मे तेजी से वृद्धि करने की अनिवार्यता।

सम्पत्ति—मालिकों के कब्जे वाले मकानों और ग्रुप हाउसिंग फ्लैटो के आवंटियों तथा कम आय को और कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए अन्य मकानों की ओर विशेष ध्यान।

हमारा उद्देश्य है कि दिल्ली क्षेत्र में और अधिक मकान बनाए जाए किन्तु साथ ही कमजोर वर्गों और निर्धन वर्गों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। इसका ढांचा ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह इन वर्गों के लोगों को निरुत्साहित करे। मुझे यह बताया गया है कि वर्तमान कर ढांचे के अनुसार, मकान के मालिक को इतना कर देना पड़ता है कि उसके लिए अपने बनाए मकान में रहना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए वह किराए के मकान में रहना ही ज्यादा पसन्द करता है। लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए ही, जैसा कि श्री अग्रवाल ने कहा है, हमने यह कदम उठाया है। यह समिति कराधान की सीमा, अपने मकानों में रहने वाले मालिकों किराए के मकानों और सरकारी भवनों के बारे में विचार करेगी। इस समय हम राजनयिक परिसरों से कुछ भी वसूल नहीं कर रहे हैं। इन सभी बातों पर विचार करेगी।

महोदय, चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने—सरकारिया आयोग, दिल्ली में एसोसिएशनों के आधिक्य के बारे में कहा है; इसे राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा रहा है और सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा दोनों निगमों में दो-तीन वर्षों की समयावधि क्यों है इस बारे में पूछा है। अब एक समिति गठित की गई है। समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है। इस समिति का कार्यकाल 30 सितम्बर, 1989 तक बढ़ा दिया गया है। समिति इन सभी पहलुओं पर विचार कर रही है; क्या दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, यदि इसे राज्य का दर्जा दिया जाए तो वहां संगठनों के आधिक्य के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। दिल्ली राज्य परिवहन

निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, नई दिल्ली नगरपालिका, नगर-निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण—इन सबका अपना-अपना संगठनात्मक ढांचा है और इन सबके बीच समन्वय से सरकार संतुष्ट नहीं है और सरकार यह महसूस करती है कि कुछ-न-कुछ किया जाना चाहिए। संगठनों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए यह समिति गठित की गई है और हमें आशा है कि 30 सितम्बर, 1989 तक समिति अपनी रिपोर्ट दे देगी।

महोदय, अन्य सदस्यों ने निगमों में भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाया है। मैं पिछले 2 1/2 वर्षों से दिल्ली नगर निगम और अन्य निगमों से संबद्ध रहा हूं। मेरे पास ऐसा कोई बड़ा मामला नहीं आया है। यदि माननीय सदस्य हमारा ध्यान इस ओर दिलाये तो हम उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम उचित कार्यवाही करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इसकी जांच प्रभावी ढंग से हो। इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मंत्री महोदय, जो बढ़े हुए केसेज आए हैं, जब तक कमेटी की रिपोर्ट आए, उनको आप स्टे तो कर दें।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं। मैं इस समय आपको आश्वासन नहीं दे सकता किन्तु मैंने आपके, श्री राजहंस तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दे नोट कर लिए हैं और मैं उन पर चर्चा करूंगा। इसी कारण समिति का कार्यकाल बढ़ाने के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है। हम निश्चित रूप से देखेंगे कि जो मामले उपयुक्त नहीं समझे गये हैं, उनकी जांच की जाए ताकि लोगों को इस तरह तंग नहीं किया जाए। महोदय, आपने देखा होगा कि हाल ही में नगर निगम ने समाचार पत्रों में भी एक विज्ञापन दिया है जिसमें करदाताओं की सहायता के लिए जानकारी दी गई है ताकि उन्हें भी यह पता हो कि उन्हें कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं···(व्यवधान) कुछ श्रेणियों को छूट भी दी जा रही है (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी. जंगा रेड्डी : जून, 1989 तक जो रिपोर्ट आने वाली है उसके बाद ही आप असेसमेंट करिए, उसके बाद ही आप नोटिस भेजिए। इसके बाद ही सोचिए कि स्टेट का दर्जा देना है या नहीं।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : यह आपका सुझाव है। हमारे लिए आपके सभी सुझावों को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है···(व्यवधान) लेकिन हमें चुनावों से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी रुचि जनता की शिकायतें दूर करने तथा यह देखने में है कि ये दोनों संगठन सभी बातों की जांच करने के बाद नोटिस जारी करें···(व्यवधान) कर निर्धारण के लिए, उन्हें सभी सम्पत्तियों का सर्वेक्षण करना होगा। उन्हें सम्पत्ति के मालिकों से निर्माण लागत के बारे में सभी संगत दस्तावेज एकत्र करने होते हैं, उन्हें उनकी सम्पत्ति के मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी करने होते हैं और आपत्तियों के बारे में मालिकों को एक माह का समय देना पड़ता है। इन सबमें समय लगता है।

मुझे आशा है, जैसा कि श्री अग्रवाल ने ठीक ही कहा है और हम सब भी यह महसूस करते हैं कि कुछ अन्याय हुआ है। इन सभी बातों पर विचार करते हुए, हम नहीं चाहते कि इस काम में जल्दबाजी की जाए। जैसा कि श्री जंगा रेड्डी ने ठीक ही कहा है कि जनता की यह मांग है कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए यह अलग बात है कि यह दर्जा इसे मिलता है अथवा नहीं यह मांग केवल उन्हीं के दल की नहीं है अपितु कांग्रेस (आई) की भी यही मांग रही है। यदि कांग्रेस (आई) को चुनाव लड़ने से डर था तो उन्होंने इसे राज्य का दर्जा दिए जाने के लिए न कहा होता। अतः उन्हें इसका भय नहीं है। लेकिन हमारे समक्ष समस्या यह है कि एक बार जब हम कुछ काम करने का प्रयास करते हैं तो हमें उसकी त्रुटियों की भी जांच करनी होगी। यहां दिल्ली विकास प्राधिकरण है, नगर निगम है, नई दिल्ली नगरपालिका है, विद्युत बोर्ड है, दिल्ली दुग्ध योजना है, दिल्ली परिवहन निगम है। अतः इन सब बातों की जांच करनी होगी। उन्होंने विभिन्न सार्वजनिक संगठनों से ज्ञापन मांगे हैं, उनकी कई बैठकें हुई हैं और इन्होंने सभी बातों की जांच की है। पूरे मामले की जटिलता के कारण, उन्होंने समिति का समय बढ़ाने के लिए कहा है और हम दो बार इसका समय बढ़ा चुके हैं। मुझे आशा है कि वे इन बातों पर विचार करेंगे। माननीय सदस्य चुनावों और दिल्ली के सम्पत्ति धारिकों के कर-निर्धारण को आपस में मिलाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ? वह कह रहे हैं कि वे सत्ता में वापिस आयेंगे और उन्हें (कर-निर्धारण) मूल्यांकन करना होगा और इसलिए, हमें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। हम दिल्ली के मकान मालिकों को नाराज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि वे उचित कर अदा करें। हम चाहते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। हम चाहते हैं कि जब कर-निर्धारण किया जाये तो न्याय किया जाना चाहिए किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाना चाहिए। बहुत से सदस्यों ने कहा है कि विभिन्न निकायों के बीच सम्पर्क होना चाहिए। यह कार्य जल्दबाजी में नहीं हो सकता। अगर दो या तीन वर्षों का समय दिया जाता है तो उच्च अधिकारियों द्वारा बहुत अच्छा निरीक्षण किया जायेगा। वे यह भी देख सकेंगे कि न्याय किया गया है या नहीं। हम इस कार्य को जल्दबाजी में नहीं कर सकते। हमें केवल नौ महीनों का समय दिया गया था और कम से कम हम 13,000 मामले निपटा पाये हैं। लेकिन उसमें भी हमने गलतियां की है। इस विधेयक में हमने एक समय-सीमा निर्धारित की है जिसके अन्तर्गत सभी लम्बित मामलों को निपटा दिया जायेगा। अब कतिपय लम्बित मामले हैं लेकिन उन मामलों को निपटाने के लिए समय सीमा नहीं है। यहां एक समय सीमा दी गई है फिर भी लम्बित मामलों को एक विशेष समय में निपटाना होगा। क्या विचार है ? जो मामले नगर निगम के पास किन्हीं कारणों से लम्बित पड़े हैं इससे उन्हें पूरा करने में मदद मिलेगी। मैं सहमत हूं कि दूसरे वर्ष भी बिल्कुल कर नहीं लगाये गये हैं। अब हमारे पास विशेष अभिकतम सीमा जैसे एक हजार या कम, दस हजार या कम और ऐसे ही मामले हैं इन मामलों में कर नहीं लगाये जायेंगे। लेकिन कतिपय मामले ऐसे है जिन्हें न्यायालय लाया गया है। एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो ये मामले न्यायालय में जायेंगे और मुकदमेबाजी होगी। फिर नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका समिति न्यायालय में जायेंगे और मुकदमें लड़ेंगे। यह हम नहीं चाहते।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : आप सर्वे के बजाए सैल्फ-डिक्लरेशन कर दीजिए। सर्वे में तो लोगों को हैरास करेंगे और सेल्फ-डिक्लरेशन में लोग खुद करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : जैसा मैंने कहा है, एक समिति बनाई गई है जिसमें कुछ सांसदों को भी शामिल किया जाए जिससे कि उनके विचारों को लिया जा सके। आप लोगों के प्रतिनिधि हैं और आपका लोगों से सीधा सम्पर्क है। आप अच्छी प्रकार जानते हो आप बाजार की स्थिति जानते हो और आप मुझे से आकर कह रहे कि बाजार का विकास किया जाना चाहिए ये बातें हम जानते हैं और इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं, हमने ठीक ही कहा है कि यह किया जा सकता है। हमने आपको आश्वासन दिया है कि हमने किसी कर दाता को तंग नहीं किया है। हमने ऐसा अच्छे इरादे से किया है हम सहमत है कि जब हमने किराया-नियन्त्रण अधिनियम पारित किया था तो हमें इन सब बातों पर विचार करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि हमने इसका पहले से अनुमान नहीं लगाया था इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें लोगों के साथ अन्याय करना चाहिए। महोदय इन शब्दों के साथ मैं विधेयक की प्रशंसा करता हूं और मेरे विचार से सदन इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर देगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और पंजाब नगरपालिक अधिनियम, 1911 में, जैसा कि वह नई दिल्ली में प्रवृत्त है, और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब कुमारी ममता बनर्जी को बोलना है।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह राज्य मन्त्री, श्री सन्तोष मोहन देव जी दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन का जो बिल सदन में लाए हैं, मैं उसका समर्थन करती हूं।

पहली बात तो यह है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन द्वारा जो टैक्स लिया जाता है, वह अब तीन बरस के लिए नहीं होगा। यह बात सच है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन का काम खाली टैक्स लेना नहीं है, जैसा कि अग्रवाल जी ने बताया, राजहंस जी ने बताया, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में जो आम जनता रहती है, उसकी भी देखभाल करना उसका काम है. उसकी सैनिटेशन प्राब्लम है, वाटर कैपिसिटी प्राब्लम है, इलैक्ट्रिक कैपिसिटी की प्राब्लम है, ये भी दिल्ली म्यूनिसिपिल कारपोरेशन की देखनी है। एक शिकायत हमारे पास जरूर आती है, दिल्ली म्यूनिसिपिल कारपोरेशन द्वारा जो बिल आता है, वह एवरेज को ध्यान में रख कर बिल बनाकर भेज दिया जाता है, जबकि वास्तव में स्थिति दूसरी होती है। इस में आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जिसका जो वास्तविक बिल है वही उसको भेजना चाहिए। कम्प्यूटर में बिल डाल दिया जाता है, पब्लिक के लिए ऐसा बिल आता है, जिससे पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। ओल्ड दिल्ली की कंडीशन तो आपको मालूम ही है और नई दिल्ली की आई पी एरिया है। नई दिल्ली का कंडीशन बहुत अच्छा है, लेकिन पुरानी दिल्ली का कण्डीशन आपको मालूम है जैसे चांदनी चौक का क्षेत्र है। मुझे दिल्ली का आइडिया नहीं है, क्योंकि हम दिल्ली का रहने वाला नहीं है। लेकिन ओल्ड दिल्ली में सैनिटेशन की समस्या है, रोड अच्छा नहीं है अच्छा मकान भी नहीं है। झोंपड़ियों में रहने वाले बहुत आदमी रहते हैं। सलम्स के डवेलपमेंट को दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन को देखना चाहिए, क्योंकि यह दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अन्दर आता है।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं। मैं यही कहना चाहती हूं कि यह क्षेत्र दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन के अन्दर आता है. इसलिए ज्यादा ध्यान देकर काम करना चाहिए और समस्याओं को दूर करना चाहिए। खाली टैक्स का बर्डन गरीब आदमी के लिए मीडिल क्लास के आदमी के लिए होता है, धनवान आदमी के लिए ज्यादा नहीं होता है। संतोष मोहन देव जी अच्छा आदमी है। उनके दिल में काम करने के लिए इच्छा है, ग्रासरूट वर्कर है, लेकिन आपको दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन के कामों को देखना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

6-00 म.प.

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, मैं माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों से पूर्णतया सहमत हूं और हम उनके द्वारा दिये गये सुझावों का पालन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.01 म.प.

आधे घंटे की चर्चा

खाद्यान्नों की कम आपूर्ति

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मैं खाद्यानों की पूर्ति में कमी के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 304 पर खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर पर उठाये गये मुद्दों पर चर्चा करता हूं।

महोदय, 15 मार्च को मेरा तारांकित प्रश्न संख्या 304 प्रश्न सूची में था और प्रश्न इस प्रकार था :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले गेहूं तथा चावल की सप्लाई के कारण बम्बई में राशन की दुकानों पर फरवरी, 1989 से आवश्यक खाद्य वस्तुओं की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सप्लाई में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उत्तर को विवरण के रूप में सभा के सभापटल पर रखा गया था और विवरण में कहा गया था :

"केन्द्र सरकार कुल मिलाकर राज्यों को चावल और गेहूं का आवंटन करती है। विभिन्न शहरों। जिलों को आन्तरिक वितरण सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केन्द्र ने फरवरी और मार्च, 1989 में महाराष्ट्र को आवंटन किया और राज्य सरकार द्वारा बम्बई / थाणे राशन वाले क्षेत्रों को किए गए आवंटन निम्न हैं :"

फिर आंकड़े दिए गए हैं। जहां तक महाराष्ट्र को केन्द्र सरकार द्वारा फरवरी 1989 को दिए आवंटन का सम्बन्ध था, 94,500 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया गया था और महाराष्ट्र राज्य ने बम्बई और थाणे राशन वाले क्षेत्रों को 34,000 मीट्रिक टन का आवंटन किया था इसी प्रकार महाराष्ट्र राज्य ने राशन वाले क्षेत्र बम्बई और थाणे को 17,000 मीट्रिक टन चावल का आवंटन किया था मार्च 1989 में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को एक लाख मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया है और महाराष्ट्र राज्य ने राशन वाले क्षेत्रों बम्बई और थाणे को 36000 मीट्रिक टन का आवंटन किया। इसी तरह, केन्द्र ने महाराष्ट्र को 52,000 मीट्रिक टन चावल का आवंटन किया था राज्य ने बम्बई थाणे के राशन वाले क्षेत्र को 20,000 मीट्रिक टन का आवंटन किया था विवरण में आगे कहा गया था :

"विभिन्न राज्यों में भंडार की उपलब्धता उनकी आवश्यकताओं तथा अन्य संबंधित कारणों को ध्यान में रखते हुए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गेहूं और चावल का आवंटन किया जाता है। वे एक दूसरे के पूरक हैं।"

मेरे तारांकित प्रश्न के संबंध में यह लिखित उत्तर दिया गया था। दुर्भाग्य से समय नहीं था और यह अनुपूरक प्रश्न के लिए नहीं पहुंच पाया था।

महोदय, मेरे प्रश्न में मुख्य जोर महाराष्ट्र द्वारा बम्बई क्षेत्र को कम आबंटन के बारे में नहीं था, लेकिन मुख्य शिकायत केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य को खाद्यान्नों के कम आबंटन के कारण बम्बई शहर की राशन की दुकानों में खाद्यानों की कम पूर्ति की शिकायत के बारे में था। वास्तव में मेरे प्रश्न में इसी पर जोर दिया गया था।

महोदय, जहां तक खाद्यान्न की स्थिति का संबंध है केन्द्र सरकार द्वारा दिखाये गये सभी दस्तावेजों से पता चलता है कि यह संतोषजनक और संशोधित हैं। बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री के अन्तिम भाषण में भी उन्होंने पैराग्राफ 4 में कहा है कि "इन विगत दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में हुए कार्य निष्पादन से आशाएं बंधने लगी है।

पिछले वर्ष सूखे और बाढ के बावजूद भी खाद्यान्न का उत्पादन 138 मी. टन था, जो कि पिछले वर्ष से कुछ ही कम था। जिससे पता चलता है कि सूखे के प्रभाव को कम करने संबंधी हमारी नीतियां सफल रही। इस वर्ष खाद्यान्न का उत्पादन 166 मी. टन से ज्यदा होने की संभावना है। इसलिए, ऐसा कहा गया है कि कृषि उत्पादन भी संतोषजनक रहा है। वित्त मंत्री के अनुसार, इस बार लक्ष्य से भी ज्यादा उत्पादन हो सकता है।

इसी तरह, आर्थिक सर्वेक्षण के, जो कि बजट के पहले सभा पटल पर रखा गया था, अध्याय-II कृषि उत्पादन के पैरा—1 में यह कहा गया है :

> "वर्तमान वर्ष कृषि में मजबूती से सुधार की शुरूआत है, पिछले कुछ वर्षों में अल्प मानसून के कारण कृषि विकास को गति धीमी पड़ गई थी। और इस वर्ष देश में पर्याप्त वर्षा हुई। फलतः खाद्यान्न का उत्पादन, जो पिछले वर्ष कम होकर करीब 1380 लाख मीट्रिक टन रह गया था, 1988-89 के लिए निर्धारित 1665.7 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य को पार कर जाएगा और यह भी हो सकता है कि यह 1700 लाख मीट्रिक टन के स्तर को भी पार कर जाए। सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र में 17 से 20 प्रतिशत के बीच वृद्धि दर्ज किए जाने की संभावना है।"

इसलिए, आर्थिक समीक्षा में भी वित्त मंत्री की आशा को दोहराया गया है। पृष्ठ—11, सारणी 2-3 में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 1987-88 में चावल का उत्पादन 56.46 लाख टन था और गेहूं का उत्पादन 45.10 लाख टन था जबकि पिछले वर्ष यह उत्पादन 44.32 लाख टन ही था। इससे यह सिद्ध होता है कि गेहूं के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। 1987-88 के आंकड़े भी पिछले वर्ष के आंकड़ों की उपेक्षा ज्यादा थे। कृषि के अच्छे उत्पादन के बावजूद भी जहां तक विभिन्न राज्यों को, विशेष रूप से महाराष्ट्र को आबंटन का प्रश्न है, स्थिति बहुत ही निराशापूर्ण है। महाराष्ट्र राज्य मुख्यतः इसी आबंटन पर निर्भर करता है क्योंकि इस राज्य में चावल और गेहूं नाम मात्र का ही होता है। पहले केन्द्रीय सरकार अधिक मात्रा में आबंटन और

पूर्ति किया करती थी। उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र की मासिक चावल और गेहूँ की आवश्यकता क्रमशः 80,000 मीट्रिक टन और 1,40,000 मीट्रिक टन है। इसकी तुलना में केन्द्र सरकार ने मार्च 1988 से अगस्त 1988 तक 60,000 मीट्रिक टन चावल और मार्च 1988 से जून 1988 तक 80,000 मीट्रिक टन गेहूं का मासिक आबंटन किया है। जुलाई माह से चावल का आबटन 5,000 मीट्रिक टन बढ़ा दिया गया। सितम्बर, 1988 में पुनः चावल के आबंटन में और 5,000 मीट्रिक टन की वृद्धि की गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अचानक फरवरी 1989 से चावल के आबंटन में फरवरी, 1989 माह के लिए 13,000 मीट्रिक टन की कमी कर दी गई। इसलिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पर उपभोक्ताओं का काफी दबाव पड़ रहा है। ये आंकड़े महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त किए गए है और इनसे पता चलता है कि जनवरी, 1989 से, महाराष्ट्र की चावल की जरूरत 85,000 लाख मीट्रिक टन है जबकि इसको केवल 65,000 लाख मीट्रिक टन चावल का आबंटन किया गया है। फरवरी माह में महाराष्ट्र को 90,000 लाख मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता थी जबकि उसे केवल 52,000 मीट्रिक टन चावल का आबंटन किया गया है।

इसी तरह, जनवरी और फरवरी में 1,25,000 मीट्रिक टन गेहूं की मांग थी जबकि आबंटन केवल 90,000 मीट्रिक टन था।

फरवरी माह में भी, इसकी आवश्यकता पहले जैसा ही थी, फिर भी इसका आबंटन 94,000 मीट्रिक टन ही रहा।

मार्च में इसकी आवश्यकता 2.25 लाख मीट्रिक टन थी और आबंटन केवल 1 लाख मीट्रिक टन था।

फरवरी, 1989 से महाराष्ट्र को गेहूँ और चावल के आबंटन में काफी कटौती की गई है। इसलिए मैं यहां यह जानना चाहूंगा कि खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति संतोषजनक होने के बावजूद भी राज्यों के आबंटन यह अत्यधिक क्यों की गई है। जहां तक गेहूँ का प्रश्न है, जनवरी माह में महाराष्ट्र को 1.25,000 मीट्रिक टन की जरूरत थी जबकि उसे केवल 90,000 मीट्रिक टन का आबंटन किया गया था। फरवरी माह में महाराष्ट्र की गेहूँ की आवश्यकता उतनी ही रही पर उसे मात्र 90,000 मीट्रिक टन का आबटन किया गया। इसलिये, प्रश्न यह उठता है कि देश मे खाद्यान्न का अच्छा उत्पादन होने के बावजूद भी महाराष्ट्र के आबंटन में लगातार अत्यधिक कटौती क्यों की जा रही है? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा।

दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र राज्य को आबटन कोटा के अन्तर्गत भेजे जाने वाले खाद्यान्नों की किस्म भी बहुत खराब है। यह मानव उपभोग के उपयुक्त नहीं हैं। इसकी किस्म बहुत ही खराब है। इसमें कंकड़, मिट्टी और कीड़े मकोड़ों की गंदगी मिली होती है। यह शिकायत उन सभी उपभोक्ता की है जो बम्बई के राशन दुकानों से राशन खरीदते हैं और वे खाद्यान्नों की किस्म के बारे में, उनकी कड़ी शिकायतें हैं, खासकर गेहूं और चावल के बारे में, जो कि केन्द्र द्वारा राज्य को आबटित किए जाते है तथा बाद में राज्य द्वारा बम्बई शहर को। इसलिए, इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करता हूं कि वह महाराष्ट्र राज्य के कोटा में वृद्धि करें इससे बम्बई शहर के कोटा में भी वृद्धि हो जाएगी खासकर गेहूं और

चावल के कोटा में, गेहूं और चावल की मांग और केन्द्र के आबंटन के बीच बहुत अन्तर है। जहां तक इस राज्य का सवाल है वह खाद्यान्नों के मामले में बहुत पीछे है।

मैं माननीय मन्त्री से यह आग्रह करूंगा कि वह केन्द्र द्वारा आवंटित खाद्यान्नों की गुणवत्ता का भी ध्यान रखें।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी टिप्पणी समाप्त करता हूं।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : एफ. डी. एस के लिए राज्य सरकारों को आवंटन अनुपूरक प्रकृति का होता है। यह खुले बाजार का स्थानापन्न नहीं होता है। वह उत्तर माननीय सदस्य के प्रश्न का दिया गया है पिछले सूखे के परिणामस्वरूप, खुले बाजार के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है और यही कारण है कि एफ. डी. एस के ऊपर दबाव है। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि इस वर्ष उत्पादन बहुत ही अच्छा हुआ है और बहुत अच्छी फसल हुई है। तथा उत्पादन भी लक्ष्य से बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार द्वारा जो भी समर्थन मूल्य दिया गया है उसका मतलब है किसानों को अपनी फसल कम मूल्यों पर न बेचनी पड़े। जैसा की मैंने पहले कहा है कि सूखे के परिणामस्वरूप खुले बाजार के मूल्यों में बढ़ोतरी हुई है और किसान अपनी उपज को सरकार को बेचने के लिये बाध्य नहीं है अर्थात एफ. सी. आई. को समर्थन मूल्य पर। अगर उनके उपज का उन्हें ज्यादा मुनाफा मिलता है, तो वे अपने फसल को निजी व्यापारियों के हाथ या कहीं भी बेच सकते हैं। लेकिन फिर हमने भरसक प्रयास कर गेहूं और चावल की ज्यादा से ज्यादा मात्रा खरीदनी चाही है। जहां तक महाराष्ट्र राज्य का सवाल है, तो अगर आप इसकी मांग को देखें तो आप पायेंगे की भारत सरकार ने पिछले दो सालों में गेहूं के आबंटन में कोई कमी नहीं की है। उदाहरण के लिए, फरवरी 1987 से दिसम्बर 1987 तक कुल मांग 11,10,000 टन था जबकि आबंटन 10,80,000 टन है जबकि निकास 10,06,800 टन था। 1988 में, जनवरी से दिसम्बर माह तक कुल मांग 14.25,000 मीट्रिक टन थी जिसमें से 10,45,000 मीट्रिक टन का आबंटन किया गया था। इसके मुकाबले निकास या उठान 10,26,100 मीट्रिक टन का था। इसलिए आवंटन में कटौती नहीं हुई। माननीय सदस्य यह सही कहा है। जहां तक गेहूं का सवाल है इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। सच में तो अक्तूबर, माह से इसे 85,000 टन से बढ़ाकर 90,000 टन कर दिया गया है। और फरवरी, 1989 से इसे 90,000 टन से बढ़ाकर 95,500 टन कर दिया गया है। मार्च में इसे बढ़ाकर 1 लाख मीट्रिक टन कर दिया गाया है।

जहां तक चावल का प्रश्न है तो 7,70,000 मी. टन मांग की तुलना में है कुल आवंटन 7,20,000 टन था और निकास 6,30,300 मी. टन था। 1988 में 9,55,000 टन माग के विरुद्ध कुल आवंटन 7,50,000 मी. टन था और निकास 7,24,800 मी. टन था। अत सामान्य मांग हर राज्य सरकार की ज्यादा रहती है हम आवंन महीनेवार करते है और यह किसी खास राज्य का ध्यान रखते हुए नहीं करते हैं। बल्कि सभी राज्यों की मांग और अपने स्टाक तथा दूसरी चीजों का ध्यान में रखकर करते हैं जैसे, खुले बाजार में उपलब्धता इत्यादि। इस साल खरीफ और रबी फसल अच्छी होने के कारण गेहूं और चावल खुले बाजार में उपलब्ध है। सामान खुले बाजार में उपलब्ध होने के कारण हमें राज्यों के आवंटन में 20 प्रतिशत की कटौती करना पड़ती है। चावल के सम्बन्ध में, जब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री मुझसे मिले थे, तब तब इसका आबटन सितम्बर माह में

60,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 65,000 मीट्रिक टन कर दिया गया था। बढ़ाए गए आवंटन में से, यह कमी सभी राज्यों के लिए की गई केवल विशेष दर्जे के उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़ा गया है क्योंकि उनकी आपूर्ति के स्रोत बहुत दूरस्थ हैं। इन छोटे पहाड़ी राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों में कमी की गई है। महाराष्ट्र के साथ कोई भेद-भाव नहीं किया गया। मैं यह बात माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूं कि मैंने चावल की खरीद शुरू होने से कुछ समय पहले महाराष्ट्र सरकार से भंडारा तथा मध्य प्रदेश में आस-पास के अन्य दो तीन राज्यों पर कर लगाने के लिए सिफारिश की थी। उन्होंने निर्णय ले लिया था। किन्तु बाद में मैं नहीं जानता कि किन कारणों से महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय वापिस ले लिया। व्यापारी शुल्क बचाने के लिए धान मध्य प्रदेश से भंडारा तथा अन्य दो तीन राज्यों में ले जाते हैं। मुझे बताया गया है कि इन क्षेत्रों में 100 से भी अधिक चावल मिलें हैं और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक यातायात की समस्या होने के कारण चावल पर शुल्क का नुकसान उठाते हैं। मैंने महाराष्ट्र सरकार से शुल्क लगाने का अनुरोध किया था ताकि मध्य प्रदेश में हमारी खरीद बढ़ सके। मैंने स्पष्ट किया था कि उन जिलों में 70000 से 100000 मीट्रिक टन भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा जाएगा। मैंने महाराष्ट्र सरकार को यह आश्वासन दिया था कि ये उन्हें वह मात्रा सामान्य आवंटन के अतिरिक्त दी जाएगी। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। हरियाणा में भी यातायात पर प्रतिबन्ध के कारण दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली से लाए जाने वाले धान पर शुल्क नहीं लगाया। मैंने दिल्ली प्रशासन से अनुरोध किया था कि वे दिल्ली में शुल्क लगाएं। परिणामस्वरूप हरियाणा में हमारा खरीद का स्तर बढ़ गया और दिल्ली में हमने कम खरीद की मैं नहीं जानता कि महाराष्ट्र के संबंध में उन्होंने इसके विपरीत निर्णय क्यों लिया। किन्तु मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र के लोगों को भी खुले बाजार में इसका लाभ नहीं मिला। और वह चावल केरल तथा अन्य राज्यों को भेजा जा रहा है और व्यापारी लाभ कमा रहे हैं। यदि महाराष्ट्र सरकार को सहायता प्राप्त दरों पर चावल मिला होता, तो उन्हें इस स्थिति का सामना न करना पड़ता। यदि राज्य सरकारें शुल्क लगाने के हमारे अनुरोध को नहीं मानती तो हम खाद्यान्नों की खरीद किस प्रकार करेंगे। हमारी 70 प्रतिशत खरीद पंजाब हरियाणा और उत्तर-प्रदेश से की जाती है और शेष आन्ध्र प्रदेश से। मेरा विचार है कि महाराष्ट्र सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इस पर विचार करेगी।

जहां तक चावल की किस्म के संबंध में माननीय सदस्य की शिकायत का संबंध है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे महाराष्ट्र सरकार से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मैं बम्बई जाता रहा हूं और वहां खाद्य मंत्री तथा अन्य व्यक्तियों से मिलता रहा हूं।

डा. दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : यह एक समस्या है। चावल की घटिया किस्म के कारण लोग सड़कों पर आन्दोलन कर रहे हैं।

श्री सुख राम : मेरे विचार में, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बताता हूं कि पिछली खरीफ फसल के दौरान पंजाब में भारी बाढ़ आई थी। उसमें बहुत फसल नष्ट हो गई थी और केन्द्रीय पूल में पंजाब का योगदान 60 प्रतिशत से अधिक होता है। हमें मजबूरी में पंजाब में मानदंडों में ढील देनी पड़ी थी। इन मानदंडों के कारण किस्म उतनी बढ़िया नहीं रही जितनी हुआ करती थी और जैसा अन्य स्थानों पर है। किन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह चावल मानव के उपयोग के अयोग्य है। यदि कोई ऐसी शिकायत अथवा उदाहरण है तो माननीय सदस्य उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। वे मुझे नमूना दे सकते हैं और मैं इसकी जांच

करवाऊंगा। मैं आश्वासन देता हूं कि उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी जिन्होंने मानव उपभोग के लिए आयोग्य चावल की आपूर्ति की है।

जहां तक गेहूं का संबंध है, किस्म के बारे में कोई समस्या नहीं है। किन्तु यदि कोई बात माननीय सदस्य की जानकारी में आई है तो वे मुझे नमूना भेज दें और मैं उसकी जांच करवाऊंगा।

श्री शरद दिघे : अगली बार जब आप बम्बई आएंगे तो मैं आपको राशन की दुकानों पर ले चलूंगा।

डा. दत्ता सामन्त : बहुत कमी भी है। लगभग 500 व्यक्ति सदा ही पंक्ति में रहते हैं और पिछले दो माह से दुकानदारों को कोई सामग्री नहीं मिली है।

श्री सुख राम : हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि खाद्य वस्तुएं विशेषकर खाद्यान्न समाज के कमजोर वर्गों के लिए हैं। यह व्यवस्था मुख्यतः उनके लिए है यद्यपि सामान्य तौर पर सारी जनसंख्या को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया है। किन्तु मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करता रहा हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि रियायती दरों पर खाद्यान्न निर्धन व्यक्तियों को आवंटित किया जाए। बहरहाल, वितरण राज्य सरकारों का काम है और यह उन्हें ही देखना है।

एक बात मैं महसूस करता हू और जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, मेरे विचार से इसकी 40 प्रतिशत जनसंख्या शहरों और कस्बों में रहती है। महाराष्ट्र के मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। चूंकि बाजार में काफी खाद्यान्न उपलब्ध हैं, इसलिए सारी जनता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर नहीं करना चाहिए। किन्तु जब ऐसी समस्या थी तो पिछली बार मुख्य मन्त्री भी मुझसे मिले थे। इसी कारण से महाराष्ट्र के लिए आवंटन में वृद्धि की गई थी। अब कमी बढ़ाए हुए आवंटन में से की गई है। उससे बहुत अंतर भी नहीं पड़ता। मुझे बताया गया है कि उन्हें प्रति व्यक्ति 12 किलोग्राम से कम करके 10 किलोग्राम करना पड़ा है। अन्य राज्यों में भी प्रत्येक कार्डधारी को 8 से 10 किलोग्राम दिया जाता है। किन्तु मेरे विचार में खुले बाजार में उपलब्धता को देखते हुए तथा चूंकि महाराष्ट्र एक समृद्ध राज्य है—इसकी प्रति व्यक्ति आय देश में सर्वाधिक है-वे खुले बाजार से खाद्यान्न खरीद सकते हैं।

डा. दत्ता सामन्त : आप बड़े उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं।

श्री सुख राम : खैर, वहां उद्योगपति भी हैं और निर्धन व्यक्ति भी हैं। किन्तु हमें निर्धन व्यक्तियों का ध्यान रखना है। जब बहुत अधिक कमी होती है तो कुछ करना होता है। हमें सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार रखना है।

माननीय सदस्य को कुछ गलत फहमी हो गई थी और उसे दूर करने का प्रयत्न किया है। मैं देखूंगा कि यदि कुछ किया जाना है तो उपयुक्त समय पर वह भी किया जाएगा।

श्री अमृतलाल शाह (बम्बई उत्तर) : मैं माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं जैसाकि उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि आवंटन में तथा उठान में अन्तर है इसके क्या कारण

है, उठान आवंटन से कम क्यों है। मेरे हिसाब से ऐसा समय पर खाद्यान्नों की अनुपलब्धता के कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य के नागरिक आपूर्ति विभाग में तालमेल नहीं हैं। क्योंकि उनके गोदामों में भंडार नहीं है। क्या यह सही है और क्या यह तथ्य है कि राज्य को आबंटित खाद्यान्न से कम मात्रा में उठान केन्द्र सरकार तथा भारतीय खाद्य निगम का दोष है और राज्य सरकार का दोष नहीं है? इसलिए मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूं।

दूसरे, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया है, राज्य सरकार को ऐसे लोगों को यह वितरण करना चाहिए जो गरीब की रेखा पर हैं और जो गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं। वास्तव में बम्बई और ठाणे में उच्च वर्ग के लोग द्वारा उठान नहीं किया जा रहा। उनके पास अपने राशन कार्ड हैं। यदि वे भी खाद्यान्न लेना आरंभ कर दें तो हमारी कमी श्रीमान दिघे द्वारा बताई गई मात्रा से बहुत अधिक हो जाएगी केवल गन्दी बस्तियों में रहने वालों तथा निर्धन व्यक्तियों द्वारा ही राशन लिया जाता है। इसीलिए यह कमी है। अतः मन्त्री जी को यह नहीं समझना चाहिए कि राज्य सरकार सभी लोगों को खाद्यान्न दे रही है।

तीसरे, उपभोक्ताओं द्वारा उठान की मात्रा बाजार भाव बढ़ने के कारण अधिक हो गई है। महाराष्ट्र में कमी है। खाद्यान्न की खरीद के लिए महाराष्ट्र का अपना खाद्य निगम नहीं है। वह खरीदेंगे कहां से? यदि वह दूसरे राज्यों से खरीदते हैं तो एक राज्य के लिए यह बोझ कम करना बड़ा कठिन है। यदि केन्द्रीय पूल पर्याप्त खाद्यान्न नहीं देता तो महाराष्ट्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली निश्चित रूप से बन्द करनी पड़ेगी। यदि इतने नीचे स्तर तक चली जाएगी कि फिर इसका वास्तविक स्तर पर आना कठिन हो जाएगा। इसलिए माननीय मंत्रीजी से मेरा अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करें कि जो आवंटन किया जा रहा है, वह समय पर किया जाए।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय सबसे पहले तो मैं आपका इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली माध्यम से आवश्यक खाद्य पदार्थों की कम सप्लाई के इस अत्यन्त महत्वपूर्ण के मुद्दे पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी है। मेरे मित्र श्री दिघे तथा अन्य लोगों ने जो कुछ कहा है, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। मैं मन्त्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने कुछ समाचार पत्रों में छपे इस समाचार की पुष्टि भी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले चावल के आवंटन पर 20 प्रतिशत कटौती की जाएगी। इस वर्ष चावल के रिकार्ड उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार स्थिति की पुनरीक्षा करेगी और यह निर्णय लेगी कि विभिन्न राज्यों और विशेषकर चावल भोगी राज्यों को चावल के आवंटन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। चावल का बिक्री मूल्य 25 जनवरी, 1989 से बढ़ा दिया गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक गेहूं का बिक्री मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। मैं मंत्र महोदय से यह स्पष्टकरण चाहता हूं कि क्या यह सच है या नहीं, यदि यह सच है तो यह कैसे हुआ कि चावल का बिक्री मूल्य तो बढ़ा दिया गया, जबकि गेहूं का बिक्री मूल्य नहीं बढ़ाया गया, जबकि चालू मौसम में धान और गेहूं दोनों के ही खरीद मूल्यों में वृद्धि गई है? मंत्री महोदय ने श्री दिघे द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देते हुए स्वीकार किया था कि भारतीय खाद्य निगम ने कुछ मजबूरियों के कारण पंजाब में खराब धान की खरीद की है।

मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है। आप पंजाब के साथ बहुत उदारता बरत रहे हैं। आप पंजाब से धान या चावल की खरीद के मामले में बहुत छूट दे रहे हैं। किन्तु आप ऐसी ही छूट आन्ध्र प्रदेश या किसी अन्य राज्य से खराब धान की खरीद के लिए नहीं दे रहे हैं। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि आप चावल या धान की खरीद के मामले में किसी भी राज्य को जो भी छूट देते हैं, वह सभी राज्यों में समान्यरूप से लागू होगी चाहे वह पंजाब हो या आन्ध्र प्रदेश। मुझे आशा है कि आप इस बारे में स्पष्टीकरण देंगे और विषमता दूर करेंगे।

मेरी जानकारी के मुताबित चावल के बिक्री मूल्य और भारतीय खाद्य निगम के खरीद मूल्य के बीच 40 रुपये का अन्तर है। इन 40 रुपयों में से, लगभग 35 रुपए परिवहन लागत के कारण है। अधिकांश चावल या कम से कम उसका काफी बड़ा भाग पंजाब और दक्षिण में खरीद कर केरल को भेजा जाता है जिससे रेल और सड़क परिवहन पर काफी बोझ पड़ता है। आन्ध्र प्रदेश केरल के काफी निकट है। आंध्र प्रदेश के लोगों की जरूरत पूरी करने के बाद आंध्र प्रदेश अपने भंडार की फालतू मात्रा सप्लाई कर सकता है। इस प्रकार भारतीय खाद्य निगम को परिवहन से होने वाला नुकसान काफी कम हो जाएगा और इसके साथ-साथ काफी बड़ी संख्या में वैगन दूसरी वस्तुओं के लिए उपलब्ध हो सकेंगे।

अन्त में आप कुछ उन संगठनों पर आयकर लगा रहे हैं जो भारतीय खाद्य निगम से स्टाक खरीद कर आवश्यक वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सप्लाई करते हैं। आंध्र प्रदेश आवश्यक वस्तु निगम पर आयकर और अग्रिम कर के रूप में लगभग 40 करोड़ रुपए लगाए जाते हैं। इस प्रकार से वस्तुएं सप्लाई करने के मामले में हम पर पहले ही बोझ पड़ रहा है, विशेष रूप से हम एक करोड़ कार्डधारियों या 45 करोड़ लोगों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से चावल सप्लाई कर रहे हैं। यह कोई लाभ कमाने वाला संठन नहीं है, बल्कि यह लोगों की सेवा कर रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली परिषद की हाल ही में दिल्ली में हुई 9वीं बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया था कि केन्द्र सरकार को न केवल आंध्र प्रदेश से बल्कि अन्य राज्यों से भी इन संगठनों से आयकर और अग्रिम का हटा देना चाहिए। इससे इन संगठनों के सुचारू कार्य चालन में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, आपको आंध्र प्रदेश को अधिक चावल उपलब्ध कराना चाहिए। हमें अपने लोगों की जरूरतों के लिए प्रति वर्ष 25 लाख टन चावल चाहिए। अब आप हमें प्रति वर्ष केवल 10 लाख टन चावल दे रहे हैं। कृपया आप हमें, राज्य की जरूरत को पूरा करने के लिए पांच लाख टन चावल और दें।

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : महोदय, आवश्यक वस्तुओं तथा अन्य वस्तुओं का वितरण खाद्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। चूंकि आन्तरिक वितरण राज्य सरकारों के पास होता है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न वितरण केन्द्रों को आन्तरिक प्रशासन के संबंध में राज्य सरकारों के अनुपालन के लिए कोई मार्ग निर्देश जारी किए है। जब तक ऐसे मार्ग निदेश नहीं होंगे, विभिन्न राज्य विभिन्न प्रणालियां अपनाते रहेंगे। इसलिए आवश्यक वस्तुओं का समान वितरण नहीं हो सकता।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की ऐसी कोई निगरानी प्रणाली है जिससे वह यह सुनिश्चित कर सकें कि सभी राज्यों में आन्तरिक वितरण प्रणाली सही ढंग से काम कर रही है। यदि सरकार को यह पता चलता है कि वितरण प्रणाली सही नहीं है, तो वह क्या उपाय करेगी ?

मेरा अगला प्रश्न यह है कि दस वर्ष पूर्व जब आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू हुआ था तो हम सुना करते थे कि इतने लोगों पर मुकद्दमे चलाए जा रहे हैं, इतने लोगों को जेल भेजा गया है, क्योंकि अधिनियम में अनिवार्य कारावास का प्रावधान था। इधर हाल ही के वर्षों में हमें इस प्रकार के मामले सुनने में नहीं आते क्योंकि या तो मुकद्दमे चलाए ही नहीं जाते, या उनके समाचार नहीं आते या उनका प्रचार नहीं किया जाता।

जहां तक आवश्यक वस्तुओं का संबंध है, मेरा एक नम्र निवेदन है कि खुले बाजार में विज्ञापन पर जो खर्च किया जाता है। वह मूल्य ढांचे में जोड़ दिया जाता है वह उसका अंग बन जाता है। मेरा यह नम्र निवेदन है कि जहां तक आवश्यक वस्तुओं का संबंध है, अनेक विज्ञापन पर प्रतिबन्ध होना चाहिए ताकि लोग ऐसी वस्तु न खरीदें जिसका मूल्य टी.वी. या समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाने का कारण अधिक हो। इसलिए आवश्यक वस्तुओं के टी.वी. या समाचार पत्रों में विज्ञापन देने पर प्रतिबंध लगा कर उसका मूल्य कुछ हद तक सीमित रखा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सर, आपने अपने भाषण में कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो मांगती है, वह डिमांड पूरी करना संभव नहीं है क्योंकि दूसरे स्टेट्स में भी आपको देना पड़ता है।··· (व्यवधान)··· महाराष्ट्र सरकार ने जो मांगा था वह आप नहीं दे सके इसीलिए शरद दिघे जो यह हाफ इन आवर डिस्कशन लाए हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह ठीक है कि जो उन्होंने मांगा था वह आप नहीं दे सके, आपने कहा है कि आपको अलग-अलग स्टेट में देना पड़ता है लेकिन एक चीज आपको भी देखनी है, अभी जिस तरह से पोपुलेशन इन्क्रीज हो रही है, उस तरह से कोटा इन्क्रीज नहीं हो रहा है, इससे थोड़ा गैप रहता है। पोपुलेशन इन्क्रीज और कोटे में थोड़ा गैप हो गया है इसलिए हर स्टेट का आप सर्वे कीजिए, आप देखिये कि किस स्टेट में कितनी पोपुलेशन इन्क्रीज हुई है और अगर कहीं ज्यादा इन्क्रीज हुई है तो उसके साथ कोटा भी इन्क्रीज होना चाहिए नहीं तो मुश्किल क्या होती है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज, फूडग्रेंस स्टेट में भेजना है, वह नहीं पहुंच पाता। हर स्टेट की एक ही कम्पलेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा रिलीज नहीं करती है। महाराष्ट्र में जैसा जरूरी है, वैसा हमारी स्टेट में भी जरूरी है, त्रिपुरा में भी जरूरी है। त्रिपुरा मेरा स्टेट नहीं है लेकिन हमने पहले से देखा कि त्रिपुरा का आदमी इतना गरीब है लेकिन उसको फेयर प्राइस शॉप से एसेंशियल कमोडिटीज नहीं मिलती हैं, हमारे बंगाल के मिनिस्टर का भी ऐसा ही एलीगेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा रिलीज नहीं करती है। आपको देखना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कमिटमैंट है, वह कमिटमैंट फुलफिल होना चाहिए, हर स्टेट में। फुलफिल नहीं होने से तकलीफ होती है तो गरीब आदमी को ही होती है।

मेरा पूछना है कि आपने हर स्टेट के लिए कितना फूडग्रेन रिलीज किया है, आपका कोटा क्या था और आपने क्या रिलीज किया था और यदि रिलीज नहीं किया है तो कब तक रिलीज

करेंगे, यह मेरा प्रथम प्रश्न है ? मेरा दूसरा क्वेश्चन क्वालिटी के लिए है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप थोड़ी मेहरबानी करके सरप्राइज विजिट कीजिए, हर स्टेट में एक-एक फेयर प्राइस शॉप में, लेकिन आपकी विजिट कान्फीडेंशियल होनी चाहिए। अगर आप की विजिट आपके दफ्तर से मालूम हो जाएगी कि इस दिन इस स्टेट में जायेंगे तो एक दिन के लिए सब ठीक हो जाएगी और वह बासमती चावल लाकर डाल देंगे लेकिन आप सरप्राइज विजिट हर स्टेट की एक-एक फेयर प्राइस शॉप में दीजिए तो आपको मालूम हो जायेगा कि क्या क्वालिटी है। फेयर प्राइस शाप में वह चावल आता है जिसको चूहे भी नहीं खाते हैं, चूहे भी उसको देखकर भागते हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है लेकिन मिडिलमैन लोग ऐसा काम करते हैं...

श्री दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : आदमी चूहे बने हुए हैं, फूड कारपोरेशन को वही खा रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : मेरा सम्बन्ध ग्रास रूट से है। ग्रास रूट के आदमी से एक सवाल हमारे पास आता है इसलिए आप थोड़ी मेहरबानी करके सरप्राइज विजिट दीजिए।

मेरा तीसरा प्रश्न यह कि फेयर प्राइस शाप्स में गंदा खाना रहता है और आपका एसेंशियल कामोडिटीज एक्ट भी है, लेकिन फिर भी वहां पर चार्ट नहीं रहता है, एडलट्रेटिड रैपसीड आयल है। मेरी कांस्टीचूयेंसी बहला में एक हजार आदमी फेयर प्राइस शाप्स से रैपसीड आयल खाकर पैरालाइज हो गया है। फेयर प्राइस शाप्स में कैसे एडलट्रेटिड रैपसीड आयल रहता है। आपका विजिलेंस डिपार्टमेंट है, आपका इन्फोर्समेंट है, लेकिन फिर भी यह हालत है। यह क्यों नहीं देखा गया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको रिव्यूह कीजिए। एसेंशियल कामोडिटीज एक्ट के तहत कितना आदमी पकड़ा गया है ? उनको क्या पनिशमेंट दी गई है ? पनिशमेंट दी गई है या नहीं दी गई है, उस बारे में आपको हाउस में रखना चाहिए और यह बहुत जरूरी भी है।

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती हूं, लेकिन कैरोसिन आयल की हमारे स्टेट में बहुत स्केयसिटी है। हमारे स्टेट का जो कोटा है, उसको आप रिलीज कीजिए। महाराष्ट्र की बात तो अलग है, वहां के लिए शरद दिघे जी ने बताया है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि हमारे स्टेट में, नार्थ ईस्टर्न रीजन बार्डर आदि के क्षेत्रों में कैरोसिन आयल, राइस और बहुत मसाला बंगला देश में जा रहा है। इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में खाना नहीं मिलता है, खाना बाहर चला जाएगा, तो आप यहां की स्थिति को कैसे संभाल सकते है। यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। हमारे गृह राज्य मन्त्री, श्री चिदम्बरम जी, यह स्थिति खुद नार्थ बंगाल में देख कर आए हैं। इसलिए मैं आपको बोलना चाहती हूं कि यह मिनिस्ट्री भी इससे जुड़ी हुई है। आप इसकी इन्क्वायरी कीजिए और एक्शन लीजिए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री सुखराम : महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस शिकायत से सहमत नहीं हूं कि महाराष्ट्र में बहुत कम खाद्यान्न का वितरण किया गया क्योंकि भारतीय खाद्य निगम आवश्यक मात्रा में सप्लाई नहीं कर पाया। वास्तव में महाराष्ट्र में खाद्यान्न का वितरण देश में सर्वोत्तम अर्थात 98 प्रतिशत है जबकि इसकी तुलना में अन्य राज्यों में यह बहुत कम है। मैं यह कह सकता हूं कि भारतीय खाद्य निगम और सरकार के बीच सर्वोत्तम समन्वय महाराष्ट्र में है।

कुछ मास पूर्व, कुछ शिकायतें मेरी जानकारी में आई थी कि चावल उपलब्ध नहीं है या भारतीय खाद्य निगम द्वारा महाराष्ट्र सरकार को चावल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है और इन शिकायतों के कारण मैंने शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया। महाराष्ट्र सरकार को जो भी मात्रा नहीं दी गई थी, वह सारा पिछला बकाया महाराष्ट्र सरकार को उपलब्ध कराया गया था। वर्तमान स्थिति यह है कि 1.3.1989 को महाराष्ट्र में 2. लाख टन गेहूं और 1.06 लाख टन चावल उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, 1.54 लाख टन—80,000 मीट्रिक टन गेहूं और 74,000 मीट्रिक टन चावल महाराष्ट्र को भेजा गया था। इसमें से 1.33 लाख टन को उतारा जा चुका है और शेष मार्ग में है। इसलिए, इस शिकायत का कोई आधार नहीं है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध न कराए जाने के कारण उसका वितरण कम था। निर्गम मूल्य संपूर्ण देश में समान है और राजकोष पर पड़े अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए इसमें वृद्धि करनी पड़ी क्योंकि पिछले वर्ष समर्थन मूल्य में क्रमशः इस प्रकार वृद्धि हुई थी—चावल की साधारण किस्म के लिए 10 रुपए, परिष्कृत किस्म के लिए 16 रुपये और धान की अति-उत्तम किस्म के लिए 22 रुपये। यह सारा बोझ लगभग 300 करोड़ रुपये हुआ और इसकी भरपाई की जानी थी। गरीब लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए साधारण किस्म के चावल के संबंध में वृद्धि केवल 5 रुपये प्रति क्विंटल थी और बढ़िया और अति-उत्तम किस्म के खाद्यान्नों के संबंध में यह वृद्धि स्वभाविक रूप से 40 रुपये से 45 रुपये तक थी। इसलिए सम्पूर्ण देश में कोई भेद-भाव नहीं है···(व्यवधान)

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : गेहूं का निर्गम मूल्य क्या है ?···(व्यवधान)

श्री सुख राम : गेहूं की खरीद अगले माह से शुरू होगी। इसलिए, मैं नहीं कह सकता कि स्थिति क्या होगी और अब इस समय मैं गेहूं के निर्गम मूल्य के बारे में भी नहीं कह सकता हूं। अभी तक हमने निर्गम मूल्य में वृद्धि करने का निर्णय नहीं लिया है।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि क्षतिग्रस्त स्टाक वास्तव में क्षतिग्रस्त नहीं था। छूट केवल टूटे हुए चावल के मामले में थी और इस किस्म की अनुमति पी.एफ.ए. अधिनियम के अधीन है। माननीय सदस्य की शिकायत यह थी कि यह छूट आन्ध्र प्रदेश को नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि आन्ध्र प्रदेश में पंजाब की तरह बाढ़ नहीं आई थी।···(व्यवधान)

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : वास्तव में इस मौसम में वहां बहुत बाढ़ आई थी और 100 करोड़ रुपये मूल्य का धान नष्ट हो गया था···(व्यवधान)

श्री सुख राम : जहां तक मेरा संबंध है मेरे समय में आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से दरों में छूट देने संबंधी कोई अनुरोध नहीं किया गया था। इसलिए, छूट देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव : भारत सरकार ने बाढ़ से हुई क्षति के लिए 2 करोड़ रुपये दिए थे···(व्यवधान)

श्री सुख राम : बाढ़ से हुई हानि के लिए सहायता देना अलग बात है। मानदंडों में छूट देना अलग बात है। दूसरी शिकायत यह थी कि आन्ध्र प्रदेश राज्य को अधिक चावल दिए जाने चाहिए और आन्ध्र प्रदेश सरकार को अधिक आबंटन किया जाना चाहिए। हम आन्ध्र प्रदेश राज्य से 15 लाख टन चावल प्राप्त कर रहे हैं और इसके बदले में हम आन्ध्र प्रदेश सरकार को 11 से 12

लाख टन चावल दे रहे हैं। अब इसे कुछ कम कर दिया गया है, दस लाख टन या इतना ही। "दो रुपये प्रति किलो चावल" योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश सरकार छ: करोड़ की जनसख्या में से पांच करोड़ जनसंख्या की भरपाई कर रही है। यह तो आन्ध्र प्रदेश सरकार की उपज है। यदि प्रत्येक राज्य जहां मांग से अधिक उत्पादन होता है कि यह पूर्व—शर्त हो कि पहले हमे अपनी मांगें पूरी करनी हैं तथा इसके बाद अन्य राज्यों को सप्लाई देनी है तब हम घाटे के अन्य राज्यों की मांग कैसे पूरी कर सकते हैं। फिल हाल छ: राज्य अधिशेष राज्य है जिनसे हम खरीद कर रहे हैं। लगभग सत्तर प्रतिशत वसूली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से की जाती है तथा शेष वसूली आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य दो या तीन राज्यों से की जाती है जो मुश्किल से एक लाख टन देते हैं। आन्ध्र प्रदेश अधिशेष राज्य है। आन्ध्र प्रदेश सरकार भी चावल खरीद सकती है और वे खरीद भी रहें हैं। इस योजना के तहत आन्ध्र प्रदेश की पचास प्रतिशत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। इसके बाद माननीय सदस्य ने यह कहा कि अतिरिक्त चावल आन्ध्र प्रदेश से केरल जाना चाहिए। हम ऐसा कर रहे हैं। हम आन्ध्र प्रदेश से तीन या चार लाख टन ही बचा पा रहे हैं और हम इसे केरल राज्य को देते हैं। केरल में प्रति माह खरीद एक लाख टन है। हमें केरल राज्य की अतिरिक्त आवश्यकता को पंजाब और अन्य राज्यों से पूरा करना पड़ता है।

इसके बाद एक बात यह थी कि क्या राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किए गए हैं? हमने कुछ निर्देश जारी किए है और हम सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध कर रहे हैं कि सार्व-जनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटन केवल हमारे समाज के गरीब लोगों को ही किया जाना चाहिए। हम हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इस पर निगरानी रखी जानी चाहिए और इसकी आकस्मिक जांच भी की जानी चाहिए। हम यह भी कर रहे हैं। मेरे मंत्रालय के सचिव और स्वयं मैंने कुछ राज्यों का दौरा किया है और आकस्मिक जांच भी की हैं। किन्तु यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और हम राज्य सरकारों से आकस्मिक जांच करने का अनुरोध भी कर रहे हैं। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं किन्तु बहुत सी दुकानों पर छापे मारे गए हैं और कुछ लोगों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन मुकदमें भी चलाए गए हैं। करोड़ों रुपये के मूल्य का माल जब्त किया गया है। यदि मुझे ठीक से याद है तो पिछले वर्ष के दौरान 40 करोड़ रुपये की आवश्यक वस्तुएं जब्त की गई है।

एक बात यह भी उठाई गई थी कि मूल्य में विज्ञापन व्यय भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जहां तक आवश्यक वस्तुओं अर्थात गेहूं और चावल का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि उनके लिए विज्ञापन दिए जाते हैं। अन्य वस्तुओं के लिए विज्ञापन दिए जा सकते हैं। किन्तु जैसा कि आप जानते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मे जो कि हमारे देश का अत्यधिक प्रगतिशील कानून है, इसका ध्यान रखा जाता है। जहां तक गेहूं और चावल का सम्बन्ध है इसके सम्बन्ध में कोई विज्ञा-पन नहीं दिए जाते और विज्ञापन के कारण मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की जाती है।

कुमारी ममता बनर्जी ने एक बात यह उठाई कि क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अतः हमें खाद्यान्नों के आबंटन में भी वृद्धि करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह समर्थन मूल्य किसानों को मजबूरी में माल बेचने से बचाने के लिए है। यदि विक्रेताओं का बाजार होता तो सरकार को भी प्रतियोगिता करनी पड़ती और बाजार में प्रचलित भाव से ही खाद्यान्नों की खरीद करनी पड़ती किन्तु हम किसानों को मजबूरी (संकट) में माल बेचने से बचा रहे हैं।

क्योंकि खुले बाजार में अत्यधिक खाद्यान्न उपलब्ध है, अतः लोगों को खुले बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। खाद्य राज्य का विषय है और राज्य सरकारों को इसकी कमी का ध्यान रखना चाहिए। न तो ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए और न ही केन्द्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह किसी राज्य विशेष में मांग और पूर्ति के सम्पूर्ण अन्तराल को पूरा करे। यहां कोई जोनल सिस्टम नहीं है और लोग अधिशेष राज्यों से खरीद करते हैं तथा इसे अन्य कमी वाले राज्यों में भी ले जाते हैं।

मुझे मिट्टी के तेल की कमी के बारे में जानकारी नहीं है। मैं इस शिकायत को अपने साथी जो इसमें व्यवहार कर रहे हैं तक पहुंचा दूंगा।

जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है मेरे पास आंकड़े नहीं है कि कितनी मात्रा दी गई है। किन्तु पश्चिम बंगाल देश में दूसरे नम्बर पर सबसे अधिक खाद्यान्न लेने वाला राज्य है।। हम पश्चिम बंगाल की मांग पूरी कर रहे हैं किन्तु शत प्रतिशत मांग पूरी करना सम्भव नहीं है। क्योंकि उन्हें खुले बाजार पर भी निर्भर रहना पड़ता है।

महोदय, मैं समझता हूं कि मैंने यहां उठाए गए सब प्रश्नों का जवाब दे दिया है। मैंने माननीय सदस्यों के मन में आई गलतफहमियों या भय को दूर करने का प्रयास किया है।

6.57½ म.प.

कार्य मंत्रणा समिति

68 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 68 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.58 म. प.

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना सभा को देनी है।—

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसारण में, मुझे विनियोग (वोट आन एकाऊन्ट) विधेयक, 1989 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 मार्च, 1989 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और य; बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(2) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग विधेयक, 1989 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 27 मार्च, 1989 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।''

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 म.पू. पर पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

18.59 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार 30 मार्च, 1989/9 चैत्र, 1911 (शक)
के ग्यारह बजे म.पू. तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स, 472 एसप्लेनेड रोड, दिल्ली-110006.